Monday, 27 March, 1978

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 12 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : चार रुपये

Price: Four Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 24, सोमवार, 27 मार्च, 1978/6 चैत्र, 1900 (शक)

No. 24, Monday, March 27, 1978/Chaitra 6, 1900 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
कोरिया गणतंत्र के संसदीय मण्डल का स्वागत	Welcome to the Parliamentary Delegation from the Republic of Korea	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference . . .	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	Oral Answers to Questions:	
*तारांकित प्रश्न संख्या 449 से 451, 455, 460, 461 और 463	*Starred Questions Nos. 449 to 451, 455, 460, 461 and 463	2—15
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	15—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	Written Answers to question :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 452 से 454, 456 से 458, 462, 464 से 466 और 468	*Starred Question Nos. 452 to 454, 456 to 458, 462, 464 to 466 and 468	16—21
अतारांकित प्रश्न संख्या 4238 से 4269, 4271 से 4404 और 4406 से 4437	Unstarred Questions Nos. 4238 to 4269, 4271 to 4404 and 4406 to 4437	22—147
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re: Motion for adjournment	
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज के कर्मचारियों पर गोली का चलाया जाना ।	Firing on B H E L workers .	147
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	148
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . .	149
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
ग्रोवर आयोग के कार्य करने में रुकावटें	Obstructions in the functioning of Grover Commission	150
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	150

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	T	पृष्ठ/PAGES
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh .	150
श्री एस० ननजेश गौडा	Shri S. Nanjesha Gowda	152
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377 . . .	153
(एक) 22 मार्च, 1978 के भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों की कथित हड़ताल	(i) Reported strike by employees of the Indian Oil Corporation on 22-3-1976	
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarayan Pandeya	153
(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी	(ii) Medical Officers of National Health Service	
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh . . .	154
(तीन) अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्त को नकद न दिये जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष के कथित समाचार	(iii) Reported Discontentment amongst Central Government Employees for non-payment of Additional D.A. in cash . .	
श्रीमती अहिल्या पी० रंगनेकर	Shrimati Ahilya P. Rangnekar .	154
(चार) कवारट्टी मुख्यालय में 3 मार्च, 1978 से लक्षद्वीप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जवाहर लाल नेहरू कालेज के छात्रों के बीच कथित झगड़े के समाचार	(iv) Reported clash between senior officers of Lakshdweep Administration and students of the J.N. College on3-3-1978 at Kavarathi Headquarters	
श्री पी० एम० सईद	Shri P.M. Sayeed .	154
अनुदानों की मांगें, 1978-79	Demands for Grants, 1978-79	155
रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence	
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh . . .	156
श्री यादवेन्द्र दत्त यादव	Shri Yadavendra Dutt Yadav	158
श्री पी० वी० जी० राजू	Shri P.V.G. Raju . .	159
श्री यज्ञदत्त शर्मा	Shri Yagya Datt Sharma .	159
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	160
श्री राडोल्फ रोड्रिक्स	Shri Rudolph Rodrigues	161
श्री बी० पी० कदम	Shri B.P. Kadam .	162
श्री नरेन्द्र सिंह	Shri Narendra Singh .	163
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	163
श्री डी० डी० देसाई	Shri D.D. Desai .	163
श्री नाथू सिंह	Shri Nathu Singh . .	164
श्री केशवराव धोंडगे	Shri Keshavrao Dhondge	164

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh . . .	165
श्री रिनचिंग खाण्डू ख्रिमें	Shri Rinching Khandu Khrime	166
श्री एस० डी० सोमासुन्दरम्	Shri S.D. Somasundaram	167
डा० आर० रोथुआम	Dr. R. Rothuama . .	167
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	Shri V. Kishore Chandra S. Deo .	168
श्री बलदेव सिंह जसरोटिया	Shri Baldev Singh Jasrotia	169
श्री निर्मल चन्द्र जैन	Shri Nirmal Chandra Jain	170
श्री आर० एल० कुरील	Shri R.L. Kureel .	170
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	170

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 27 मार्च **1978/ 6 चैत्र, 1900 (शक)**

Monday, March 27, 1978/Chaitra 6, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

कोरिया गणतंत्र के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत

WELCOME TO THE PARLIAMENTARY DELEGATION FROM THE REPUBLIC OF KOREA

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी तथा इस सभा के सदस्यों की ओर से कोरिया गणतन्त्र राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष महामहिम श्री इल कबोन चुंग तथा कोरिया गणतन्त्र के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों श्री सैम चुल पार्क, संसद सदस्य, (2) श्री सेंग चो शिन, संसद सदस्य, (3) श्री सैंग सिनली, संसद सदस्य (4) श्री यंग पयोली, संसद सदस्य का, जो हमारे देश में सम्मानित अतिथियों के रूप में आए हैं, स्वागत करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता अनुभव हो रही है । प्रतिनिधि मंडल कल यहां पहुंचा था। ये लोग इस समय विशिष्ट दीर्घा में बैठे हैं । उनके द्वारा हम कोरिया गणतन्त्र के महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सभा, सरकार तथा लोगों को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं ।

निधन संबंधी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री शांतिलाल गिरधारी लाल पारिख के दुखद निधन की सूचना देनी है । इनका निधन 73 वर्ष की आयु में 16 मार्च 1978 को अहमदाबाद में हुआ ।

श्री शांति लाल गिरधारी लाल पारिख पहली लोक सभा के सदस्य थे। वर्ष 1952—57 के दौरान उन्होंने भूतपूर्व बम्बई राज्य के मेहसाना निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वे 1946-49 में बड़ौदा राज्य विधान परिषद् तथा 1949-52 के दौरान बम्बई विधान परिषद् के सदस्य भी रहे। वे एक उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता तथा मिलनसार व्यक्ति थे ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं । निश्चय ही सदन संतप्त परिवार के प्रति सवेदना प्रकट करने में मेरे साथ शरीक होगा ।

(तत्पश्चात-सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान मे कुछ क्षण मौन खड़े रहे)
[The Members then stood in silence for a shortwhile)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Embankment on Ganga and Sone Rivers to protect Patna

†*449. **Shri Ramdeo Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether, with a view to protect Patna city from floods, Government have constructed strong embankment on the left side of Ganga and Sone rivers;

(b) whether in the absence of embankment on the north bank of Ganga river, the entire area of Saran and Vaishali districts (Bihar) have become flood-prone;

(c) if the answer to (a) and (b) is in the affirmative, whether Government have formulated any scheme to construct a strong embankment on north bank of Ganga river to save these districts from floods; and

(d) if so, the time by which work is likely to be undertaken thereon ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (घ) अगस्त, 1975 में पटना शहर के जलमग्न हो जाने के बाद पटना की सुरक्षा के लिए उपाय किए गए जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ गंगा के बांए किनारे पर बने हुए तटबन्ध को सुदृढ़ करना, सोन के दायें किनारे पर दीघा से सेईदाबाद तक और पुनपुन नदी के बायें किनारे पर नए तटबन्धों का निर्माण शामिल है ।

विहार के सारण और वेशाली जिलों में गंगा के उत्तरी किनारे के क्षेत्र में पहले भी बाढ़ आने की आशंका बनी रहती थी जब गंगा में बाढ़ जल का निस्सरण तट की पूरी क्षमता से अधिक हो जाता था । बिहार सरकार ने डुमरी से छपरा तक, छपरा से सोनपुर तक और हाजीपुर से वाजीदपुर तक गंगा के उत्तरी किनारे पर तटबन्धों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रूपये की कुल अनुमानित लागत वाली तीन स्कीमें तैयार की हैं । केन्द्र द्वारा इन स्कीमों की तकनीकी जांच की गई थी और राज्य को रिपोर्टों और प्राक्कलनों में संशोधन करने के लिए कहा गया था । इनकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

Shri Ramdeo Singh : May I know from the Hon. Minister if any scheme has been made to save the villages of Saran and Vaishali district where Sonepur fair is held. If so when the scheme was made.

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : नवम्बर-दिसम्बर 1975 के दौरान गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को बिहार सरकार की ओर से तीन योजनाएं प्राप्त हुईं :

1. डुमरी-छपरा तटबन्ध योजना
2. छपरा सोनपुर तटबन्ध योजना
3. हाजीपुर-वाजीदपुर तटबन्ध योजना

Shri Ramdeo Singh : May I know whether these schemes have been acted upon ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने इन योजनाओं पर विचार किया है और अपनी राय राज्य सरकार को जुलाई–नवम्बर 1976 में योजनाओं में संशोधन हेतु भेजी थी। 27 जनवरी 1977 को हुई गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की छठी बैठक में तथा 30 दिसम्बर 1977 को हुई आठवीं बैठक में भी इस पर आगे विचार किया गया। राज्य सरकार की संशोधित योजनाओं का इन्तजार है।

Chowdhry Balbir Singh : May I know whether a High Power Committee consisting of MPs and officials belonging to the flood affected areas will be constituted to suggest some permanent measures for prevention of floods ? Damage and destruction running into millions of rupees are caused every year on account of floods. The representatives and officials of the flood affected areas are in a better position to render valuable assistance to the Government.

Shri Surjit Singh Barnala : The setting up of any such Committee is not contemplated. The Flood Control Commission has prepared a questionnaire which has been forwarded to States. Last time when this question was raised in the House hon. Members had complained as to why the questionnaire had not been sent to them. We have sent the Questionnaire to them also to avail of their views and suggestions, but no suggestions have so far been received from them.

Shri Laxmi Narayan Nayak : There are many town besides Patna that are affected by floods. A number of tanks have been silted. Will the hon. Minister arrange for desilting of such tanks so that their depth is increased and they can contain larger quantities of water. I had discussed the matter with the hon. Minister and he had approved of the suggestion but I want to know when this proposal will be acted upon ?

Shri Surjit Singh Barnala : Although this question is not relevant but the question of desilting of tanks can be considered.

Shri Ram Vilas Paswan : Floods pose a serious problem. Only the persons affected by floods can understand the gravity of the situation. A report has been called for in 1976 but it is still being reviewed. The Questionnaire has been sent to the states but the floods are about to occur again. Is the hon. Minister proposed to assure the House by what time not only the people living in Bihar but also in adjoining states will be secured against floods ? As long as there are no adequete safety measures against floods what assistance, if any, is the Centre giving to provide to the inhabitants of flood affected areas.

Shri Surjit Singh Barnala : The hon. Member knows that one or the other part of the country is bound to be affected by floods but it is difficult to specify the time by which flood prevention measures will be completed. Schemes are under consideration and implementation and at the same time National Flood Control policy is being formulated.

Central Government Quarters in Metropolitan Cities

***450. Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to lay a statement showing :

(a) the number of Government quarters, type-wise for the Central Government employees under construction in Delhi and other metropolitan cities in the country; and

(b) the number of quarters completed so far and when they are likely to be allotted ?

The Minister of Works and Housing & Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) and (b) A statement giving the required information in respect of the General Pool quarters is attached. Out of 921 quarters completed during 1977-78, 888 have already been allotted. The remaining will be allotted shortly.

Statement

Name of City	Number of Quarters under construction at the end of January, 1978						No. of quarters completed during the current financial year upto the end of January, 1978						
	TYPE						TYPE						No. allotted
	I	II	III	IV	Hostel	Total	I	II	III	IV	Hostel	Total	
New Delhi	1236	2746	1797	134	184	6097	288	215	70	68		641	625
Bombay	300	640	250	80	60	1330	20	40	40			100	100
Calcutta	56	1192	856		84	2188	30					30	30
Madras	120	99				219				32		32	22
Bangalore	80	120				200							
Chandigarh	100	60	40	..		200	16		16	8		40	40
Simla	36	40	32			108							
Ghaziabad		200	100			300	64					64	64
Indore	66	..	..	..	..	66	..	6	..	8	..	14	7
TOTAL	1994	5097	3075	214	328	10708	418	261	126	116		921	888

Shri Lalji Bhai : May I know the amount spent on the construction of these quarters year-wise and the amount earmarked for new quarters in future ?

Shri Sikander Bakht : Rs. 6 crores 30 lakhs had been earmarked for the purpose during 1974-75 out of which the total amount spent was to the tune of Rs. 5 crores 24 lakhs. During 1975-76 the amount kept was rupees seven Crores and the amount spent was six crores and fifty five lakhs and the amount earmarked during 1976-77 was rupees nine crores but actually rupees ten crores and ten lakhs were spent. During 1977-78 rupees 18 crores were earmarked and the amount actually spent was Rs. 16 crores and 75 lakhs. During 1978-79 the amount earmarked was rupees twenty six crores and ten lakhs.

Shri Lalji Bhai : Are radio and television services are essential services and if so, why quarters have not been constructed for their employees anywhere, whereas separate wuarters have been constructed for Railway as well as P&T Deptt. employees. One reinstated employee of Defence Ministry was given a plot of land against Rs. 52,000/- in 1973 but the selfish officers neither give that plot to him nor any refund was made to him. I have written many letters to the hon. Minister but the case has still not been decided.

Shri Sikander Bakht : It is correct that there is no arrangement for the construction of quarters for radio and television employees. For the second question I require notice.

Shri Lalji Bhai : The hon. Member wants to sidetrack the matter by asking for a notice. The reinstated employee was given a plot in writing against the said amount. He should either be given a plot or his money should be refunded. Some other person has constructed a building on that plot.

Shri Sikander Bakht : This question does not arise out of it.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : In J&K and in Laddakh a person belonging to another State cannot purchase land. May I know if Government have any proposal to acquire land on lease for a long period with a view to constructing flats for its employees ?

श्री सिकन्दर बख्त : इस का मूल प्रश्न में सम्बन्ध नहीं है । मुझे सूचना चाहिये। जम्मू व काश्मीर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं है। मेरा मतलब है कि हमारे यहां उस किस्म की कोई योजना नहीं है।

Shri Vijay Kumar Malhotra : The hon. Minister has said that these 951 flats were constructed and have been allotted. This number is totally inadequate keeping in view the number of Government employees. It will take a very long time to allot flats to all the employees. The employees have to pay a large part of their income as house rent. Have you any programme to allot houses to all the Central Government employees in Delhi ? Secondly have you formulated any programme to give houses through D.D.A. to the Government employees four or five years before their retirement ?

Shri Sikander Bakht : This figure is not 951 but 921. We have started a Crash Programme under which 10,708 houses are at various stages of completion. We want to achieve the target of constructing 30 thousand houses by March, 1980. Retired Government servants can take part in all the schemes but there is no separate scheme for them.

Dr. Ramji Singh : The Statement laid on the Table is very unreasonable. For Class I officers there are 1994 quarters, for Class II these are 5097, for Class III there are 3075 quarters and for Class IV which constitutes of lowest paid employees the number of quarters is the minimum 214 which is quite inadequate.

Shri Sikander Bakht : The hon'ble Member has not read it correctly. No. IV indicates the type of quarters. Type I is given to Class IV employees. The type increases as the salary increases. The programme to construct 30,000 houses is for types I, II & III.

Shri Ram Sewak Hazari : Only those employees get houses who have access to higher authorities. May I know if he has a proposal to from a panel on the basis of which allotment may be made and corruption is checked ?

She Sikander Bakht : The hon'ble Member's information is not correct. There is a set procedure for allotment of houses.

Mr. Baldev Prakash : Sometimes back a letter had been sent to all Members of Parliament that quota has been reserved for them also. I want to know from the hon'ble Minister if he has received any applications and if so what action has been taken thereon ? Have the allotments been made according to quota ?

श्री सिकन्दर बख्त : यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान अलाट करने के बारे में है।

फसल बीमा

*451. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूचे भारत में फसल बीमा सम्बन्धी नीति बनाने तथा उसे लागू करने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में उसके क्रियान्वयन के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) इस दिशा में बहुत धीमी प्रगति होने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) से (ग) क्षेत्र आधार पर फसल बीमा की नई योजना के बारे में भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । इसको राज्य सरकारों तथा भारतीय सामान्य बीमा निगम के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा और आरम्भ किया जाएगा । विगत में, भारत सरकार के अनुरोध पर भारतीय सामान्य बीमा निगम ने 1973 से 1976 के दौरान कुछेक प्रायोगिक फसल बीमा योजनाएं कार्यान्वित कीं । ये योजनाएं आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की गई थीं ; इनके अन्तर्गत लाई गई फसलें कपास, मूंगफली, गेहूं तथा आलू थीं । सामान्य बीमा निगम को केवल 3.38 लाख रुपये की किस्त आय के मुकाबले में 36.06 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति करनी पड़ी । चूंकि परिणाम उत्साहवर्धक नहीं थे, अतः योजनाओं को बंद कर देना पड़ा । सामान्य बीमा निगम ने गत अनुभव को ध्यान में रखते हुए अब एक नई योजना तैयार की है । नई योजना आम किस्त दरों तथा क्षतिपूर्ति के साथ सदृश कृषि-जलवायु खंडों के लिए होगी । इस योजना में फसल कटा परीक्षण के बारे में वास्तविक आंकड़ों का एकत्रीकरण और क्षतिपूर्ति सीमाओं तथा अदायगी-योग्य किस्तों का परिणाम निकालने के लिए गहन अध्ययन शामिल है । फसल बीमा योजना को कार्यान्वित करने में गत अनुभव को ध्यान में रखते हुए, नई योजना को बड़ी सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना है ।

डा० बसंत कुमार पंडित : क्या मैं जान सकता हूं कि 1973--76 के दौरान प्राप्त अनुभव के परिणाम आर्थिक दृष्टिकोण पर आधारित थे, जिसमें आपको इतना धन देना पड़ा और उतनी उपलब्धि हुई । क्या सरकार ने योजना की असफलता का गहराई से अध्ययन किया है ? मैं चाहता हूं कि सरकार छोटे किसानों तथा सीमांत किसानों के लिए खाद्य फसलों का बीमा करने की योजना पर विचार करे और बड़े पैमाने पर गन्ना उपादकों या चीनी मिलों अथवा कपास उत्पादकों के लिए इस तरह की योजना पर विचार न करे क्योंकि वे किस्त दे सकते हैं । क्या सरकार व्यावसायिक अध्ययन संस्थान, पूना या प्रो० दांडेकर स्कूल आफ इकोनोमिक्स के माध्यम से फसल ढांचे का अध्ययन करवायेगी और तत्पश्चात् राज्य सरकारों के सहयोग से इस सम्बन्ध में योजना तैयार करेगी ? क्या सरकार असफलता के कारणों पर पुनर्विचार करेगी और ऐसी नीति तैयार करेगी जो कि खाद्य फसल तथा नकदी फसल, दोनों के लिए लाभदायक हो ?

श्री भानू प्रताप सिंह : ये सारे सुझाव विचाराधीन हैं । जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इस तरह की योजना की सफलता के लिए ब्यौरे सहज उपलब्ध नहीं हैं । उदाहरण के लिए केवल सिंचित क्षेत्रों

में फसल बीमा की सफलता की कुछ आशा हो सकती है । अतीत में भी नकदी फसलों का ही नहीं बल्कि गेहूं की फसल का भी बीमा किया गया था । नई योजना में हम क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाएंगे । जिसका अर्थ यह होगा कि उस क्षेत्र में चाहे छोटा किसान हो अथवा बड़ा, सभी पर यह योजना लागू होगी बशर्ते कि वह अपनी फसल का बीमा करवाना चाहता हो ।

डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या सरकार पशुओं के जीवन बीमा की योजना पर भी विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि इसके लिए आपको अलग से प्रश्न पूछना पड़ेगा ।

डा० बसन्त कुमार पंडित : उन्होंने इसमें जी० आई० सी० शामिल कर लिया है। चूंकि अभी योजना पर विचार हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस योजना में छोटे किसानों के पशुओं, फसल तथा सभी चीजों को सम्मिलित करने पर विचार कर रही है ?

श्री भानू प्रताप सिंह : यह अच्छा सुझाव है । किन्तु इस तरह की योजना को कार्यान्वित करने में हमें बड़ी सावधानी बरतनी होगी ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या मैं जान सकता हूं कि फसल बीमा के लिए चुने जाने वाले क्षेत्र में तभी फसलों का बीमा किया जायेगा । यदि हां तो क्या फसल बीमा स्वैच्छिक रूप से होगी अथवा अनिवार्य रूप से ?

श्री भानु प्रताप सिंह : इस योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है । योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक है । अभी तक उनकी सहमति प्राप्त नहीं हुई है । इसलिए मैं इस समय इस तरह के प्रश्न का विशिष्ट उत्तर नहीं दे सकता । किन्तु योजना फसलवार होगी और एक ही क्षेत्र में सभी फसलों का बीमा नहीं होगा । यह प्रत्येक फसल के लिए बर्षानुवर्ष होगी ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : यह स्वैच्छिक होगी अथवा अनिवार्य ?

श्री भानू प्रताप सिंह : यह पहलू सक्रिय रूप से हमारे विचाराधीन है ।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : माननीय मंत्री जी के उत्तर को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि सरकार इस योजना के बारे में गंभीरता से विचार नहीं कर रही है । यदि सरकार ईमानदारी से इस योजना पर विचार करती तो उन्होंने योजना को कार्यान्वित करने के लिए निर्णय ले लिया होता और विभाग को इसे लागू करने के लिए कह दिया होता । उत्तर गोलमाल सा है । क्या मैं उन्हें पूछ सकता हूं कि वह इस योजना को तुरन्त कार्यान्वित करने का निर्णय ले रहे हैं ?

श्री भानू प्रताप सिंह : हम केवल ऐसी योजना को कर्यान्वित करेंगे जो कि राज्य सरकारों को स्वीकार्य हो तथा उस क्षेत्र के कृषकों को भी मान्य हो ।

श्री बी० के० नायर : सरकार अपने अतीत के अनुभव के आधार पर इस नई योजना को लागू करने पर विचार कर रही है । मैं इस नई योजना के कार्यान्वियन के बारे में एक-दो बातें पूछना चाहूंगा। पहली बात यह है कि क्या वह इस योजना में केरल को भी सम्मिलित करेंगे और दूसरी बात यह है कि क्या इसमें धान को भी सम्मिलित किया जायेगा ? हमारे केरल राज्य में धान की उपज बहुत कम है । अधिकांश किसान ऋणग्रस्त हैं । उनके पास ऋण से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है । हर बार जब कभी बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है तो उन्हें भारी हानि होती है । इसलिए धान की फसल का बीमा होना चाहिए । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना केरल में भी लागू की जायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह : केरल राज्य सरकार भी इस योजना से सम्बद्ध है । वास्तव में उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं/थे और उन्होंने अपनी विशेष समस्याओं के बारे में हमसे बातचीत की है ।

Shri R.L.P. Verma : In which States you have conducted Survey? Have you discussed with those State Governments in this regard and if so, what are the results thereof ? How much time will be taken to take concrete steps in this regard ?

Shri Bhanu Pratap Singh : We had discussion with the representatives of State Governments. But they said that the final decision will be taken sometime later. We have not yet received their final decision. Discussions are going on in the States of Assam, Gujarat, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Rajasthan and Kerala. Premium indemnity tables also are being prepared in respect of these States. If these States give their concurrence, this scheme is likely to be introduced from the next Kharif Crop.

Waterlogging of Fertile Land

***455. Shri Vinayak Prasad Yadav** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether several lakhs of hectares of fertile land in the country particularly in Bihar, is waterlogged due to unscientific and unsystematic implementation of various irrigation schemes resulting in huge loss and making small farmers poorer;

(b) if so, whether Government have formulated any scheme to pump out the water; and

(c) if so, the funds provided to Bihar for this purpose and when this waterlogging will end ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Waterlogging is caused by rise of sub-soil water level within and above the root zone which affects adversely the productivity of the soil. Introduction of irrigation can cause waterlogging under certain conditions. Waterlogging conditions had earlier developed in certain areas within the commands such as Sirhind Canal and Upper Bari Doab Canal System in Punjab, Western Yamuna Canal in Haryana and Chambal in Madhya Pradesh and Rajasthan but the problem in these projects is under control as a result of introduction of drainage and conjunctive use of surface and ground water. Waterlogging conditions, however, do prevail in certain pockets of irrigation commands.

So far as Kosi and Gandak projects are concerned, there is drainage congestion due to natural depressions and unfaviourable outfall conditions during monsoon.

(b) and (c) Irrigation projects now provide for appropriate drainage measures and the problem areas are now being tackled by the State Governments by means of measures such as surface and sub-surface drains, conjunctive use of surface and ground water etc. to control the water table.

The Government of Bihar have made a provision of Rs. 20 crores and Rs. 27 crores for drainage in the revised project estimates for Kosi and Gandak projects respectively for improving the drainage conditions and the works have been taken in hand. These projects are expected to be completed in the next 5-6 years.

Shri Vinayak Prasad Yadav : The Hon. Minister has stated in his reply that so far as Kosi and Gandak projects are concerned, due to natural depressions and unfavourable outfall conditions during Monsoons there is drainage congestion. This reply is quite wrong. Before the construction of Canal at Kosi and Gandak there was no waterlogging in the fertile land there but after the construction of Canals there the surplus waters pumped out and that water causes waterlogging in fertile lands. There is no arrangement to pump out that water from these fertile lands. Can the Hon. Minister tell us as to how many hectares of land in Kosi Command area and Gandak Command area has been waterlogged ?

Shri Surjeet Singh Barnala : 1.12 lakh hectares of land in Kosi Command area has been waterlogged and in Gandak Command area 2.95 lakh hectares of land has been waterlogged.

Shri Vinayak Prasad Yadav : Hardly 2 lakh hectares of land is being irrigated by Kosi Canal whereas more than one lakh hectares of land is waterlogged due to this very Canal. The Minister has said that the Bihar Government has given 20 crores of rupees for Kosi project and 27 crores of rupees for Gandak project to pump out that water from fertile lands. Therefore I want to know that when this amount was given and since when this scheme is being implemented and what is the acreage of land from where the water has been pumped out and how much unutilized amount has been surrendered by the Drainage Department to the Government and how much amount has lapsed ?

Shri Surjeet Singh Barnala : In my reply I have stated that the Bihar Government has sanctioned 20 crores of rupees for Kosi Project and 27 crores of rupees as revised project estimate for Gandak project. In the original scheme there was a small provisoin for drainage. For Kosi Project there was a provision of only rupees one crore and 32 lakhs and for Gandak it was only rupees 42 lakhs, which has been enhanced to Rs. 27 crores. The work is being taken in hand and it is expected that this work will be completed in the next 5-6 years.

Shri Vinayak Prasad Yadav : The Drainage Department has been working at Kosi and Gandak projects for the last 5, 7 years. I want to know how much work has been done ? Kosi and Gandak projects have caused waterlogging in lakhs of hectares of land. What the Hon. Minister wants to say about it ?

Mr. Speaker : No. No, you have asked the question.

Shri D. N. Tiwari : I am surprised to know that about 3 lakh acres of land is waterlogged in Gandak Command area. I want to know how much loss is suffered every year due to waterlogging in 3 lakh acres of land.

Shri Surjeet Singh Barnala : The loss has not been estimated.

Shri D. N. Tiwari : How many acres of land is irrigated ?

Shri Surjeet Singh Barnala : This question was not related to irrigation, so I cannot furnish facts. If a separate question is asked it can be replied to.

Shri B. P. Mandal : More land is waterlogged due to defective drainage system, whereas less land is irrigated. The same case is with Gandak project also. In order to increase the production of foodgrains in the country, how far Government of India is interested in solving this problem of waterlogging. I want to know whether the Government of India will look into the cases of lapse of funds.

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है।

Shri Surjeet Singh Barnala : Irrigation and flood Control are state subjects and therefore all schemes in this regards are mainly formulated, implemented and financed by the state Government themselves. That is why the State Government has increased this amount from Rs. 42 lakhs to Rs. 27 crores. They thought that this problem should be solved immediately. Much of the work is yet to be done. But now this work will be done more cautiously and for this we and the state Government are taking interest.

दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों के पुर्ननियुक्त शिक्षकों को भुगतान

*460. **श्री बालक राम :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्य कर रहे कुछ शिक्षकों की सेवाएं उन्हें अनर्हं घोषित कर समाप्त कर दी गई थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ शिक्षकों को, जिनकी सेवाएं इस प्रकार समाप्त कर दी गई थीं, उनके मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद, अर्ह पाया गया था और उन्हें पुनः नियुक्त कर लिया गया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन शिक्षकों को बीच की अवधि का जो महीनों से लेकर वर्षों बैठती है, वेतन नहीं दिया गया है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, सहायता प्राप्त कुछ निजी स्कूल ऐसे पाये गये थे जिन्होंने ऐसे व्यक्तियों को भर्ती कर रखा था जो दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के उपबन्धों के अनुसार शैक्षिक अर्हताएं नहीं रखते थे और/अथवा उनकी आयु अधिक थी । तदनुसार, ऐसे व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त करनी पड़ी थीं । तथापि, सम्बन्धित कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर दिल्ली के प्रशासक द्वारा विचार किया गया था और अनुकम्पा के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि जो व्यक्ति दिसम्बर, 1975 तक नियुक्त किए जा चुके थे और एक वर्ष की सेवा पूरी कर चुके थे उनके लिए आयु सीमा में ढील दे दी जाए । किन्तु जिन व्यक्तियों के पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं नहीं थीं उनके लिए कोई ढील नहीं दी गई थी । भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप का कोई अवसर नहीं आया ।

जिन व्यक्तियों को आयु सीमा में ढील दी गई थी उन्हें बहाल कर दिया गया था और उनकी सेवा की समाप्ति और बहाली के बीच की अवधि को उन्हें देय अवकाश के रूप में मान लिया गया था । सम्बन्धित संस्थाओं को अनुमत्य अवकाश वेतन का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत भी कर दिया गया है ।

Shri Balak Ram : Mr. Speaker, the reply given by the Hon. Minister is not satisfactory, because the services of some teachers were terminated w.e.f. 30-11-65 to 2-2-67 by issuing wrong orders. Their services were terminated on the pretex of being unqualified but were given re-employment in the same schools and they had not been paid their salaries. The wrong was on the part of Delhi Administration and in order to conceal their mistake they did not pay their 14 month salary. There was no question of age. I wrote several times to the Delhi Administration in this regard, but I did not get any response therefrom.

I want assurance from the Hon. Minister that those teachers, whose services were terminated will be given same allowances and salaries and responsibility will be fixed on the guilty officers ?

श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी : मैंने सभा पटल पर जो विवरण रखा है, उसमें मैंने स्पष्ट कह दिया है कि कुछ सहायता प्राप्त कुछ स्कूलों में कुछ अंडर क्वालीफाइड अध्यापकों की नियुक्ति कर दी और जब दिल्ली प्रशासन के पास अनुदानों के लिए दावे आये तो जांच करने पर पता चला कि इनमें से कई अध्यापक अधिक नहीं बल्कि दस अध्यापक शैक्षणिक अर्हता के मामले में पूरी योग्यता नहीं रखते थे और उनकी आयु भी अधिक थी । उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई । किन्तु बाद में जब उन्होंने राज्यपाल के स्तर पर प्रशासक से अपील की तो एक निर्णय लिया गया और उन्हें आयु के मामले में छूट दे दी गई किन्तु उनकी शैक्षणिक योग्यता में कोई छूट नहीं दी गई । तदनुसार अध्यापकों को

बहाली की गई। नौकरी से निकालने और फिर से बहाल करने के इस समय को देय छुट्टी मान लिया गया है और सम्बद्ध संस्थाओं से अध्यापकों को भुगतान करने का अनुरोध किया गया है ।

Shri Balak Ram : In Delhi Administration certain teachers were prematurely retired under wrong orders of the officers and they are getting their pay while sitting at their houses. I want to know the policy of the Government regarding this double policy of the Delhi Administration ?

श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी : यदि माननीय सदस्य विशेष मामले जानकारी में लायेंगे तो हम उनकी जांच करेंगे।

Shri Bhagirath Bhanwar : What is the number of dismissed teachers and since how long unqualified teachers are being appointed ? Whether Government have any arrangement to examine such misappropriation ? Whether there is any arrangement for examining the cases of misusing the money given as aid ? If so, why this has not been examined ?

श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी: दिल्ली प्रशासन की सूचना के अनुसार 10 अध्यापकों को नौकरी से निकाला गया तथा उनमें से आठ बहाल कर दिए गए तथा ऐसा कई वर्षों से नहीं हो रहा है। दिल्ली प्रशासन स्कूल विभाग का गठन 1974 में किया गया था तथा दिल्ली प्रशासन स्कूल शिक्षा नियम 1973 में बनाए गए थे। 1975 में इनमें से कुछ अध्यापकों को बहाल करने का निर्णय किया गया था। अतः यह बर्खास्तगी कुछ वर्षों की न हो कर कुछ महीनों की थी तथा हमने उन्हें एक वर्ष की छूट दी है।

Shri Ram Kanwar Berwa : Hon. Minister has informed that unqualified teachers were dismissed. The previous Government dismissed a good number of teachers on the basis of taking part in politics. Hon. Minister is simply following the old tradition while giving the answer. I want to know whether he has taken personal interest in inquiring this case ? Whether it is not a fact that even in the name of unfitness certain qualified teachers were dismissed ? Whether the Hon. Minister will give assurance of their reinstatement ?

श्रीमती रेणुका बरकटकी: यह प्रश्न सहायता प्राप्त स्कूलों से संबंधित है, सभी स्कूलों से नहीं।

भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून की क्रियान्विति

461. **श्री हितेन्द्र देसाई**: क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्रों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत कितनी भूमि प्राप्त की गई है और

(ख) भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून की क्रियान्विति कब तक पूरी होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) भूमि के अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों का क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। उनसे कहा गया है कि वे क्रियान्वयन करने के कार्य को गतिमान करें और कानूनी व प्रक्रिया संबंधी बाधाओं पर काबू पाने की कोशिश करें। अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन संबंधी कार्य को पूरा करने की कोई निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

10 LSS/78—2

विवरण

भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि का विस्तार

(आंकड़े एकड़ों में)

क्रम सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	संशोधित पूर्व कानूनों के तहत (सितम्बर, 1977 तक)	संशोधित कानूनों के तहत (दिसम्बर, 1977 तक)	कुल
1	आंध्र प्रदेश	25,792	2,75,428	3,01,220
2	असम	1,71,871	5,44,137**	7,16,008
3	बिहार	उ० न०	1,25,602	1,25,602
4	गुजरात .	44,207	4,122	48,329
5	हरियाणा .	83,013*	56,262	1,39,275
6	हिमाचल प्रदेश	292*	81,760	82,052
7	जम्मू व काश्मीर	4,50,000	—	4,50,000
8	कर्नाटक	—	कुछ नहीं	—
9.	केरल .	कुछ नहीं	64,784	64,784
10.	मध्य प्रदेश	58,828	1,32,086†	1,90,914
11.	महाराष्ट्र .	2,45,787	2,66,314‡	5,12,101
12.	मणिपुर .	—	कुछ नहीं	कुछ नहीं
13.	उड़ीसा	कुछ नहीं	1,07,700	1,07,700
14.	पंजाब	97,475	5,577	1,03,052
15.	राजस्थान .	2,85,046	2,22,734@	5,07,780
16.	तमिल नाडु	52,724	38,176	90,900
17.	त्रिपुरा .	—	838	838
18.	उत्तर प्रदेश .	2,04,119	2,23,873	4,27,992
19.	पश्चिम बंगाल . .	8,26,783	66,346@@	8,93,129
20.	दादर तथा नागर हवेली .	—	4,628	4,628
21.	दिल्ली . .	286*	192	478
22.	पांडिचेरी . . .	—	730	730
	कुल . .	25,46,223*	22,21,243	47,67,512*

* 1,81,066 मानक एकड़ शामिल हैं।

** 1 जनवरी, 1977 तक

† सितम्बर, 1977 तक

‡ जुलाई, 1977 तक

@ सितम्बर, 1977 तक

@@ जून, 1977 तक

श्री हितेन्द्र देसाई: भूमि सधारों के संबंध में राष्ट्रीय उद्देश्य बहुत पहले निर्धारित कर दिया गया था। परन्तु इस संबंध में अधिक प्रगति नहीं हुई है। उदाहरणस्वरूप गुजरात सरकार ने भूमि सुधार के समूचे प्रश्न की जाँच करने के लिए हाल ही में एक आयोग की नियुक्ति की है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि किसी भी राज्य को पूर्व निश्चित राष्ट्रीय उद्देश्यों के विरूद्ध कानून नहीं बनाने दिए जाएंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : अभी तक किसी भी राज्य ने राष्ट्रीय उद्देश्यों के विरूद्ध कानून नहीं बनाया है।

श्री हितेन्द्र देसाई: क्या ऐसा आश्वासन दिया जाएगा कि राष्ट्रीय उद्देश्यों के विरुद्ध कुछ नहीं होगा ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है जो इसके विरूद्ध हो।

अध्यक्ष महोदय: जब तक कोई विशेष मामला न हो, वे कुछ कैसे कह सकते हैं ?

श्री हितेन्द्र देसाई: गुजरात में भी दिसम्बर, 1977 तक परिवर्तित कानूनों के अन्तर्गत केवल 4,122 एकड़ भूमि प्राप्त की गई है। क्या सरकार इस विलम्ब का कारण बताएगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: संभवतः माननीय सदस्य स्वयं इसका कारण जानते होंगे क्योंकि.

श्री हितेन्द्र देसाई : मैं सरकार में नहीं था।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: यह सही है कि गुजरात में अभी केवल 4,122 एकड़ भूमि ही फालतू घोषित की गई है। इसमें विलम्ब के कारण बताने के लिए मुझे समय और अलग से सूचना चाहिए।

श्री चित्त बसु: सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार विभिन्न राज्यों में भूमि अधिकतम सीमा विधान के अन्तर्गत 47,67,512 एकड़ भूमि उपलब्ध हुई है। अनुमानतः कुल कितनी फालतू भूमि उपलब्ध है ? क्या उन्हें यह ज्ञात है कि पहली पंचवर्षीय योजना के बनने से पहले डा० महालनवीस ने यह सुझाव दिया था कि भूमि की अधिकतम सीमा 16 स्टेन्टर्ड एकड़ रखने से छः करोड़ एकड़ फालतु भूमि मिल सकती है ? बाद में प्रो० दोण्डेकर ने चार करोड़ एकड़ फालतू भूमि होने की बात कही। फालतू भूमि के इतनी अधिक मात्रा में घटने का क्या कारण है ? पहली योजना के समय से ही यह क्यों कर घटी है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला: देश में कुल 54,94,763 एकड़ फालतू भूमि का अनुमान है। प्रश्न के दूसरे भाग के लिए अलग से सूचना देने की आवश्यकता होगी।

श्री चित्त बसु: डा० महालनवीस के अनुसार छः करोड़ एकड़ फालतू भूमि थी जबकि मंत्री महोदय का कहना है कि 56 लाख एकड़ फालतू भूमि उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय: इन आंकड़ों का अब आपके लिए क्या अर्थ।

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी: क्या भूमि की अधिकतम सीमा सभी राज्यों में समान है और यदि नहीं, तो अन्तर कितना है ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दिसम्बर, 1977 के कानून के अनुसार केन्द्र के कहने अथवा स्वयं इनमें कुछ परिवर्तन किया गया है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : राष्ट्रीय मार्ग, दर्शन 1972 में तैयार किया गया था। उन्हीं के अनुसार राज्यों ने संशोधन किए। सभी राज्यों ने इस संबंध में अपने अपने कानून बनाए, इसलिए समानता नहीं रह सकी। हमने केवल मार्ग निर्देशन किया है और उसके अनुसार प्रथम कोटि की भूमि की अधिकतम सीमा अलग-अलग राज्यों में 17½ एकड़ से 10 एकड़ तक है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Is it a fact that when the law was framed the estimate made about the surplus land was on very high side and many cases are even now going on in the courts about disputed land and that even today one landlord has thousands of acres of land ? I want to know what was your total estimate in this regard and what instructions are you issuing to State Governments to ensure that decisions about the land under litigation are expedited ? I would also like to know as to what use this surplus land of 47 lakh acres has been put to ? Is it true that some of this land which was given to the poor people has been taken back from them and, if so, what action have you taken in this regard ?

Shri Surjeet Singh Barnala : The Hon'ble member has clubbed a number of questions together. Perhaps he did not hear that I said that the total estimated area was 54,947,63 acres. As I have said in my statement, 47,67,512 lakh acres out of this has been taken under the land ceiling. I think this is good progress. It has not come to our notice that any land given to the poor people was taken back from them.

Shri Bhagat Ram : I want to know the State-wise break-up of the land acquired under the land ceiling laws as also the number of families to whom it has been distributed.

Shri Surjeet Singh Barnala : It will become a long statement. I have got the facts and if he wants I can tell him.

अध्यक्ष महोदय : आप ने विवरण सभा पटल पर रख दिया है। आप को पुनः उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ उस विवरण में दिया हुआ है।

श्री सी० एम० स्टीफन : हम उसे जानना चाहते हैं। उन्हें पढ़ने दीजिये।

Shri Mahi Lal : Is it a fact that the progress about the distribution of land has now slowed down ? Has the present Government decided to make any change in the policy of the previous Government ? If not, what are the reason for the slackness that has crept in ?

Shri Surjeet Singh Barnala : Not only has the progress not slowed down, but the work is proceeding at a quicker pace. We have written to the State Governments that this work should be expedited and if there are any constraint or difficulties, they should be removed. I would like to tell the House that during the 8 months between 31-3-77 to 30-11-77, nearly 1 lakh 45 hectare area has been distributed.

श्री आर० के० महालगी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल ही में अधिकतम सीमा निर्धारण संबंधी कानून को पूर्ण रूप से कार्यान्वियन के बारे में राज्य सरकारों को हिदायत जारी की हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मैं उन्हें पत्र लिखता रहा हूं। अभी हाल में भी मैंने उन्हें पत्र लिखे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वैसे यह एक राज्य विषय है।

Shri Nathu Singh : Sir, the object of the ceiling law was to acquire maximum possible land for distribution among the poor. But when the ceiling law was framed, people having large areas of land found out ways to evade the same so that they may not have to part with their lands. Under the circumstances, the expected quantity of land was not forthcoming as is clear from the data. The big landlords transferred their lands in

the names of their minor children and the other members of their family. Thus they found a loophole in the law to save their land. Do the Government propose to change the law and fix the ceiling according to the family in order that the poor may get land ?

Shri Surjeet Singh Barnala : Perhaps the hon'ble member is not aware that a provision is already there to allot the land after defining the family. He said that land was saved by the landlords by transferring that in the name of their sons. But the law is very clear that the transfer of land after a particular date will be invalid and will not be considered at all.

Shri Mahi Lal : What was the date ?

Shri Surjeet Singh Barnala : Different dates have been prescribed.

श्री के० ए० राजन : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तरी राज्यों का सरकार द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम सीमा में कुछ परिवर्तन करने का विचार है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : नहीं ऐसा कोई विचार नहीं है। कुछ मामलों में उत्तरी राज्यों ने अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा कार्य किया है।

Rangers Training Centre at Balaghat, Madhya Pradesh

***463. Shri Y. P. Shastri :**
Shri Laxmi Narain Nayak :

Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 470 on the 19th December, 1977 regarding Forest Rangers Training College at Betul, Madhya Pradesh and state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have urged the Central Government to open a Forest Ranger Training Centre in Balaghat district of the State; and

(b) if so, when the said Centre is likely to be opened there ?

The Minister for Agriculture & Irrigation (Shri Surjeet Singh Barnala) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is still under consideration.

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हाँ।

(ख) यह मामला अभी विचाराधीन है।

Shri Laxmi Narayan Nayak : May I know from the Hon. Minister since when this proposal regarding opening of a training Centre is being considered ?

Shri Surjeet Singh Barnala : We received many proposals from different places after due consideration. It has been decided that training centre will be established at Balaghat only.

Shri Laxmi Narayan Nayak : Should we expect that this centre will be opened soon.

Shri Surjeet Singh Barnala : We are making efforts to start the centre by 1978.

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण और विश्व भारती विश्वविद्यालय शाँति निकेतन के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे तथा विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(तीन) उपर्युक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 1897/78]

(2) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1898/78]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) विश्व-भारतीय विश्वविद्यालय, शाँतिनिकेतन के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 1899/78]

श्री कंवर लाल गुप्त : आपको सूची फिर से दोहरानी पड़ेगी हो सकता है जो सदस्य पहले अनुपस्थित थे अब सभा में आ गए हों।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 452--श्री फूल चन्द वर्मा, उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 453, श्री सरत कार, यहां उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 454 श्री सी० के० चंद्रप्पन उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 456, 457, 458, 462, 464, 465, 466, 468 उठाने वाले सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Registration of Community Service Personnel houses by D.D.A.

***452. Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that D.D.A. is not allowing registration in the name of allottees of those Community Service Personnel houses which have been sold by D.D.A. and for which full amount has already been paid, though allottees have written to D.D.A for registration of houses; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मछली पकड़ने वाले छोटे एककों को सहायता

*453. **श्री सरत कार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े औद्योगिक एककों द्वारा अत्यधिक संसाधनों और आधुनिक उपकरणों सहित, मछली पकड़ने का कार्य आरम्भ किए जाने के कारण इस काम में लगी छोटी फर्मों को उनसे कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो छोटी फर्मों की सहायता करने के सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

वर्तमान शिक्षा पद्धति में परिवर्तन

*454. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकोट में जनवरी, में एक बैठक हुई थी जिसमें सुविख्यात शिक्षा शास्त्रियों और 90 उप-कुलपतियों ने वर्तमान शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए भाग लिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि 28 पृष्ठ का "नीति संबंधी रूपरेखा" दस्तावेज परिचालित किया गया था जिससे शिक्षा के बारे में वर्तमान सरकार के विचारों का पता लगता है ;

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का इस दस्तावेज को सभा पटल पर रखने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आगामी दस वर्षों में उच्च शिक्षा के लिए नीति की एक रूपरेखा अपनायी है। यह प्रलेख भारतीय विश्वविद्यालय संघ के जनवरी, 1978 में राजकोट में हुए अधिवेशन में भी प्रस्तुत किया गया था। इस नीति की विशेषताएं सभा पटल पर रखे गए विवरण में उल्लिखित हैं। यह प्रलेख सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

भारत में अगले दस से पन्द्रह वर्षों में उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपनाए गए नीति प्रारुप में निम्नलिखित की कल्पना की गई है :—

(i) माध्यमिक स्तर पर प्रभावी व्यवसायीकरण, नौकरियों का डिग्रियों से संबंध तोड़ने, उन भर्ती नीतियों में परिवर्तन, जिनमें डिग्री एक अच्छी नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता है, जैसे उपाय अपनाना जिनसे विश्वविद्यालय प्रणाली पर दबाव कम हो जाएगा ;

(ii) नई संस्थाओं की स्थापना पर प्रतिबंध। ये तब तक स्थापित नहीं होनी चाहिए (पिछड़े क्षेत्रों को छोड़कर) जब तक शैक्षिक कारणों के आधार पर इनकी आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो जाती ;

(iii) नई संस्थाओं के स्थानों की सावधानी पूर्वक योजना बनाना और विद्यमान संस्थाओं का वैज्ञानिक पुनर्गठन करना ;

(iv) कमजोर वर्गों के लिए कम से कम आधी सीटों के आरक्षण सहित योग्यता के आधार पर प्रथम डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर पूर्णकालिक उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में चयनात्मक दाखिला;

(v) प्रतिभावान परन्तु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की शिक्षा की पूरी लागत वहन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था ;

(vi) अनौपचारिक माध्यमों से उच्चतर शिक्षा का विस्तार; और

(vii) प्राइवेट छात्रों के लिए माध्यमिक/इण्टरमिडिएट बोर्ड तथा विश्वविद्यालीय परीक्षाएं खोलना ।

नीति के प्रारुप में अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों को पुनः संरचना, स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान को विश्वविद्यालय विभागों में सीमित करना, विश्वविद्यालय प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण, स्कूलों तथा ग्राम समाज के लिए विस्तार सेवायें, शैक्षिक उपलब्धियों तथा सामाजिक वचनबद्धता दोनों के अनुसार स्तरों में सुधार; राष्ट्रीय विकास में योगदान, शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरु करना आदि जैसे, मुख्य कार्यक्रमों की भी कल्पना की गई है ।

Government Houses for Journalists/Employees of News Agencies and Newspapers

*456. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme to construct and allot houses to employees working in news agencies at cheap rates; and

(b) if so, the number of journalists and employees working in newspapers who have been allotted houses under the scheme and the steps taken to provide more facility in future ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) A statement is laid on the Table of the Sabha.

(b) Does not arise.

Statement

The social housing schemes formulated by the Ministry of Works and Housing are applicable to all members of society irrespective of profession, caste, creed or community. However, the employees working in news agencies may avail themselves of the facilities under the following social housing schemes :—

(i) Low Income Group Housing Scheme; and

(ii) Middle Income Group Housing Scheme.

The employees of the news agencies can also form co-operative housing societies and obtain financial assistance from Apex Cooperative Housing Finance Societies and the Housing and Urban Development Corporation Ltd.

D.D.A. has no scheme exclusively for employees working in news agencies. It has, however, reserved 2% of the flats constructed for the general public for the journalists accredited to Delhi Administration and journalists and news cameramen who are accredited to the Central Government for the coverage of Delhi and who are also based in Delhi and Sub-Editors and reporters of daily papers. The flats are allotted to the persons registered under D.D.A.'s Advance Registration Schemes.

राज्यों में सिंचाई क्षमता

*457. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ राज्यों में सिंचाई की अत्यधिक क्षमता है परन्तु उसका पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसे राज्यों में सिंचाई सुविधायें बढ़ाने में सहायता करने का है ;

(ग) यदि हां, तो कैसे और कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस वक्त देश में कुल 107 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता होने का अनुमान है। लेकिन प्रौद्योगिकी के विकास, जल के अधिक किफायती उपयोग और अतिरिक्त जल वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में जल के ट्रांस्फर की संभावनाओं से इस क्षमता में वृद्धि हो जाने की संभावना है। 1977-78 के अन्त तक 54 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन हो जाने की संभावना है जो अन्ततः सृजित की जा सकने वाली क्षमता के 50 प्रतिशत के बराबर है। लेकिन उस क्षमता के उपयोग का स्तर विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है।

(ख) से (घ) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन और उन्हें तैयार करने और क्रियान्वित करने का काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है जिसका विकास के किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा स्कीम से संबंध नहीं होता।

अनुमान है कि शेष सिंचाई क्षमता में से अधिकांश क्षमता अगले 15 वर्षों में सृजित कर ली जाएगी। अगली पंचवर्षीय योजना (1978—83) में 17 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन की परिकल्पना की गई है। यह क्षमता मुख्यतः उन राज्यों में सृजित की जाएगी, जहां सिंचाई क्षमता का विकास और विकास किये जाने की काफी गुंजाइश है।

Time Capsule

†*458. **Shri Jagdish Prasad Mathur :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have studied contents of the scroll kept in the Time Capsule;

(b) if so, the points which are incorrect or exaggerated therein; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) to (c) The report submitted by the Parliamentary Committee on Time Capsule is being examined and it will be placed on the Table of the House along with a copy of the 10,000-word account of the History of India and Calendar of Events from 1947 to 1972, retrieved from the Time Capsule, in due course. It will then be for the Hon. Members to judge whether it contained anything incorrect or exaggerated.

Eradication of Illiteracy in Tribal Areas

†*462. **Shri Shyamlal Dhurve :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to lay a statement showing :

(a) whether Government propose to formulate any special scheme of national level to eradicate illiteracy from the tribal areas of the country;

(b) if so, the full details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) to (c) In order to eradicate illiteracy from the country, including the tribal areas, Government have decided to accord highest priority to the Universalisation of elementary education and to adult education. During the next five years, 32 million additional children are proposed to be covered under the formal and non-formal elementary education programmes and approximately 100 million in 15—35 age-group, by the National Adult Education Programme proposed to be launched from October 2, 1978. The Home Ministry's programme of integrated tribal development also includes special educational advancement programmes in 116 projects so far approved.

आन्ध्र प्रदेश में गेहूं की खेती

*464. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में गेहूं की खेती को लोकप्रिय बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या चावल अथवा मोटे अनाज (मिलेट) की खेती के क्षेत्र में गेहूं की खेती की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां । यद्यपि आन्ध्र प्रदेश में गेहूं एक महत्वपूर्ण फसल नहीं है, तथापि यह हर वर्ष लोकप्रिय हो रही है ।

(ख) राज्य में गेहूं के अन्तर्गत क्षेत्र 1967-68 के 13800 हैक्टार से बढ़कर 1975-76 में 26,300 हैक्टार हो गया है । इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान गेहूं का उत्पादन 2,700 मीटरी टन से बढ़कर 21,500 मीटरी टन हो गया है । तथापि, वर्ष 1976-77 के दौरान प्रतिकूल मौसम के कारण राज्य में गेहूं के अन्तर्गत क्षेत्र तथा इसके उत्पादन में क्रमशः 23,800 हैक्टार तथा 14,600 मीटरी टन तक गिरावट आयी है ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में गेहूं के क्षेत्र में वृद्धि मुख्यतया समूचे सस्यगत क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण हुई ।

लोनी रोड रिहायशी योजना, दिल्ली

*465. **श्री किशोरी लाल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात स्थिति के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण की लोनी रोड रिहायशी योजना के अन्तर्गत आने वाली भूमि का न तो दिल्ली प्रशासन ने अधिग्रहण किया था और न ही इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपा था ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस भूमि का ले-आउट प्लान तैयार कर इसे प्लाटों की बिक्री के लिए प्रकाशित किया और भारत के राष्ट्रपति के नाम पर खरीदारों के पक्ष में विक्रय-लेख का निष्पादन किया ; और

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण अभी भी विक्रय-लेखों का निष्पादन कर रहा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सितम्बर, 1967 और जनवरी, 1968 में घोषित पंचाटों के जरिए भूमि अर्जित की गई थी और एक भू-भाग फरवरी 1972 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) 5 जनवरी, 1978 के पश्चात् कोई पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया है।

नई स्कूल पद्धति के लिए अध्यापक तैयार करने का कार्यक्रम

*466. **श्री के० राममूर्ति** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नई स्कूल पद्धति के लिए अध्यापक तैयार करना" प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आठ राज्यों को चुनने के क्या कारण हैं जब कि 15,28,875 रु० के व्यय के साझेदारी के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया था, और

(ख) अन्य सभी राज्यों को इस परियोजना के अंतर्गत कब लाया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) 1975-76 और 1976-77 के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने जिन्होंने स्कूल शिक्षा की 10+2 पद्धति कार्यान्वित की थी अथवा कार्यान्वित करने का निर्णय किया था राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से यह अनुरोध किया कि नए पाठ्यविवरणों के अनुसार मुख्य रूप से कक्षा IX तथा X में अध्यापन करने के लिए उनके शिक्षकों के प्रशिक्षण के संचालन में वह उनकी सहायता करें। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् कार्यक्रम शुरू करने तथा खर्च का कुछ भाग वहन करने के लिए इस शर्त पर सहमत हुई कि भाग लेने वाले अध्यापकों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का खर्च राज्य सरकारें वहन करें। नौ राज्य सरकारों और एक संघ शासित क्षेत्र को, जिन्होंने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् से सम्पर्क किया था और जो खर्च का भाग वहन करने के लिये सहमत हो गई थी, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध की गई। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उपलब्ध की गई कुल वित्तीय सहायता 18,06,175 रुपए थी।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Notification of Hybrid Cotton and Bajra under Seed Act, 1966

*468. **Shri Dharmsinhbhai Patel** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether hybrid-4 cotton and hybrid bajra J-1399, BJ-104 and CJ-104 varieties have not been notified for Gujarat under Seed Act, 1966 as a result of which the farmers suffer loss;

(b) whether Gujarat Government submitted a proposal in August, 1977 for notifying the aforesaid varieties under Seed Act, 1966; and

(c) if so, the action taken so far by Government thereon and the time by which it would be done ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (c) Proposals for notification of hybrid-4 variety of cotton and hybrid bajra J-1399, BJ-104 and CJ-104 varieties were received from the Government of Gujarat in August, 1977.

Notification of Hybrid-4 variety of cotton for the State is under issue. The proposals for the varieties of bajra will be considered by the Central Sub-Committee on Crop Standards and Notification, constituted under the Seeds Act, in its next meeting to be held on 1st April, 1978. No complaint has been received to the effect that Gujarat farmers have suffered losses pending notification of these varieties.

घटिया किस्म की कृमिनाशी और कीटनाशी औषधियों की सप्लाई

4238. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह रिपोर्ट मिली है कि किसानों को सप्लाई की जाने वाली कृमिनाशी और कीटनाशी औषधियां घटिया किस्म की हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी एजेंसी द्वारा सप्लाई की जाने वाली कृमिनाशी औषधियां भी घटिया किस्म की पाई गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अच्छी किस्म की कृमिनाशी औषधियों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कीटनाशी और कृमिनाशी औषधियों की घटिया किस्म के संबंध में कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) इस संबंध में कोई विशेष रिपोर्ट सरकार के नोटिस में नहीं लाई गई है।

(ग) कीटनाशी औषधि अधिनियम, 1968 (1968 की सं० 46) को जिसके द्वारा अन्य वस्तुओं के साथ-साथ कीटनाशी औषधियों के निर्माण और विक्रय पर भी नियंत्रण किया जाता है, राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जा रहा है। कृमिनाशियों की कोटि को 'मानीटर' करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए निरीक्षक नमूने एकत्र करते हैं और जहां कहीं भी कीटनाशी औषधियां गलत ब्रान्ड वाली पाई जाती हैं, मुकदमा चला है। गलत ब्राण्ड वाली कीटनाशी औषधियों के निर्माता/वितरकों के ऊपर मुकदमों तथा सजाओं और जब्ती के बारे में समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं। गुण नियंत्रण मशीनरी को और मजबूत बनाने के लिये 220 संयुक्त आदान निरीक्षकों की नियुक्ति करने के अतिरिक्त क्रमिक रूप से 17 राजकीय कीटनाशी औषधि प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय कीटनाशी-औषधि प्रयोगशाला स्थापित कर रही है। गुण नियंत्रण उपायों को लागू करने में राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति पर, अब अर्द्धवार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलनों में भी विचार विमर्श होता है।

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अधीन दायर किये गए मामले

4239. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी कर्मचारियों द्वारा 1976 के दिल्ली किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम की धारा 14-ए के अधीन कितने मामले दायर किये गये थे जिनके मकान संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में थे परन्तु जो सरकारी क्वार्टरों में रहते थे; और

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने उस अधिनियम की धारा 14-ए के अधीन कितने मामले विचारार्थ रख लिये और कितने मामले निचले न्यायालयों को अग्रेतर कार्यवाही करने के लिये वापस भेज दिये थे और उसके क्या कारण थे ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 611।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय ने तीन मुकदमे लिए और उन पर निर्णय किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 80 मुकद्दमें लिए जिनमें से निम्नलिखित प्रकार के 22 मुकद्दमों को जांच न्यायालयों में नये सिरे से जांच करने के लिए भेजा था :--

(1) जिन मामलों में जांच न्यायालयों द्वारा किरायेदारों को मुकदमों का प्रतिवाद करने तथा मुकदमा लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी।

(2) जिन मामलों में गृहित प्राइवेट वास के किराये 1000 रुपये से कम थे अथवा 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक थे तथा सरकारी कर्मचारियों को अपने मकान संबंधी पुनरीक्षित नियमों के अधीन क्रमश: सामान्य दरों तथा मार्कीट दरों के आधे के बराबर की दरों पर सरकारी वास को रखने की अनुमति दी गई थी।

(3) जिन मामलों में इस बारे में विवाद था कि सरकारी कर्मचारी का भवन रिहायशी है अथवा वाणिज्यिक है।

(4) जिन मामलों में जांच न्यायालय केवल शपथ पत्रों अथवा अन्य प्रकार के सबूतों पर निर्भर थे न कि दोनों बातों पर।]

आई० सी० एस० एस० आर० के सदस्यों और सदस्य सचिव को अनुदान दिया जाना

4240. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य और सदस्य सचिव को कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई ;

(ख) उनको अनुदान देने में किस मानदंड का अनुसरण किया गया; और

(ग) क्या इस मामले की जांच की जा रही है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) अन्य किसी भी सामाजिक वैज्ञानिक की भांति भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का कोई भी सदस्य अनुसंधान हेतु अपना प्रस्ताव परिषद को प्रस्तुत कर सकता है और उस पर नियमों के अनुसार गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। परियोजना के अनुदान में से सदस्य को कोई वेतन अथवा मानदेय अनुमत्य नहीं है। पिछले पांच वर्षों के दौरान सदस्यों को सौंपी गई परियोजनाएं और उनकी राशि दर्शाने वाली एक सूची संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1919/78]**

(ग) जी, नहीं।

उड़ीसा में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान

4241. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1976-77 और 1977-78 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुल कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) उक्त आयोग ने उड़ीसा राज्य, और उड़ीसा के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा उड़ीसा के सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के कालेजों को कितना-कितना अनुदान दिया ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 1976–77 और 1977–78 में क्रमशः 7209.29 लाख रुपये और 7747.50 लाख रुपये के कुल अनुदान दिये गये थे ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उड़ीसा के विश्वविद्यालयों और उनके सम्बद्ध महाविद्यालयों को 1976–77 और 1977–78 में दिये गये अनुदान नीचे दर्शाये गये हैं :—

क्रम सं०	विश्वविद्यालय का नाम	1976–77		1977–78	
		विश्वविद्यालय	कालेज	विश्वविद्यालय	कालेज
1.	बरहामपुर	29,19,789.38	6,05,931.65	41,77,820.00	459,776.67
2.	उड़ीया कृषि	21,264.96	—	—	—
3.	सम्बलपुर	25,75,931.49	4,75,042.76	10,08,717.00	887,161.02
4.	उत्कल	38,36,773.55	11,45,787.45	31,20,645.00	17,611.15

उड़ीसा में अलग अलग महाविद्यालयों को दिये गये अनुदान के संबंध में सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संकलित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Uniformity in Universities

†4242. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a policy has been formulated to bring uniformity in the various Universities of the country; if so, the details thereof;

(b) whether Government propose to formulate any educational policy to provide more and more employment opportunities to young educated men immediately after completion of their education; and if so, by what time; and

(c) whether there is increasing resentment among University students, the root cause of which is unemployment; if so, the steps being taken by Government to solve this problem ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) The Acts of all Universities provide the fullest authority to each of them in respect of their academic policies and programmes. The Government have no proposal to formulate any policy to bring about absolute uniformity in this matter.

(b) While the educational policy as such cannot ensure increase in employment opportunities, the programme of vocationalisation at the +2 stage is intended to equip students with the necessary skills and competences to prepare them for seeking such opportunities as are already available, and to increase their employability.

(c) It is true that unemployment is one of the major reasons that agitate the minds of many students. However, the solution to the problems of unempoyment can be found only through economic development of the country. The main thrust of the Sixth Plant, which is currently under formulation, is increase in employment opportunities.

वन्य पशुओं की सुरक्षा

4243. **श्रीमती पार्वती देवी :**

श्री सुखेन्द्र सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन्य पशुओं विशेषकर स्नो लेपर्ड, मारखोट आइवैक्स, भूरा भालू और हंगूल (स्टैग) जैसे मूल्यवान पशुओं को जो कभी काश्मीर घाटी और लद्दाख तथा जम्मू में प्रायः पाये जाते थे बचाने के लिये क्या प्रभावकारी उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में आदिवासी क्षेत्र विकास एजेंसी

4244. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में मंत्रालय ने उड़ीसा की आदिवासी क्षेत्र विकास एजेंसियों के लिये, परियोजनावार कितनी धनराशि दी है;

(ख) इन एजेंसियों को, विशेषकर सिंचाई और संचार के क्षेत्र में क्या परिलब्धियां हैं और इन योजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) उड़ीसा की आदिवासी क्षेत्र विकास एजेंसी के लिए वर्ष 1978-79 में कितनी धनराशि नियत करने का विचार है; और

(घ) इन परियोजनाओं के क्षेत्र में सामान्य विकास योजनाओं पर राज्य सरकार ने कितनी धन-राशि खर्च की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) उड़ीसा राज्य को 4 आदिवासी विकास एजेंसियों को वर्ष 1977-78 (20-3-78 तक) में निधियों का बंटन इस प्रकार है :

आदिवासी विकास एजेंसी परियोजना	धनराशि (लाख रु० में)
गंजम	34.00
कोरापुट	40.82
क्योंझर	25.08
फुलबेनी	22.08
योग	121.98

(ख) उड़ीसा की इन आदिवासी क्षेत्र विकास परियोजनाओं की उनके आरम्भ से लेकर सितम्बर, 1977 तक भौतिक उपलब्धियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए

संख्या एल०टी० 1920/78] निम्न तालिका में आरम्भ से लेकर दिसम्बर, 1977 तक उनके द्वारा किया गया कुल व्यय दिया गया है ।

(लाख रु० में)

आदिवासी विकास एजेंसी परियोजना	कुल व्यय	सिंचाई और संचार पर व्यय
गंजम .	209.57	129.50
कोरापुट .	214.78	119.43
क्योंझर	95.31	39.74
फुलबेनी	63.49	14.59

(ग) आदिवासी विकास एजेंसी परियोजना	1978-79 के लिए निधियों का प्रस्तावित आबंटन (लाख रुपये में)
गंजम . . .	35.00
कोरापुट . .	35.00
क्योंझर . .	27.50
फुलबेनी . . .	27.50
योग :	125.00

(घ) आदिवासी विकास एजेंसी परियोजना का नाम	राज्य सरकार द्वारा 1-4-77 से 31-1-78 तक किया गया व्यय (लाख रु० में)
आदिवासी विकास एजेंसी, गंजम	3.47
आदिवासी विकास एजेंसी, कोरापुट . . .	5.04
आदिवासी विकास एजेंसी, क्योंझर . . .	3.20
आदिवासी विकास एजेंसी, फुलबेनी	3.75
योग :	15.46

Study of Basic Education based on Gandhi Ideology

*4245. **Shri Chhitubhai Gamit** : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the study of the basic education based on the ideology of Gandhiji is being carried on in a very satisfactory manner in the post basic schools of new pattern and if so, the details thereof;

(b) whether Government propose to implement this basic education of new pattern in the secondary classes throughout the country keeping in view the results of education of today; and if so, when it will be implemented and the details thereof; and

(c) whether any special grants will be given by the Government to the schools imparting this education of new pattern and if so, the details thereof and since when this grant will be sanctioned ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) No evaluative study has recently been made of the basic and post-basic schools in the country.

(b) Based on the basic education philosophy of Gandhiji, the review Committee on the Curriculum for the Ten-year School (Ishwarbhai Patel Committee) has recommended the inclusion of socially useful productive work and social services as essential part of the studies in schools. The State Governments have been advised to implement the curriculum, as recommended by Ishwarbhai Patel Committee.

(c) The present grant-in-aid pattern to schools as in vogue in the States is not likely to undergo any significant change as a result of introducing socially useful productive work as a subject.

कृषि विज्ञान केन्द्र

4246. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए नियुक्त शिक्षा आयोग (1964-66) की सिफारिशों के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के इस योजना का ब्यौरा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस समिति ने वर्ष 1974 में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था और सरकार ने उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित लक्ष्य की तुलना में अब तक किन स्थानों पर उक्त कृषि विज्ञान केन्द्र खोले गए हैं; और

(घ) निकट भविष्य में किन स्थानों में उक्त केन्द्र खोले जायेंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि आयोग ने कृषि पोलिटेकनिक स्थापित करने की सिफारिश की थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने ऐसे संस्थान (कृषि विज्ञान केन्द्र) स्थापित करने का निर्णय किया था जहां कृषि, पशुपालन तथा मछलीपालन में नवीनतम तकनीकी दक्षता की प्रवीणता, काम करते-करते सीखने की तकनीक के माध्यम से बढ़ायी जा सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने डा० मोहन सिन्हा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जो समिति इस संस्थान के उस प्रकार की सिफारिश करे जो कि हमारी कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट 1974 में पेश की और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश मंजूर कर ली। समिति की मुख्य सिफारिशें ये हैं:—

1. पचास कृषि विज्ञान केन्द्र जिन्हें पांचवीं योजना के दौरान स्थापित करने का सुझाव है, वे विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता और उपयुक्तता के आधार पर चरणों में बांटकर स्थापित किये जायें।

2. राज्य के स्तर पर इस योजना की सहायता के लिए एक छोटी सलाहकार समिति बनाई जाये जिसका अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त हो।

3. राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में एक सक्रिय व्यावहारिक सैल की स्थापना की जाये जो कि आवश्यक स्टाफ के साथ एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के अन्तर्गत हो जो कि कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने में रुचि रखता हो और उसका दिशा निर्देश कर सके।

4. कर्मचारी भर्ती करने की प्रणाली में प्रशासन में किफायत बरती जाये। शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए सामान्य विश्वविद्यालय की क्रम परम्परा को छोड़ा जाये और विशेष प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए कर्मचारियों में अनुभवी व्यावहारिक व्यक्तियों को भर्ती किया जाये।

5. कर्मचारियों के लिए निर्धारित योग्यताएं कठोर नहीं होनी चाहिए। भर्ती को केवल स्नातकों तक ही सीमित रखना बुद्धिमानी नहीं होगी। डिप्लोमा वाले व्यक्तियों या दक्ष दस्तकारों को भी उन की विशेष दस्तकारी के लिए भर्ती किया जाये बशर्ते कि वे अपने धन्धे को सिखाने के योग्य पाये जायें।

6. ऐसे स्वयंसेवी संस्थानों, जिनका अच्छी सेवाओं और योग्य नेतृत्व का रिकार्ड है और जो कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्सुक हों, उनका स्वागत किया जाना चाहिए।

7. ऐसे प्रस्तावित नये संस्थानों जिनसे कि जनता का ध्यान आकर्षित करने की आशा की जाती है उन्हें आर्थिक अभाव के कारण कमजोर नहीं होने दिये जाना चाहिए।

भूमि और नागरिक सुविधाओं (जिन्हें की राज्य/संस्थान के द्वारा दिया जाना है) को छोड़कर दूसरे अनावर्त्ती मदों के लिए और शैक्षणिक कर्मचारियों पर आने वाली लागत जैसे आवर्त्ती मदों पर केन्द्र (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) शत-प्रतिशत सहायता दे सकता है।

पांचवीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने पचास कृषि विज्ञान केन्द्रों और 7 प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों को, स्थापित करने का एक प्रस्ताव तैयार किया। अग्रिम कार्यवाही के रूप में परिषद् ने मार्च 1974 में पांडिचेरी में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्वीकृति भी दी है। अप्रैल 1976 में वित्त मंत्रालय ने पांचवीं योजना का कार्यक्रम मंजूर कर दिया था जिसके बाद अतिरिक्त केन्द्र स्थापित किये गये।

(ग) आज तक परिशिष्ट 1 में उल्लिखित स्थानों में 19 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त 7 प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये।

(घ) नये कृषि विज्ञान केन्द्रों के स्थानों के बारे में अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है फिर भी देश के विभिन्न भागों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर छठी योजना की अवधि के दौरान नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए भारत सरकार की स्वीकृति के बाद कार्यवाही की जायेगी।

विवरण

परिशिष्ट—1

सन् 1976-77 और 1977-78 के दौरान स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

क्रम संख्या	राज्य	संस्थान जिनसे कृषि विज्ञान केन्द्र सम्बद्ध है	स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	बारानी खेती में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना, अम्बरपेट, हैदराबाद।	हयातनगर
2.	बिहार	रामकृष्ण मिशन, मोराबादी, रांची	मोराबादी
3.	गुजरात	(क) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	डीसा
		(ख) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	रणधेजा

क्रम सं०	राज्य	संस्थान जिनसे कृषि विज्ञान केन्द्र संबद्ध है	स्थान
4.	हरियाणा	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	करनाल
5.	कर्नाटक	(क) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हेब्बाल, बंगलौर।	हनुमानमत्ती
		(ख) भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर।	चेताली (कुर्ग)
6.	केरल	केन्द्रीय मेरीन (समुद्रीय) मत्स्य अनुसंधान संस्थान, नरक्काल, इर्नाकुलम।	नरक्काल
7.	महाराष्ट्र	कृषि संस्थान, कोसबाद-हिल जिला—थाण	कोसबाद-हिल
8.	मध्य प्रदेश	(क) कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इन्दौर।	इन्दौर
		(ख) केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान, नबी-बाग, बरसिया रोड, भोपाल।	भोपाल
9.	नागालैण्ड	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् रिसर्च अनुसंधान समूह, शिलांग (मेघालय)।	झरनापानी (नागालैण्ड)
10	उड़ीसा	केन्द्रीय अन्तः स्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, (पश्चिम बंगाल)।	धौली (भुवनेश्वर)
11.	राजस्थान	उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान।	फतहपुर सेखावटी (सिकर)
12.	तमिलनाडु	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर।	नवलुरकुट्टापट्टी त्रिचनापल्ली
13.	उत्तर प्रदेश	कमला नेहरू विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)।	सुलतानपुर
14.	पश्चिम बंगाल	सेवा भारती, कपगरी।	कपगरी मिदनापुर
15.	पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)।	पांडिचेरी
16.	मिजोरम	कृषि निदेशालय, मिजोरम सरकार, ऐजवाल।	कोलासिब

दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना

4247. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1977 से फरवरी, 1978 तक दिल्ली में बस्तीवार कितनी झुग्गियों को गिराया गया तथा उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : दिल्ली विकास प्राधिकरण सूचित किया है कि उन्होंने 1-3-77 से 28-2-78 तक 4195 झुग्गियां गिराई थीं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये इसलिए गिराई गई थीं क्योंकि ये सरकारी भूमि पर नए अनधिकृत निर्माण थे।

विवरण

क्रम संख्या	स्थान का नाम	झुग्गियों की संख्या
1.	आर० के० पुरम सेक्टर 1 और 2	37
2.	आई०एन०ए० पंचशील मार्ग	5
3.	राउज एवेन्यू	13
4.	गुजराती बस्ती	150
5.	मजनू का टीला	10
6.	जफराबाद	2500
7.	शकरपुर	1
8.	गीता कालोनी	150
9.	मोतिया खान	75
10.	मजनू का टीला	96
11.	पूसा रोड	16
12.	बेला इस्टेट	200
13.	जी०टी० रोड (गन्दा नाला)	45
14.	ईस्ट आफ कैलाश	10
15.	आजादपुर बस टर्मिनल	50
16.	लारेंस रोड	10
17.	बजीरपुर जे ब्लाक	60 (कच्ची झोपड़ियां)
18.	मदनगीर	4
19.	मोरी गेट	61
20.	आर० के० पुरम	30
21.	पूसा डिस्ट्रिक सेन्टर	25
22.	दस घरा, टोडापुर और पांडव नगर	60
23.	झंडे वालान	65
24.	आर० के० पुरम	12
25.	अशोक बिहार चरण I और III	84
26.	मदनगीर	50
27.	जनकपुरी 'बी' ब्लाक	34
28.	जनकपुरी 'आई' ब्लाक	60
29.	त्रिलोकपुरी	91
30.	अर्जुन नगर	2
31.	कालू सराय	6
32.	महिन्द्रा इन्क्लेव	23
33.	बेला इस्टेट	160
	कुल :	4195

Funds earmarked for ink roads in rural areas

4243. **Shri Motibhai R. Chaudhary :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 853 on 27th February 1978 regarding rural infrastructure development and state :

(a) whether a sum of Rs. 17.58 crores was earmarked for the States for link roads in rural areas and the basis on which this amount was distributed;

(b) the amount sanctioned to each State for this purpose; and

(c) whether additional amount will be given to those States which are backward in respect of roads in order to bring such backward States at par with other States ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) A sum of Rs. 20 crores has been provided in the Budget Estimates for 1977-78 as Central grant to States/U.Ts. for Rural Infrastructural Development—Construction of rural link roads and out of that Rs. 19.975 crores have already been released to States and U.T.

The basis for the release of this amount are as follows :—

(i) Surface roads per 100 Sq. km. in a State/U.T.

(ii) Surface roads per lakh of population in a State/U.T.

(iii) Backwardness of the State/U.T. in terms of roads, their physical features, terrain etc.

(b) A statement showing the amount of Central grant given to each of the State/U.T. under the scheme is enclosed.

(c) From 1978-79, the scheme will be implemented in the State Sector and higher provision for the same is being made.

Statement

Central Sponsored Scheme—Infrastructure Development Construction of Rural Link Roads

Release of Funds to States/Union Territories for Construction of rural Link Roads for 1977-78.

Sl. No.	Name of the State/U.T.	Allocation proposed (Rs. in lakhs)
1.	Andhra Pradesh	120
2.	Assam	65
3.	Bihar	180
4.	Gujarat	75
5.	Haryana	33
6.	Himachal Pradesh	38
7.	Jammu & Kashmir	54
8.	Karnataka	82
9.	Kerala	49
10.	Madhya Pradesh	180
11.	Maharashtra	130
12.	Manipur	22
13.	Meghalaya	28

Sl. No.	Name of the State/U.T.	Allocation proposed (Rs. in lakhs)
14.	Nagaland	38
15.	Orissa	87
16.	Punjab	49
17.	Rajasthan	147
18.	Sikkim	23
19.	Tamil Nadu	71
20.	Tripura	15
21.	Uttar Pradesh	288
22.	West Bengal	98
23.	Andaman & Nicobar Island	10
24.	Arunachal Pradesh	44
25.	Chandigarh	2.5
26.	Dadra & Nagar Haveli	@
27.	Delhi	10
28.	Goa, Daman & Diu	10
29.	Lakshadweep	@
30.	Mizoram	44
31.	Pondicherry	5
		1997.5

@Not implementing the scheme during 1977-78.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में एक पोलिटेक्निक की स्थापना

4249. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में एक पोलिटेक्निक की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अभी तक स्थानीय प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विद्यार्थियों के आचरण के बारे में अध्ययन

4250. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में विद्यार्थियों के कल्याण के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए माऊंट आबू में नेतृत्व प्रयोगशाला का आयोजन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उस 'प्रयोगशाला' में निकले निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) हाल ही में सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ख) और (ग) : माऊंट आबू में आयोजित नेतृत्व प्रयोगशाला के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्थिति का पता लगाया जा रहा है और सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तोरसा नदी मास्टर प्लान

4251. **श्री श्यामप्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से "तोरसा नदी मास्टर प्लान" अनुमोदनार्थ और वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) उत्तरी बंगाल की तोरसा नदी की मास्टर योजना, जिस पर 48.41 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, की एक प्रति सितम्बर, 1977 में केन्द्र में प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की जा रही है। लेकिन इस परियोजना पर अभी उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग के तकनीकी सलाहकारों के बोर्ड एवं उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है।

अमूल को अनुदान और ऋण

4252. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री विश्व संगठनों और केन्द्र से अमूल को उपहार, अनुदानों तथा ऋणों के बारे में 19 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4493 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमूल तथा इसकी सहयोगी संस्थाओं को दिये गये विभिन्न ऋणों की ब्याज की दर तथा अदायगी की शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने प्राप्त उपकरणों एवं सुविधाओं की उत्पादकता के संबधं में अपने आप को सन्तुष्ट कर लिया है और क्या उसके कार्य परिणामों से उसका प्रभावी एवं लाभप्रद उपयोग परिलक्षित होता है ;

(ग) ब्याज तथा सेवा प्रभारों के रूप में सामान्य पूंजी के बिना तथा सुविधाओं के उपयोग द्वारा प्राप्त हुए लाभ सहकारिताओं सप्लायर्स और उपभोक्ताओं के बीच किस प्रकार से बांटे गये; और

(घ) अमूल उद्योग समूह को, यूनिटवार, गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितना कितना दुग्ध चूर्ण एवं बटर आयल प्राप्त हुआ, उसका रुपयों में मूल्य क्या था और वाणिज्यिक तथा बाजार मूल्य की तुलना में उसका बिल मूल्य किस आधार पर लिया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो होते सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली प्रशासन के अधीन सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की सप्लाई

4253. **श्री पायस टिर्की :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत पांच वर्षों में दिल्ली प्रशासन के अधीन सरकारी स्कूलों को नया फर्नीचर सप्लाई नहीं किया गया तथा इस कार्य के लिए प्रत्येक वर्ष मंजूर की गई धनराशि तकनीकी औपचारिकताओं के कारण व्यपगत हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे धनराशि व्यपगत न हो तथा स्कूलों को फर्नीचर सप्लाई किया जाए; और

(ग) कितने स्कूलों में क्लास रूमों में फर्नीचर की कमी है तथा क्लास रूमों में छात्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर सप्लाई करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने गत पांच वर्षों में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) (क) से (ग) अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा में पशुपालन डेयरी विकास आदि के लिये धनराशि

4254. **श्री पद्माचरण सामान्तसिंहेरा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को पशुपालन, डेयरी आदि के विकास हेतु छोटे और सीमान्त किसानों के लिए (ओपरेशन फ्लड मद भाग 22) धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था और ऐसी योजनाओं के लिये कितनी धनराशि अपेक्षित है; और

(ग) क्या अपेक्षित धनराशि की मंजूरी दे दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) उड़ीसा को **ओपरेशन फ्लड** 1 कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया था। इसे दृष्टि में रखते हुए उड़ीसा को केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में दुग्ध उत्पादन तथा विपणन कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिये 7वें राज्य के रूप में शामिल किया गया है। तदनुसार, उड़ीसा ने डेरी विकास के लिये, जिस में छोटे और सीमान्त कृषक शामिल हैं, 274.62 लाख रुपये की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव फरवरी, 1978 में भेजा है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

Transfers in Central Water Commission

*4255. **Shri Ram Naresh Kushwaha :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of subordinate officers in Delhi and outside Delhi under the Central Water Commission and the number of Class I, Class II and Class III employees who have not been transferred during the past five-years;

(b) the number of transfer orders (category-wise) passed by the Commission during 1976-77 and the number out of them actually implemented;

(c) whether fifty per cent of such orders are not implemented in the commission but are got cancelled on some pretexts; and

(d) action proposed to be taken to remedy the situation ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

शास्त्री नगर, दिल्ली का नियमित किया जाना

4256. **श्री गंगाधर अप्पा बूरांडे :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सराय रोहिल्ला के निकट एक रिहायशी कालोनी, शास्त्री नगर को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उन्हें यह पता है कि यह कालोनी वर्ष 1962 में स्थापित की गई थी लेकिन इसमें पेय जल की सुविधायें तथा मल निष्कासन व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और यहां पर ठीक प्रकार से सड़कें नहीं बनाई गई हैं;

(ग) क्या उन्हें यह भी पता है कि इसके परिणामस्वरूप इस कालोनी में अस्वास्थ्यकर स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिससे वहां के रहने वाले लाखों लोगों के स्वास्थ्य को खतरा बना हुआ है; और

(घ) शास्त्री नगर के निवासियों की रहन सहन की स्थितियों में सुधार लाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है और यह कार्य कब तक किया जायेगा; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) यह कालोनी ऐसी भूमि पर स्थित है जो मास्टर प्लान के अनुसार डिस्ट्रिक्ट पार्क/खेल के मैदान के लिए आरक्षित है। चूंकि भू-प्रयोग रिहायशी नहीं है, इसलिए कालोनी को नियमित नहीं किया जा सका। इस कालोनी के नियमितिकरण पर निर्माण और आवास मंत्रालय के दिनांक 16-2-77 के पत्र (प्रति संलग्न है) **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1921/78]** में उल्लिखित शर्तों के अनुसार विचार किया जाएगा अनधिकृत कालोनियों में कुछ नागरिक सुविधाएं पहले ही दी जा रही हैं। अन्य सुख सुविधाओं के लिए नियमितिकरण नक्शों के बनाए जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शास्त्री नगर में पेय जल तथा मल-जल-व्ययन की व्यवस्था इस समय उपलब्ध नहीं है। तथापि, दिल्ली नगर निगम ने इस कालोनी की सफाई की देखभाल करने के लिए रोड के स्वीपरों, ड्रेन स्वीपरों तथा लारी स्वीपरों के रूप में 149 व्यक्तियों को लगाया हुआ है। नगर निगम, नालियों की व्यवस्था करने तथा खड़ंजे बिछाने आदि के लिए वर्ष 1977-78 के अन्त तक लगभग 1.50 लाख रुपये खर्च करेगा।

त्रिपुरा को चावल की कम सप्लाई

4257. **श्री किरित विक्रम देव वर्मन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में 3000 मीटरी टन चावल की मासिक आवश्यकता के बदले भारतीय खाद्य निगम ने राज्य को दिसम्बर, 1977 में 620 मीटरी टन, जनवरी, 1978 में 730 मीटरी टन और फरवरी, 1978 में 400 मीटरी टन सप्लाई किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इतनी कम सप्लाई के क्या कारण हैं;

(ग) क्या त्रिपुरा में इसका खाद्यान्न तथा अन्य अनाजों के मूल्यों के रुख पर बुरा प्रभाव पड़ा है; यदि हाँ, तो किस सीमा तक; और

(घ) आगामी महीनों में पर्याप्त मात्रा में चावल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) दिसम्बर, 1977 और जनवरी, 1978 के महीनों के लिए त्रिपुरा सरकार की चावल की माँग, उसके आबंटन तथा उठान संबंधी स्थिति इस प्रकार हैं :--

(मीटरी टन में)

माह	माँग	आबंटन	उठान
दिसम्बर, 77	3,000	3,000	1,000
जनवरी, 78	1,500	1,500	1,200
फरवरी, 78	1,500	1,500	320

(ख) त्रिपुरा स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपों में उपलब्ध चावल का 13,000 मीटरी टन का स्टाक राज्य की आवश्यकताओं के लिए बहुत काफी है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा किया गया उठान संतोषजनक नहीं था क्योंकि भारतीय खाद्य निगम ने जो स्टाक दिए थे वे राज्य सरकार को शुरु में स्वीकार्य नहीं थे। भारत सरकार की विनिर्दिष्टियों के अनरुप स्टाक को साफ तथा ठीक करने और भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य के खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सामूहिक निरीक्षण करने से उठान में अब वृद्धि होने की आशा है।

(ग) जी नहीं। खुले बाजार के खुदरा मूल्यों पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा था।

(घ) जैसा कि बताया जा चुका है, त्रिपुरा स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपों में 1-3-78 को लगभग 13,000 मीटरी टन चावल था। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम को यह भी अनुदेश जारी किया गया है कि वे केन्द्रीय आबंटनों के प्रति राज्य सरकार को देने के लिए बाहर से त्रिपुरा में चावल का नया स्टाक मुहैया करें।

Foreigners Receiving Education in India

†4258. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of foreigners receiving education in India at present; and

(b) how many of them are students of engineering, and technical education, separately and how many of pure arts and science ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) The requisite information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha.

दिल्ली ग्राई०ग्राई०टी० कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पर हमला

4259. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली ग्राई०ग्राई०टी० कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पर हमला किया गया है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजना पड़ा;

(ख) क्या पुलिस को ग्राई०ग्राई०टी० के एक अन्य कर्मचारी पर मुख्य अभियुक्त होने का सन्देह है;

(ग) क्या इस कर्मचारी ने दर्ज किये गये मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था और न्यायालय ने उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था;

(घ) क्या इसके बाद ग्राई०ग्राई०टी० के प्रबन्धकों ने संदिग्ध अपराधी को 10 दिन की छुट्टी मंजूर कर दी थी जिससे वह फरार हो गया; और

(ङ) क्या सरकार के विचार में प्रबन्धकों द्वारा किया गया यह कार्य इस हमले में ग्राई०ग्राई०टी० अधिकारियों की साँठ-गाँठ सिद्ध करता है अथवा यह कार्य अन्यथा अनुचित है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) 26/27-2-78 की मध्य रात्रि में श्री प्रकाश सिंह टक्कर, जिन्हें आमतौर पर ग्राई०ग्राई०टी० कर्मचारी संघ का अध्यक्ष कहा जाता है, ब्लाक नं० 16, ग्राई०ग्राई०टी०, हौज खास के मकानों के एक खुले स्थान पर घायल अवस्था में पड़े पाए गए थे और उन्हें सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया गया था।

(ख) श्री प्रकाश सिंह टक्कर का सन्देह ग्राई०ग्राई०टी० के एक ड्राइवर श्री गुरुदेव सिंह और दो अज्ञात व्यक्तियों पर था।

(ग) स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गुरुदेव सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था किन्तु न्यायालय ने उसे नामंजूर कर दिया।

(घ) संस्थान के अनुसार श्री गुरुदेव सिंह ने 1-3-78 से दस दिन के आकस्मिक अवकाश हेतु 28-2-78 को आवेदन किया था। उन्हें 1-3-78 से नियमानुसार आठ दिन की छुट्टी स्वीकृत की गई थी। संस्थान ने इस सुझाव का खण्डन किया है कि श्री गुरुदेव सिंह को छुट्टी इसलिए दी गई थी ताकि वे फरार हो सकें।

(ङ) यद्यपि श्री प्रकाश सिंह टक्कर ने 28-2-78 को पुलिस को दिए गए अपने बयान में कहा था कि इस घटना के पीछे ग्राई०ग्राई०टी० प्रशासन का हाथ है तथापि पुलिस प्राधिकारियों के अनुसार बयान की अभी पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर संस्थान ने इस बात से इन्कार कर दिया है कि इस घटना में उनका कोई हाथ था। पुलिस द्वारा पूरे मामले की छानबीन की जा रही है।

महाराष्ट्र में संरक्षित मंदिर

4260. **श्री ग्रार० के० महालगी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कौन-कौन से मन्दिर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में 'संरक्षित' घोषित किए गए हैं;

(ख) महाराष्ट्र में इन मन्दिरों के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन मन्दिरों के परिरक्षण तथा रख रखाव पर कितना व्यय किया गया तथा वर्ष 1978-79 के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) इसके साथ सूची संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1922/78]

(ख) समय-समय पर मन्दिरों की इमारतों मरम्मत करवा कर और उनके सामान्य रख-रखाव का ध्यान रखते हुए उनका संरक्षण किया जा रहा है।

(ग) प्रतिवर्ष व्यय का विवरण निम्नलिखित है :

1975-76—98,833.84 रु०

1976-77—34,584.25 रु०

1977-78—78,144.31 रु० (फरवरी तक)

1978-79 वर्ष के लिये किया गया आबंटन 2,50,000 रु० है।

सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारी

4261. श्री शिवनारायण सरसूनिया :
श्री राम प्रसाद देशमुख :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन इनमें प्रत्येक उपक्रम में कर्मचारियों के श्रेणीवार (1, 2, 3, और 4) संख्या कितनी हैं—सेंट्रल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड, इण्डियन डेयरी कारपोरेशन, नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, स्टेट फार्मस कारपोरेशन लिमिटेड, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, मार्डन बेकरीज इण्डिया लिमिटेड, बनाना एण्ड फ्रूट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और वाटर एण्ड पावर डेवेलपमेंट कंसलटेंसी सर्विसिज लिमिटेड;

(ख) प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक उपक्रम में, अलग-अलग अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन उपक्रमों में भर्ती और पदोन्नति के मामले में रिक्त स्थानों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के आदेशों का पालन किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हाँ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

प्रतिष्ठान का नाम	1-1-1978 को विभिन्न वर्गों में कर्मचारियों की कुल संख्या				विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1. केन्द्रीय मत्स्यकी निगम लि०, हावड़ा	2	20	175	275	—	1	13	43
2. भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा . .	32	—	101	17	5	—	10	6
3. राष्ट्रीय बीज निगम लि०, नई दिल्ली . .	90	319	520	217	6	21	51	66
4. राजकीय फार्म निगम लि०, नई दिल्ली . .	64	84	1015	220	8	3	179	42
5. केन्द्रीय भाण्डागार निगम, नई दिल्ली . .	82	223	2178	1988	7	21	266	503
6. भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली . .	376	3125	35162	27139	59	275	6013	8152
7. माडर्न बेकरीज (इंडिया) लि०, नई दिल्ली .	112	88	730	1019	7	2	68	238
8. केला तथा फल विकास निगम लि०, मद्रास .	1	4	11	4	—	—	1	3
9. जल तथा विद्युत विकास संबंधी परामर्शदात्री सेवा, नई दिल्ली . .	19	7	60	10	—	—	4	5

होशंगाबाद में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना

4262. **श्री हरिविष्णु कामत :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होशंगाबाद सीक्योरिटी पेपर मिल के कर्मचारियों ने वहां एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की माँग की है;

(ख) क्या यह सच है कि मिल के प्रबन्धकों और [illegible] कर्मचारियों की माँग का जोरदार समर्थन किया है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी माँग स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) और (ख) जी, हाँ ।

(ग) और (घ) क्योंकि केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए विभिन्न स्थानों से, बहुत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, 1978-79 में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए अन्य प्रस्तावों के साथ सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद से प्राप्त प्रस्ताव पर यथा समय विचार किया जाएगा। क्योंकि असैनिक स्थानों पर शैक्षिक वर्ष में केवल चार केन्द्रीय विद्यालय ही खोले जा सकते हैं। असैनिक स्थानों पर नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के विभागों द्वारा आयोजित किए जाने होते हैं और प्रायोजित करने वाले प्राधिकारी को विद्यालय के लिए 15 एकड़ भूमि तथा जब तक स्थायी भवन का निर्माण नहीं होता, निशुल्क अथवा नाममात्र के किराए पर अस्थायी आवास उपलब्ध कराना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तुलनात्मक आबादी और संबंधित स्थानों पर शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था के आधार पर स्थानों के संबंध में अग्रताएं निर्धारित करने के लिए सभी पूर्व शर्तें पूरी करने वाले प्रस्तावों पर एक साथ विचार किया जाता है।

Reduction in courses of 10+2 system of education

†4263. **Shri Raj Keshar Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the high level Committee appointed to examine the course of 10+2 system of education has since submitted its report; and

(b) if so, the salient features of the report and the reduction and improvement made in the courses of 10th, 11th and 12th Classes ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : A statement is enclosed. **[Placed in Library. See No. LT-1923/78].**

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण के मामले

4264. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अनधिकृत निर्माण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) क्या अनधिकृत निर्माण में वृद्धि का एक मुख्य कारण राशन कार्डों पर सीमेंट का मिलना है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय, नागरिक पूर्ति मंत्रालय से अनुरोध करेगा कि वह दिल्ली में राशन कार्डों पर सीमेंट की बिक्री बन्द कर दें और मंजूर शुदा नक्शों और मकान-कर की रसीदों के आधार पर सीमेंट की बिक्री की अनुमति दे; और

(घ) यदि हाँ, तो कब और यदि नहीं, तो क्या राशन कार्डों पर सीमेंट की बिक्री की अनुमति देकर अनधिकृत निर्माण को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अनधिकृत निर्माणों का पता चला है ।

(ख) अप्रैल, 1977 की अभाव की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और वास्तविक उपभोगताओं को मरम्मत के लिए सीमेंट आसानी से उपलब्ध हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय

लिया गया कि राशन कार्डों पर सीमेंट बेचा जाए। इससे पहले सीमेंट खुले बाजार में उपलब्ध था। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सीमेंट का दुरुपयोग न हो, दिल्ली सीमेंट (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1972 में 10 मार्च, 1978 को संशोधन करके एक नया खण्ड जोड़ दिया गया है। अब कोई परमिटधारी अपना परमिट या सीमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकेगा। इसका उल्लंघन करना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दण्डनीय है।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं। क्योंकि इससे वास्तविक उपभोक्ताओं को कठिनाई होगी। स्थानीय अधिकारियों को हिदायतें दे दी गई हैं कि वे अनधिकृत निर्माणों पर निरन्तर निगरानी रखें। जिला अधिकारियों द्वारा बुलाई गई बैठकों में जिस में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए एक साप्ताहिक कार्यक्रम बनाया जाता है।

चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में निर्माण कार्य

4268. **श्री ए० के० साह :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक सेवा के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिये चितरंजन पार्क में कितने क्वार्टर बनाये जा रहे हैं;

(ख) चितरंजन पार्क में काम के लिये सामुदायिक सेवा के कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है; और

(ग) चितरंजन पार्क में सामुदायिक सेवा कर्मचारियों के लिये जिन क्वार्टरों की आवश्यकता नहीं है उनका निपटान किस प्रकार किया जायेगा और क्या ये भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को आबंटित किये जा सकते हैं जिनके लिये यह कालोनी बनाई गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया है, चितरंजन पार्क में 48 मकान पहले ही बनाए जा चुके हैं। वहां पर और 144 मकान निर्माणाधीन हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मास्टर प्लान में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, आवासीय यूनिटों का 5 प्रतिशत, सेवारत कर्मचारियों के परिवारों अर्थात् धोबियों, चौकीदारों, जमादारों, मालियों, घरेलू नौकरों आदि को दिए जाने हैं।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार, सेवारत कर्मचारियों के सभी मकानों का आबंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। उनकी अग्रिम पंजीकरण योजना के अधीन 1969 से सेवारत कर्मचारी उनके पास पहले से ही बहुत संख्या में पंजीकृत हैं। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया गया था कि क्वार्टरों के आबंटन के लिए उन विस्थापित व्यक्तियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर भी विचार करें जो कि सेवारत कर्मचारियों की निर्धारित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं।

Rules governing change of Government Accommodation on Medical Grounds

4266. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the provision for allotment of quarters on medical grounds to Central Government employees;

(b) the details of the rules for grant of change on medical grounds;

(c) the rules for grant of change in the same type on medical grounds; and

(d) the number of the persons who were granted change in type II on medical grounds during the last three years ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Allotments to the eligible Government servants and/or their dependents on medical grounds are made in the following cases :

(a) Tuberculosis :

(i) Pulmonary tuberculosis (in active phase with risk to others).

(ii) Pleurisy with effusion; Tubercular Menigitis.

(b) Malignant Neoplaism :

Cancer.

In addition, handicapped employees who satisfy the prescribed criteria are also eligible for *ad hoc* allotment of residential accommodation from the general pool.

(b) and (c) Request for change on medical grounds from one locality to another or from one floor to another in the same type is normally considered on the merits of the case and on production of valid medical certificate.

(d) 185.

सीकर, राजस्थान में सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए ग्रामीण आधार-ढांचे का विकास

4267. **श्री के० लकप्पा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला सीकर, राजस्थान में रींगस जंकशन तथा तहसील दाताराम के बीच सम्पर्क मार्ग का निर्माण करने संबंधी ग्रामीण आधार-ढांचा विकास योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या खाटू और बाईगांव के बीच सम्पर्क मार्ग का काम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा सड़क के इस भाग का कार्य कब तक प्रारम्भ और पूरा किया जाना है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितना धन उपलब्ध किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार से सूचना मांगी गई है और बाद में सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) योजना 'ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास--ग्रामीण सम्पर्क सड़कों का निर्माण' के अन्तर्गत चालू वर्ष में योजना को कार्यान्वित करने के लिए राजस्थान की राज्य सरकार को 147.00 लाख रुपये की धनराशि सुलभ की गई है ।

रियायती मूल्यों पर उर्वरकों का वितरण

4268. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार की नई आर्थिक नीति के अनुसार रियायती मूल्यों पर किसानों को उर्वरकों का वितरण करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई हैं ?

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्यों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) वर्ष 1977-78 के लिए उर्वरकों के वितरण के राज्यवार आंकड़े क्या

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, आदिवासी विकास एजेंसी, पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजना और बारानो क्षेत्र विकास परियोजना में उर्वरकों की खरीद के लिए कुछ निश्चित सीमाओं के अन्दर राज-सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार देश में उत्पादित पी2 ओ5 के प्रति मीटरी टन के लिए 1250 रुपए की राज-सहायता देती है। इसके अतिरिक्त, सरकार निश्चित सड़क केन्द्र तक, जिसे आयातित उर्वरकों के वितरण के उद्देश्य से रेल मार्ग घोषित किया हुआ है, परिवहन की लागत वहन करके कुछ दूरस्थ क्षेत्रों तक उर्वरकों की परिवहन लागत में भी आर्थिक सहायता दे रही है। प्रत्येक निर्माता को प्रतिरक्षण मूल्य प्रदान करते हुए यूरिया की कीमत में 10 रुपए प्रति टन की कमी करके, जिससे निर्माता को पर्याप्त लाभ होगा, सरकार परोक्ष रूप से देशी और आयातित उर्वरकों की बिक्री में आर्थिक सहायता दे रही है।

(ग) उर्वरकों का वितरण सरकार द्वारा तैयार की गयी सप्लाई योजना के अनुसार प्रत्येक सस्य मौसम के शुरू होने से पहले किया जाता है तथा राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति आयात एवं देशी उत्पादन से की जाती है। आवश्यक जिंस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1977-78 के आबंटन को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मीटरी टन
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	451980
2. असम	4878
3. बिहार	180179
4. गुजरात	283735
5. हरियाणा	195028
6. हिमाचल प्रदेश	7212
7. जम्मू तथा कश्मीर	11017
8. कर्नाटक	320628
9. केरल	91812
10. मध्य प्रदेश	140032
11. महाराष्ट्र	325276
12. मणिपुर	3659
13. मेघालय	1988
14. नागालैंड	259
15. उड़ीसा	64732
16. पंजाब	318785
17. राजस्थान	129005
18. तमिलनाडु	456500
19. त्रिपुरा	1245
20. उत्तर प्रदेश	855164
21. प० बंगाल	184868
22. अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	22
23. अरुणाचल प्रदेश	1100

10 LSS/78—4

1	2
24. दादर तथा नगर हवेली	445
25. दिल्ली	3753
26. गोवा, दमन और दीव	5215
27. मिजोरम	17
28. पांडिचेरी	8673
29. जिंस बोर्ड	98382
30. चण्डीगढ़	785
31. उत्तरी चाय	51979
32. सिक्किम	908

Adulteration in Fertilisers

4269. **Shri Brij Bhushan Tiwari :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that cases of adulteration in fertilisers are on the increase in the country;

(b) the number of samples taken for test from the premise of manufacturer and suppliers of fertilisers in the country since March, 1977;

(c) the number of cases in which adulteration was found and the action taken against the guilty traders; and

(c) the concrete steps being taken by Government to check adulteration in fertilizers ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjeet Singh Barnala) : (a) to (c) Distribution of fertilisers within a State is the responsibility of the concerned State Government. Under Fertiliser (Control) Order, they have full powers to ensure the quality of fertilisers and check adulteration. The State Governments, therefore, have been requested to furnish the requisite information. So far 15 State Governments/Union territories have furnished the relevant information which is indicated in the enclosed statement. It is evident from the replies of the State Governments that cases of adulteration of fertilisers are not on the increase. The information for the remaining States is being collected and will be placed on the table of the House as early as possible.

(d) The following steps have been taken by the Government of India for checking adulteration in fertiliser :—

(a) Fertilisers have been declared as an Essential Commodity under the Essential Commodities Act, 1955. Under the Fertiliser (Control) Order the prescribed officials of the State Governments can take samples, analyse them and if necessary prosecute the offenders. The order has been declared as 'Special Order' so that the offenders can be brought to books summarily.

(b) In order to facilitate the analysis of fertiliser samples, the Government of India has undertaken a scheme under which 36 Fertiliser Quality Control Laboratories are proposed to be established during the Fifth Five Year Plan.

(c) Appointment of 76 Quality Control Inspectors has also been sanctioned and it is proposed to sanction 50 more such Inspectors.

(d) Chief Ministers of States have been requested to keep a close watch on the quality of fertilisers. They have also been requested to indicate any difficulty in this regard.

Statement

Statement showing the replies received from various State Governments/Union Territories in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 4269 for 27-3-1978 regarding adulteration in Fertilizers.

S. No.	Name of State/ Union Territory	Whether cases of adulteration on the increase in the country	No. of samples taken since March, 1977	No. of cases of adulteration detected
1.	Arunachal Pradesh . .	No private trade in fertilisers.	Nil	No problem of adulteration.
2.	Chandigarh	No	Nil	Nil
3.	Andaman & Nicobar Islands	No	Fettilisers distributed through Government agencies.	
4.	Mizoram .	No	Nil	Nil
5.	Bihar .	No	335	37
6.	Maharashtra .	No	1097	Nil
7.	Orissa .	No	1281	Nil
8.	Nagaland . .	No	Nil	Nil
9.	West Bengal . .	No	307	1
10.	Meghalaya . . .	No	Nil	Nil
11.	Goa, Daman & Diu .	No	38	Nil
12.	Delhi Administration .	No	8	Nil
13.	Pondicherry . .	No	282	Nil
14.	Manipur . . .	No	12	Nil
15.	Dadra & Nagar Haveli . .	No	Nil	Nil

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

4271. चौधरी ब्रह्मप्रकाश :
श्री मोहनलाल पिपिल :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव बृहत् योजना में भी है;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और क्या इस पर अभी तक कोई राशि खर्च की गई है और यदि हां, तो कितनी;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में अपनी नीति बदली है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत की राजधानी दिल्ली के विकास के बारे में सरकार की नयी विचारधारा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड द्वारा सितम्बर, 1973 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का अनुमोदन किया गया था। संबंधित राज्य सरकारों को क्षेत्रीय नगरों के विकास के लिए अब तक 518 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में मंजूर की गई है।

(घ) तथा (ङ) जी, अभी नहीं।

दिल्ली में प्रदूषण

4272. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति** और **पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में वातावरण के अत्यधिक प्रदूषित हो जाने की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) देश में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक कानून तैयार किया जा रहा है तथा आवश्यक विधेयक जल्दी ही संसद् में पेश किया जाएगा। उद्योगों में लगी भट्टियों की चिमनियों से निकलने वाले धुंए से पैदा हुए खतरों का सामना करने के लिए फिलहाल दिल्ली प्रशासन, बम्बई स्मोक न्यूसेन्सिज ऐक्ट, 1912, जो दिल्ली संघ राज्य पर भी लागू होता है तथा इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन से राख के प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

पंजाब के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का नियतन

4273. **श्री जी० एस० तोहरा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के लिये केवल 6000 टन नाइट्रोजन (उर्वरक) का नियतन किया गया है जबकि उसकी कुल मांग 20,000 टन है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब को उर्वरक कोटे की कम मात्रा देने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। खरीफ 1978 (अर्थात् फरवरी से जुलाई, 1978 तक) के दौरान पंजाब को उनकी निवल कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर 121000 मीटरी टन नाइट्रोजनयुक्त उवरक का नियतन किया गया था। रबी 1978-79 को आवश्यकताओं का मूल्यांकन जुलाई 1978 के माह में लिया जाएगा और तदनुसार आबंटन किया जाएगा।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

Promotion of Harijans aod Adivasis in National Seeds Corporation

4274. **Shri R. D. Ram** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether many orders given by high officers of the Nation al Seeds Corporation regarding completion of the quota reserved for Harijans and Adiv asis and promoting Harijan and Adivasi employees already working there have not been complied with; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjeet Singh Barnala) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विकलांगों का पुनर्वास

4275. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि :

(क) विकलांगों के लिये समान अवसरों की राष्ट्रीय समिति ने बम्बई में अपनी हाल की बैठक में सरकार से अनुरोध किया था कि देश में 80 लाख चक्षुहीनों अथवा लगभग चक्षुहीनों सहित 400 लाख से अधिक विकलांगों के मेडिकल, शैक्षणिक, व्यावसायिक, आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिये राष्ट्रीय नीति तथा कार्य-योजना तैयार की जाये; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) सम्मेलन का कार्यवृत्त सिफारिशें तो अब तक प्राप्त नहीं हुई हैं, परन्तु बताया गया है कि देश में विकलांग व्यक्तियों, जिन में नेत्रहीन भी शामिल हैं, के पुनर्वास के लिए केन्द्र और राज्य स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रम बनाए गए हैं । यद्यपि विकलांग व्यक्तियों को राहत देने का मुख्य उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है, तो भी केन्द्र ने इस सम्बन्ध में कुछ कार्यक्रम लिए हैं। ऐसा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास संबंधी कायक्रमों को चलाने के लिए विकलांग व्यक्तियों से संबंधित स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देना है । सरकार विकलांग व्यक्तियों के चार वर्गों अर्थात नेत्रहीनों, बधिरों, अपंगों और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों में से प्रत्येक के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की भी योजना बना रही है । 9वीं कक्षा तथा उससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियां/वजीफ़े दिए जाते हैं तथा सामान्य स्कूलों में विकलांग छात्रों के लिए समेकित शिक्षा शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है ।

गाय की नस्ल में सुधार

4276. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौ रक्षा, तथा गौ वृद्धि के बारे में तथा उसकी नस्ल में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में सरकार ने अथवा केन्द्रीय सरकार की सहायता से राज्य सरकारों ने गाय की नस्ल में सुधार के लिये देश में कितने केन्द्र स्थापित किये; और

(ग) गत तीन वर्षों में इन केन्द्रों में की गई प्रगति का क्या ब्यौरा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार द्वारा प्रायः विभिन्न सरकारों के परामर्श से तैयार की गई/शुरू की गई निम्नलिखित योजनाएं, इस समय भी चालू हैं और इनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से गौ-पशुओं की नस्लों में सुधार करना तथा गौ संतति बढ़ाने में सहाता करना भी है :—

1. अखिल भारतीय आदर्श ग्राम योजना
2. सघन पशु विकास परियोजनाएं ।

3. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म
4. केन्द्रीय विदेशी पशु प्रजनन फार्म
5. केन्द्रीय यूथ पंजीकरण योजना
6. संतति परीक्षण संबंधी अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं
7. विदेशी सहायता प्राप्त पशु प्रजनन कार्यक्रम
8. हिमित वीर्य बैंकों की स्थापना
9. लघु कृषक विकास एजेंसी/सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजनाओं के अंतर्गत संकर प्रजनित बछड़ा पालन कार्यक्रम।
10. केन्द्रीय चारा उत्पादन तथा प्रदर्शन फार्म।

गौ संतति की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) दिनांक 1-1-1978 से केन्द्रीय गौ संवर्द्धन सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया है। इस परिषद को गौ संतति की सुरक्षा, गौ संतति को बढ़ाने तथा उनकी नस्ल में सुधार करने के संबंध में विभिन्न उपायों के बारे में सरकार को सलाह देना है।

(2) हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों (अनुच्छेद 48) के अनुसार कई राज्यों में गौ तथा उनकी संतति के बध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों के संरक्षण तथा सुधार के लिए कानून बनाये गये हैं। पशु सुधार अधिनियम भी बनाये गये हैं। इन अधिनियमों में भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा अस्वीकृत सांडों को रखना निषिद्ध है। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए सांडों की नस्लों या वर्गों को निर्धारित करें।

(3) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के जरिए रोगों से सुरक्षा की जाती है। इन योजनाओं में पशु प्लेग तथा खुरपका व मुंहपका रोगों के टीकों और जैविक उत्पादन केन्द्रों के विस्तार के अंतर्गत वैक्सीन सीरा के उत्पादन की व्यवस्था है। विदेश से आए/विदेशी रोगों को प्रारम्भ होने से रोकने के लिए संगरोध केन्द्रों की स्थापना के लिए भी एक योजना क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) कृत्रिम गर्भाधान कार्य और नस्लों के सुधार की केन्द्रीय या केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दिल्ली दुग्ध सप्लाई योजना के दुग्ध क्षेत्रों में तीन सघन पशु विकास परियोजनाएं हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इन पशु विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान के नए केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है, क्योंकि प्रत्येक योजना के अंतर्गत जिनके केन्द्रों की स्थापना करने का विचार किया गया था, वे तीन वर्ष से भी ज्यादा पहले स्थापित किए जा चुके हैं।

ये परियोजनाएं केन्द्र से 75 प्रतिशत अनुदान सहायता और 25 प्रतिशत ऋण के आधार पर चलाई जाती हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय योजना के अंतर्गत देनिडा की सहायता से 12 हिमित वीर्य सांड केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये केन्द्र सम्बन्धित राज्यों में चलाये जा रहे। संकर प्रजनन कार्यक्रमों के लिए उनके विभिन्न कृत्रिम गर्भाधान उप-केन्द्रों को हिमित वीर्य की सप्लाई कर रहे हैं।

(ग) इन केन्द्रों की प्रगति, अर्थात् वर्षवार सप्लाई की जा रही हिमित वीर्य की मात्रा, इनके अंतर्गत लिए गए पशुओं और इसके पश्चात उत्पादित संतति की संख्या के बारे में विशेष जानकारी संबंधित राज्यों से एकत्र की जायेगी और इस मन्त्रालय में प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

U.G.C. Grants for Pay Scales

4277. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the amount of grant given by U.G.C. to each of the States which have raised the pay scales of Professors and Lecturers of colleges located in those States or within their jurisdiction to the level of U.G.C. pay scales; and

(b) the States which have demanded such help ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) The Central Government have offered financial assistance to the State Governments for adoption of the revised U.G.C. scales from 1-1-1973 or the date of implementation upto 31-3-1979, on the basis of 80% of the additional expenditure involved. The State Governments have also been given an option to prescribe scales of pay different from those recommended by University Grants Commission. The Central assistance paid so far to various State Governments under this scheme, in respect of both University and College teachers, is as follows :

S. No.	Name of the State	Central Assistance paid (Rs. in lakhs)
		Rs.
1.	Bihar	317.00
2.	Gujarat	419.00
3.	Haryana	170.00
4.	Himachal Pradesh	45.00
5.	Maharashtra	48.00
6.	Manipur	25.00
7.	Meghalaya	20.00
8.	Orissa	100.00
9.	Punjab	200.00
10.	Tripura	20.00
11.	Uttar Pradesh	305.00
12.	West Bengal	535.45

(b) The proposals of the Governments of Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Nagaland and Tamil Nadu are under consideration in consultation with them. Those of the Government of Assam have since been approved while those of the Government of Kerala were not accepted. No specific proposal from the Governments of Karnataka and Rajasthan have so far been received.

दालों का उत्पादन

4278. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिये किये गये अनुसंधानों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या विभिन्न दालों के अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्म के उत्पादन में सफलता प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) किसानों को वितरित करने के लिये इन बीजों का पर्याप्त स्टाक कब तक जमा हो जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जहां तक दालों के संबंध में अनुसंधान का प्रश्न है, 1977-78 के दौरान विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक उपज वाली तथा अल्पावधि की उपयुक्त किस्मों के विकास पर अधिक जोर दिया गया है । दलहनों की उत्पादिता को बढ़ाने तथा स्थिर रखने के लिए उत्पादन में वृद्धि लाने तथा प्रौद्योगिकी के संरक्षण पर भी बल दिया गया है ।

(ख) अनुसंधान संबंधी प्रयासों द्वारा दलहनों की निम्नलिखित उन्नत किस्मों का विकास किया गया है :—

चना : सी-235, जी-130, जी-543, एच-208, आर० एस०-10, टी-3, के-468, रांधे, बी० जी०-203, एल-550, जी-62404, अन्नीगिरी ।

तुर (अरहर) : टी-21, अगेती, शारदा, मुक्ता, प्रभात, यू० पी० ए० एस०-120

मसूर : टी-36, एल-9-12, पूसा-4, पूसा-6, पी-209, पी-406

मटर : टी-163, ई० सी०-33866, एल-116

मूंग : टी-44, पूसा बैशाखी, पी० एस० 7, 8, 9, 10 और 16

उड़द : टी-9, पूसा सिलेक्शन 1, यू-19

लोबिया : सी-152

(ग) आगामी कुछ ही वर्षों में किसानों को सप्लाई करने के लिए दलहनों के अधिप्रमाणित बीजों का पर्याप्त स्टाक हो जाने की सम्भावना है ।

Land in Backward Areas to be brought under Irrigation

4279. **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the area of land in the backward areas of the country to be brought under irrigation during the Sixth Five Year Plan; and

(b) the area of land in Uttar Pradesh likely to be brought under irrigation ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjeet Singh Barnala) : (a) and (b) Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, investigated, formulated and implemented by the State Governments. The Five Year Plan (1978-83) envisages creation of additional irrigation potential of 17 million hectares. The State-wise details of this, including coverage of the backward area, have not been finalised so far.

मध्य प्रदेश में कृषि अनुसन्धान केन्द्र

4280. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी वित्तीय वर्ष, 1978-79 में मध्य प्रदेश राज्य में एक कृषि अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना के लिए राज्य के प्रस्ताव पर विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में राज्य सरकार से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) मध्यप्रदेश सरकार से जब भी कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा, उस पर भारत सरकार द्वारा यथोचित विचार किया जायेगा और यह वर्तमान केन्द्रों के रहते हुए नये केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

(ख) व (ग) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि यह हवाला दिया जा सकता है कि जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर से मध्यप्रदेश में, प्रस्तावित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्रचना तथा विकास बैंक (आई० बी० आर० डी०) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजनाओं के अधीन क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र सुदृढ़/स्थापित करने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति (क्लीरियेंस) की प्रतीक्षा की जा रही है ।

खाद्यान्न देकर सड़क निर्माण की योजना का अन्य योजना द्वारा बदला जाना

4281. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न देकर सड़क निर्माण की योजना रद्द कर दी है और इसके स्थान पर अनाज देकर तालाब, ताल और पोखर खोदने की योजना शुरू की है और यदि हां, तो क्यों,

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न देकर ताल और पोखर खोदने की योजना का विरोध किया है और अनाज देकर सड़क निर्माण की योजना पर बल दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार का क्या निर्णय है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं। सरकार ने खाद्यान्नों की अदायगी के माध्यम से सड़क निर्माण की योजना रद्द नहीं की है। राज्य सरकारों द्वारा तालाबों, जोहड़ों, पोखरों आदि की खुदाई जैसे टिकाऊ निवेशों के सृजन के लिए खाद्यान्नों की अदायगी से अन्य योजनाओं के साथ-साथ सड़कों के निर्माण की योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्यान्न देकर ताल, पोखर आदि खोदने की योजना का विरोध नहीं किया है परन्तु वे भारत सरकार के मार्गदर्शक सिद्धान्तों, जिनमें तालाबों, पोखरों आदि की खुदाई के साथ-साथ सड़कों का निर्माण शामिल है, के अनुसार योजना को कार्यान्वित कर रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि पदार्थों के कम मूल्य

4282. **डा० रामजी सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान मौसम में कृषि पदार्थों के मूल्य गिर गये हैं;

(ख) क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि वर्ष भर में यही मूल्यस्तर कायम रखा जायेगा;

(ग) क्या यह सच है कि किसान अब अपनी मेहनत से उत्पादित पैदावार को व्यापारियों को बेच रहे हैं ताकि सरकार का ऋण और उसकी देय अन्य राजस्व को चुकाया जा सके; और

(घ) क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर खरीद करने का है ताकि किसानों को व्यापारियों को अपनी पैदावार बेचकर नुकसान न उठाना पड़े ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री रसुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) जी हां। हाल के महीनों में कुछ कृषि उत्पादों के मूल्यों में आम-तौर पर गिरावट आई है । कृषि जिन्सों के मूल्य मौसमी अस्थिरताओं पर निर्भर करते हैं। कटाई-पूर्व के महीनों के दौरान मूल्यों में सामान्यतया गिरावट आती है, क्योंकि कृषक अपनी धन की आवश्यकताओं आदि को पूरा करने के लिए अपने अधिकांश उत्पाद को बेचते हैं, तथा कम सप्लाई के महीनों के दौरान मूल्यों में वृद्धि होती है । हाल के महीनों में मूल्यों में आयी गिरावट मौसमी है । सरकार की नीति यह सुनिश्चित करना है कि कृषि—जिन्सों के उत्पादों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो। इस कार्य के लिए सरकार प्रमुख खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि जिन्सों से अधिप्राप्ति/साहाय्य

मूल्यों को निर्धारित करती है तथा आवश्यक सीमा तक अधिप्राप्ति/खरीद सम्बन्धी कार्य करती है जिससे कि उत्पादकों के हितों की रक्षा को सुनिश्चित बनाया जा सके।

देश में मकानों संबंधी आवश्यकता

4283. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में, राज्यवार, मकानों के निर्माण हेतु कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन मकानों के निर्माण हेतु वार्षिक लागत क्या है और इस योजना का वित्त पोषण कर रही एजेन्सियां कौन-कौन सी हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) बगान कर्मचारियों की सहायता प्राप्त आवास योजनाएं जो केन्द्रीय क्षेत्र में हैं, के अतिरिक्त, सभी अन्य सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। अतः केन्द्रीय सरकार ने रिहायशी एककों के निर्माण के लिए कोई राज्यवार वार्षिक लक्ष्य नहीं रखा है।

(ख) राज्य क्षेत्र प्लान योजनाओं के लिए आवास पर वार्षिक प्लान परिव्यय के अतिरिक्त, आवास तथा नगर विकास निगम, केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मकानों के लिए आवास अभिकरणों को वित्तीय सहायता देते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम भी आवास के लिए राज्य सरकारों और एपेक्स कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटियों को वित्तीय सहायता देता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को उच्च पदों पर प्रशिक्षण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की योजना

4284. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने सरकार की नीति के अनुसरण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को संस्थानिक प्रशिक्षण और गोष्ठियों परिसंवादों, सम्मेलनों में भाग लेने के लिए और अधिक अवसर प्रदान करने की कोई योजना तैयार की है जिससे उच्च श्रेणी के पदों पर उनके चयन के अवसर सुधर सकें; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए गये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा ऐसी कोई अलग स्कीम तैयार नहीं की गई है। फिर भी सरकार की नीति अनुसरण में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के ज्ञान को विकसित करने के लिए सांस्थानिक प्रशिक्षण और वैज्ञानिक गोष्ठियों, परिसंवादों, सम्मेलनों आदि में प्रतिनियुक्ति के मामलों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान उन्हें वरीयता प्रदान कर रहा है।

(ख) यह सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही वह उपलब्ध हो जायेगी उसे तुरंत प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

सहकारी खेती

4285. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों के निर्धन वर्ग के लिए सहकारी खेती के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) भारत सरकार के पास सहकारी खेती के विकास के लिए कोई योजना नहीं है ।

बिल्यर्ड खेल को प्रोत्साहन

4286. **श्री ए० सुन्ना साहिब :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् द्वारा बिल्यर्ड के खेल को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय बिल्यर्ड का विश्व विजेता एक भारतीय है, लेकिन उसे हमारे प्रधान मंत्री द्वारा न्यूजीलैंड स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से बधाई सन्देश तक नहीं दिया गया;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त अन्तर्राष्ट्रीय विजेता को विदेशों के खेल में प्रतियोगिता के लिये वित्तीय सहायता तक नहीं दी गई; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) में बिलियर्डस में विश्व चेम्पियनशिप जीतने पर श्री एम० फैरीरा को प्रधान मंत्री का बधाई संदेश प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा हमारे आस्ट्रेलिया स्थित उच्चायोग को नहीं भेजा गया था। । यह केवल प्रेस के लिए जारी किया गया था।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा गोदामों का निर्माण

4786. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने गारंटी योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा गोदामों के निर्माण के प्रथम एवं द्वितीय चरणों के लिये प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर तृतीय चरण का कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रथम दोनों चरणों में क्या सफलता प्राप्त हुई और भण्डारण के तृतीय चरण के लिए क्या लक्ष्य नियम किये गये हैं;

(ग) कितनी गैर-सरकारी पार्टियों को भण्डारण के लिये किन-किन राज्यों में गोदाम बनाने को कहा जायेगा; और

(घ) प्रत्येक गोदाम की क्षमता कितनी होगी और ये गोदाम कब तक बनाये जायेंगे?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) पहले दो चरणों के अन्तर्गत लगभग 35.95 लाख मीटरी टन की क्षमता बढ़ाई जा रही है। 19.39 लाख मीटरी टन क्षमता तैयार की जा चुकी है और निगम ने उसे 31-1-1978 तक अपने हाथ में ले लिया है और निर्माणाधीन शेष 16.56 लाख मीटरी टन की क्षमता को भी शीघ्र ले लिए जाने की सम्भावना है।

तीसरे चरण का लक्ष्य 20 लाख मीटरी टन है।

(ग) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल राज्यों में तीसरे चरण के अन्तर्गत ऐसे गोदामों का निर्माण करने के लिए प्राइवेट पार्टियों से प्रस्ताव माँगे गये हैं।

(घ) प्रत्येक गोदाम की न्यूनतम क्षमता 5,000 मीटरी टन होगी। निगम के साथ करार करने के 6 महीने के अन्दर प्राइवेट पार्टियों को गोदामों का निर्माण कार्य पूरा करना होगा।

"सी०पी० डब्लू०डी० जूनियर इंजीनियर्स लांचस्टिर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4288. **श्री अघन सिंह ठाकुर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और** पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1978 के टाइम्स आफ इंडिया में सी० पी० डब्ल्यू० डी० जूनियर इंजीनियर्स लाँचस्टिर' शीर्षक से प्रकाशित सामचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार का विचार किस प्रकार इस समस्या को हल करने तथा स्नातक जूनियर इंजीनियरों के प्रति हुए अन्याय को दूर करने का है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हाँ।

(ख) स्नातक जूनियर इंजीनियरों के साथ अन्याय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जूनियर इंजीनियरों के पद ऐसे व्यक्तियों के लिए हैं जो इंजीनियरी में डिप्लोमाधारी या उसके समकक्ष अथवा उच्चतर अर्हताप्राप्त हों। जिन स्नातक तथा डिपलोमाधारी व्यक्तियों ने जूनियर इंजीनियरों के पद के लिए अपने आप आवेदन किया, और जिन्हें उपयुक्त पाया गया, उनकी नियुक्ति जूनियर इंजीनियर के रूप में की गई। ऐसी नियुक्ति के बाद वे सब एक ही काडर के सदस्य हो जाते हैं और सरकार ने यह निर्णय किया है कि उनकी अगले ग्रेड में पदोन्नति के लिए उनमें परस्पर कोई अन्तर्भेद न किया जाये। किंतु उनमें से जो अपेक्षाकृत अधिक योग्य हैं उन्हें पदोन्नति के लिए वरिष्ठता के अनुसार अपनी बारी की प्रतीक्षा किए बिना ही त्वरित पदोन्नति के लिए, सरकार ने यह निर्णय किया है कि 50 प्रतिशत पदोन्नति प्रतियोगी परीक्षा माध्यम से की जायेंगी और शेष 50 प्रतिशत की पदोन्नति योग्यता व वरिष्ठता के आधार पर होगी। स्नातक इंजीनियर जो अपेक्षाकृत अधिक अर्हताप्राप्त हैं वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

दिल्ली में उचित दर की दुकानों से मिलने वाला चावल

4289. **श्री भगत राम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राशनकार्ड धारियों को बहुत ही घटिया किस्म का चावल दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के दिल्ली में स्थित डिपो में उपलब्ध चावल अधिकांशतः मध्यम किस्म का है और इसे दिल्ली के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से सप्लाई किया जा रहा है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाता है कि सप्लाई किया गया चावल उचित औसत किस्म का हो और वह सरकार द्वारा निर्धारित की गई निर्दिष्टियों के अनुरूप हो।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्थानान्तरण के लिये वित्तीय सहायता

4290. **श्री चित्त बसु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को अपने वर्तमान स्थान से साल्ट लेक एरिया में स्थानान्तरित करने के लिये कोई वित्तीय सहायता का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) कलकत्ता विश्वविद्यालय के उसके वर्तमान स्थान से स्थानान्तरण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जुलाई, 1976 में महानगर क्षेत्र में एक दूसरा परिसर स्थापित करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय को 1.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय विनिधान की व्यवस्था के लिए सहमति प्रकट की थी। अप्रैल, 1977 में राज्य सरकार ने साल्ट-लेक क्षेत्र में एक नया परिसर स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव किया। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को भूमि आवंटित कर दी गई है और आयोग ने उसके लिए 46,14,490 रु० की राशि का भुगतान कर दिया है। भवन-निर्माण इत्यादि के लिए प्रस्तावों पर, उनके प्राप्त होने पर, आयोग द्वारा विचार किया जाएगा।

हिंगन गांव और मकुची-वाडी सिंचाई परियोजना

4291. **श्री जी० टी० गोटखिंडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र राज्य के साँगली जिले में (1) हिंगन गाँव और (2) मकुची-वाडी नामक मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की जाँच पड़ताल कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो दोनों परियोजनाओं के बारे में मुख्य ब्यौरा क्या है तथा उनकी मंजूरी कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) महाराष्ट्र सरकार से हिंगन गाँव और मकुची-वाडी सिंचाई परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टें अभी तक केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

'फिशरमेन फेस मेकेनाइज्ड साइक्लोन' मत्स्य उद्योग में यंत्रीकरण के कारण मछुओं को कठिनाई

4292. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 4 मार्च 1978 के 'ब्लिट्ज' में 80,000 'फिशरमेन फेस मेकेनाइज्ड साइक्लोन' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार को इस समाचार के बारे में जानकारी है ।

(ख) गोवा सरकार ने "गोवा, दमन और दीव मात्स्यकी नियम" वर्ष 1974 में लागू किया था, जिसके अन्तर्गत पारम्परिक तट वर्तीय मछुओं को संरक्षण के उपाय के रूप में यंत्रीकृत नौकाओं को 5 फैदम गहराई के भीतर काम नहीं करना चाहिए । पारम्परिक मछुओं की शिकायत यह है कि उन्हें उनके मछली पकड़ने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है क्योंकि यंत्रीकृत नौकाएं इस कानून का अतिक्रमण कर रही हैं तथा वर्जित क्षेत्र में मछली पकड़ रही हैं। पारम्परिक मछुवाहे मांग कर रहे हैं कि नियमों को कार्यान्वित करने, उनमें उपयुक्त संशोधन करने के लिये सरकार को पर्याप्त तंत्र की स्थापना करनी चाहिए ताकि अतिक्रमणकर्ताओं पर जुर्माना बढ़ाया जा सके तथा अन्य सजाएं दी जा सकें।

गोवा सरकार का यंत्रीकृत नौकाओं को वर्जित क्षेत्र में चलाने से रोकने के लिये तीव्र गति वाली दो नौकाओं सहित एक गश्ती दल स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसे स्वीकार कर लिया गया है। नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये वे अन्य आवश्यक उपायों पर भी विचार कर रहे हैं। ये प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारत सरकार उन पर श्रेष्ठता के आधार पर विचार करेगी तथा आवश्यक निर्णय लेगी ।

Agreement between Sugarcane Producers of U.P. and Sugar Mill Owners

4293. **Shri Roop Nath Singh Yadav :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether any agreement was reached between the sugarcane producers of U.P. and sugar mill owners in the presence of the Chief Minister that sugarcane producers would be paid the price of Rs. 12 to Rs. 13.50 per quintal;

(b) if so, whether the sugar mill owners have stopped the purchase of sugarcane and the crushing in the mills in contravention of the agreement; and

(c) if so, why Government have not declared this action of the mill owners as illegal and the reasons for not taking over the sugar mills ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) According to information available with us the State advised prices for sugarcane supplied to sugar mills in Uttar Pradesh are Rs. 12.50 per quintal for East U.P. and Rs. 13.50 per quintal for Central and Western Regions. We have no official intimation regarding any agreement being reached between the sugarcane producers of U.P. and sugar mill owners in the presence of the Chief Minister.

(b) The association of joint stock factories in the State had given a notice to the Government that they were unable to pay the State advised prices and would pay only the minimum notified prices with effect from 21-2-1978. Many mills did not pay any thing more than the minimum notified price from the period from 21-2-78. However, with the announcement of the new sugar policy for 1977-78 which included upward revision of levy sugar prices with effect from 1-3-1978, the mills resumed payment of the State advised prices and also agreed to pay the balance where they had paid only minimum notified prices. All sugar mills in the State have been working in full swing as on 15-3-1978.

(c) In view of (b) above, question does not arise.

देश में मकान-हीन परिवार

4294. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मकान-हीन परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार आँकड़े क्या हैं;

(ग) मकान-हीन परिवारों को मकान देने के बारे में क्या कार्यक्रम सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) वर्ष 1976-77 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितने परिवारों को मकान उपलब्ध किये गये हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। किन्तु राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा किए गए एक अनुमान के अनुसार 1 अप्रैल, 1974 को पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अवसर पर देश में मकानों की कमी 156 लाख आवास एकक थी।

(ग) आवास के क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:—

(i) आवास कार्यक्रम का उद्देश्य पिछले बकाया को निपटाना तथा बढ़ती हुई जनसंख्या की अतिरिक्त मांग को पूरा करना और 20 वर्ष से अधिक अवधि वाले अनुपयोगी मकानों को बदलना है।

(ii) निम्न आय परिवारों के लिए सार्वजनिक निधियों का उपयोग सीमित करना ताकि इस सेक्टर को नियत किए गए संसाधनों से अधिक से अधिक रिहायशी एककों का निर्माण किया जा सके।

(iii) आवास निर्माण को बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करना।

(घ) इस मंत्रालय में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 1,33,458 मकानों के निर्माण की मंजूरी दे दी गई थी, इनमें से 1,19,559 मकान निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1976 से 31 दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के दौरान पूर्ण हो चुके थे। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थलों की व्यवस्था वाली योजना के अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों को 15,00,915 आवास स्थलों का आवंटन किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवंटित आवास स्थलों तथा सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत बनाये गए मकानों के अतिरिक्त, आवास तथा नगर विकास निगम लिमिटेड और एपेक्स कोआपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटियों द्वारा उपलब्ध निधियों से भी मकान बनाये गये थे जिन्हें अधिकाँश धन भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त होता है।

खाद्य तेलों के खराब बीज

4295. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बेचे गये खाद्य तेलों के प्रमाणीकृत बीज खराब पाये गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो चालू वर्ष में मूंगफली का उत्पादन सम्भावित उत्पादन की तुलना में कम कैसे हुआ है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बेचे गए खाद्य तेलों के प्रमाणीकृत बीज सामान्यतः विश्वसनीय पाए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) वर्ष 1977-78 के दौरान देश में मूंगफली सहित मुख्य तिलहनों का कुल उत्पादन गत वर्ष से काफी अधिक होने की संभावना है। वर्ष 1977-78 के दौरान मूंगफली सहित तिलहनों के उत्पादन का पक्का प्राक्कलन कृषि वर्ष की समाप्ति, अर्थात् जुलाई-अगस्त, 1978 के आसपास उपलब्ध होगा।

Funds given to State Fisheries Development Corporations

4296. **Shri Chhabiram Argal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of the States where State Fisheries Development Corporations have been set up for development of fisheries and the names of the States which have not set up these Corporations;

(b) the nature of schemes undertaken with the amount given by the Central Government to Madhya Pradesh, a backward State for development of fisheries during the Fifth Five Year Plan period; and

(c) whether it is a fact that more funds will be made available to Madhya Pradesh State during 1978-79 and the reaction of Government thereto ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjeet Singh Barnala) : (a) State Fisheries Development Corporations have been established in the States of West Bengal, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. Maharashtra is also proposing to set up a separate Corporation for fisheries development. In Gujarat, the Agro Marine Products Ltd. and in Orissa, the Orissa Agro and Small Industries Corporation are looking after the fisheries development. The Govt. of Assam have established a Bheel Fisheries Development Corporation for the development of bheels in the State. No other States have so far established Fisheries Development Corporations.

(b) For development of intensive fish culture, Govt. of India have established 2 Fish Farmers Development Agencies in the districts of Raipur & Sehdol in Madhya Pradesh and released Rs. 1,24,000 as loan and Rs. 10,53,178 as grant to Madhya Pradesh Govt. during the 5th Five Year Plan.

(c) More funds will be made available to Madhya Pradesh for intensive fish culture during 1978-79 after receiving the requirements from the State Government.

Realisation of Arrears for Sick and Closed Sugar Mills

4297. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the detailed policy of the Government which will help the cane growers in getting arrears of payment due to them, the employees in getting the arrears of their salaries and the Banks and other creditors in getting repayment of their loans and in realisation of the arrears of Government taxes from the sick and closed sugar mills and also the details of the policy regarding making available working capital to such mills under new and better Management so that they may start functioning again; and

(b) the circumstances in which the Central Government take this burden on their own shoulders, give financial and therefor to the States, Cooperatives or accord sanction for the sale of such mills to the private parties ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Recovery of cane-growers' dues are generally covered by State Legislation regarding purchase and supply of sugarcane which provide for recovery of cane dues as arrears of land revenue. Various Legislation take care of payment of arrears of salaries and dues of banks and other creditors. The Mill is taken under receivership for recovery of Government taxes and in the case of mis-management the management of the mills is taken over under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. Provision of working capital is made by financial institutions in the normal course of their business.

(b) The Central Government do not take this burden on their own shoulders. Sale of such sick Mills to private parties is done under the normal laws relating to transfer of property.

मध्य प्रदेश में छोटे तथा सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों का विकास

4298. **श्री सूर्यनारायण सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1978-79 के दौरान आरम्भ किये जाने वाले केन्द्रीय कार्यक्रम के अधीन सीमान्त किसानों, छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के लिये विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अब तक आरम्भ किया गया कार्यक्रम सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है; और

(ग) यदि हां तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) लघु किसान विकास एजेंसी की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत, मध्य प्रदेश में 12 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। मोटे-तौर पर, वर्ष 1978-79 में समाप्त होने वाली परियोजना अवधि हेतु प्रत्येक परियोजना के लिए 150.00 लाख रुपये का परिव्यय है । एजेंसियाँ अपने परिचालन क्षेत्र में लघु/सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को फसल पालन तथा सहायक धंधों की विभिन्न योजनाओं के लिए सहायता देती हैं। छोटे किसानों को 25 प्रतिशत और सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को 33-1/3 प्रतिशत की दर पर उपदान के रूप में सहायता दी जाती है । यह सहायता संस्थागत स्रोत से प्राप्त ऋण के मुकाबले में विकास को पूंजी लागत पर दी जाती है । फसल पालन कार्यक्रम में ये शामिल हैं--अधिक उपज देनेवाली किस्मों की शुरुआत बहुशस्योत्पादन, भूमि विकास, भू-संरक्षण, लघु सिंचाई, बागवानी, आदि और सहायक धंधों में ये शामिल हैं--डेरी, कुक्कुट पालन, सूअर पालन, भेड़ तथा बकरी पालन । पंचवर्षीय परियोजना अवधि के दौरान प्रत्येक एजेंसी से अनुमानतः 50,000 लघु/सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों को लाभ पहुंचाने की आशा की जाती है ।

वर्ष 1978-79 के लिए, एजेंसियों से अपना कार्यक्रम तैयार करने और उपयुक्त प्रस्ताव जिनमें अप्रैल, 1978 के दौरान भारत सरकार द्वारा सहायक अनुदान के बंटन हेतु उनके भौतिक लक्ष्य तथा वित्तीय परिव्यय शामिल हैं, प्रस्तुत करने की आशा की जाती है ।

(ख) व (ग) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में कार्यक्रम का कार्यान्वियन आमतौर पर संतोषजनक है यद्यपि निष्पादन के बारे में अलग-अलग परियोजना में भिन्नताएं हैं। परियोजनाओं की प्रगति तथा समस्याओं की राज्य सरकारं तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और कार्यान्वियन की गति में सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपचारी उपाय किए जाते हैं। वर्ष 1978-79 के दौरान चुने खंडों में गहन विकास शुरू करने का प्रस्ताव है ।

10 LSS/78—5.

सोवियत रूस को गेहूं के निर्यात में हानि

4299. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि रूसी जहाजों से नौतल पर्यन्त निःशुल्क आधार पर भारत से सोवियत रूस को गेहूं का निर्यात किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने यह माल सोवियत रूस भेजने के लिये न तो भारतीय नौवहन निगम से और न ही अन्य जहाजी कम्पनियों से सम्पर्क किया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि विदेशी जहाजों से भारत से लगभग 5000 टन चावल इण्डोनेशिया निर्यात किया गया था और लगभग 2 लाख टन यूरिया इण्डोनेशिया से भारत आयात किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो क्यों ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम और मास्को के "एक्सपोर्टखलेब" के बीच हुए ठेके के अनुसार, रूस से उधार ली गई गेहूं की शेष मात्रा वापस देने के सिलसिले में उक्त देश को 14.98 लाख मीटरी टन गेहूं जहाज से भेजा जा रहा है। ठेके की शर्तों के अनुसार, गेहूं की सुपुर्दगी जहाज तक निष्प्रभार के आधार पर की जानी है और इसलिए यह एक्सपोर्टखलेब की जिम्मेदारी है कि वह भारतीय पत्तनों से ठेकाबद्ध मात्रा उठाने के लिए उपयुक्त जहाजों को किराये पर लेने की व्यवस्था करें। तथापि, ठेके में भारत रूस जहाजरानी करार, 1976 के अनुसार गेहूं ले जाने में इंडियन टनेज के भाग लेने की भी व्यवस्था है। 18-3-1978 तक जहाज में लदे 4.55 लाख मीटरी टन गेंहूं में से 1.09 लाख मीटरी टन की मात्रा का भारतीय ध्वज जलपोतों में लदान किया गया था। भारतीय खाद्य निगम तथा भारतीय जहाजरानी निगम इंडियन टनेज के अधिकतम उपयोग के लिए रूस से संबंधित प्राधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखते हैं।

(घ) और (ङ) जहाज तक निष्प्रभार के आधार पर इंडोनेशिया को 50000 मीटरी टन चावल सप्लाई किया जा रहा है और लागत तथा भाड़े के आधार पर इंडोनेशियन से 1,60,000 मीटरी टन यूरिया भी खरीदी गई है। दोनों मामले में, यह इंडोनेशियन पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी पसन्द का जलपोत, जिनमें भारतीय जलपोत भी शामिल है, तय करें और इंडियन टनेज के उपयोग के लिए जोर नहीं दिया जा सकता है।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

4300. **श्री अमरसिंह वी० राठवा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ समाजार पत्रों में छपे इन समाचारों तथा शिकायतों की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में अप्रैल, 1977 से बहुत से मकानों, दुकानों, उद्योगों का तथा इसी प्रकार का अन्य अनधिकृत निर्माण हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाई अथवा की जाने वाली कार्यवाई का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दरबख्त) : (क) जी, हां।

(ख) स्थानीय प्राधिकरणों को लगातार चौकस रहने के आदेश दे दिये गये हैं। जिला प्राधिकारियों की बैठक में अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिये एक साप्ताहिक कार्यक्रम बनाया गया है जहां स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं।

Construction of Jalkundi Project on Rapti River and Karnali Projects

*4301. **Shri Phirangi Prasad** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Central Government have received any proposal from U.P. Government for the construction of Jalkundi Project on Rapti river and Karnali Projects (Ghaghara or Saryu river) for checking flood menance in U.P.;

(b) whether the Central Government have given any direction to the State Government for tackling the flood problem in U.P.; and

(c) the reaction of the Central Government to the proposal to check flood menance so that life and property could be saved from floods ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) A preliminary report on Jalkundi project on Rapti river in Nepal was received from the Government of Uttar Pradesh in 1956 and its subsequent revised report in 1976. The project envisaged benefit of irrigation and flood control. In view of the large submergence under this project His Majesty's Government of Nepal have proposed an alternative storage dam at Bhalubhang, upstream of Jalkundi site. The scope of this project is under discussion with the officers of His Majesty's Government of Nepal.

No project report has been prepared by Uttar Pradesh for a storage dam on Karnali river (known as Ghaghra in Uttar Pradesh).

(b) and (c) Flood control forms part of the State Sector and therefore, the initiation, formulation and implementation of flood control schemes is the responsibility of the State Government. However, broad policy decisions of national importance are laid out by the Central Government through the Central Flood Control Board under the Chairmanship of the Union Minister of Agriculture and Irrigation with the State Ministers dealing with floods as members. In its meeting in 1970, the State Governments were requested to formulate Master Plans of flood control for each State expeditiously so that flood control measures could be planned and executed in a co-ordinated and orderly fashion accordin to predetermined priorities.

Central Government have set up the Ganga Flood Control Commission for the preparation of comprehensive plan of flood control in the Ganga Basin of which Uttar Pradesh forms part. This Commission has prepared an outline plan for the Ganga basin 1973 with an estimated cost of Rs. 1043 crores. Comprehensive plans for the sub-basins of tributary river has been taken up by the Commission, of which those for Ghagra and Gomti basins have been completed and sent to the Uttar Pradesh Government for further necessary action and inclusion in the Master Plan. Pending the formulation of a Master Plan, a number of individual schemes have been approved and have been/are under execution by the State Government. Financial assistance to the extent of Rs. 10 crores has also been provided to the State Government by the Central during 1972-73 and 1973-74 towards construction of priority flood control schemes.

The Central Government have also set up flood forecasting units in the State which forms part of the national scheme, which provides forecast of floods to enable the State Government to issue advance warning to the concerned people, arrange evaluation of men, cattle and movable property to places of safety, whenever necessary and organise, petrolling of flood control works, relief and flood fighting operations.

केरल स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के बारे में शिकायतें

4302. **श्री के० ए० राजन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कदाचार के बारे में मलयालम के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन आरोपों की कोई जांच की गई है और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि दिनांक 26 फरवरी, 1978 के "मलयालम मनोरमा" में सामान्य स्वरूप के कुछेक आरोप प्रकाशित हुए थे। आरोपों का सारांश निम्नलिखित है :—

(i) भारतीय खाद्य निगम के सब-डिपों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी किए गए खाद्यान्नों का वजन कम होता है।

(ii) जितने बोरों के लिए पैसा जमा कराया गया है, उतने सारे बोरे डिपों से निर्मुक्त नहीं किए जाते हैं।

(iii) घटिया किस्म के बोरे इस्तेमाल किए जाते हैं।

(iv) भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों का व्यवहार घमंडपूर्ण होता है और वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशों की परवाह नहीं करते हैं।

(ख) और (ग) निगम ने सूचित किया है कि क्योंकि आरोप सामान्य स्वरूप के हैं और वे किसी डिपो विशेष अथवा व्यक्ति के विरूद्ध नहीं हैं, इसलिए कोई विशेष जांच करना संभव नहीं हुआ है लेकिन निरीक्षण संबंधी कार्य सख्त कर दिया गया है और जिला प्रबंधकों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे इस प्रकार की शिकायतों के लिए कोई गुंजाइश न रहने दें।

Nehru Youth Centres

*4303. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Nehru Youth Centres run by Government are primarily meant for non-student youths;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the number of non-srudent youngmen and youngwomen in one centre of the district and the number of youngmen and youngwomen who are supposed to receive the benefit of the programmes in each centre annually ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Shri Dhanna Singh Gulshan) : (a) to (c) The Scheme of Nehru Yuvak Kendras was started in 1972 primarily for non-student youth. As the earlier youth programmes of the Ministry of Education mainly served student youth, emphasis was given in this Scheme to non-student youth. No targets regarding the number of non-student youth to be covered have been prescribed for the Nehru Yuvak Kendras and the coverage varies from Kendra to Kendra.

दिल्ली विकास प्राधिकरण का गन्दी बस्ती विभाग

4304. **श्री महीलाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती विभाग को पुनः दिल्ली नगर निगम के अधीन किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) दिल्ली नगर निगम से उक्त विभाग को किन आधारों पर लिया गया था और किस आधार पर इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन रखा गया था और क्या वे आधार अब विद्यमान नहीं है; और

(ग) गन्दी बस्ती विभाग को एक स्वायत्त बोर्ड में कब तक परिवर्तित किया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना के कार्यान्वयन का कार्य 1-4-1978 से दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित किया जा रहा है। इस योजना को 11-2-1974 को दिल्ली नगर निगम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया गया था क्योंकि लोक लेखा समिति तथा दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस

योजना के कार्यान्वियन के बारे में कुछ दोष बताये थे तथा यह सिफारिश की थी कि इस योजना तथा झुग्गी झोंपड़ी हटाग्रो योजना एक ही ग्रभिकरण को सौंपी जानी चाहिए। दिल्ली नगर निगम ने जुलाई, 1977 में एक संकल्प पारित किया था जिसमें इस कार्य को इस विचार से उनमें पुन: वापस करने की सिफारिश की थी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस कार्य के हस्तान्तरण से निवासियों की कठिनाइयाँ ग्रौर बढ़ गई है, उनकी दशा खराब हो गई है, इस क्षेत्र में प्राप्त हुई प्रगति बहुत धीमी पड़ गई है, निवासी इस कार्य को दिल्ली नगर निगम द्वारा लिए जाने की मांग कर रहे है तथा इस कार्य के लिए दिल्ली नगर निगम ग्रधिनियम के विभिन्न प्रबन्धों में ग्रधिकांशत: व्यवस्था की गई है। सरकार ने दिल्ली नगर निगम की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय किया था। गन्दी बस्ती विभाग को स्वायत्त बोर्ड में बदलने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

इंडियन स्कूल ग्राफ माइन्स, धनबाद के वित्त संबंधी कार्य

4305. **श्री ए० के० राय** ; क्या **शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन स्कूल ग्राफ साइन्स, धनबाद के वित्त संबंधी कार्य के बारे में कार्यकारी बोर्ड के निदेशक ग्रौर ग्रध्यक्ष के बीच कोई मतभेद होने की सूचना मिली है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इंडियन स्कूल ग्राफ माइन्स, धनबाद के निदेशक द्वारा यात्रा ग्रौर दैनिक भत्ते के रूप में कितनी राशि प्राप्त की गई ; ग्रौर

(ग) क्या उक्त ग्रवधि में बंगलों के निर्माण ग्रौर मरम्मत में कोई ग्रनियमितता पाई गई थी ?

शिक्षा, समाज कल्याण ग्रौर संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी नहीं।

(ख) लगभग 25,000 रुपये।

(ग) स्कूल के ग्रनुसार निर्माण ग्रौर मरम्मत के कार्य में कोई ग्रनियमितताएं नहीं पाई गई थीं। ऐसी सभी कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाता है।

Sugar Quota for States

4306. **Shri Yuvraj : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have again fixed the quota for levy sugar at 425 grams per person for the States from December, 1977;

(b) if so, whether Government have raised the monthly quota of sugar for Bihar; and

(c) if so, the total requirement of each State for 1977-78 and the quantity of sugar supplied to them so far ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhranu Pratap Singh) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The requirement of sugar of each State is met on month to month basis and the release orders against levy sugar quota for a particular month are issued with validity from the 23rd of the preceding month upto the end of the concerned month. If any quantity remains uniified during validity period, on the request of State Government/Food Corporation of India the validity o release orders is extended to enable the lifting of entire allotted quantity. The Statewise monthly levy sugar quotas allotted so far during the snga year 1977-78 (October 1977—April 1978) are shown in the enclosed statement. [placep in Library. See No. L.T. 1924/78] The release orders against April, 1978 quota have also been issued with validity from 23-3-1978 to 30-4-1978. As regards the requirement for the remaining period of 1977-78 sugar year, the existing Statewise quotes will continue to be allotted on monthly basis till it is decided to make any change in the quantum thereof

त्रिभाषा फार्मूला

4307. **वी आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे दक्षिण में हिन्दी के थोपें जाने के बारे में बहुत अधिक असन्तोष व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिभाषा फार्मूले का सारे भारत में कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दक्षिण में हिन्दी पढ़ाने के लिये पर्याप्त अध्यापक भी उपलब्ध नहीं है ; और

(घ) राज्यों को इस बारे में सहायता देने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा किन-किन सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) यह कहना सही नहीं है कि दक्षिण में किसी प्रकार हिन्दी थोपी गई है अथवा यह कि पूरे दक्षिण में किसी प्रकार हिन्दी के थोपने पर कोई असंतोष व्याप्त है।

(ख) कुछ अपवाद तो हैं लेकिन इस विषय पर राज्य सरकारों से लिखा पढ़ी की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) 'अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज/विंग खोलने, की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों की सरकारों को हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज/विंग खोलने के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा भी अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

रूई तथा पटसन उत्पादन में पूंजी निवेश

4308. **श्री के० मालन्ना :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में रूई का उत्पादन बढ़ाने के लिये कितना पूंजी निवेश किया गया है ;

(ख) गत दो वर्षों में रूई का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है ,

(ग) पटसन के उत्पादन के लिये कितना पूंजी निवेश किया गया और वास्तविक उत्पादन कितना हुआ; और

(घ) गत दो वर्षों में रुई के विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ग) सघन कपास जिला कार्यक्रम और सघन पटसन जिला कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निमुक्त की गई धनराशि और कपास तथा पटसन के उत्पादन के गत दो वर्षों के अनुमान नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	निम्नलिखित कायक्रमों की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त की गई धनराशि		कपास का उत्पादन (प्रत्येक 170 कि० ग्रा० की हजार गांठों में)	पटसन तथा मस्ता का उत्पाद (प्रत्येक 180 कि० ग्रा० की हजार गांठों में)
	सघन कपास जिला कार्यक्रम	सघन पटसन जिला कार्यक्रम		
1975–76 . .	266.35	83.20	5950	5914
1976–77 . .	244.47	121.16	5781	7085

(घ) वर्ष 1975–76, 1976–77 और 1977–78 के दौरान कपास तथा पटसन के थोक मूल्यों के सूचकांकों और पिछले दो वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सूचकांकों की प्रतिशत वृद्धि को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कच्ची कपास तथा पटसन के थोक मूल्यों के सूचकांक (मासिक औसत)

(आधार वर्ष : 1970-71 = 100)

वर्ष	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त
कपास												
1975-76 .	135.6	130.6	127.9	132.4	143.8	143.1	141.2	157.6	175.2	183.5	201.4	197.9
1976-77 .	200.9	206.1	207.1	202.1	213.7	215.0	209.4	209.5	214.0	210.5	206.6	197.8
1977-78	189.6	181.8	177.2	182.2	186.8	178.5						
वर्ष 1975-76 की तुलना में 1977-78 में प्रतिशत वृद्धि .	39.8	39.2	38.5	37.6	29.9	24.7						

वर्ष	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जुन
पटसन												
1975-76 .	114.2	113.3	113.2	112.2	112.5	116.3	126.1	132.4	131.5	133.8	132.1	128.1
1976-77	120.4	115.9	114.7	114.5	118.7	126.1	132.8	139.6	142.0	144.0	143.6	147.6
1977-78 .	158.2	151.1	135.1	147.7	155.5	151.8	148.6	149.6				
वर्ष 1975-76 की तुलना में 1977-78 में प्रतिशत वृद्धि .	38.5	33.4	19.3	31.6	38.2	30.5	17.8	13.0				

Allotment of Central Government Quarters constructed at Ghaziabad

4309. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to allot Government Quarters constructed in Ghaziabad to Central Government employees; and

(b) if so, the time by which these quarters would be allotted and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir. General Pool quarters at Ghaziabad are primarily meant for allotment to eligible Central Government employees working at Ghaziabad. After meeting their demand in full, vacant quarters, if any, are allotted to eligible Government employees working in Delhi, who have applied for the same.

(b) Out of 200 quarters of Type I to Type III categories already completed, 173 quarters were allotted to Ghaziabad based employees and 21 were allotted to Delhi based employees after satisfying the demand from the former. Six units are being used for accommodating CPWD Offices. Construction of 300 more quarters of Type I and II is likely to be completed during the year 1978.

भेड़ पालन फार्म

4310. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े भेड़ पालन फार्मों का विकास करने का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) इस कार्यक्रम के लिये चुने गये राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) गत दो वर्षों, 1976–77 और 1977–78 के दौरान इस कार्यक्रम के लिये राज्यवार कितनी राशि मंजूर की गई और कितनी राशि का अनुमान लगाया गया; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) आंध्र प्रदेश

बिहार

जम्मू और कश्मीर

कर्नाटक

मध्य प्रदेश

राजस्थान

उत्तर प्रदेश

(ग) वर्ष 1976–77 के दौरान स्वीकृत रकम एवं व्यय की गयी धनराशि तथा वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकृत धनराशि के विषय में राज्यवार जानकारी निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	राज्य का नाम	वर्ष 1976–77 के लिये स्वीकृत धनराशि (रु० लाखों में)	वर्ष 1976–77 में व्यय की गयी धनराशि (रु० लाखों में)	वर्ष 1977–78 के लिये स्वीकृत धनराशि (रु० लाखों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.00	10.00	10.00
2.	बिहार	5.40	5.10	20.00
3.	जम्मू तथा कश्मीर	35.00	25.14	40.00
4.	कर्नाटक	12.00	7.40	15.00
5.	मध्य प्रदेश	7.00	8.72	20.00
6.	राजस्थान	20.00	19.33	45.00
7.	उत्तर प्रदेश	30.00	28.08	30.00
	योग:	119.40	103.77	180.00

(घ) वर्ष 1976–77 और 1977–78 के दौरान इन फार्मों में प्रजनित भेड़ों की संख्या निम्नलिखित है :—

	1976–77	1977–78
शुद्ध नस्ल	1200	1000
संकर नस्ल	330	1270
कुल	1530	2270

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली का चुनाव

4311. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, दिल्ली की सदस्यता के संबंध में सीविल रिट नम्बर 659/77 के मामले में श्री सी० के० महाजन, आयुक्त के समक्ष, उनकी उस सार्वजनिक सूचना, जो 24 जनवरी, 1978 के ,हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुई थी,के उत्तर में कुल कितने व्यक्तियों ने अब तक शपथ-पत्र दायर किए हैं; और

(ख) ऐसे उन व्यक्तियों की पात्रता कैसे निर्धारित की गई है अथवा की जायेगी जिन्होंने उपरोक्त आयुक्त के समक्ष शपथ-पत्र दायर नहीं किए हैं परन्तु जिनके नाम वर्तमान प्रबंध समिति द्वारा जारी की गई सदस्य सूची में है, जिसे चुनौती दी गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) उन द्वारा 296 शपथ-पत्र प्राप्त किए गए थे जिनमें से 239 उन द्वारा जारी किया गया सार्वजनिक नोटिस में दिए गये निर्धारित समय के भीतर प्राप्त हुई थे।

(ख) मामला न्यायाधीन है।

केरल में केन्द्रिय सहायता से बागान कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

4312. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने बागान कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु वर्ष 1977-78 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य के लिए 33 लाख रुपये आबंटित करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिए कोई राशि आबंटित की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस उद्देश्य हेतु वर्ष 1977-78 के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई मांग की गई है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) केरल सरकार ने वर्ष 1977-78 के लिए 32.78 लाख रुपये के आबंटन का अनुरोध किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1977-78 के दौरान बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए केरल सरकार को 28 लाख रुपये की राशि दी गई थी।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

औद्योगिक श्रमिकों की आवास योजना

4313. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत राज्यों में बनाये गये मकानों को रियायती दर पर उन्हें खरीदने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को उन क्वार्टरों का, जिसमें वे दस वर्षों से अधिक की अवधि से रह रहे थे और उन्होंने सरकार को क्वार्टर की निर्माण लागत से अधिक किराया दे दिया है, खरीदने की अनुमति दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि औद्योगिक कर्मचारियों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत

सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के लिए बने हुए मकानों को मौजूदा दखलकारों को बेचने की अनुमति दी जाए। देय मूल्य वास्तविक लागत का 80 प्रतिशत होगा और किराया-खरीद सुविधाए उपलब्ध होंगी ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सामान्य पूल के क्वार्टरों की बिक्री पर विचार ही नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कर्मचारी इस कदर ज्यादा है कि इनके स्थान पर उस हिसाब से अन्य मकान बनाना संभव नहीं है जो कि वर्तमान परितुष्टि के स्तर पर पहुंचने के लिए अपेक्षित हों।

मध्यम सिंचाई योजनाएं

4314. **श्री वसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कुल कितनी मध्यम दर्जे की योजनाएं चल रही हैं, उन पर अनुमानतः कितनी लागत आई और चालू वर्ष में, उन पर कितना व्यय होने का अनुमान है तथा उनसे कितनी सिंचाई क्षमता उत्पन्न होगी और वर्ष 1978-79 में उक्त योजनाओं के लिए राज्यवार कितना उपबन्ध/परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की कसौटी/परिभाषा में पुनरीक्षण करने का है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की नई परिभाषा के बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्यम दर्जे की योजनाओं के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1343 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 514 मध्यम सिंचाई स्कीमें, जिनसे 2.7 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को वार्षिक सिंचाई लाभ लक्ष्य मिलेंगे, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियान्वित की जा रही हैं और 1977-78 के अन्त तक 8.7 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की जाएगी। 1977-78 के अन्त तक उन स्कीमों पर 494 करोड़ रुपया खर्च होने की संभावना है। वर्ष 1978-79 में इन स्कीमों के लिए 188 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की गई है। इसका राज्यवार ब्यौरा उपाबन्ध में दिया गया है।

(ख) और (ग) सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण अब क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। जिन स्कीमों का कृषिगत कमान क्षेत्र 2000 हैक्टेयर से अधिक हो परन्तु 10000 हैक्टेयर से कम हो, वे स्कीमें मध्यम स्कीमों की श्रेणी में आती हैं। राज्य सरकारों द्वारा अब तक इस नई परिभाषा पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। राज्य सरकारें अब इस परिभाषा के अनुसार परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत कर रही हैं ।

(घ) सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशिष्ट विकास क्षेत्र अथवा स्कीम से संबंधित नहीं होती ।

विवरण

1977-78 के दौरान क्रियान्वित की जा रही मध्यम सिंचाई स्कीमों की संख्या, उनकी अनुमानित लागत, अन्तिम शक्यता और वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपये/हजार हैक्टेयर)

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्कीमों की सं०	अनुमानित लागत	अन्तिम शक्यता	मार्च, 78 के अन्त तक व्यय (प्रत्याशित)	1977-78 के अन्त तक शक्यता (प्रत्याशित)	उप-समूह द्वारा 1978-79 के लिए सिफारिश किया गया परिव्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	30	136	239	43	42	19
2.	असम	19	55	157	15	45	5
3.	बिहार	51	90	263	45	100	17
4.	गुजरात	51	107	194	42	55	20
5.	हरियाणा	8	20	149	10	96	1
6.	हिमाचल प्रदेश .	2	5	5	2	—	2
7.	जम्मू और कश्मीर	11	19	158	11	75	5
8.	कर्नाटक	38	141	161	42	41	12
9.	केरल	4	27	16	2	—	5
10.	मध्य प्रदेश	48	120	249	62	61	24
11.	महाराष्ट्र	126	245	514	99	156	23
12.	मणिपुर	3	8	16	4	—	2
13.	मेघालय	1	2	3	—	—	—
14.	उड़ीसा	24	118	154	36	9	16
15.	पंजाब	4	3	5	—	—	1
16.	राजस्थान	11	61	—	11	—	13
17.	सिक्किम	3	1	—	—	—	—
18.	तमिलनाडु	21	39	18	19	9	4
19.	त्रिपुरा	2	8	—	—	—	—
20.	उत्तर प्रदेश	36	120	343	42	163	15
21.	पश्चिम बंगाल .	19	14	43	8	17	3
	कुल राज्य	512	1339	2688	493	869	187
	संघ राज्य क्षेत्र .	2	4	6	1	—	1
	अखिल भारत . .	514	1343	2694	494	869	188

तुर दाल का उत्पादन

4315. **डा० बापू कालदाते** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी तिमाही (अप्रैल से जून, 1978) के दौरान तुर दाल के उत्पादन का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तुर दाल की कीमत में वर्तमान बृद्धि में उससे कमी आयेगी; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों से वर्ष 1977-78 के वर्ष के लिए "तुर" दाल के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) अतः विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(ग) तथा (घ) "तुर" दाल के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध होने पर ही मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चल सकता है। इस समय मूल्यों के प्रभाव के विषय में कुछ कहना संभव नहीं है।

Loss to State Farm Corporation Raichur due to Cotton Crops

4316. **Shri Birendra Prasad :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Central State Farm Corporation, Javalgara Raichur (Karnataka) has suffered loss to the tune of crores of rupees in cotton crops in 1977-78;

(b) whether Government have conducted an inquiry into the matter, and if so, the details of the report submitted in this regard; and

(c) the action taken thereon ?

The **Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjeet Singh Barnala) :** (a) The Cotton crop of 1977-78 planted at the Raichur farm of the State Farms Corporation of India has not yet been harvested. However production will be below original expectations on account of a severe pest-attack, resulting from the peculiar atmospheric conditions which followed the cyclone of November, 1977, although plant protection measures were taken. It is however not correct to say that the loss will be to the tune of crores of rupees. It is not possible to say at this juncture whether the farm will sustain a net loss on this score.

(b) and (c) Detailed and thorough investigations are being made by the State Farms Corporation of India to find out if the losses due to sudden pest attack could have been checked or mitigated whereafter appropriate action will be taken.

एल०एल०बी० के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम

4317. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जो इस समय प्राइवेट परीक्षार्थी अथवा पत्राचार के माध्यम से एल०एल०बी० पाठ्यक्रम पास करने की अनुमति देते हैं;

(ख) क्या उन विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों को अन्य नियमित डिग्रियों जैसा ही माना जाता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और अधिक विश्वविद्यालयों को कानून तथा अन्य विषयों में पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने का निर्देश देने का है, और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जो विश्वविद्यालय एल० एल०बी० की परीक्षा में व्यक्तियों के कुछ वर्गों को प्राइवेट रूप से बैठने की अनुमति देते हैं वे हैं: ए०पी०सिंह विश्वविद्यालय रेवा, बरहमपुर विश्वविद्यालय, इन्दौर विश्वविद्यालय, जबलपुर विश्वविद्यालय, रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर, सम्बलपुर

विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। पत्राचार के माध्यम से एल०एल०बी० (शैक्षिक) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने के लिये जम्मू विश्वविद्यालय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। मदुरई और मैसूर विश्वविद्यालय भी पत्राचार के माध्यम से सामान्य विधि, स्नातक का पाठ्यक्रम चलाते हैं।

(ख) विधि की डिग्री चाहे वह प्राइवेट रूप से प्राप्त की गई हो या पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत बनाई गई भारतीय बार परिषद् नियमावली 1975 के अनुसार अधिवक्ताओं के रूप में पजीयन के प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त नहीं है।

(ग) विधि में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसी विश्वविद्यालय को निदेश देने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक अन्य विषयों का सम्बन्ध है, यह आशा की जाती है कि उच्च शिक्षा की आवश्यकताए, जहां तक हो सके विश्वविद्यालयों द्वारा अनौपचारिक प्रणालियों के माध्यम से पूरी की जाएंगी।

कैडबरी को एपल जूस बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेन्स

4318. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एपल जूस का सार बनाने के लिए कैडबरी को औद्योगिक लाइसेंस देने के प्रश्न पर मंत्रालय विचार कर रहा है ;

(ख) कैडबरी भारत में कौनसी नई प्रौद्योगिकी लाने में सार्थक होगा;

(ग) हिमाचल प्रदेश के राजकीय एकक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश स्थित एकक अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह) : (क) से (ग) यू० के० के मैं० एच०पी० बुलमेर लि० के तकनीकी ज्ञान तथा विधायन तकनीक से जम्मू तथा कश्मीर राज्य में एपल जूस सान्द्रण बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने हेतु मै० कैडबरी फ्राई (इंडिया) प्राइवेट लि० से प्राप्त आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है। इस प्रश्न पर कि क्या इसका किन्हीं मौजूदा यूनिटों पर प्रभाव पड़ेगा, अन्तिम निर्णय लिए जाने से पहले विचार किया जायगा।

(घ) जी, हां।

पश्चिम बंगाल स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न का गायब होना

4319. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल स्थित भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में से भारी मात्रा में खाद्यान्न गायब हो गया है;

(ख) क्या यह सच है कि भारी मात्रा में खाद्यान्न मानव उपयोग के लिए अनुपयोगी पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) प्रत्यक्ष जांच करने पर 30-6-77 को केवल निम्नलिखित कमियां पायी गई थीं :—

गेहूं	.	711 बोरे	चोरी हुए 631 बोरे शामिल हैं।
चावल	. . .	153 बोरे	चोरी हुए 147 बोरे शामिल हैं।
धान	. . .	81 बोरे	चोरी हुए।
चीनी	. . .	5 बोरे	—

(ख) पश्चिमी बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे कुल 5.9 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों में से 4947 मीटरी टन को मानव उपयोग के अयोग्य पाया गया है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम में सतर्कता और सुरक्षा प्रभाग को काफी सशक्त कर दिया गया है। अक्सर अचानक निरीक्षण किए जाते हैं ताकि भण्डारण और मार्ग दोनों में स्टाक की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तब सबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

पूर्वी बंगाल के शरणार्थीयों का अण्डमान में बसाया जाना

4320. **श्री सौगत राय**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुखम मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि पूर्वी बंगाल के और शरणार्थियों को अण्डमान में बसाया जाये;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को अण्डमान और निकोबार द्वीप में पुनर्वास के संबंध में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है यद्यपि 6-3-78 को हुए विचार विमर्श के दौरान मुख्य मंत्री ने इस प्रकार के पुनर्वास की गुंजाइश के बारे में पूछताछ की थी और उन्हें बता दिया गया था कि पारिस्थितिक तथा अन्य कारणों से यह संभव नहीं है और यह कि शेष सभी विस्थापित व्यक्तियों को दण्डकारण्य परियोजना में पुनर्वास प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध पहले से ही कर दिए गए हैं।

ग्रामीण ऋण सुविधा का विस्तार

4321. **श्री ईश्वर चौधरी**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण ऋण सुविधा का विस्तार करने के लिए सरकार ने वर्ष 1976-77 में कोई ठोस उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) ग्रामीण ऋण सुविधा का विस्तार करने के लिए सरकार आगे क्या कार्यवाही कर रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) से (ग) सरकार की नीति यह है कि कृषि विकास के लिए संस्थागत ऋण के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए। संस्थागत ऋण ढांचा तैयार करने के लिए विभिन्न उपाय वर्ष 1976-77 के दौरान भी जारी रहे। इनमें मुख्यतः

ये हैं---ग्राधार स्तर पर सक्षम तथा कारगर बहुउद्देश्यीय प्राथमिक सहकारी सोसायटी गठित करना, तकनीकी तथा प्रबंधकीय सक्षमता तथा वित्तीय संसाधनों में सहकारी ऋण संस्थाग्रों को मजबूत बनाना, सदस्यता, विशेषकर कमजोर वर्गों की, के क्षेत्र को व्यापक बनाना, ग्रामीण इलाकों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाग्रों का जाल फैलाना ग्रौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करना ग्रौर ग्रासान ऋण गति को सरल तथा कारगर बनाने के लिए ऋणदायी नीति तथा पद्धतियों की समय-समय पर पुनरीक्षा करना। किये गये ग्रनेक उपायों से कृषि क्षेत्र में ऋण संस्थाग्रों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों के स्तर में ब ोतरी हुई है। प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों द्वारा दिए गये कृषि उत्पादन हेतु ग्रल्पकालीन ऋणों में 1975-76 के ग्रंत में 881 करोड़ रुपये से 1976-77 के ग्रंत में 1,016 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी होने का ग्रनुमान है। ग्रनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण के बकायों का स्तर जून 1976 में 1,092 करोड़ रुपए से बढ़कर जून, 1977 में 1,381 करोड़ रुपये हो गया।

सरकार ग्रामीण इलाकों में संस्थागत ऋण की गति को व्यापक बनाने के लिए ग्रपने प्रयासों को जारी रख रही है। उपर्युक्त विभिन्न उपायों के ग्रलावा, संस्थागत ऋण एजेंसियों द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दर को कम करने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं। मई 1977 में, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा चलाई गई विभिन्न ब्याज दरों की योजना सम्पूर्ण देश को ग्रपने ग्रन्तर्गत लाने के लिए लागू की गई है। इस योजना के ग्रन्तर्गत कुछेक प्राथमिकता समूहों, जिनमें छोटे किसान भी शामिल हैं, के लिए 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली जनवरी, 1978 से वाणिज्यिक बैंकों के लिए उदार ऋण नीति सुलभ की है ताकि वे छोटे किसानों को 11 प्रतिशत पर 2,500 रुपये से कम के ग्रल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण दे सकें। इसी प्रकार, सहकारी सोसायटी के लिए रिजर्व बैंक ने हाल ही में ग्रल्पकालीन ऋणों के लिए बैंक दर से 3 प्रतिशत कम ग्रौर मध्यकालीन ऋणों के लिए बैंक दर से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम पर उधार दर को कम किया है। भारत सरकार ने ब्याज पर कर के निवर्तन की भी घोषणा की है ताकि वाणिज्यिक बैंक ब्याज दर में कमी करके मूल ऋणी को लाभ पहुंचा सकें। राज्य सरकारों के ग्रलावा, भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्षेत्र तथा ऋण प्रवाह की समय-समय पर पुनरीक्षा कर रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा माल से भरे वैगनों का मार्ग में निरीक्षण किया जाना

4322. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **कृषि ग्रौर सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम यह सुनिश्चित करने के लिए माल से भरे वैगनों का मार्ग में ही ग्रचानक निरीक्षण करता है कि माल भेजे जाने वाले स्थानों से वैगनों में सही संख्या में बोरियों का लदान किया गया;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे निरीक्षण कितनी बार किए गए;

(ग) इन निरीक्षणों के दौरान कुल कितनी ग्रनियमितताग्रों का पता चला; ग्रौर

(घ) ग्रपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि ग्रौर सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 634 निरीक्षण किए गए थे।

(ग) 63 मामलों में, 1045 बोरे कम होने से संबंधित ग्रनियमितताएं पायी गई थी। 48 बोरे ग्रधिक पाए गए थे।

(घ) (i) कमी से संबंधित दावे रेलवे के पास ग्रावश्यक कार्यवाही हेतु दायर कर दिए गए थे।

(ii) प्रेषण पार्टियों से इस मामले को उठाया गया था।

(iii) जिम्मेदारी निर्धारित की गई थी और संबंधित पार्टियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई थी। कुछ मामलों में हैंडलिंग और क्लीयरिंग ठेकेदारों के विरुद्ध भी आवश्यक कार्यवाही की गई थी।

भारतीय खाद्य निगम को दाल का ठेका दिया जाना

4323. **श्री डी० जी० गवई** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 28 फरवरी, 1978 तक डिलीवरी के लिए मूंग दाल और साबुत मूंग के टेंडर आमंत्रित किए थे;

(ख) यदि हां, तो कितने टेंडर प्राप्त हुए, सरकार के पास जमानत के रूप में कुल कितनी राशि जमा की गई और टेंडर प्राप्ति की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ग) व्यापारियों ने कितनी निम्नतम दरें भरी थीं तथा भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 1977-78 के लिए रेलवे भाड़े सहित कितनी दरें बताईं;

(घ) क्या सरकार ने सभी टेंडरों को अस्वीकार कर दिया था और भारतीय खाद्य निगम को ठेका दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) बत्तीस टेण्डर प्राप्त हुए थे। सरकार के पास बयाने की कुल राशि 16,000.00 रुपये रखी थी। उसे पार्टियों को लौटया जा चुका है। एक टेण्डर फार्म की कीमत 15.00 रुपये है। 34 टेण्डर फार्मों की बिक्री से प्राप्त धनराशि 510.00 रुपये थी।

(ग) विभिन्न फार्मों द्वारा पेश की गई दरें इस प्रकार थीं :—

(1) साबुत मूंग 304 रुपये से 344.80 रुपये प्रति क्विंटल।

(2) दाल मूंग 328.00 रुपये से 410.00 रुपये प्रति क्विंटल।

भारतीय खाद्य निगम सेना क्रय संगठन के लिए सरकारी वसूलीकर्ता है। खाद्य विभाग का मूल्य निर्धारण बोर्ड उन्हें देय मूल्यों को तय करेगा।

(घ) टेण्डरों को रद्द हो जाने दिया गया क्योंकि यह महसूस किया गया कि सामान्य माध्यमों से वसूली करना सम्भव हो जाएगा।

(ङ) जैसा कि (घ) में बताया गया है।

केरल में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

4324. **श्री वी० एम० सुधीरन** :
श्री वयालार रवि :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितनी सिंचाई परियोजनाएं अभी पूरी की जानी हैं तथा इन परियोजनाओं में कार्य की कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं और केरल में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

10 LSS/78—6

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) केरल की 7 सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, जिनका निर्माण लम्बे समय से किया जा रहा है और जो अभी तक पूरी नहीं हुई है । अद्यतन अनुमानित लागत और 1977-78 के अन्त तक किये जाने वाले संभावित खर्च की जानकारी नीचे दी गई है :—

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	1977-78 तक प्रत्याशित खर्च
1.	कल्लाडा	8830.00	1839.16
2.	पम्बा	2856.00	2035.37
3.	पेरियार घाटी	2633.00	1482.92
4.	चित्तुरपुझा	842.00	611.63
5.	कनहीरपुझा	1603.00	956.39
6.	कुटिट्याडी	3275.00	2405.57
7.	पज्रास्सी	2550.00	1394.12

चार परियोजनाओं, नामशः पेरियार घाटी, कुटिटयाडी, पम्बा और चित्तुरपुझा से लाभ मिलने आरम्भ हो गये हैं।

(ख) इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब का मुख्य कारण धन की कमी रहा है । इसके परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में भी वृद्धि हुई है । पांचवीं योजना के शुरू से लेकर बृद्ध और मध्यम सिंचाई सेक्टर के लिए अपेक्षाकृत अधिक परिव्यय की गयी है । पांचवीं योजना के चार वर्षों अर्थात् 1974-75 से 1977-78 के दौरान इस क्षेत्र पर लगभग 75 करोड़ रुपये का परिव्यय हुआ जबकि चौथी योजना में 27 करोड़ रुपये का परिव्यय हुआ था । 1978-79 के लिए 35 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है ।

भारत सरकार केरल की कुछ बृहद् परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए अग्रिम योजना सहायता दे रही है । यह सहायता 1975-76, 1976-77, और 1977-78 के दौरान क्रमशः 2.1 करोड़ रुपए, 2.50 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये थी।

उम्मीद है कि कल्लाडा को छोड़कर ये सभी परियोजनाएं अगली पंचवर्षीय योजना (1978-83) के दौरान पूरी हो जाएंगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण के बारे में जांच

4325. **श्री चतुर्भुज**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित उन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण, वित्तीय घोटाले, कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान करने में असमर्थता, धीमी गति से निर्माण कार्यक्रम, अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों की भरमार

आदि के बारे में जांच की मांग की गई है और क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण के बारे में विस्तृत जांच करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी हां । दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुरोध किया गया है कि वे आरोपों के बारे में अपनी रिपोर्ट भेजें।

दुग्ध टोकनधारी और दिल्ली दुग्ध योजना की क्षमता

4326. **श्री मोहनलाल पिपिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन टोकन कार्डधारियों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध सप्लाई किया जाता है और उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ख) उन व्यक्तियों की मांग को पूरा करने के लिये जिनके नाम प्रतीक्षा सूची में हैं दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की और कितनी अतिरिक्त मात्रा सप्लाई करने की आवश्यकता होगी; और

(ग) क्या वित्तीय वर्ष 1978-79 में उक्त मांग को पूरा करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना प्रतिदिन लगभग 3,20,000 टोकन धारियों को दुध सप्लाई करती है और 1546 आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना पहले ही अपनी अधिकतम अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार कार्य कर रही है तथा उपभोक्ताओं को दुध की और अधिक सप्लाई होने की कोई संभावना नहीं है ।

(ग) दूध की चार लाख लिटर दैनिक क्षमता की एक दूसरी डेयरी स्थापित की गयी है जो दूध की अतिरिक्त मात्रा सप्लाई कर सकती है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की शिकायतें

4327. **डा० सुशीला नायर:**
श्री दिलीप चक्रवर्ती :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की शिकायतों के बारे जांच किस अवस्था में है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): प्रारम्भिक जांच अभी चल रही है ।

हिमाचल प्रदेश में स्वान नदी के मार्ग निर्धारण (चेनलाइजेशन) के लिए धनराशि

4328. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के विधायकों से कोई अभ्यावेदन मिला है कि स्वान नदी के मार्ग निर्धारण के लिये केन्द्रीय सरकार धनराशि उपलब्ध करे;

(ख) यदि हां, तो क्या वह कृषि मंत्रालय के विचाराधीन है; और

(ग) इस मामले की नवीनतम अवस्था क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ग) स्वान नदी के मार्ग-निर्धारण के लिए धनराशि की व्यवस्था करने हेतु हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के कुछ विधायकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। इस पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया है। चूंकि बाढ़ नियंत्रण राज्य-क्षेत्र का भाग है इसलिए बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का प्रारम्भ, आयोजन और कार्यान्वियन और उनके लिए धनराशि की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने 6.73 कि० मी० की लम्बाई में नदी के मार्ग-निर्धारण के लिए एक अनुमान तैयार किया है और उनके द्वारा उसकी जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की विकास योजनाओं की स्वीकृति

4329. **श्री जगन्नाथ शर्मा**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति देने हेतु कृषि और सिंचाई के ग्रामीण विभाग में एक समन्वित सैल स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की गढ़वाल डिवीजन क्षेत्र के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की नीति को ध्यान में रखते हुए उक्त क्षेत्र के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ की जायेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चितरंजन पार्क नई दिल्ली में सामुदायिक सेवा कर्मचारियों के लिए मकान

4330. **श्री दिलीप चक्रवर्ती**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन पार्क, में सामुदायिक सेवा कर्मचारियों को बसाने के लिए कितने क्वार्टर निर्माणधीन है;

(ख) चितरंजन पार्क में कार्य करने के लिए सामुदायिक सेवा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ;

(ग) चितरंजन पार्क में उन शेष क्वाटरों का निपटान किस प्रकार किया जाएगा जिनकी सामुदायिक सेवा के कर्मचारियों को बसाने के लिए आवश्यकता नहीं होगी ;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि के लिए भुगतान करेगा और यदि हां, तो किस दर से ; और

(ङ) क्या अलाटियों के लिए अर्जन और विकास की लागत घटाने हेतु इस प्रकार वसूल की गई राशि को कालोनी के खाते में जमा कर दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया है, चितरंजन पाक में 48 मकान पहले ही बनाए जा चुके हैं। वहां पर और 144 मकान निर्माणाधीन हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मास्टर प्लान में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आवासीय यूनिटों का 5 प्रतिशत सेवारत कर्मचारियों के परिवारों अर्थात, धोबियों, चौकिदारो जमादारों मालियों, घरेलू नौकरों आदि को दिये जाने हैं।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण के बाद फलैटों की सेवारत कर्मचारियों को आवंटित किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि उन विस्थापितों व्यक्तियों से क्वाटरों के आबंटन के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाए जो सेवारत कर्मचारियों की निर्धारित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सेवारत कर्मचारियों के लिए निश्चित किए गए स्थलों का निःशुल्क विकास करने के पश्चात्, दिल्ली विकास प्राधिकरण को वापिस कर दिया जाना चाहिए। तथापि, सरकार ने इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) 'बिना लाभ-बिना हानि' के सिद्धान्त के आधार पर चितरंजन पार्क में पात्र विस्थापित व्यक्तियों को प्लाट आवंटित किए गए हैं, भूमि अजन और विकास पर कुल खर्च सामूहिक आवास के लिए निश्चित किए गए स्थानों सहित, रिहायशी प्लाटों के आलाटियों से ही वसूल किया जाएगा।

Tenures of Panchayats

4331. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of the States in which tenure of Panchayats has already expired and fresh elections have not been held so far there;

(b) the time by which fresh elections to Panchayats are proposed to be held in thes States; and

(c) when the last elections to Panchayats in all the States/Union Territories were held ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Punjab, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal and Pondicherry.

(b) No information is available with the Union Government.

(c) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

State-wise position regarding the dates of last election to Panchcyats.

Name of State	Date of last Election
Andhra Pradesh	June, 1970
Assam	April, 1974
Bihar	One district in 1969, one district in 1970 and 6 districts in 1971. In remaining 23 districts elections were held between 1969 & 1971.
Gujarat	1968
Haryana	1971
Himachal Pradesh	1972
Jammu & Kashmir	August, 1969
Karnataka	1968
Kerala	December, 1963
Madhya Pradesh	May, 1970

Name of State	Date of last Election
Maharashtra	Election to all village Panchayats are not held simultaneously. The Village Panchayats are established on different dates and the elections to them are held on different dates after completion of their normal or extended terms, as the case may be. The elections to Village Panchayats were postponed due to emergency. The period of postponement expired on 20-9-77.
Manipur	1970
Meghalaya	Panchayati Raj has not been introduced.
Nagaland	There is no Panchayati Raj set up. Instead there exist area, range and tribal councils.
Orissa	April, May, 1975
Punjab	1972
Rajasthan	February, 1978
Sikkim	15-12-76 & 16-12-76
Tamil Nadu	July, 1970
Tripura	1968-72 (area-wise)
Uttar Pradesh	1972. The term of Village Panchayats has been extended to 14-6-78.
West Bengal	1958-64
A & N Islands	1976 & 1977. Elections to 32 Gram Panchayats were held in 1976 and the remaining 6 Gram Panchayats in 1977.
Arunachal Pradesh	1976
Chandigarh	19-8-73
D. & N. Haveli	1976
Delhi	29th December, 1977
Goa, Daman & Diu	November, 1977
Lakshadweep	No Panchayats
Mizoram	-do-
Pondicherry	Elections were last held under the ex-French Municipal Decree dated 12-3-1880 during the month of December, 1968. As per the Decree, the term of office of Municipal Councillors was 6 years. Elections are yet to be held under the new Act.

कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जीलिंग और पश्चिम दिनाजपुर में इंडियन एनक्लेव प्रवासियों को वितरित धनराशि

4332. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कूच बिहार, जलपाईगुडी, दार्जीलिंग और पश्चिम दिनाजपुर जिलों में ठहरे इंडियन एनक्लेव प्रवासियों के पुनर्वास के लिये कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है ;

(ख) उनके पुनर्वास के लिये स्वीकृत धनराशि में से अब तक कितनी धनराशि वितरित की गई है; और

(ग) क्या कुछ ऐसे लोगों को भी जो एनक्लेव प्रवासी नहीं हैं, वास्तविक प्रवासियों को वंचित कर पुनर्वास का उक्त लाभ मिला है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुडी और पश्चिमी दिनाजपुर में रह रहे भारतीय एनक्लेवों से आए प्रवासियों के पुनर्वास के लिए अब तक 121.23 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है । राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार दार्जीलिंग जिले में भारतीय एनक्लेवों का कोई भी प्रवासी नहीं रह रहा है ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि 1976-77 के अन्त तक 49,72,295 रुपए की राशि वितरित की जा चुकी थी । 1977-78 के दौरान 23.43 लाख रुपए की राशि के वितरण किए जाने की आशा है । इस प्रकार मार्च 1978 के अन्त तक एनक्लेव, प्रवासियों में कुल वितरित राशि 73,15,295 रुपए हो जाएगी ।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार ने, जिसे इस योजना के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है, सूचित किया है कि उन्हें इस प्रकार के किसी मामले की जानकारी नहीं है ।

कालकाजी में भूमि का अर्जन और उसकी विकास लागत

4333. **श्री राज कृष्ण डान** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली में अलाट की गई भूमि पर प्रति वर्ग गज पर कुल 7.50 रुपये (अर्जन तथा विकास लागत) प्रीमियम लिया जाता था ;

(ख) क्या भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को कालकाजी (ई० पी० डी० पी० कालोनी) में अलाट भूमि पर केवल अर्जन लागत के लिये 12 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से राशि ली गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ई० पी० डी० पी० कालोनी कालकाजी में वर्ष 1968 में अलाटमेंट के समय प्रति वर्ग गज भूमि के लिये जा रहे 18 रुपये को 10 वर्ष बाद बढ़ा कर 24 रुपए 20 पैसे कर विकास लागत में असामान्य वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं, पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों से कालकाजी (मुख्य) कालोनी में अलाट की गई भूमि का प्रीमियम प्रति वर्ग गज 11 रुपये (अर्जन तथा विकास लागत) की दर से वसूल किया गया था न कि 7.50 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से ।

(ख) और (ग) जी, हां, पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्वास कालोनियों के लिए अर्जित निजी भूमियों, नजूल भूमियों तथा निष्क्रान्त भूमियों में से फालतू भूमि को चितरंजन पार्क (भूतपूर्व ई० पी० डी० पी०) के लिए उपलब्ध किया गया था। सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए 5 रुपए प्रति वर्ग गज की दर से अथवा प्लाट के लिए अंकित क्षेत्र, जो कि सम्पूर्ण क्षेत्र का 41 प्रतिशत है, के लिए 12 रुपए प्रति वर्ग गज का अनुमान 1961 में योजना को स्वीकृत करते समय लगाया गया था और इसे अस्थायी मूल्य के रूप में माना गया था । पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों की कालोनियों के संबंध में अपनाए गए मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसरण में जब 1966 में पहली बार

प्लाटों के आबंटन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे, बाज़ार मूल्य चढ़ गए थे और तब से मूल्यों में और वृद्धि होने के बावजूद भूमि अर्जन की अस्थायी लागत को ही अन्तिम लागत माना गया है ।

(घ) विकास लागत 18 रुपए से बढ़ कर 24.20 रुपए प्रति वर्ग गज हो गई थी इसका मुख्य कारण यह था कि 1974 में जब नागरिक सेवाओं को बनाए रखने की जिम्मेदार दिल्ली नगर निगम को सौंपी गई थी, निगम को बहुत बड़ी राशि देनी पड़ी थी ताकि उनके द्वारा अपनाए गए स्तर के समान ही नागरिक सेवाएं उपलब्ध की जाएं ।

दिल्ली में भूमिगत जल

4334. **श्रीमती चन्द्रावती :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमिगत जल केवल 5 फीट गहरा है;

(ख) क्या यह सच है कि इसके परिणामस्वरूप लाखों-करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति (संसद सदस्यों के मकान आदि) क्षतिग्रस्त हो रही है, और

(ग) क्या यह भी सच है कि यह इस कारण है कि उनका मन्त्रालय भूमिगत जल के निकालने के लिये असावधान रहा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली में भूमिगत जल समय-समय पर पृथक पृथक स्थानों में भिन्न भिन्न है ।

(ख) जी, नहीं । तथापि, भूमिगत जल से उन पुराने मकानों में सीलन पैदा नहीं होती जिनमें निर्माण के समय सीलन-निरोधक व्यवस्था नहीं की जाती है ।

(ग) उथले जल नल-कूपों के ज़रिए जल को निकालने का काम 1961-62 से 12 वर्ष तक प्रयत्न किया गया था लेकिन इससे जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । चूंकि संरचनाओं को कोई खतरा नहीं था तथा पम्प से जल निकालने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए, इस कार्य को छोड़ दिया गया था ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में परिवर्तन

4335. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था घोषित करने और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में परिवर्तनों के बारे में दिनांक 21 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1130 और 1174 के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार लोक सभा में उपयुक्त विधेयक पुरःस्थापित करने से पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पुराने छात्रों, अध्यापकों तथा अधिकारियों से परामर्श करने का है

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) यह मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनस, दिल्ली

4336. **श्री भारत भूषण:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें पता है कि अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनस पर सफाई की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है और अनेक स्थानों से बदबू आती है, खाद्य पदार्थ बाजार मूल्यों की तुलना में यहां उंचे मूल्यों पर बेचे जाते हैं तथा रात के समय रोशनी और पेयजल की उचित व्यवस्था भी नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख़्त): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि स्वच्छता और रात को बिजली और पेय जल के प्रबंध फिलहाल सन्तोषजनक हैं। आई० एस० बी० टी० में दुकानों के लाइसेन्सों द्वारा बेचे गये खाद्य पदार्थों के लिए पहले कोई मूल्य निर्धारित नहीं किए गए। तथापि, उन्हें अपनी दुकानों पर वस्तुओं के बेचने के मूल्यों का प्रदर्शन करना अपेक्षित था।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अब दुकानों का आबंटन इस शर्त पर किया जा रहा है कि वे खाद्य पदार्थ आदि रेलवे द्वारा निर्धारित दरों पर तथा उन द्वारा निर्धारित क्वालिटी और मात्रा के अनुसार बेचेंगे।

गन्ने की कीमत

4337. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ने की कीमत 13 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानू प्रताप सिंह): (क) जी हां।

(ख) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के मूल्य को निर्धारित करने का निम्नलिखित आधार दिया हुआ है:–

(1) गन्ने की उत्पादन लागत;

(2) वैकल्पिक फसलों से उत्पादक को लाभ और कृषि जिन्सों के मूल्यों का सामान्य रुख;

(3) उचित मूल्य पर उपभोक्ता को चीनी की उपलब्धता;

(4) गन्ने से उत्पादित चीनी जिस मूल्य पर चीनी उत्पादकों द्वारा बेची जाती है।

(5) गन्ने से चीनी की वसूली।

उपर्युक्त बातों के अलावा, कानून के अधीन गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने संबंधी अंतिम निर्णय लेने से पहले, एक सुविज्ञ निकाय, कृषि मूल्य आयोग, संबंधित राज्य सरकारों, चीनी मिलों/गन्ना उत्पादकों की विभिन्न एसोसिएशनों से परामर्श किया जाता है। इस मामले से संबंधित सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार ने चीनी वर्ष 1977-78 के लिए 8.5 % अथवा इससे कम मूल वसूली पर 8.50 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का निर्णय किया था जिसमें 8.5% से वसूली में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि पर 10 पैसे प्रीमियम देने की व्यवस्था है।

देश में औसत वसूली लगभग 10% है और इसलिए औसत न्यूनतम मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल है। इसके अलावा, चीनी फैक्ट्रियों को गन्ना सप्लाई करने वाले गन्ना उत्पादक लेवी मुक्त चीनी की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि में से 50% शेयर पाने के हकदार हैं। अतीत में, औसत शेयर लगभग 2 रुपये से 3 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा है। वास्तव में गन्ना उत्पादकों को वह मूल्य मिलता है जिसका सामान्यतः राज्य द्वारा बताये गये मूल्य के रूप में उल्लेख किया जाता है जिसका 1976-77 मौसम के लिए अखिल भारत औसत 13.50 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास था।

घटिया किस्म को कृमिनाशी और कीटनाशी औषधियों की सप्लाई

4338. **श्री परमानन्दगोविन्दजी वाला :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह रिपोर्ट मिली है कि किसानों को सप्लाई की जाने वाली कृमिनाशी और कीटनाशी औषधियाँ घटिया किस्म की हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी एजेंसी द्वारा सप्लाई की जाने वाली कृमिनाशी औषधियाँ भी घटिया किस्म की पाई गई हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो अच्छी किस्म की कृमिनाशी औषधियों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कीटनाशी और कृमिनाशी औषधियों की घटिया किस्म के संबंध में कुछ रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) इस संबंध में कोई विशेष रिपोर्ट सरकार के नोटिस में नहीं लाई गई है।

(ग) कीटनाशी औषधि अधिनियम, 1968 (1968 की सं० 46) को जिसके द्वारा अन्य वस्तुओं के साथ-साथ कीटनाशी औषधियों के निर्माण और विक्रय पर भी नियंत्रण किया जाता है, राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जा रहा है। कृमिनाशियों की कोटि को 'मानीटर' करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए निरीक्षक नमूने एकत्र करते है और जहाँ कहीं भी कीटनाशी औषधियाँ गलत ब्रान्ड वाली पाई जाती हैं, मुकदमा चलता है। गलत ब्रान्ड वाली कीटनाशी औषधियों के निर्माता/वितरकों के ऊपर मुकदमों तथा सजाओं और जब्ती के बारे में समय समय पर रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं। गुण नियंत्रण मशीनरी को और मजबूत बनाने के लिये 220 संयुक्त आदान निरीक्षकों की नियुक्ति करने के अतिरिक्त क्रमिक रूप से 17 राजकीय कीटनाशी औषधि प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। इस के अलावा, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय कीटनाशी-औषधि प्रयोगशाला स्थापित कर रही है। गुण नियंत्रण उपायों को लागू करने में राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति पर अब अर्द्धवार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलनों में भी विचार विमर्श होता है।

गरीबों तथा अपाहिजों को सहायता के लिये निधि

4339 **श्री रामजीलाल सुमन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीबों, अपाहिजों और पराश्रित लोगों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय निधि बनाने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) : (क) और (ख) गरीबों, अपाहिजों और निराश्रित व्यक्तियों की सहायता के लिए राष्ट्रीय निधि बनाने का विचार यद्यपि सराहनीय है, परन्तु व्यावहारिक नहीं है।

अपाहिजों और बेरोजगारों को राहत प्रदान करना संविधान के अधीन राज्य विषय है। फिर भी केन्द्रीय सरकार विकलाँग व्यक्तियों, निराश्रित स्त्रियों और बच्चों तथा जनता के अन्य वंचित वर्गों के पुनर्वास और कल्याण के लिए पर्याप्त सहायता देती है।

वर्तमान योजनाओं के अधीन इस क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सीधी सहायता को, जो 1974-75 में 58 लाख रुपए थी, बढ़ाकर 1977-78 में 100 लाख रुपए से भी अधिक कर दिया गया है।

उर्वरकों का उत्पादन और खपत

4340. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरकों का वार्षिक उत्पादन और खपत कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार प्रत्येक देश में कितने उर्वरक का आयात किया गया ;

(ग) उपर्युक्त अवधि में उर्वरक के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ;

(घ) उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भता प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ङ) उर्वरक के मामले में भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ; और

(च) देश में उर्वरकों की खपत में मितव्ययिता बरतने के लिए सरकार द्वारा क्या अनुदेश जारी किये गये हैं और उसके क्या परिणाम रहे।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के दौरान उर्वरक का उत्पादन तथा खपत नीचे दी गई है :—

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	उत्पादन			खपत		
	एन	पी	के	एन	पी	के
1976-77	19.0	4.8	कुछ नहीं	24.57	6.35	3.19
1977-78 (अनुमानित)	20.0	6.7	कुछ नहीं	28.88	8.27	4.69

(ख) तथा (ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश से वर्षवार आयातित उर्वरकों की मात्रा व उनका लागत-भाड़ा मूल्य इसके साथ संलग्न विवरण 1 में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-1925/78]

(घ) आयात पर निर्भरता कम करने तथा उर्वरकों के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :--

(1) उर्वरक एककों की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना ;

(2) वर्तमान एककों की क्षमता/क्षमता के उपयोग में सुधार के कार्यक्रमों को कार्यन्वित करना ;

(3) उर्वरकों के उत्पादन के लिए नई क्षमता का सृजन करने के लिए कार्यक्रम को कार्यन्वित करना ।

(ङ०) उर्वरकों की उत्पादन-क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, जिसके अन्तर्गत 12 नई परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी । इन परियोजनाओं के चालू हो जाने के बावजूद भी वर्ष 1983-84 तक उपलब्ध उत्पादन के नाइट्रोजन तथा फास्फेट की माँग पूरी करने के लिए पर्याप्त होने की आशा नहीं है । देश में पोटाश के कोई रिजर्व नहीं हैं और भारत को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा ।

(च) उर्वरकों की खपत में किफायत का अर्थ इसका अत्यंत सक्षम प्रयोग करना है, ताकि मिट्टी में उपयोग किए गए प्रति किलोग्राम उर्वरक से अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त हो सके । सरकार ने उर्वरकों के सक्षम प्रयोग के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं, जो इसके साथ संलग्न हैं (विवरण 2) । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1925/78] विस्तार तंत्र तथा राज्य सरकारों के लिए इन आदेशों का क्रियान्वयन करना एक नियमित कार्य है । ये बुवाई के प्रत्येक मौसम से पहले विस्तार कर्मचारियों व किसानों को लगातार प्रशिक्षण देकर किसानों को उर्वरकों के सक्षम प्रयोग का संदेश देते हैं । विस्तार की इस प्रक्रिया के परिणाम कृषि उत्पादन के आँकड़ों में दिखाई देते हैं ।

उर्वरक संवर्द्धन अभियान का विस्तार

4341. **श्री सरतकार** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में उर्वरक संवर्द्धन अभियान को अधिक जिलों में चलाने का है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा राज्य की ओर से भी इस अभियान के अन्तर्गत इस राज्य के और अधिक जिले सम्मिलित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना को इस राज्य में लागू करने के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजित सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं । उर्वरक संवर्द्धन अभियान को उन 75 जिलों में जारी रखा जाएगा जिनका रबी 1977-78 के लिए चुनाव किया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

कृषि उत्पादों के मूल्य

4342. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1976-77 और 1977-78 में चावल, धान, गेहूं, पटसन, रूई, गन्ना, तम्बाकू, मूंगफली नारियल और काजू के समर्थन मूल्य क्या हैं ; और

(ख) 1976-77 और 1977-78 में उपर्युक्त कृषि उत्पादों को किन मूल्यों पर बेचा गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) धान और गेहूं के लिये अधिप्राप्ति मूल्य तथा पटसन, कपास और मूंगफली के संबंध में न्यूनतम सहाय्य मूल्य एवं 1976-77 और 1977-78 के लिये चीनी के कारखानों द्वारा दिया जाने वाला गन्ने का न्यूनतम मूल्य प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है । (परिशिष्ट--1) [ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल० टी० --1926/78] ये मूल्य न्यूनतम मूल्य हैं । तम्बाकू, नारियल, और काजू के लिये साहाय्य मूल्य निर्धारित नहीं किए जा रहे हैं । चावल के मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित धान के अधिप्राप्ति मूल्य के आधार पर राज्य सरकारें अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करती हैं ।

(ख) 1976-77 और 1977-78 के दौरान चावल, धान, गेहूं, पटसन, कपास, तम्बाकू, मूंगफली, नारियल और काजू की महीने के अंत में थोक मूल्यों एवं चीनी मिलों द्वारा दिये जाने वाले गन्ने के मूल्यों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट 2 से 11) [ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल० टी०-1926/78] ।

Retreading Work of Vehicles

4343. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to accept the tenders of retreading work of vehicles submitted by educated unemployed, Harijans, Tribals and Ex-servicemen;

(b) if so, whether any separate policy has been formulated for these people;

(c) if so, the types of relief given to them; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (d) In the award of contracts by the DGS & D, no special preference is shown to any group of category of suppliers except small scale units (who are given price preference) and public sector enterprises (who are given purchase preference). The DGS & D functions on commercial lines, and attempts to make purchases on the most economical basis. It is therefore not practicable to show preference to groups like unemployed persons Harijans Tribals and Ex-servicemen.

उत्तर-पत्रों को पुनः जांच

4344. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **शिक्षा, समाज** कल्याण **और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन २ विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की परीक्षाओं के उत्तर पत्रों की पुनः जाँच करने की अनुमति होती है ;

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय भी अनुरोध पर उत्तर पत्रों की पुनः जाँच करने को ऐसे सुविधा देते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को ऐसी सुविधा देने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्यान और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) अपनायी गई परीक्षा प्रणाली आदि के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जाँच की व्यवस्था विश्वविद्यालयों द्वारा ही की जाती है । उन सभी विश्वविद्यालयों के नामों के बारे में, जो पुनः जाँच करने की अनुमति देते हैं, सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पुनः जाँच की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि किसी छात्र को दिया गया अंतिम ग्रेड एक ही अंतिम परीक्षा पर आधारित नहीं होता । जामिया मिलिया इस्लामिया में, जब कभी उचित रूप से आवेदन किए जाते हैं, केवल परीक्षा फलों की दुबारा जाँच के मामलों की संवीक्षा करने की व्यवस्था है ।

(ग) जी, नहीं ।

दिल्ली में रिहायशी इमारतों का वाणिज्यिक उपयोग

4345. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनाँक 27 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 766 के उत्तर में उल्लिखित डाक्टरों, चार्टर्ड एकाउन्टेंटो आदि जैसे व्यवसाइयों दारा विशेषकर भूमि विकास कार्यालय नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों में रिहायशी इमारतों के वाणिज्यिक उपयोग के बारे में क्या ब्यौरा है ;

(ख) क्या व्यवसायों तथा अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को रिहायशी इमारतों का उपयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए करने की अनुमति के बारे में भूमि और विकास कार्यालय द्वारा जिन प्रशासनिक आदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है उनकी एक प्रति मंत्री महोदय सभा पटल पर रखेंगे; और

(ग) व्यवसाइयों आदि की प्रत्येक श्रेणी के कितने मामलों में भूमि और विकास कार्यालय के अन्तर्गत भूमि में रिहायशी क्षेत्रों का वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) रिहायशी मकानों को गैर रिहायशी प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाना पट्टे की शर्तों का उल्लंघन है और भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा दुरुपयोग प्रभारी की वसूली करने के बाद ऐसे प्रयोग को अस्थायी तौर पर नियमित कर दिया जाता है । कतिपय मामलों में व्यवसायिकों आदि द्वारा निर्धारित सीमा तक रिहायशी परिसरों के प्रयोग को माफ कर दिया जाता है । माफ-कर दिये जाने वाले उल्लंघनों की सूची संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-1927/78]** ।

परिसरों का निरीक्षण करने के बाद भूमि तथा विकास कार्यालय को परिसरों के दुरुपयोग का पता चलता है । ऐसे निरीक्षण सामान्यतया तब किये जाते हैं जब दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होती है या जब कभी पट्टाधारी नामांतरण या हस्तांतरण या बिक्री के लिये लिखता है । अतः उन सभी रिहायशी भवनों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है जिनका दुरुपयोग किया गया है । सरकार ने हाल

ही में यह निर्णय किया है कि भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा पट्टे की सम्पत्तियों का आवधिक निरीक्षण किया जाये ।

(ग) सूचना को एकत्र करने में काफी समय लगेगा और प्रयास करने पड़ेंगे जो परिणामों के अनुरूप नहीं हो सकते हैं।

लोक सभा के दिनांक 27-3-78 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4345 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित सूची

प्रयोग को बदलने के बारे में सूची में दिए गए उल्लंघनों पर केवल तब ही आपत्ति नहीं उठायी जायेगी जब उनका उल्लंघन पट्टेधारियों द्वारा या उनके किरायेदारों द्वारा किया जायेगा जो रिहायशी प्रयोजनों के लिए रिहायशी परिसरों के एक बड़े भाग या उनके समस्त भाग के वास्तविक दखल में हैं ।

1. बरामदे को बन्द करना ।
2. अतिरिक्त दरवाजे तथा खिड़कियां लगवाना ।
3. लाफ्ट या टेण्डों को लगवाना ।
4. कृत्रिम छतें बनाना ।
5. हैण्ड पम्प लगाना ।
6. पानी के नल लगवाना ।
7. विभाजन दीवारें खड़ी करना ।
8. खुले प्लेटफार्मों का निर्माण ।
9. पक्षियों, पालतू जानवरों या बागवानी के प्रयोजनों के लिए या गैटकीपर के लिए, डोलहाउस के लिए 100 वर्ग फुट से कम गैर राजगीरी अस्थायी रचनाओं का निर्माण करना यदि वे नगरपालिका के उपनियमों के अनुसार अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं।
10. कोयले रखने के स्थान का निर्माण ।
11. इनसेट वार्डरोब्स, शेल्व आदि का बनाना ।
12. स्वीकृत ड्राइंग दिखायी गयी दीवारों को न बनाना ।
13. बरसाती को किसी ओर से बन्द करना ।
14. सनशेडों, वैदरशेडों या कनोपी की व्यवस्था ।
15. पैरगोला की व्यवस्था (नगरपालिका के उपनियमों के अनुसार) ।
16. तरपाल या कैनवेस शेड शामियाना आदि को गाड़ना ।
17. गैराज, गाय के लिए शैड, अस्तबलों आदि को रिहायश या भण्डार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाना । भण्डारन घरेलू प्रयोजनों के लिये होना चाहिये न कि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए ।
18. बरसाती को रिहायश के लिए बरतना ।

आदिवासी बोलियों और भाषाओं का विकास और संरक्षण

4346. **श्री गिरिधर गोमांगी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में अदिवासी बोलियों और भाषाओं के विकास तथा रक्षण के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कार्यक्रम बनाया है और क्या व्यवस्था की है ;

(ख) भारत में कुल कितनी आदिवासी भाषाएं हैं तथा उनमें से अब तक कितनी भाषाओं को अपनी लिपि बन गई हैं ; और

(ग) लिपियों विशेषकर उड़ीसा राज्य के गुनुपुर क्षेत्र में बनाई गई सावार भाषा की लिपि के विकास तथा संरक्षण के लिए क्या कार्यक्रम है ;

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं :—

(i) आदिवासी भाषाओं में शक्षिक सामग्री का निर्माण ;

(ii) ध्वन्यात्मक (फोनोटिक) रीडरों, व्याकरणों, बहुभाषी शब्दकोशों और लोक साहित्य इत्यादि का प्रकाशन ;

(iii) भाषा अध्यापन में सेवाकालीन प्रशिक्षण ;

(iv) भाषा अध्यापकों के लिए भाषा अध्यापन में प्रशिक्षण और सामग्री उत्पादन के लिए अनुस्थापन शिविरों, कार्यशालाओं का आयोजन ।

(ख) आदिवासी तथा सीमावर्ती भाषाओं से संबधित कार्य के लिए वित्तीय व्यवस्था लगभग 3.25 लाख रुपए है । 1961 की जनगणना में अनुसूचित आदिवासियों द्वारा उल्लिखित मातृ-भाषाओं की कुल संख्या 304 है जिन्हें जनगणना के भाषाविदों द्वारा 101 भाषाओं में वर्गीकृत किया गया है । कहा जाता है कि तीन भाषाओं अर्थात् संथाली, सावार और कुख ने एक नई लिपि आविष्कृत कर ली है अथवा एक पुरानी लिपि का अन्वेषण कर लिया है ।

(ग) क्योंकि शैक्षिक और आर्थिक लाभों की दृष्टि से आदिवासी भाषा-भाषियों को अपनी शिक्षा के किसी चरण पर राज्य की भाषा को अवश्य पढ़ना पड़ेगा अतः राज्य सरकार तथा अन्यों को यह सलाह दी गई है कि शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आदिवासी भाषाएं राज्य की भाषा की लिपि के संशोधित स्वरूप को अपना सकती हैं ।

दण्डकारण्य परियोजना में स्थानीय आदिवासी व्यक्तियों का पुनर्वास

4347. **श्री गिरिधर गोमांगी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना और पोटेरू सिंचाई परियोजना के कारण अब तक विस्थापित तथा गलत स्थानों पर बसे स्थानीय आदिवासी व्यक्तियों को बसाने के लिये उनके मंत्रालय और उड़ीसा सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) कुल कितने शरणार्थी परिवारों को अब तक उस क्षेत्र में बसाया गया है और कितनों ने उस स्थान को छोड़ दिया है ; और

(ग) उनके मंत्रालय ने वर्ष 1977-78 के लिए शरणार्थी विकास और आदिवासी विकास के लिए कितनी राशि नियत की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दण्डकारण्य में सतीगुडा बांध परियोजना के परिणामस्वरुप विस्थापित होने वाले स्थानीय आदिवासियों के पुनर्वास के प्रश्न पर उड़ीसा सरकार के परामर्श से दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है । पोटेरू सिंचाई परियोजना क्षेत्र में इस प्रकार के कोई आदिवासी विस्थापित नहीं हुए हैं ।

(ख) 31-1-78 तक मल्कानगिरि जोन में 12,021 परिवारों को पुनर्वास दिया गया था, उनमें से 3,687 उस तारीख तक स्थान छोड़कर चले गये थे । इस के अतिरिक्त, 3,772 व्यक्ति 1-2-78 और 18-3-78 के बीच पुनर्वास स्थल छोड़कर चले गए हैं ।

(ग) दण्डकारण्य परियोजना में शरणार्थियों और आदिवासियों के विकास के लिए वर्ष 1977-78 के दौरान 440 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है ।

Ukai Irrigation Project

4348 **Shri Chhitubhai Gamit** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the break up of the expenditure incurred so far and to be incurred on Ukai Irrigation Project;

(b) the acreage of land, which would be irrigated from the canals on the right and left banks of this project as also the acreage of land being irrigated at present from these canals on both the banks;

(c) the reasons for non-availability of water in the land in the entire command area and the time by which the entire land in the command area would get water and the steps being taken or proposed to be taken by Government in this regard; and

(d) whether it is a fact that the canal on the left bank had breached twice at a little distance from the dam and if so, the details thereof and whether Government of India would send again a central team of prominent technical experts for inspection the work of dam and canals and if so, the time by which it would be sent ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) The Ukai Irrigation Project is at present estimated to cost Rs. 121 crores. An expenditure of Rs. 118.42 crores is anticipated to be incurred on the project upto the end of 1977-78. The amount remaining to be spent is thus Rs. 2.58 crores.

(b) The project envisages an annual irrigation of 1.53 lakh hectares 0.68 lakh hectares on the right bank and 0.85 lakh hectares on the left bank . An irrigation potential of 1.47 lakh hectares — 0.64 lakh hectares on the right bank and 0.83 lakh hectares on the left bank is anticipated to be created by the end of 1977-78. The actual area under irrigation has however been of the order of 33000 hectares.

(c) Command Area particularly on the left canal system has an even terrain which requires land shaping and land levelling besides the construction of field channels.

A Command Area Development Authority has been set up for integrated development of the command area with a view to optimise the utilisation of irrigation potential already created. The main emphasis under the programme is execution of on-farm development works which consist of construction of field irrigation and drainage channels and land levelling/shaping operations. It is proposed to cover the entire culturable command area of this project with on-farm development work in about five years.

(d) The information is being collected from the Government of Gujarat and will be placed on the Table of the Sabha.

Amenities in D.D.A. Built Flats

4349. **Shri Daya Ram Shakya** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Janata flats constructed by the Delhi Development Authority in 1976-77;

(b) whether it is a fact that the one-room flat priced at Rs. 4500 each constructed by the DDA do not have amenities like lavatory, water and electricity;

(c) whether it is also a fact that the 30 square yards Janata flats priced at Rs. 2200 each, with all the aforesaid amenities had been released for allotment in Janakpuri, Pankha Road, Safdarjang and Vivek Vihar on the occasion of Gandhi Centenary in 1970; and

(d) if the answer to part (c) above be in the affirmative, the reasons why DDA has fixed higher price for the flats constructed on smaller plots with no amenities in 1976-77 and the action being taken by Government in this regard and whether the Janata Government have conducted any survey to find out whether these flats are worth living for the poor people having a number of children ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikande Bakht) : (a) 440.

(b) These tenements were constructed by the Delhi Development Authority in resettlement colonies. Common lavatory blocks and water hydrants and/or hand pumps have been provided in all the blocks in accordance with the provisions of the JJR Scheme governing resettlement areas. Street lighting has been provided by the Delhi Development Authority. Individual connections have to be taken by the allottees on their own, if they so desire, but the Scheme does not, provide them.

(c) Yes, Sir.

(d) Flats referred to in part (c) above were constructed during 1969-70 and under a different Scheme, whereas those referred to in part (b) above were constructed in 1976-77. Further, the price of flats referred to in part (c) above were subsidised to the extent of Rs. 1100/-per flat. This and the increase in the cost of construction have raised the disposal cost of the flats referred in part (b) above. The amenities provided are as per the provisions of the existing JJR Scheme. Further improvements have to be carried out by the allottees themselves.

सभी धर्मों की धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना

4350. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में बच्चों को नीतिवान, देशभक्त और अपने धर्म के प्रति निष्ठावान बनाने के लिए सभी धर्मों की क्षेत्रीय भाषाओं में धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस बारे में सभी राज्य सरकारों से परामर्श करेगी और यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) नैतिक शिक्षा को पाठ्यचर्चा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । स्कूल पाठ्यचर्या ऐसी तैयार की जाएगी, जिसमें चरित्र निर्माण के लक्ष्य को केन्द्र बिन्दु रखा जाएगा । तथापि, शिक्षा में मानव-मूल्यों के विकास पर बल दिया जाएगा न कि धार्मिक शिक्षा पर ।

(ख) और (ग) रा० शै० अनु० प्र० परिषद् ने स्कूल पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित की है जिसका हाल ही में ईश्वर भाई पटेल समिति द्वारा पुनरीक्षण किया गया है । ये दस्तावेज सभी राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं । राज्य सरकारें इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं पर आधारित विस्तृत पाठ्यचर्याएं तैयार करेंगी ।

मध्य प्रदेश में ओले पड़ने से क्षति

4351. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल में ओले पड़ने से मध्य प्रदेश के कई जिलों पर बरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार को राज्य सरकार से केन्द्रीय सहायता का अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कुल कितनी क्षति का अनुमान लगाया है तथा कुल कितनी सहायता मांगी है ; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली में ग्रुप आवासीय समितियां

4352. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक पंजीकृत ग्रुप आवास समितियों के नाम क्या हैं तथा उनका पंजीकरण किस किस तिथि को हुआ है ;

(ख) इन समितियों ने अब तक कुल कितनी राशि जमा कराई है ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण इस राशि का उपयोग किस तरीके से कर रहा है ;

(घ) किन समितियों को भूमि का कब्जा दिया गया है तथा कब्जा देने की तिथियां क्या हैं ; और

(ङ) शेष उन समितियों को जिन्होंने पूरी लागत जमा कर दी है कब्जा कब तक दिए जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) ब्यौरे अनुलग्नक 'क' में दिये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1928/78]

(ख) अब तक भूमि की लागत के रूप में 3,33,56,180 रुपये प्राप्त हुए हैं । इस राशि में से 4,42,619 रुपये लौटा दिये गये हैं क्योंकि कुछ सोसाइटियां भूमि के आबंटन में रुचि नहीं रखती थीं ।

(ग) राशि को दिल्ली विकास प्राधिकरण की विकास की गतिविधियों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है ।

(घ) ब्यौरे अनुलग्नक 'ख' में दिये गये हैं।

(ङ) 61 सोसाइटियों ने भूमि की पूर्ण लागत जमा करा दी है । इनमें से 40 को भूमि का दखल दिया जा चुका है । शेष को 30 अप्रैल, 1978 तक भूमि की पेशकश किये जाने की संभावना है ।

Public Swimming Pools in Delhi

†4353. **Shri Dinen Bhattacharya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) steps Government have taken to construct public swimming pools in different centres in Delhi ; and

(b) whether Government have prepared any plan for such swimming pools ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Shri Dhanna Singh Gulshan) : (a) Government have a scheme under which proposals for giving financial assistance on a matching basis, received from the State Sports Councils/State Governments/U.T. Administrations, for development of sports and physical education facilities including construction of public swimming pools are considered. Under the scheme proposals for development of playfields and establishment of rural sports centres are accorded higher priorities than that for construction projects like stadia and swimming pools. No proposal for financial assistacce, under the scheme, for construction of a swimming pool in Delhi has been received from Delhi Administration or Delhi State Sports Council.

(b) No, Sir.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का मंत्रालयवार कोटा

4354. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली में मध्यम तथा निम्न आय वर्ग को दिए गए आवासीय भूखण्डों की संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मंत्रालयवार कुछ कोटा निर्धारित करेगी ; और

(ग) क्या पारी-वार आवंटन के लिए भी इन फ्लैटों तथा भूखंडों का कोई कोटा निर्धारित है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) लाटरी निकालकर आबंटन करने के लिए कोई प्लाट नहीं दिए गए थे ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

मध्य प्रदेश में शरणार्थियों का पुनर्वास

4355. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पूर्व बंगाल के शरणार्थियों को किन-किन स्थानों पर बसाया जा रहा है ;

(ख) क्या पुनर्वास के बारे में मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को विभिन्न प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावों की संख्या कितनी है और उनका विवरण क्या है तथा केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नए प्रवासी परिवारों को कृषि और लघु व्यवसाय दोनों में बसाया जा रहा है । कृषि में पुनर्वास के लिए तीन परियोजनाएं हैं अर्थात् बेतूल, पन्ना और सरगुजा जिनका प्रशासन राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है । धर्मजयगढ़ (जिला रायगढ़), अजायबनगर (जिला सरगुजा) और उसरार (जिला सतना) की पुरानी कालोनियों में भी पूनर्वास कार्य हो रहा है । एक केन्द्रीकृत प्रशासित योजना है— अर्थात् दण्डकारण्य, जिसका एक भाग बस्तर जिले में आता है । दण्डकारण्य परियोजना के मध्य प्रदेश भाग में दो जोन हैं अर्थात् कोंडागांव और परलकोट । जहां तक लघु व्यवसायी बस्तियों का संबंध है, जिन स्थानों पर योजनाएं तैयार की गई है, उनमें इन्दौर, उज्जैन, नागदा, राजनंदगांव, कण्डवा, ग्वालियर, देवास, जबलपुर, नीमच, मोरेना और खड़गांव आते हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कृषक परिवारों के लिए प्रस्तावों की संख्या 5 है और इनका अनुमोदन किया जा चुका है । लघु व्यवसायी परिवारों के प्रस्तावों की संख्या 16 है जिसमें से 11 अनुमोदित हो चुके हैं और शेष 5 पर इस समय विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है । भारत सरकार द्वारा कृषक परिवारों के लिए मंजूर की गई सहायता में आवास, बलों, कृषि औजारों, मेंढ़बन्दी, सहायक व्यवसाय, बीजों और खाद आदि की खरीद के लिए ऋणों के साथ साथ 6 महीने के लिए भरण-पोषण सहायता शामिल है ; लघु व्यवसायी परिवारों को आवास, दुकानों और व्यापार के लिए ऋण और साथ ही 3 महीने के लिए भरण-पोषण सहायता अनुदान दिये जाते हैं ।

शाहपुर में शरणार्थियों को सिंचाई सुविधाएं

4356. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में शाहपुर में शरणार्थियों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये बिचुवा-लटिया परियोजना नामक एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उक्त परियोजना के व्यय में हाथ बटाना स्वीकार कर लिया है जैसी कि सरकार ने मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना के निर्माण की अनुमति दे दी गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां 20 प्रतिशत की सीमा तक ।

(ग) भारत सरकार द्वारा इसकी जांच की गई है और इस परियोजना के निष्पादन में वित्तीय सहयोग देना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

नई दिल्ली में बैरकों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय

4357. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में बैरकों में केन्द्रीय सरकार के कौन से कार्यालय स्थित हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इन कार्यालयों को स्थान देने के लिए विभिन्न भवनों की तरह इमारतों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव तैयार किया है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नई दिल्ली में बैरकों म स्थित सामान्य पूल के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के नाम संलग्न सूची में दिए गए हैं।

(ख) तथा (ग) निर्मित किए जाने वाले कार्यालय वास की कुल आवश्यकता का मूल्यांकन करते समय जिन बैरकों को गिराया जाना है उन बैरकों में स्थित कार्यालयों के लिए कार्यालय वास की आवश्यकता को ध्यान में रखा जा रहा है। फिलहाल नई दिल्ली में प्लाट नं० 35 (जिसका भाग पूर्ण हो चुका है), रामकृष्णपुरम और बदरपुर महरौली रोड कम्पलैक्स में कार्यालय भवनों का निर्माण हो रहा है। नई दिल्ली स्थित लोदी रोड क्षेत्र में सामान्य पूल के कार्यालय भवनों के निर्माण के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

विवरण

1. रक्षा मंत्रालय (आंशिक)
2. वित्त मंत्रालय (रक्षा) (आंशिक)
3. सेना मुख्यालय (आंशिक)
4. नौ सेना मुख्यालय (आंशिक)
5. वायु मुख्यालय (आंशिक)
6. सीमा सड़क विकास बोर्ड
7. अनुसंधान तथा विकास संगठन (रक्षा मंत्रालय)
8. महानिदेशक वायु सेना चिकित्सा सेवा
9. महानिदेशक निरीक्षण संगठन
10. डी०जी०बी०आर० मुख्यालय
11. मानकीकरण निदेशालय
12. डी०टी०डी० तथा पी० (वायु)
13. सी०एम०ओ० निदेशालय
14. आयोजना तथा समन्वय निदेशालय
15. आर्डिनेन्स फैक्टरी सैल
16. हैवी वेहिकल्स फैक्टरी सैल
17. उत्तरी निदेशालय भारतीय सर्वेक्षण
18. एम० एल० तथा सी० निदेशालय
19. जन सम्पर्क निदेशालय

20. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रक्षा मंत्रालय)
21. सुरक्षा अधिकारी (रक्षा मंत्रालय)
22. आर्मड फोरसिज़ फिल्म फोटो डीविजन
23. संयुक्त संचार इलेक्ट्रोनिक्स समिति
24. स्कूल आफ फार्न लैंगवेजिज़
25. सर्विसिज स्पोर्टस कंट्रोल बोर्ड
26. डी०सी०डी०ए० आई/सी वेतन अनुभाग
27. यूनिट लेखाकार (सी०ए०ओ०)
28. एल०ए०ओ० (ए०एफ०)
29. एल०ए०ओ० (ए०एच०क्यू०)
30. रक्षा सेवायें लेखा परीक्षा निदेशालय (आंशिक)
31. वेतन तथा लेखा अधिकारी (पुनर्वास)
32. वेतन तथा लेखा अधिकारी (पूर्ति)
33. वेतन तथा लेखा अधिकारी (कृषि)
34. मंत्रिमंडल सचिवालय (आंशिक)
35. वेतन तथा लेखा अधिकारी (खाद्य मंत्रालय)
36. लेखा महानियंत्रक (वित्त मंत्रालय) (आंशिक)
37. उरर्वक तथा खाद्य मंत्रालय (आंशिक)
38. समाज कल्याण विभाग (आंशिक)
39. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (आंशिक)
40. कार्मिक विभाग (आंशिक)
41. एनर्फोसमेन्ट निदेशालय (आंशिक)
42. केन्द्रीय जांच आयोग (आंशिक)
43. मोनीटरिंग संगठन (संचार मंत्रालय)
44. विदेश मंत्रालय (आंशिक)
45. फार्नरज़ रिजनल रजिस्ट्रेशन आफिस
46. डायरेक्टोरेट आफ शुगर
47. वसा, तेल तथा वनस्पति निदेशालय
48. आर्थिक तथा सांख्यकीय निदेशालय
49. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (आंशिक)
50. भारी उद्योग विभाग (आंशिक)
51. गुप्त खुफिया विभाग (आंशिक)
52. सीमा सुरक्षा बल (आंशिक)
53. बन्दोबस्त आयोग (आई० टी० एण्ड डब्ल्यू० टी०)—वित्त मंत्रालय
54. उत्तरी परिमंडल परिषद् (गृह मंत्रालय)

55. क्षेत्रीय बन्दोबस्त आयुक्त का कार्यालय
56. पुनर्वास विभाग (आंशिक)
57. निरीक्षण निदेशालय उत्तरी अंचल (डी०जी०एस० एण्ड डी०)
58. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संगठन
59. प्रकाशन शाखा (निर्माण और आवास मंत्रालय) (आंशिक)
60. प्रेस सूचना ब्यूरो (सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय)
61. डी०ए०वी०पी० (आंशिक)
62. फोटो डिवीजन (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) (आंशिक)
63. भारतीय महापंजीकार (आंशिक)
64. शिक्षा मंत्रालय (आंशिक)
65. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (आंशिक)
66. केन्द्रीय प्लांट प्रोटेक्शन यूनिट
67. समाज कल्याण तथा पुनर्वास निदेशालय
68. पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो
69. महानिदेशालय आकाशवाणी (आंशिक)
70. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड
71. राष्ट्रीय बचत संगठन
72. सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंद्ध संस्थान (आंशिक)
73. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संबंधित अनुरक्षण एकक भी वस्तुतः सभी बैरकों में स्थित हैं।

डी०आई०जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में निर्माण कार्यक्रम

4358. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने **की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल मार्कीट, नई दिल्ली के डी०आई०जैड० क्षेत्र में केवल टाइप-II और टाइप-I के क्वार्टर बनाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में टाइप-III और टाइप-IV के क्वार्टर न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या डी० आई० जैड० क्षेत्र के शेष भाग में उंचे टाइप के क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि डी० आई० जैड० क्षेत्र में टाईप III और टाईप IV के क्वार्टर भी निर्माणाधीन हैं।

(ग) जी नहीं, फिलहाल, अगले दो वर्षों के दौरान सामान्य पूल में नए क्वार्टरों के निर्माण को मुख्यतया केवल तीन निचले टाईपों तक ही सीमित करने का प्रस्ताव है। इन टाईपों में क्वार्टरों की बहुत ही कमी के कारण ऐसा किया जा रहा है।

त्रिपुरा में सड़ रहा चावल

4359. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में सरकारी गोदामों में लगभग 1300 मीटरी टन चावल वर्ष 1974 से सड़ रहा है और हाल ही में सरकारी विश्लेषक ने बताया है कि वह चावल मानव उपयोग के योग्य नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कुल कितनी हानि हुई है और उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) मुख्यतः प्रत्याशित मात्रा से कम मात्रा का उठान होने के कारण त्रिपुरा स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में लगभग 13,000 मीटरी टन चावल की मात्रा इकट्ठी हो गई है । इसमें से कुछ स्टाक को ठीक करने की आवश्यकता थी और इसे शुरू कर दिया गया है । इसमें से कोई भी स्टाक मानव उपयोग के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ।

Growing of Crops in Alkali Land

4360. **Shri Surendra Jha Suman** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the details of the scheme Government have for growing crops in alkaline barren land; and

(b) whether all measures, such as conducting of agricultural research, sending scientific study team and production of gypsum there have been taken or are being taken in regard to this alkaline area ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Under the Centrally Sponsored Scheme of "Pilot project for amendment of alkali and acid soils in compact areas", the reclamation of alkali lands for growing crops was initiated in the States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh during the Fifth Plan. The scheme provides subsidy on the cost of gypsum and other amendment at the rate of 50% for the farmers with holding upto 3 ha. and 25% to others. In addition, the State Governments are expected to provide 25% subsidy to all. During the Fifth Plan, a total allocation of Rs. 7 crores for reclaiming 64,000 ha. of alkali lands was made. Upto 1977-78, a total of 28,000 ha. have been covered. During 1978-79, the tentative target is to cover nearly 1 lakh hectares.

(b) Yes Sir, however as gypsum is not mined in these three States, its supply from outside the States is also being organised by the State agencies.

महाराष्ट्र में नगरीय विकास और गन्दी बस्तियों को हटाये जाने की योजनायें

4361. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नगरीय विकास और गन्दी बस्तियों को हटाये जाने के क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कौन सी योजनायें आरम्भ की हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों की अवधि में महाराष्ट्र में उक्त योजनाओं के लिए कितनी राशि दी गई है तथा वर्ष 1978-79 में कितनी राशि देने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) एकीकृत नगर विकास की केन्द्रीय योजना के अधीन राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए चुनिन्दा नगर

विकास परियोजनाओं के कार्यान्वियन हेतु ऋण सहायता दी जाती है। गन्दी बस्ती उन्मूलन के लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं है और यह कार्य राज्य क्षेत्र में है।

(ख) महाराष्ट्र में, एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम के अधीन महाराष्ट्र सरकार को निम्नलिखित रूप से सहायता दी गई है :—

नगर का नाम	20-3-78 तक की गई सहायता की राशि
	(करोड़ रुपयों में)
1. बम्बई और नया बम्बई	20.02
2. पुणे	0.20
3. नागपुर	0.20
4. शोलापुर	0.48
5. कोल्हापुर	0.20

चूंकि यह सहायता प्रगति के मूल्यांकन तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर मंजूर की जाती है तथा दी जाती है इसलिए वर्ष 1978-79 में दी जाने वाली सहायता की मात्रा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है ।

विश्वविद्यालयों में अन्तर्राष्ट्रीय विषय का पढ़ाया जाना

4362. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन विश्वविद्यालयों और प्रबन्धक संस्थाओं ने (एक) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विपणन में विशिष्ट डिप्लोमा या डिग्री देने की व्यवस्था है और (दो) अन्तर्राष्ट्रीय विपणन सम्बन्धी पाठ्यक्रम अन्य व्यापार शिक्षा पाठ्यक्रमों के अंग के रूप में पढ़ाया जाता है ;

(ख) चालू शिक्षा वर्ष में कितने छात्रों को ये पाठ्यक्रम पढ़ाये गये थे और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में ये आंकड़े क्या थे;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पाठ्यक्रम पढ़ाने के बारे में इंडियन इन्सटीच्यूट आफ फोरेन ट्रेड से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, किसी विश्वविद्यालय अथवा प्रबन्ध संस्थान में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विपणन में विशेषज्ञता डिग्री या डिप्लोमा की व्यवस्था नहीं है। तथापि, बहुत से विश्वविद्यालयों और प्रबन्ध संस्थान में भी ये विषय वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबन्ध विभागों के पाठ्यक्रमों के भाग हैं।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने जुलाई, 1976 में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में विदेश व्यापार पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण के पुनरुस्थापन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक प्रस्ताव भेजा था। इस सुझाव पर आयोग के वाणिज्य पेनल द्वारा विचार किया गया और

इसकी सिफारिश पर संस्थान द्वारा सुझाए गये पाठ्यक्रमों को, वाणिज्य संबंधी कार्यशाला द्वारा, जिसमें संस्थान के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था ,जांच के लिए प्रस्तुत किया गया । पेनल की अंतिम सिफारिशें अगले शैक्षिक सत्र तक प्राप्त होने की आशा है ।

Area of Alkali Land and Production of Gypsum

4363. **Shri Surendra Jha Suman :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether any survey has been conducted in regard to Alkaline and barren land in the country;

(b) if so, the area of such land, in acres and State-wise break-up thereof;

(c) whether use of gypsum has been proved to be useful in making such land fertile; and

(d) the production necessary therefor and the measures being taken to meet it ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Yes, Sir.

(b) Approximately 25 lakh hectares of Soils have been classified as alkali soils. The distribution of these soils has been indicated below :

Name of the State	Area (Lakh hectare)
Uttar Pradesh	9.0
Punjab	4.5
Haryana	3.5
Other States	8.0

(c) Yes, Sir.

(d) For undertaking the amendment of 25 lakh hectares of alkali soils in a phased manner, approximately 125-150 lakh tonnes of amendment material will be required. It has been proposed to undertake the amendment of approximately 1 lakh hectare of alkali soils during 1978-79. The supply is being ensured by exhorting the State Governments to indicate their requirements to the suppliers in advance.

Rules Coverning the Allotment of Government Accommodation

4364. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the year being covered in allotment of Type II, III and IV quarters at present;

(b) the rules governing allotment of quarters on compassionate grounds; and

(c) how out of turn hostel accommodation is allotted?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a)

1. Type II	1955
2. Type III	1954
3. Type IV	1953

(b) & (c) There are no specific rules governing allotment of quarters on compassionate grounds. Each case is considered on its merits. However, under the existing rules, *ad hoc* allotments on compassianate grounds to the dependents of the allottees are permissible in the the event of retirement/transfer or death of the allottee. *Ad hoc* allotments on medical grounds are also made in case of serious ailments, such as. T.B. and cancer and to physically handicapped persons subject to fulfilment of prescribed conditions.

नई दिल्ली नगरपालिका के 'बिजली विंग' कर्मचारियों को अतिरिक्त उपलब्धियां

4365 **श्री राज केशर सिंह : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री नई दिल्ली नगरपालिका के बिजली विंग के कर्मचारियों को अतिरिक्त उपलब्धियों के बारे में 3 अगस्त, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5910 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो वह सभा पटल पर कब तक रख दी जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) आश्वासन पूरा करते हुए अपेक्षित सूचना का एक विवरण 23 फरवरी, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था जिसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1929/78]**

मध्य प्रदेश में उर्वरक की मांग और पूर्ति

4366 **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने उर्वरक की मांग थी,

(ख) इस अवधि में इस राज्य को कितना उर्वरक दिया गया था, और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि राज्य को बहुत ही कम मात्रा में फास्फेट और सल्फेट उर्वरक दिया गया ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) प्रत्येक फसल मौसम से पूर्व विभिन्न फसलों के अंतर्गत प्रक्षेपित क्षेत्र और उपभोग में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि के आधार पर प्रत्येक राज्य में उर्वरकों की कुल निवल कृषि संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है । पिछले तीन वर्षों के दौरान सस्य मौसम से पूर्व मध्य प्रदेश के लिए इस आधार उर्वरकों की आवश्यकताओं के अनुमानित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(लाख मीटरी टन)

वर्ष	एन	पी	के	योग
1975-76	1.50	0.64	0.40	2.54
1976-77	0.98	0.35	0.92	1.35
1977-78	0.95	0.42	0.03	1.40

(ख) ऊपर निर्दशित समूची मांग राज्य की अंशतः स्थानीय उत्पादन व अंशतः आयात से आवंटित कर पूरा कर दिया गया था । इस आबंटन में से राज्य द्वारा इन वर्षों के दौरान की गई उर्वरकों की वास्तविक खपत निम्नलिखित थी :

(लाख मीटरी टन)

वर्ष	एन	पी	के	कुल
1975-76	0.77	0.30	0.06	1.13
1976-77	0.91	0.39	0.07	1.37
1977-78 (अनुमानित)	0.93	0.44	0.09	1.46

(ग) जी हां ।

Immoral Traffic in Women

4367. **Shri O. P. Tyagi :** Will the **Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the legislation enacted in 1956 to prevent trafficking in women has proved ineffective, the trafficking still continues in the country and the trade is not now confined to a particular 'gali' but has spread to flats and bungalows;

(b) if so, whether Government propose to amend the above law so as to put in end to this black trade; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Smt. Renuka Devi Barkataki) : (a) and (b) Pursuant to the recommendations of the International Convention relating to the Suppression of traffic in persons and the exploitation of the prostitution of others, the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 was enacted by Parliament. The State Governments are being exhorted to ensure enforcement of the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 more vigorously. With a view to making the Legislation more effective, a proposal for suitable amendments to the Act are under finalisation.

(c) Does not arise.

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज हैदराबाद को घाटा

4368 **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

डा० सरदीशराय :

क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कालेज आफ इंडिया, हैदराबाद 9 लाख रुपये से अधिक घाटे में चल रहा है, हालांकि 1972 से 1977 तक उसे फोर्ड फाउन्डेशन से 22 लाख रुपये का अनुदान मिला और केन्द्रीय सरकार से इसी अवधि में 30 लाख रुपये का अनुदान मिला;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Loans Given to Sugar Mills for Development during 1977-78

4369. **Shri Ram Dhari Shastri** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the sugar mills which have been given loans by Government of India for development and expansion during the year 1977-78 (upto January, 1978);

(b) the number of sugar mills out of them, which are in the Public sector, Co-operative sector and corporate sector separately; and

(c) whether it is a fact that the sugar mills mentioned in part (b) were given less credit in comparison to private sugar mills ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) The list of the sugar mills which have been sanctioned/agreed to be sanctioned loan by Central Financing Institutions is placed at APPENDIX-I.

(b) Three sugar mills in public sector, 13 sugar mills in co-operative sector and 9 sugar mills in the private sector.

(c) The amount of loan sanctioned for private sugar mills is only about 33% of the total loan as against the balance of 67% for the mills in public sector and co-operative sector.

Statement

Statement showing the list of sugar mills which have been sanctioned and/or agreed to be sanctioned loans by Central Financing Institutions like I.F.C.I., I.D.B.I., I.C.I.C.I., U.T.I., L.I.C. etc. during the period from 1st April, 1977 to 1st January, 1978.

Sl. No.	Name of the concern and the state in which the Project is located.
PUBLIC SECTOR	
1.	Tamil Nadu Sugar Corporation Ltd., Dist. Thanjavur (Tamil Nadu).
2.	Nandganj-Sihori Sugar Co. Ltd., Dist. Rae Bareilly (Uttar Pradesh).
3.	Ganganagar Sugar Mills Ltd., Sriganganagar (Rajasthan).
CO-OPERATIVE SECTOR	
4.	Shree Sayan Vibhag S.K.U.M. Ltd., Dist. Surat (Gujarat).
5.	Kallakurichi Coop. Sugar Mills Ltd., Dist. South Arcot (Tamil Nadu).
6.	Jai Bhavani SSK Ltd., Dist. Bhir (Maharashtra).
7.	Shree Talala Taluka S.K.U.M. Ltd., Distt. Junagadh (Gujarat).
8.	Valsad S.K.U.M. Ltd., Dist. Valsad (Gujarat).
9.	Ramala Sahakari Chini Mills Ltd., Dist. Meerut (U.P.)
10.	Sreerama S.S.K. Ltd., Dist. Mysore (Karnataka).
11.	Chodavaram Coop. Sugars Ltd., Dist. Visakhapatnam (A. P.)
12.	Madhukar SSK Ltd., Dist. Jalgaon (Maharashtra).
13.	Yashwant SSK Ltd., Dist. Sholapur (Maharashtra).
14.	National Coop. Sugar Mills Ltd., Dist. Madurai (Tamil Nadu).
15.	Etikoppaka Coop. Agrl. & Indl. Society Ltd., Dist. Visakhapatnam (A.P)
16.	Shankar SSK Ltd., Dist. Sholapur (Maharashtra).

PRIVATE CORPORATE SECTOR

17. Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd., Dist. Meerut (U.P.)
18. E.I.D. Parry Ltd., Distt. South Arcot (Tamil Nadu).
19. Gangeshwar Ltd., Dist. Saharanpur (U.P.).
20. Modi Industries Ltd., Dist. Ghaziabad (U.P.).
21. Balrampur Chini Mills Ltd., Dist. Gonda (U.P.)
22. Tulsipur Sugar Co. Ltd., Dist. Gonda (U.P.)
23. Shankar Agro Inds. Ltd., Dist. Deoria (U.P.)
24. Belsud Sugar Co. Ltd., Dist. Sitamarhi (Bihar).
25. Motilal Padampat Udyog Ltd., Dist. West Champaran (Bihar).

राज्यों में पेय जल की व्यवस्था

4370 **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल संबंधी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किया गया ब्याज मुक्त ऋण का लाभ कितने और किन-किन राज्यों ने नहीं उठाया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समय पेय जल की सुविधायें कितने राज्यों में हैं; और

(ग) सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में पेयजल की सुविधायें कितने गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में दे रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली पेय जलपूर्ति योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार कोई ब्याजमुक्त ऋण नहीं देती है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरम्भ किए गए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सरकार ने समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जलपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए राज्यों को 100 प्रतिशत अनुदान सहायता दी है। किसी भी राज्य सरकार ने उसे दी गई अनुदान सहायता को उपयोग करने में अपनी असमर्थता जाहिर नहीं की है।

(ख) यदि प्रश्न का अभिप्राय यह है कि राज्यों में इस समय कितने ग्रामों में पेयजल की सुविधायें उपलब्ध हैं तो उसका उत्तर यह है कि 31 मार्च, 1977 को देश के 64000 ग्रामों में सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध थी।

(ग) अगली पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही इस बारे में पता चलेगा।

Land distributed during last three years

4371. **Shri Lalji Bhai :**
Shri Rajendra Kumar Sharma :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) State-wise average of land allotted to landless persons during the last three years; and

(b) the number of persons, out of them, who belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) It is estimated that a total area of 17,30,326 acres of ceiling-surplus land was distributed in 1975, 1976 and 1977. The Statewise break-up is given in the Annexure I. These figures are approximate, chiefly because the information furnished by some State Governments relates to different periods.

In addition, an area of 21,11,995 acres of waste land was distributed by State Governments during 1976-77. Statewise details are given in Annexure II. The Government of India do not have information on the area distributed earlier.

(b) Under the revised ceiling laws 3,70,283 persons belonging to the Scheduled Castes and 1,16,727 persons belonging to the Scheduled Tribes have been allotted ceiling-surplus lands uptodate. The total number of beneficiaries is 9,37,566. Information on the number of persons belonging to these communities allotted land during 1975-77 is not available, but since the area distributed under revised ceiling laws prior to 1975 was not very large, the number of beneficiaries prior to 1975 would be very small. Information on the number of Scheduled Caste/Scheduled Tribe allottees under pre-revised ceiling laws and under the waste land distribution programme is not available.

Statement I

Statewise distribution of ceiling-surplus lands

Name of the States/Union Territories	Area distributed (in acres)
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1,59,820
Assam	3,06,521
Bihar	1,25,978
Gujarat	6,709
Haryana	21,648
Himachal Pradesh	4,143
Jammu & Kashmir	..
Karnataka	35,674
Kerala	38,600
Madhya Pradesh	41,261
Maharashtra	2,81,990
Manipur	..
Orissa	91,200
Punjab	14,700
Rajasthan	2,67,724
Tamil Nadu	34,141
Tripura	215
Uttar Pradesh	1,47,832
West Bengal	1,49,207
Dadra & N. Haveli	2,202
Delhi	101
Pondicherry	660
TOTAL	17,30,326

Statement II

Statewise distribution of wastelands.

Name of the States/Union Territories	Area distributed (in acres)
(1)	(2)
Andhra Pradesh	1,86,884
Assam . .	N.A.
Bihar .	N.A.
Gujarat . .	1,327
Haryana .	240
Himachal Pradesh	59,319
Jammu & Kashmir .	..
Karnataka . .	N.A.
Kerala . .	24,257
Madhya Pradesh	N.A.
Maharashtra .	1,24,500
Manipur	18,770
Orissa . .	31,421
Punjab . .	N.A.
Rajasthan .	7,00,919
Tamil Nadu .	39,065
Tripura . .	18,386
Uttar Pradesh . .	8,66,081
West Bengal . .	36,929
Dadra & Nagar Haveli	Nil
Delhi . . .	1,992
Goa, Daman & Diu	1,905
Pondicherry .	Nil
TOTAL	21,11,995

D.D.A. Flats

4372. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) type-wise number of D.D.A. flats allotted so far;

(b) type-wise number of registered persons at present who have not yet been allotted flats indicating full details thereof; and

(c) type-wise number of D.D.A. flats proposed to be allotted to registered persons in the near future and the time by which these would be allotted ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :

	M.I.G	L.I.G	JANTA/CSP	TOTAL
(a)	11483	12456	8848	32787
(b)	9599	8829	6311	24739

(c) 366 flats of the MIG category, 2683 flats of the LIG category and 1108 flats of Janta/CSP category are nearing completion and are proposed to be allotted in the near future.

Exemption of Janata and C.S.P. Quarters of DDA from Land Tax

4373. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to exempt land tax on the Janata and C.S.P. Quarters sold through DDA; and

(b) if so, the time by which a final decision is likely to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) The Delhi Development Authority and the Municipal Corporation of Delhi have reported that no land tax is being collected on the Janata and C.S.P. quarters sold through Delhi Development Authority. However, the Delhi Development Authority charges an annual ground rent.

(b) Does not arise.

भारत के गेंहूं की घटिया किस्म के बारे में रूसी वैज्ञानिकों के विचार

4374 **श्री सरत कार :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला :

श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व गेहूं गोष्ठी में भाग लेने वाले रूसी वैज्ञानिकों ने कहा था कि रूस के गेहूं की तुलना में भारत का गेहूं निश्चित रूप से घटिया किस्म का है;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि हमारे देश के गेहूं की किस्म विश्व में सर्वोत्तम है; और

(ग) यदि हां, तो इस गोष्ठी के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और क्या रतुआ रोगों, जो सामान्यतया गेहूं की फसल के लिये बड़ा खतरा होते हैं के किसी उपचार का पता लगाया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कुछ समाचार पत्रों में "भारतीय गेहूं रूस के गेहूं से घटिया" नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट छपी थी। यह रिपोर्ट एकेडेमिशियन एन० वी० टर्बिन और डा० एम० ए० फेडिन के वक्तव्य पर आधारित बतायी जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को लिखे गये एक पत्र में इन दो सोवियत वैज्ञानिकों ने निम्न बातें कहीं हैं:—

1. "हमने एक भेंट में सर्दियों और बंसत के गेहूं की कुछ रूसी किस्मों का जिक्र किया था, जिनके दानों में पकाने (कुकिंग) की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका यह मतलब नहीं,

और हमने यह कहा भी नहीं कि ये किस्में संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि कुछ किस्में कुछ विशेष वातावरण की स्थितियों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकती हैं।

2. हमने भारतीय गहूं की किस्मों के बारे में कोई नकारात्मक बात नहीं कहीं थी, जैसा कि ऊपर दिये गये शीर्षक से पता चलता है। वस्तुतः भारत में विकसित कुछ बंसत के गेहूं की अर्ध-बौनी किस्में हमारे भारतीय सहयोगियों--भारतीय पौध--प्रजनकों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का प्रतीक हैं।"

(ख) गेहूं की क्वालिटी उसकी किस्म, स्थान और उसके साथ-साथ विभिन्न सस्य क्रियाओं, जिनमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी शामिल है, द्वारा प्रभावित होती हैं। इसका सम्बन्ध इस बात से भी होता है कि दाने का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। भारतीय गेहूं की किस्मों में चपाती बनाने की क्वालिटी अभूतपूर्व होती है। स्वचालित मशीनों से डबलरोटी बनाने के लिये ऐसी गेहूं की किस्में उपयुक्त होती हैं जिनमें ग्लूटिन अधिक हो और इस प्रयोजन के लिए उत्तरी अमरीका, रूस और पश्चिमी यूरोप की किस्में आमतौर पर छांटी जाती हैं। जहां तक पोषक क्वालिटी का संबंध है, हमारे यहां की गेहूं की कई किस्में कहीं भी उगायी जाने वाली किस्मों के बराबर अच्छी हैं।

(ग) विचार-गोष्ठी में विस्तार से क्वालिटी संबंधी विषयों पर विचार हुआ, जिनका संबंध प्रोटीन और लाइसिन तत्व अधिक होना और कुछ वांछनीय गुणों जैसे रोग रोधिता आदि के बारे में था, जिससे गेहूं की फसल को सुधारा जा सके। गेहूं की कुछ व्यावसायिक किस्मों जैसे कल्याण सोना, सोनालिका की बहुप्रजातियों के उपयोग के बारे में विचार हुआ, जिससे कि रतुआ की महामारी को रोका जा सके और गेहूं के उत्पादन में स्थिरता लायी जा सके। भारतीय गेहूं विज्ञानियों ने कुछ बहु प्रजातियां विकसित कीं हैं जिनसे आशा की जाती है कि भारत में रतुआ की महामारी के प्रकोप को रोकने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। यह भी जोर दिया गया कि अधिक उपज देने की क्षमता बढ़ाने के लिए गेहूं की किस्मों को रोग रोधी जीन डालकर संरक्षित किया जाना चाहिए। ये जीन आमतौर पर व्यावसायिक रूप से उगाये जाने वाले गेहूं की आम किस्मों से लिये जा सकते हैं।

चितरंजन पार्क में रिहायशी स्थलों के मूल्य में परिवर्तन

4375. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांगलादेश) के विस्थापित लोगों को चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में रिहायशी स्थलों का आबंटन किया था और इन लोगों ने वह भूमि सरकारी दर पर खरीदी थी ;

(ख) क्या सरकार ने चितरंजन पार्क के लोगों को रिजर्व बैंक के चालान इन स्थलों के मूल्य के रूप में और अधिक भुगतान के लिये भेजे हैं क्योंकि चितरंजन पार्क में सरकार ने भूमि का पुनः मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि चितरंजन पार्क के सभी वर्ग के लोगों ने इस पर रोष प्रकट किया है;

(ङ) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) चितरंजन पार्क में भूमि का पुनः मूल्यांकन किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आए पात्र विस्थापित व्यक्तियों को प्लाट 30 रुपए प्रति वर्ग गज अस्थायी प्रीमियर की दर पर जिसमें भूमि की अर्जन लागत 12 रुपए और विकास लागत 18 रुपए है, आबंटित किए गए थे । अलाटियों द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित तथा अस्थायी प्रीमियम के बीच के अन्तर की राशि का भुगतान करना था । प्रीमियम की दर अन्तिम रूप से 36.20 रुपए प्रति वर्ग गज निर्धारित की गई है जिसमें प्लाट के लिए अंकित क्षेत्र की अर्जन लागत 12 रुपए प्रति वर्ग गज और प्लाट के लिए अंकित क्षेत्र की विकास लागत 24.20 रुपए प्रति वर्ग गज है । तदनुसार, अलाटियों को रिजर्व बैंक चालान भेजे गए थे जिसमें राशि के अन्तर का भुगतान करने के लिए उनसे अनुरोध किया गया था ।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । भूमि अर्जन की लागत से सम्बन्धित प्रश्न की आगे जांच की जा रही है ।

(च) उपरोक्त (क), (ख) और (ग) में दिए गए उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

Persons Displaced due to Implementation of Kosi Project

†4376. **Shri Vinayak Prasad Yadav :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 5 to 6 lakh people have been rendered displaced i.e. uprooted as a result of the implementation of Kosi Project in Bihar;

(b) whether it is also a fact that no effective and concrete steps have so far been taken to rehabilitate them economically; and

(c) if answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the time by which arrangements would be made by Government in this regard ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) About 2,58,000 people in 301 villages are affected because of the Eastern and Western embankments to Kosi.

(b) & (c) The Government of Bihar have reported that the rehabilitation scheme as formulated by the Government of Bihar in 1957-58 envisaged shifting of the homesteads to safer locations outside the embankments but allowing the people to continue to practise their earlier means and pattern of livelihood. Cultivation of lands between the two embankments has been allowed to be continued as was being done before the construction of the Kosi project. Provision of Rs. 2.13 crores was made in the project estimate for resettlement of affected population. Of this, about Rs.1.78 crores, comprising Rs. 1.13 crores as grants for construction of houses and Rs. 0.65 crore for other amenities such as approach roads, tanks, wells, community centres, schools and temples etc., has been spent. An area of 3060 acres has been acquired outside the embankments to rehabilitate these people, against which an area of 1278 acres has already been allotted. House building loans have so far been provided to 37059 families.

Spray of Pesticides from Helicopter

4377. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of the States where helicopters were used for spraying pesticides and the methods adopted by Government for spraying operations in rest of the States; and

(b) whether Government have taken some other measures to make them available to the farmers for pesticide spraying ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Helicopters were used for aerial spraying of pesticides during 1977-78 in the States of Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Kerala, Karnataka and Goa. In rest of the States (where aerial spraying was undertaken, *viz.*, Orissa, Manipur and Uttar Pradesh), aerial operations were undertaken by Fixed Wing aircraft. Fixed Wing aircraft also operated in the States of Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh and Karnataka. Spraying of pesticides for the control of pest and diseases is also done by ground methods. This method is being used in almost all the States.

(b) There is a sizable fleet of Fixed Wing aircraft and some helicopters with the Government of India. The Government is examining the feasibility of strengthening this fleet.

Central Grant for Eradication of Illiteracy

†4378. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of adult schools being run by various States, State-wise, with a view to eradicating illiteracy from the country; and

(b) whether any additional central grants have been provided for the promotion of this scheme and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) & (b) A large number of adult eduction centres are being run in all parts of the country. The Central Government provides 100% grant to the State Governments/UT Administrations for organisation of adult education centres under the schemes of Farmers' Functional Literacy and Non-formal Education for the age-group 15-35. Financial assistance is also provided to voluntary agencies for various types of adult education projects.

Social Organisation Receiving Grants for Social Welfare Department and Foreign Countries

4379. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of such Social Welfare Organisations in the country which receive grants from Social Welfare Department of the Ministry and foreign countries indicating the names of such Organisations and the details of the financial assistance received by them during the last three years; and

(b) whether an audit of the expenditure incurred out of the grants received by these Organisations is done by Central Government ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) and (b) The requisite information is being collected and will be laid on the table of the House.

गन्दी बस्तियां हटाने और गन्दी बस्तियों में सुधार करने के कार्यक्रम

4380. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों 1975, 1976 और 1977 के दौरान देश के सभी प्रमुख नगरों में गन्दी बस्तियों में सुधार करने तथा गन्दी बस्तियां हटाने के कार्यक्रमों को गहन बनाया है और/अथवा उन्हें गति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार सीधे खर्च किए गए धन तथा एक अथवा अनेक राज्यों को दी गई केन्द्रीय वित्त सहायता सहित उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिए कोई नये और विचारणीय कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) गन्दी बस्ती सफाई/सुधार तथा गन्दी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार की योजनाएं क्रमशः 1 अप्रैल, 1969 और 1 अप्रैल ,1974 से राज्य क्षेत्र में हैं । इन योजनाओं का राज्य क्षेत्र में अन्तरण के पश्चात् इनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती । पांचवीं योजना अवधि के दौरान गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार की योजना को ऐसे शहरों में भी लागू कर दिया गया है जिनकी आबादी 3 लाख या इससे अधिक है ।

संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि विश्वविद्यालय

4381. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में एक अथवा अनेक संघ राज्य क्षेत्रों में एक अथवा अनेक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) शिक्षा आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने यह निश्चय किया था कि प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये । देश में 16 प्रमुख राज्यों में (जम्मू-कश्मीर के सिवाय) 21 कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करके यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है । कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना एक महंगी जोखिम है और केन्द्र शासित क्षेत्रों में कृषि में प्रशिक्षित मानव शक्ति इतनी कम है कि उनमें से किसी भी क्षेत्र में एक पूर्ण विकसित कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना न्यायसंगत नहीं ठहरती ।

आन्ध्र प्रदेश में लघु सिंचाई का लक्ष्य

4382. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में वर्ष 1977-78 के लिये लघु सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र द्वारा राज्य को लघु सिंचाई के लिये धन के अपर्याप्त आबंटन के कारण ऐसा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) लघु सिंचाई योजनाओं सतही जल प्रवाह/उठाऊ सिंचाई योजनाओं, भूमिगत जल योजनाओं व सरकारी नल कूपों से 1977-78 के दौरान अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करने के लिए 47

हजार हैक्टार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । 1978-79 के लिए वार्षिक योजना के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 9-1-78 को राज्य के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह सुनिश्चित किया गया था कि ये लक्ष्य पूर्णतः पूरा हो जाएगा ।

(ग) उक्त (क) तथा (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता ।

आवास तथा नगरीय विकास निगम को आवास योजनायें

4383. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास तथा नगरीय विकास निगम द्वारा हाल ही में अनुमोदित 42.22 करोड़ रुपये की लागत वाली 19 आवासीय योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) राज्यों में आवासीय योजनाओं के लिए आवास तथा नगरीय विकास निगम ने अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता के लिए वचन दिया है ; और

(ग) आवासीय योजनाओं के लिए राज्यों को अब तक राज्यवार कुल कितना ऋण दिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 16 नवम्बर, 1977 से 10 फरवरी, 1978 की अवधि के दौरान हुडको ने 59 योजनाओं को मंजूरी दी थी न कि 19 योजनाओं की और उनकी लागत 42.22 करोड़ रुपये थी । इन योजनाओं में 19,306 रिहायशी एककों, 701 गैर रिहायशी भवनों का निर्माण तथा 2,114 प्लाटों का विकास किया जाना है । राज्यवार ब्यौरों का विवरण संलग्न है (अनुलग्नक 1) ।

(ख) तथा (ग) हुडको की 15 मार्च 1978 को कुल ऋण वचनबद्धता 309.23 करोड़ थी जो 726 योजनाओं के लिए है। दी जाने वाली ऋण सहायता तथा अभी तक दी गई ऋण सहायता सहित राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं (अनुलग्नक 2)।

विवरण 1

हुडको द्वारा मंजूर की गई 59 योजनाओं के राज्यवार ब्यौरे

(16 नवम्बर, 1977 से 10 फरवरी, 1978 की अवधि के दौरान)

राज्य का नाम	योजनाओं की सं०	प्रोजेक्ट की लागत	स्वीकृत ऋण
1	2	3	4
		(करोड़ रुपयों में)	
आन्ध्र प्रदेश	1	0.099	0.050
असम	1	0.816	0.595
बिहार	2	8.759	5.911
गुजरात	9	1.319	0.962

1	2	3	4
हरियाणा	2	2.145	1.579
कर्नाटक	6	2.582	1.824
मध्य प्रदेश .	1	0.142	0.123
महाराष्ट्र . . .	5	7.482	4.181
पंजाब	1	1.171	0.760
राजस्थान	3	2.122	1.475
तमिलनाडु	12	3.891	2.685
उत्तर प्रदेश	15	8.954	6.686
पश्चिम बंगाल	1	2.733	1.840
13 राज्य	59 योजनाएं	42.215	28.671

विवरण 2

हुडको द्वारा 15 मार्च 1978 तक स्वीकृत की गई योजनाओं तथा उनके लिए दी गई सहायता के राज्यवार ब्यौरे

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में)	दिए गए ऋणों की राशि
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	42	14.993	5.10
असम .	1	0.595	—
बिहार	15	14.075	2.07
गुजरात	102	31.556	18.70
हरियाणा .	47	19.997	10.85
हिमाचल प्रदेश	12	1.455	1.10
जम्मू और कश्मीर	4	4.186	1.05
कर्नाटक	47	21.953	9.88
केरल	23	9.677	3.87
मध्य प्रदेश .	55	18.973	14.57
महाराष्ट्र	43	29.505	13.79
उडीसा	14	4.938	1.97

1	2	3	4
पंजाब . . .	22	10.447	6.27
राजस्थान	52	21.397	14.62
तामिलनाडु	130	36.258	20.14
उत्तर प्रदेश	80	38.600	22.46
पश्चिम बंगाल	20	14.165	4.84
संघ राज्य क्षेत्र			
चण्डीगढ़ .	5	3.433	0.91
दिल्ली . .	9	12.748	10.62
गोवा, दमन और दियु . .	2	0.106	0.10
पाण्डेचेरी .	1	0.174	—
कुल . . .	726	309.231	162.91

कृषि प्रयोजनों के लिये समुद्री जल का प्रयोग

4384. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कृषि प्रयोजनों के लिये समुद्री जल का प्रयोग करने के बारे में कोई प्रयोगात्मक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) समुद्री जल तथा अन्य सामान्य जल संसाधनों के प्रयोग की तुलनात्मक लागत क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कसारगाड (केरल) केन्द्र को कृषि हेतु लवणीय जल के उपयोग पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना केन्द्रों में से जो एक है, स्वीकृति प्रदान कर दी है जहां भिन्न-भिन्न प्रकार से हल्का करके समुद्री जल सिंचाई से नारियल पर पड़ने वाले प्रभावों का परीक्षण किया गया है । इसके बाद, सिंचाई के लिये समुद्री जल के उपयोग पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस संस्थान पर कार्यान्वियन के लिये एक तदर्थ स्कीम स्वीकृत हो गयी है । इसके अलावा, सिंचाई के लिए समुद्री जल के उपयोग पर केन्द्रीय लवण व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर द्वारा भी कार्य किया जा रहा है जो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान के अधीन कार्य कर रहा है ।

(ख) समुद्री जल में 3 प्रतिशत से अधिक नमक पाया जाता है और नमक की इतनी मात्रा लगभग सभी कृषि फसलों के लिए हानिकारक है । समुद्री जल का उपयोग उसी दशा में किया जा सकता है जबकि उसमें मिलाने के लिए कुछ ताजा पानी भी उपलब्ध हो । तथापि, अब तक उपलब्ध परीक्षण परिणाम इस प्रकार हैं :--

कृषि के लिए लवणीय जल के उपयोग पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना के अधीन, केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कसारगाड (केरल) द्वारा कार्य किया गया । अच्छी गुणवत्ता युक्त जल

ग्रौर समुद्री जल के भिन्न-भिन्न घोलों के परीक्षण नारियल की सिंचाई के लिए किये गये । यह पाया गया कि सिर्फ समुद्री जल ने मिट्टी का लवणीय स्तर बढ़ाया किन्तु इसका प्रभाव तुलनात्मक रूप से उस समय कम हो गया जबकि अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का परिमाण बढ़ाया गया।

केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान के अधीन केन्द्रीय लवण तथा समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में अनाजों, दालों, तिलहनों, मक्की आदि तथा चारा फसलों पर (ताजा पानी मिलाकर) हल्का करने पर समुद्री पानी की सहनशीलता का आक्कलन करने का कार्य प्रगति पर है । यह पाया गया है कि अंकुरण की अवस्था में, ये फसलें अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील है। किन्तु एक बार अच्छा पानी देकर यदि अंकुरण शुरू हो सके तो अनाज की फसलें नमक का पानी में लगभग 10,000 पी पी एम तक सह सकती हैं अर्थात् समुद्री पानी में नमक लगभग 1/3 सांद्रता।

गेहूं के मामले में, खरांचिया किस्म हल्का किए गये समुद्री पानी की सिंचाई को अपेक्षाकृत अधिक सह सकती है । टेपियोका किस्मों में एच 99 तथा एच 266 किस्में 15,000 पी पी एम के हल्का किये गये समुद्री पानी को सहन करने वाली पायी गयी।

(ग) इस पक्ष पर कोई विशिष्ट कार्य नहीं किया गया है ।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के कार्यों की व्यवस्था करने के लिए प्रशासक की नियुक्ति

4385. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल प्रदेश सं० 581/77 के अन्तरिम आदेश में सहकारी समितियों के पंजीयक दिल्ली को निदेश दिया था कि वह दिली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के कार्यों की जांच करने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करें ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त आदेश का ब्यौरा और तारीख क्या है ;

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के कार्यान्वियन हेतु दिल्ली प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) इन आदेशों को कार्यरूप देने में दिल्ली प्राशासन की ओर से विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) इस मामले में जानबूझकर विलम्ब करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(च) दिल्ली उच्च न्यायालय में उपरोक्त सोसायटी से संबंधित सिविल प्रदेश संख्या 581/77 और 659/77 की नवीनतम स्थिति क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) तक : प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) सिविल याचिका सं० 659/77 3 अप्रैल, 1978 को सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है । सिविल याचिका सं० 581/77 की सुनवाई के लिए अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है ।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी दिल्ली के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

4386. **श्री राम नरेश कुशवाह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 25 मई, 1977 को दिल्ली के उप-राज्यपाल के सार्वजनिक दरबार में दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली के कुछ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में किन मुद्दों को उठाया गया है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ;

(ख) उन व्यक्तियों का पूरा ब्यौरा क्या है जिनके नाम 1489 सदस्यों की वर्ष 1975 में राज्यसभा के पटल पर रखी गई सूची में सम्मिलित नहीं थे, जिन्होंने वर्ष 1974 में रजिस्ट्रार के समक्ष शपथ पत्र दायर किए थे, परन्तु जो 31 अगस्त, 1977 को सोसायटी द्वारा जारी की गई सदस्य सूची में अब सम्मिलित किए गए हैं और प्रत्येक मामले में सम्मिलित करने के कारण क्या हैं ; और

(ग) विधि संबंधित उपबन्ध क्या हैं जिनके अधीन हाउस बिल्डिंग सोसायटी की सदस्यता हस्तांतरित की जा सकती है, किस तारीख से हस्तांतरी की सदस्यता प्रभावी होती है और उपरोक्त सोसायटी को सदस्यता के हस्तांतरण के मामलों की संख्या कितनी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

Supply of Wheat from F.C.I. Daltonganj, Bihar

4387. **Shri R.D. Ram** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news-item appearing in certain newspapers to the effect that due to the negligence on the part of Food Corporation of India at Daltonganj (Bihar) 60 thousand quintal of wheat in the district godowns of the Corporation is weevilled, hollow and dusty and it has not been replaced by the Food Corporation of India with wheat fit for human consumption;

(b) whether Government are also aware that due to the negligence the wheat and rice supplied to the consumers during December, 1977 and January, 1978 was very less than the quota fixed in this regard and there was resentment among the consumers as a result thereof; and

(c) whether only two wagons out of the wheat sent at the Daltonganj Railway Station by the Food Corporation of India for the consumers on the 24th February, 1978 was good whereas the rest was weevilled; and if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

सरदार वल्लभभाई पटेल रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी का बन्द किया जाना

4388. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी महामारी रोग के कारण सरदार बल्लभ भाई पटेल रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, सूरत पन्द्रह दिन के लिए बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह रोग क्या है ; और

(ग) क्या छात्रों की कुछ मौतें भी हुई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सरदार बल्लभभाई पटेल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय कालेज, सूरत के छात्र फरवरी, 1978 के दूसरे सप्ताह से लेकर बीमार होने शुरू हुए, उनमें से बहुतों को बहुत तेज बुखार था। संस्थान के डाक्टर ने जो अधिकांश बीमार छात्रों का उपचार कर रहा था इसका कारण इन्फल्युएन्जा जैसा वाईरस बताया। अतः कालेज को 27 फरवरी, 1978 से 12 मार्च, 1978 तक दो सप्ताह के लिए बन्द कर दिया गया और 13 मार्च, 1978 से फिर खोल दिया गया। कालेज सामान्य रूप से चल रहा है।

(ग) प्रथम वर्ष के एक छात्र अर्थात्, श्री कृष्ण कुमार को 1 फरवरी, 1978 को सर पी० टी० जनरल हस्पताल, सूरत में दाखिल किया गया। उसको बुखार था और बाद में खून बहना शुरू हो गया। 5 फरवरी, 1978 को जब उसके माता-पिता उसके पास थे छात्र की मृत्यु हो गई। इस छात्र का स्वास्थ्य पहले भी ठीक नहीं चल रहा था।

Housing Facilities in the States

4389. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the steps to provide housing facilities in various States;

(b) the amount of assistance to be provided by the Central Government to such States during the year 1977-78 and 1978-79 State-wise; and

(c) the steps taken by the Central Government and the proposed plans to provide housing facilities at the places where there are Central Government employees in large numbers ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Except the Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers, all the social housing schemes formulated by this Ministry are in the State Sector. The Housing and Urban Development Corporation, a public sector undertaking of the Central Government, provides finance to housing agencies for housing. The Life Insurance Corporation of India also provides finance to State Governments and Apex Co-operative Housing Finance Societies for Housing.

(b) Central financial assistance for all State Sector Plan Schemes including housing, is released to the State Governments in the shape of 'block loans' and 'block grants' without their being tied to any particular scheme or head of development. The State Governments are free to utilise funds for various State Sector programmes, including housing, according to their requirements and priorities.

The approved plan outlay for the year 1977-78 for all States/Union Territories Administration is Rs. 133.20 crores. Besides, a sum of Rs. 19.50 crores has been allocated to the State Governments as L.I.C. loan for this purpose. The proposed plan outlay for 1978-79 is Rs. 137.22 crores.

(c) This Ministry has provided general pool residential accommodation for Central Government employees in most of the places where Central Government offices are located. With a view to providing more residential accommodation to Central Government employees, it is proposed to take up a crash programme of construction of houses.

Flats constructed by D.D.A.

4390. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) typewise number of flats constructed so far by D.D.A.;

(b) typewise number of flats sold or registered in various names; and

(c) the number of such flats proposed to be constructed further in the next two years ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) :

	M.I.G.	L.I.G.	Janta/CSP	Total
(a)	11,547	12,499	8,961	33,007
(b)	11,483	12,456	8,848	32,787

(c) 16,669 flats are under contruction. Delhi Development Authority proposes to construct 10,000 flats every year.

Plots in Kalkaji

4391. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether some plots in Kalkaji (Delhi) were auctioned by Department of Rehabilitation in 1973;

(b) if so, the number of persons allotted plots and given possession thereof after they had deposited the necessary amount; and

(c) the number of persons yet to be allotted plots ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (c) Yes, Sir. 50 plots in Kalkaji Colony were put to auction in 1973 on 'as is where is basis'. Bid in respect of one plot was rejected. In other 49 cases bids were accepted and after recovering sale price, lease deeds were issued in 48 cases. In the remaining one case, the purchaser represented that the plot sold to him was open on three sides and not on two sides. This contention was not found to be correct. However, he was given offer for alternative plots in the same colony but he did not accept. After obtaining legal advice, the sale was cancelled and the purchaser was offered the refund of sale price, but he has not taken the refund so far.

Assistance for Flood Control

†4392. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount of assistance provided to various States for flood control during 1976-77 and upto the end of 1977;

(b) the measures suggested by the National Flood Control Commission for the control of floods keeping in view the position of various States; and

(c) the other steps taken by Government in this direction ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) Central assistance to State Governments for the State plans is given in the shape of block loans and grants unrelated to any particular head of development or scheme. However, taking into account the magnitude and complexity of flood problems and its urgency, financial assistance is being given as a special case to Assam and Orissa States for flood control works in Brahmaputra Valley and Rengali Dam Project. The assistance proposed to be given during 1976-77 and 1977-78 is as follows :—

Name of State Government	1976-77	1977-78
	(Rs. in crores)	
Assam	6	7.756 (proposed)
Orissa	1.75	2.77 (proposed)

In addition, Advance Plan Assistance allocated/released to the States so far by the Centre during 1977-78 towards expenditure necessitated due to floods of 1977 is as under:—

(Rs. Crores)

Sl. No.	State	Calamity	Advance Plan Assistance	
			Allocated	Released (as on 16-3-1978)
1.	Andhra Pradesh	Cyclone	56.52	25.00
2.	Assam	Floods	3.23	3.00
3.	Gujarat	Floods	10.43	3.00
4.	Haryana	Floods	11.00	3.00
5.	Himachal Pradesh	Floods	2.70	1.00
6.	Kerala	Cyclone	3.64	2.00
7.	Orissa	Floods	8.52	2.00
8.	Rajasthan	Floods	7.97	2.00
9.	Tamil Nadu	Cyclone	29.31	16.00
10.	Uttar Pradesh	Floods	10.00	3.00
11.	West Bengal	Floods	4.41	4.00

(b) The National Flood Commission has not so far suggested any measures for the control of floods in different States.

(c) Flood control forms part of State Sector and, therefore, the initiation, formulation and implementation of flood control schemes is the responsibility of the State Government concerned. Flood control measures on a country wide basis were initiated in 1954. Since then, 10,400 Km. length of embankments 17,850 Km. length of drainage channel 250 town protection schemes and raising of 4700 villages have been completed at an estimated expenditure of Rs. 533 crores. These measures have afforded a reasonable protection to about 95 lakhs ha. out of a total area of 250 lakhs ha. prone to floods in the country. A number of reservoirs have also been constructed on major rivers providing relief against floods. Comprehensive plans for the flood prone areas in the various States are being prepared by the State Governments. For the more flood prone river basins, special organisations have been set up for the preparation of these plans. These organisations are the Brahmaputra Flood Control Commission set up by the Government of Assam and North Bengal Flood Control Commission set up by the Government of West Bengal. The Centre has set up the Ganga Flood Control Commission for preparing the comprehensive plan of flood control in the Ganga Basin.

The Government of India have also set up Rashtriya Barh Ayog to review the flood protection measures undertaken since 1954 and to evolve a co-ordinated, integrated and scientific approach to the flood control problem in the country.

कृषि और सम्बद्ध अनुसंधान कार्य पर किया गया व्यय

4393. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कृषि और सम्बद्ध अनुसंधान कार्य पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या कोई नई खोज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश की कृषि अर्थ व्यवस्था में उनके प्रयोग से किस प्रकार मजबूत होने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1977-78 के दौरान 62.65 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की संभावना है । इसके अतिरिक्त,

कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्रों में अनुसंधान राज्य सरकारों के तत्वावधान में उनके कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्य अनुसंधान केन्द्रों पर भी अनुसंधान कार्य किया जाता है जिसके लिए राज्य बजटों में आबंटन किया जाता है।

(ख) जी हां, श्रीमान् । कृषि तथा समवर्गीय क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य देश भर में कुछ सार्वजनिक, अर्धसार्वजनिक तथा निजी संस्थानों के अलावा 31 केन्द्रीय संस्थानों, 4 प्रायोजना निदेशालयों, 51 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं तथा 21 कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाया जा रहा है । फसलों, पण्यों, पशु विज्ञानों तथा कृषि प्रणालियों आदि के क्षेत्र में की गयी नयी अनुसंधान वार्षिक रूप से विशिष्ट विषयों में अनुसंधान रिपोर्टों, अनुसंधान विशिष्टताओं, बुलेटिनों व पुस्तकों के रूप में प्रकाशित की जाती हैं । गत वर्ष के दौरान की गयी प्रमुख अनुसंधानों में से कुछ निम्नलिखित है :—

चावल की अधिक उपज देने वाली अनेक किस्में, विशेषकर 'आकाशी' और 'रासी' समस्या मिट्टियों, विशेषकर कम फास्फेट वाली तथा उ० प्र०, मध्यप्रदेश के कुछ भागों, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा कर्नाटक के वर्षाश्रित ऊंची जमीनों के लिए जारी की गयीं । वर्षाश्रित ऊंचे क्षेत्रों के लिए एक कम अवधि वाली किस्म सी आर एम 30 जो 70 से 73 दिनों के बीच पक जाती है, भी जारी की गयी । निचली भूमि वाले क्षेत्रों के लिए, जहां पानी 50 से० मी० से अधिक नहीं भरता, सी आर 1006, सी आर 1009, सी आर 1012, सी आर 1014 आशाजनक किस्मों के रूप में जारी की गयीं । इन किस्मों से अपेक्षा की जाती है कि खरीफ के दौरान समस्या क्षेत्रों में ये चावल उत्पादन की दिशा में स्थायित्व प्रदान करेंगी ।

गेहूं पर हुए अनुसंधान कार्यक्रम ने उत्पादन तथा किसानों का विश्वास पाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित कर ली है । छः नयी किस्में—अर्थात् उत्तर-पश्चिमी मैदानी पट्टी, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर सम्मिलित हैं, के लिए एच डी 2204 तथा आई डब्ल्यू पी 72, उत्तर-पूर्वी मैदानी पट्टी जिसमें कि बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा मणिपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय सम्मिलित हैं, के लिए के 7410 तथा एच डब्ल्यू 12, प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तामिलनाडु आते हैं, के लिए एच डब्ल्यू 657 तथा उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के उत्तरी पहाड़ियों के क्षेत्रों के लिए वी एल 421 की सिफारिश की गयी है ।

दालों में चने की दो अधिक उपज देने वाली किस्में उत्तरी मैदानी पश्चिमी पट्टी के लिए एल जी 203 तथा उत्तरी मैदानी पूर्वी पट्टी के लिए 468 तथा खरीफ मूंग की एक किस्म एम एल 5 और मसूर की पंथ 209 तथा पंथ 406 किस्में जारी की गयी हैं ।

किसानों के खेतों में किये गये राष्ट्रीय प्रदर्शनों में, आश्वासित उपकरणों और विकसित प्रौद्योगिकी के साथ फसलों को दो से तीन चक्रों में उगाकर खाद्यान्नों की कुल उपज प्रतिवर्ष 10 टन या इससे अधिक प्रति हैक्टर तक पाना संभव था । फसल चक्रों में से जो कुछ लाभजनक पाये गये हैं—चावल—चावल—चावल, चावल—गेहूं—चावल, चावल, मक्का—चावल और चावल—गेहूं ।

एजोला—जो कि एक—जल-पर्णांग है, को चावल के खेतों में जीव-उर्वरक के एक अच्छे स्रोत के रूप में पाया गया क्योंकि इसकी पत्तियां नेत्रजन व नीलीहरी एलजाई युक्त हैं ।

आन्ध्र प्रदेश की चल्का (खड़िया) मिट्टियों में मूंगफली तथा धान के छिल्कों का चूर्ण मिलाने से मिट्टी की भौतिक स्थिति में तथा मूंगफली, बाजरा तथा गेहूं की उपज में सुधार हुआ ।

पशु-विज्ञानों तथा मत्स्य अनुसंधान में भी यथेष्ट प्रगति हुई है । मछली पकड़ने की छोटी-छोटी नौकाओं से समुद्री मछलियां––विशेषकर सारडाइन तथा मैकेरेल जैसी किस्मों को पकड़ने में वृद्धि करने के लिए एक "पर्स सीन" का विकास किया गया है ।

(ग) नयी कृषि प्रौद्योगिकी प्रारम्भ होने के फलस्वरूप देश की कृषि––अर्थ-व्यवस्था में एक परिवर्तन आ रहा है। वर्ष 1966-67 से 1976-77 के दौरान अकेले गेहूं की उपज अपने प्रारम्भिक स्तर से लगभग ढाई गुणा बढ़ गयी है । देश में अब खाद्यान्नों का आयात बन्द हो चुका है और एक सुखद "बफर-स्टाक" भी बन चुका है।

ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत योजनाएं

4394. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण रोजगार परियोजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनाएं अपनाई गई हैं ;

(ख) चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च की गई और इनसे कितने नये रोजगार उपलब्ध हुए; और

(ग) आगामी वर्षों के लिए और कौन सी योजनाओं पर विचार किया गया है और उनसे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) संगृहीत खाद्यान्नों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से एक अप्रैल, 1977 से एक योजना शुरू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए मजदूरों की किस्म के रूप में उनकी मजदूरी के एक भाग अथवा उसकी पूर्ण अदायगी हेतु राज्यों को गेहूं और अथवा माइलो उपलब्ध कराया जाता है । चालू वर्ष में असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को 25.70 करोड़ रुपये मूल्य का खाद्यान्न आंवटित किया गया है। विभिन्न राज्यों को गेहूं और माइलो की आवंटित मात्रा को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

वर्ष 1978-79 के दौरान गहन कार्यक्षेत्र की एक अथवा अधिक विशेष क्षेत्र विकास अथवा लाभ भोगी अनुस्थापित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाए गए 3000 खण्डों में 2000 खण्डों में शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा पूर्ण रोजगार के लिए विस्तृत क्षेत्र आयोजना हेतु प्रति वर्ष 300 खण्डों में इसकी शुरूआत की जाएगी। खण्ड क्षेत्र आयोजना हेतु अगले वर्ष के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है ।

ये केन्द्रीय योजनाएं राज्यों में चल रहे विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के अलावा हैं, जो ग्रामीण रोजगार का सृजन भी कर रही हैं।

विवरण

विभिन्न राज्यों को आबंटित की गई मात्राओं को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	आबंटित मात्राएं (मीटरी टन) गेहूं	माइलो	मूल्य (लाख रुपयों में)
1. असम	7500	—	93.75
2. बिहार	30000	—	375.00
3. कर्नाटक	1000	1000	19.50
4. केरल	6000	—	75.00
5. महाराष्ट्र	11940	450	152.40
6. मध्य प्रदेश	10000	—	125.00
7. हिमाचल प्रदेश	940	—	11.75
8. उड़ीसा	30000	—	375.00
9. उत्तर प्रदेश	42000	400	527.80
10. पश्चिम बंगाल	51200	—	640.00
11. राजस्थान	6000	—	75.00
12. पंजाब	8000	—	100.00
योग	204580	1850	2570.20

कृषि क्षेत्र के लिए अमरीकी सहायता

4395. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार नई दिल्ली में भारत-अमरीका संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान कृषि क्षेत्रों के लिए सहायता देने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) जनवरी, 1978 में हुई भारत-अमरीका संयुक्त आयोग की बैठक उसकी निम्न तीन उप-समितियों द्वारा की गयी प्रगति की संवीक्षा की गयी :—

(1) आर्थिक और वाणिज्यिक उप-आयोग,

(2) शिक्षा और संस्कृति संबंधी उप-आयोग, और

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी उप-आयोग ।

आर्थिक और वाणिज्यिक उप-आयोग के अन्तर्गत कृषि आदान दल ने आपसी हित के कृषि के विभिन्न विषयों से संबंधित सूचना और आंकड़ों पर उपयोगी बातचीत की । विज्ञान और प्रौद्योगिकी उप-आयोग ने इस बात को स्वीकार किया कि नये क्षेत्रों में, जिसमें कृषि भी शामिल है, सहकारी

10 LSS/78—9.

अनुसंधान आपसी हित का प्राथमिक विषय है तथा यह सिफारिश भी की कि विशिष्ट उद्देश्यों को स्पष्ट करने तथा संयुक्त कार्यक्रमों के विस्तार के लिए दोनों देशों के विशेषज्ञ बैठक करें । सहकारिता के क्षेत्र और सहायता की मात्रा तथा तरीके के संबंध में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है ।

उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय आवास सहायता

4396. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भूमि सुधारों के कार्यान्वयन से भूमि का स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने वाले झुग्गी झौंपड़ियों के निवासियों के लिए व्यापक आवास योजना हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

माता-पिताओं की सेवा-निवृत्ति पर उनके आश्रित सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन

4397. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माता-पिताओं की सरकारी सेवा से सेवा निवृत्ति पर उनके आश्रित सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन बन्द करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त आदेशों की क्रियान्विति कब तक की जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

Monuments at Ring Road, Delhi

4398. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government feel it useful to set up a joint committee for the management of Rajghat, Gandhi Museum, Gandhi Darshan, Shantivana and Vijayaghat;

(b) if not, the reasons therefor and if so, whether Government propose to bring forward a Bill for this purpose;

(c) whether separate managing committees for Rajghat, Gandhi Museum and Gandhi Darshan are justified from administrative point of view; and

(d) whether Government propose to have a common management for them ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (c) Rajghat Samadhi Committee has been set up under a statute. Separate Committees were set up by the Ministry of Works & Housing for Shantivana and Vijayaghat, but these two committees have been unified in February, 1978 into one Committee for the development and maintenance of the two Samadhis. Gandhi Darshan is under the Ministry of Education.

(d) No proposal in his behalf is at present under consideration.

Drink "77"

4399. **Shri Raghavji : Will the Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the revenue earned on the sale of "77" drink by the Modern Bakeries so far and the names of cities in which it was sold;

(b) the steps taken to ensure that "77" drink becomes as popular as 'Coca Cola'; and

(c) the action being taken to ensure that '77' drink becomes available in all the States of the country from 1st April this year ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Modern Bakeries are not directly selling beverage "77". They only supply the composition for production of this beverage to the bottlers who are marketing the beverage and the amount realised on this so far is about Rs. 6 lakhs. The bottlers who have been granted the franchise for production of this beverage are selling it in Agra, Bhopal, Bhubaneswar, Cuttack, Delhi, Jamnagar, Kanpur, Madras, Meerut, Nagpur, Rajkot, Saharanpur and in areas surrounding these cities.

(b) The Central Food Technological Research Institute, Mysore who has developed the composition had conducted various trials necessary to make it a marketable product. The Modern Bakeries have conducted product testing in Madras, Bombay and Delhi. The beverage was also test marketed in Agri-Expo. "77" in Delhi. Company is taking steps to ensure strict quality control on the beverage produced by the bottlers. Advertising campaigns have been launched to coincide with the introduction of the beverage in the various markets.

(c) The Company has negotiated with bottling companies for the allotment of franchise for production of beverage "77". So far 14 bottlers have been appointed. A few more bottlers are expected to be appointed shortly. Arrangements are being made by the Company to make available this beverage in different States through a net work of bottlers, as early as possible.

डरफी, चन्द्रमुखी और ज्योति किस्म के आलुओं के बीज

4400. **श्री के० प्रधानी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादित प्रसिद्ध डरफी, चन्द्रमुखी और ज्योति जैसी किस्म के आलुओं के बीजों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन किस्मों को अन्य राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य को क्या सुविधायें दी हैं और उन राज्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं जो इस बारे में लाभ उठा रही हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) रोगमुक्त बीजों की आपूर्ति, उत्पादन वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है । केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा अपने विभिन्न अनुसंधान स्टेशनों/केन्द्रों में सुधारी हुई किस्मों के प्रजनक बीजों का उत्पादन किया जाता है । देश में बीजों के संवर्द्धन, विकास और वितरण के कार्यक्रम की, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला के सहयोग से, केन्द्र में राष्ट्रीय आलू बीज समिति द्वारा वर्ष में दो बार मनीटर किया जाता है । इन बैठकों में, किस्मवार बीज उत्पादन और आवश्यकताओं के बारे में कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए समस्त आलू उत्पादक राज्यों, संस्थाओं और एजेंसियों के प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया जाता है । तत्पश्चात्, राज्यों के आलू उत्पादन कार्यक्रम के लिए देश की विभिन्न संस्थाओं, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान और राज्यों द्वारा प्रजनक, आधारी चरण-1, आधारी चरण-2 और प्रमाणीकृत बीजों के किस्मवार उत्पादन कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त,

देश में आलू के बीजों और आलू के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए केन्द्र राज्यों को कम उत्पादक किस्मों को बदलने, पेकेज प्रणालियों इत्यादि के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन करता है।

लगभग 23 राज्य जिसमें संघ शासित क्षेत्र भी शामिल हैं इस सम्बन्ध में लाभ उठा रहे हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं :—आन्ध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मिजोरम।

डेयरी फार्म

4401. **श्री के० प्रधानी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 के अन्त पर भारत में सरकारी डेरी फार्मों की संख्या कितनी थी ;

(ख) इन डेयरी फार्मों द्वारा कितनी मात्रा में दूध पैदा किया जा रहा है ; और

(ग) सरकार द्वारा अगली पंचवर्षीय योजनावधि में प्रत्येक राज्य में कितने नये डेयरी फार्म स्थापित किये जाने हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सेन्ट्रल स्कूल

4402. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने नगरों में सेंट्रल स्कूल खोले गये हैं ; और

(ख) गत वर्ष के दौरान इन स्कूलों पर कितना व्यय हुआ ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) इस समय 244 केन्द्रीय विद्यालय 172 मुकामों पर स्थित हैं।

(ख) 14,98,96,000 रु०।

ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास

4403. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये 1977-78 के दौरान कितने कार्यक्रम प्रारम्भ किये और कितनों पर निष्पादन हो रहा है ;

(ख) भारत सरकार की नई विकास नीति में उन में से कितने कार्यक्रम बन्द कर दिये गये और कितने उसमें सम्मिलित हैं ; और

(ग) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई और राज्यों ने एवं उनके मंत्रालय ने 1977-78 में और 1978-79 के लिये उसके लिये कितनी धनराशि का उपबन्ध किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 1977-78 के दौरान कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय द्वारा ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों, जिनमें पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं, के विकास के लिए निम्नलिखित विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं :—

(1) सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (2) आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (3) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (4) लघु कृषक विकास एजेंसी/सीमान्त कृषक तथा श्रमिक परियोजनायें (5) पूर्णग्राम विकास कार्यक्रम (6) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (पूर्ण रोजगार के लिए क्षेत्र आयोजना) (7) मरू विकास। 1977-78 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम शुरु किये गये थे :—

(1) ग्रामीण सड़कों का निर्माण ; (2) लाभप्रद रोजगार के लिए खाद्यान्नों का उपयोग ; तथा (3) मरू विकास कार्यक्रम ।

(ख) केवल एक कार्यक्रम अर्थात् ग्रामीण सड़कों का निर्माण कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में बन्द कर दिया गया है। इस योजना को बन्द किए जाने का कारण यह है कि इसे राज्य सरकारों द्वारा राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत लिया जा रहा है । समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम जिसे 1976-77 में शुरू किया गया था को भी पुनर्गठित किया गया है तथा इसे "पूर्ण रोजगार के लिए क्षेत्र आयोजना" के रूप में कार्यान्वित किया जाना है ।

(ग) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1977-78 और 1978-79 में सुलभ किए गए आवंटनों तथा प्राप्त उपलब्धियों को दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—1930/78]**

कोरापुट जिले के मल्कानिगिरी जोन में शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में उड़ीसा सरकार के विचार

4404. **श्री गिरधिर गोमांगो :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय को यह विचार व्यक्त किया है कि उड़ीसा में कोरापुट जिले के मल्कानिगिरी जोन के दण्डकारण्य क्षेत्र में पुनर्वास के लिये और अधिक शरणार्थी न भेजें;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा सरकार ने किस संदर्भ में यह विचार व्यक्त किए है; और

(ग) इस मामले पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) जी, हाँ । जनवरी, 1978 में उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि जब तक पुनर्वास कार्यक्रम में तीव्रता लाने के लिए उद्धार की गई भूमि उपलब्ध नहीं हो जाती तथा आदिवासी सहायता की पद्धति के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक दण्डकारण्य परियोजना के मल्कानगिरि जोन में और परिवार न भेजे जाएं । उड़ीसा सरकार को सूचित किया गया था कि जब की राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के पुनर्वास के लिए निश्चित की गई और छोड़ दी गई भूमि का उद्धार हो चुका है, अतः उद्धार की गई उपलब्ध भूमि तथा उत्पन्न किए गए सिंचाई साधनों के साथ-साथ विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाए जिसके लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गई है और आदिवासियों की सहायता के संबंध में स्थिति की समीक्षा आपसी विचार विमर्श के पश्चात् की जा सकती है ।

फसल और मौसम सम्बन्धी समिति की नियुक्ति

4406. **डॉ० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सरकार को सभी राज्यों में ऐसी फसल तथा मौसम निरीक्षण समितियाँ नियुक्त करने का सुझाव दिया है जो सहकारी समितियों, प्रबंध, कीट-नियंत्रण और पारिस्थितिक वातावरण आदि की देखभाल कर सकें;

(ख) क्या सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था है जो सूखे, बाढ़ और कीट-रोग से फसलों को होने वाली क्षति का अनुमान लगाने में सहायता करती हैं;

(ग) कृषि विभाग अथवा मौसम विज्ञान विभाग, केन्द्रीय फसल समिति जो उपरोक्त के बारे में बृहत योजना बनाने के लिए क्या सहायता देता है; और

(घ) सहकारिता के आधार पर उत्पादन बढ़ाने और फसल-विनाश को कम करने की दृष्टि से इस सम्बन्ध में सरकार की क्या सामान्य नीति है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हाँ, श्रीमान । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने, कृषि से संबंधित मौसम-तत्वों के अध्ययन के लिए एक कृषि मौसम निगरानी दल की स्थापना की है । मौसम विभाग देश के अधिकाँश राज्यों के संबंध में वर्षा, तापक्रम, बर्फ, हवाओं के वेग संबंधी सूचनाएं प्रदान करता है । इन सूचनाओं की व्याख्या कृषि पर लागू होने के संबंध में की जाती है जैसे कि सूखा, बाढ़, कीट व्याधि व रोगों आदि की घटनाएं ।

परिषद् द्वारा स्थापित फसल मौसम निगरानी पैनल में निम्नलिखित एजेंसियों का प्रतिनिधित्व होता है :–

1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् , नयी दिल्ली ।
2. मौसम विभाग, नयी दिल्ली ।
3. कृषि एवं सिंचाई विभाग, नयी दिल्ली ।
4. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, नयी दिल्ली ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय के साथ कृषि मौसम प्रभाग स्थापित किए जाने की भी सिफारिश की है जिससे कि मौसम की सूचनाओं का संबंध कृषि से किया जा सके और सूखा, कीट-व्याधि नियन्त्रण तथा पारिस्तिकीय पुनरूद्धार आदि के लिए सुधारात्मक उपाय किये जाने के लिए इन सूचनाओं का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके । प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित करने से मौसम संबंधी भविष्यवाणियों तथा चेतावनियों की पद्धति को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा ।

(ख) जी हां, श्रीमान । वैसे सूखा, बाढ़ तथा कीट-व्याधि एवं रोगों से फसलों को होने वाली क्षति का अनुमान मौलिक तौर पर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है । तथापि, कृषि तथा सिंचाई, मंत्रालय के पादप संरक्षण संगरोधन (क्वारेंटाइन) तथा भंडारण निदेशालय ने देश में, 16 राज्यों में, प्रमुख कीट व रोग व्याधियों की घटनाओं की सूचनाएं देने के लिए राष्ट्रीय निगरानी केन्द्रों का जाल इस उद्देश्य से बिछाया है कि रोग व्याधियों की स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके । सोलह राज्यों में 19 कीट-व्याधि एवं निगरानी केन्द्र कीट-व्याधियों एवं रोगों की घटनाओं पर निगरानी व चौकसी रखने तथा ऐसी सूचनाएं समय पर देने-जिससे की आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जा सकें, के उद्देश्य से स्थापित किये गये हैं । देश के शेष भागों के लिए भी ऐसे ही और अधिक केन्द्र स्थापित किये जाने की संभावना है ।

(ग) मौसम विभाग, समूचे देश में स्थापित अपने उपकेन्द्रों के माध्यम से 36 घंटे की मौसम भविष्यवाणियाँ तथा अगले दो दिनों की मौसम संभावनाएं मौसम बुलेटिनों के माध्यम से प्रकाशित कराता है। इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ मौसम संबंधी प्रमुख तत्वों-यथा तापक्रम, वर्षा, हवा का तेज बहाव, पाला, बर्फ तथा भारी वर्षा की चेतावनियों के बारे में होती हैं। मौसम की बुलेटिन में राज्यों के कृषि विभागों, आकाशवाणी तथा मौसम का सारांश तार द्वारा दूर-दराज की ऐसी एजेंसियों को भेजी जाती हैं जो ऐसी सूचनाओं में रुचि रखती है।

मौसम विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राज्यों के कृषि विभाग मौसम के प्रकोप के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करते हैं।

(घ) इस संबंध में, भारत सरकार पर कोई नीति या प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

खाण्डसारी एककों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये 'पैनल' बनाया जाना

4407. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खांडसारी एककों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक पैनल बनाया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस "पैनल" के सदस्यों का नाम क्या हैं;

(ग) वे किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करेंगे;

(घ) पैनल ने खांडसारी की समस्याओं का कहाँ तक समाधान किया है; और

(ङ) क्या खांडसारी एककों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ङ) तक खांडसारी की उत्पादन लागत और उससे संबंधित समस्याओं की जाँच करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल गठित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों की कमी

4408. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सूचना दी है कि वर्ष 1978-79 में अनाज की कमी का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी कमी का;

(ग) क्या सरकार का यह सारी कमी पूरी करने का विचार है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने यह सुझाव दिया है कि फुटकर महीनेवार नियतन के बजाय अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर नियतन किया जाये; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) खाद्य तथा पूर्ति मंत्री, पश्चिमी बंगाल सरकार, ने 26 नवम्बर, 1977 को सूचित किया था कि पश्चिमी बंगाल की खाद्यान्न संबंधी निवल कमी प्रति वर्ष 25 लाख मीटरी टन के आस-पास थी। पश्चिमी बंगाल सरकार ने वर्ष 1978-79 के लिए खाद्यन्न की कुल कमी के बारे में कोई विशिष्ट पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार की खाद्यान्नों की माँगों को इस समय पूरी तरह से पूरा किया जाता है। केन्द्रीय सरकार यथा आवश्यक मात्रा में केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आवंटन कर पश्चिमी बंगाल सरकार की सहायता करती रहेगी बशर्ते कि केन्द्रीय पूल में स्टाक उपलब्ध हो।

(घ) जी हाँ ।

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक माह में बताई गई आवश्यकताओं, केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता, स्थानीय वसूली आदि से राज्य सरकारों के पास स्टाक की उपलब्धता, उचित मूल्यों पर खुले बाजार में खाद्यान्नों की सप्लाई स्थिति, केन्द्रीय सरकार के आवंटनों के प्रति राज्य सरकारों द्वारा उठान, कमी वाले, अन्य राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों के आवंटन किए जा रहे हैं । इसकी दृष्टि में, जैसाकि पश्चिमी बंगाल सरकार ने प्रस्ताव किया है, छःमाही अथवा वार्षिक आधार पर इकट्ठा आवंटन करना संभव नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति पर कलकत्ता निगम को देय सेवा प्रभार

4409. **श्री चित्त बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार की कलकत्ता स्थित सम्पत्तियों के लिए सेवा प्रभार के रूप में कलकत्ता निगम की कोई बकाया राशियाँ हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बीच उनकी अदायगी कर दी है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हाँ ।

(ख) बकाया राशि के एक भाग का भुगतान कर दिया गया है । शेष के लिए मंत्रालयों/विभागों से कह दिया गया है कि वे बकाया राशियों का भुगतान कर दें।

भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों को पुनर्वास की समस्या

4410. **श्री समर गुह :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के आनन्द बाजार पत्रिका नामक समाचारपत्र में प्रकाशित उस समाचार की ओर गया है जिसमें भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य उद्धृत किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने क्या मुख्य प्रश्न उठाए हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 6 मार्च, 1978 को पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री से मिले थे और निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया था :--

(1) छोड़कर जाने के कारण ।

(2) अण्डमान और निकोबार द्वीपों में पुनर्वास की गुंजाइश ।

(3) स्थिति को शाँत करने और वहाँ की परिस्थितियों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल को दण्डकारण्य में भेजा जाए ।

(ग) पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री को सूचित किया गया है कि हम, दण्डकारण्य में स्थिति का अध्ययन करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के दौरे और वहाँ पर बसे हुए लोगों को वहीं पर रहने के लिए राजी करने का स्वागत

करते हैं। वातावरण तथा अन्य परिस्थितियों के कारण अण्डमान और निकोबार द्वीपों में और विस्थापित व्यक्तियों को बसाने की कोई गुंजाइश नहीं है और यह कि पुनर्वास स्थल छोड़कर जाने के कथित कारणों की जाँच की गई और उन्हें प्रमाणित नहीं पाया गया है। फिर भी, उन्हें आश्वासन दिया गया है कि दल के दौरे के पश्चात् यदि कोई विशिष्ट मद्दे हमें भेजे गए तो हम इस दृष्टि से उनकी जाँच करेंगे कि उन सुझावों के संबंध में क्या किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल विधान सभा में चीनी-नीति की आलोचना

4411. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री द्वारा 2 मार्च को पश्चिम बंगाल विधान सभा में दिये गये उस भाषण की ओर गया है जिसमें उन्होंने केन्द्रीय सरकार की चीनी-नीति की आलोचना की है;

(ख) यदि हाँ, तो आलोचना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर, उत्तर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली दुग्ध योजना में तदर्थ आधार पर कर्मचारी

4412. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो 1 वर्ष से अधिक समय से, 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष तक, 5 से 10 वर्ष तक, तथा 10 वर्षों से अधिक समय से तदर्थ आधार पर नियुक्त हैं और उन में अनसूचित जातियों/अनसूचित जनजातियों के लोगों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) इन नियुक्तियों को विनियमित करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) पद धारियों के हितों की रक्षा के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस समय दिल्ली दुग्ध योजना में 490 कर्मचारी तदर्थ आधार पर नियुक्त हैं। ऐसी तदर्थ नियुक्तियों का ब्यौरा देते हुए एक विवरण संलग्न हैं।

(ख) तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करना मुख्यतः निम्नलिखित कारणों की वजह से संभव नहीं हो सका।

1. कुछ पदों के लिए भर्ती के नियमों में हुए संशोधनों को अन्तिम रूप न दिया जाना/अधिसूचना जारी न करना।
2. कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता को अन्तिम रूप न दिया जाना।
3. कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध सतर्कता के मामले विचाराधीन हैं।

(ग) तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये/जा रहे हैं :

1. भर्ती नियमों को शीघ्रता से अन्तिम रूप देना/अधिसूचना जारी करना;
2. जिन व्यक्तियों के विरुद्ध सतर्कता के मामले विचाराधीन हैं उनके बारे में पूछ ताछ को शीघ्रता से अन्तिम रूप देना; और
3. कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता को शीघ्रता से अन्तिम रूप देना।

विवरण

तदर्थ आधार पर नियुक्त दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों की संख्या

अवधि के लिए

1 से 3 वर्ष			3 से 5 वर्ष			5 से 10 वर्ष			10 वर्ष से अधिक			योग		
अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	30	2	79	21	2	136	31	—	47	7	—	397	89	4

दिल्ली दुग्ध योजना की बोतलों की टूट-फूट

4413. **श्री शिव नारायण सरसूनिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 से दिल्ली दुग्ध योजना की बोतलों की वार्षिक टूट-फूट कितनी है और तब से प्रत्येक वर्ष के दौरान बेचे गये रद्दी कांच (ग्लास स्क्रैप) की मात्रा क्या है और ये किन दरों पर बेची गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री—(श्री सुरजीत सिंह बरनाला): 1972-73 से 1977-78 तक की अवधि के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना में बोतलें भरने, भण्डारण तथा संचालन की प्रक्रिया में कुल निम्नांकित बोतलें टूटीं :—

वर्ष	टूटी हुई बोतलों की कुल संख्या
1972-73	29,51,037
1973-74	31,90,003
1974-75	33,80,454
1975-76	28,13,719
1976-77	27,98,536
1977-78 (31.1.78 तक)	27,56,203

1972-73 से 1977-78 तक की अवधि के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेची गई रद्दी कांच (ग्लास स्क्रैप) की मात्रा तथा उसकी दर के संबंध में आवश्यक सूचना संलग्न सारिणी (परिशिष्ट-1) में दे दी गई है।

विवरण

1972 से 1978 तक की अवधि के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेची गई रद्दी कांच (ग्लास स्क्रैप) की मात्रा तथा दरें ।

कांच की श्रेणी	अवधि	क्विंटल में बेची गई मात्रा	जिस दर पर बेचा गया (प्रति क्विंटल)
1	2	3	4
1972-73			
रद्दी कांच	1-4-72 से 8-3-73 तक	10,136	20.15 रुपए
1973-74			
रद्दी कांच	6-6-73 से 31-3-74 तक	9,722.2	22.30 रुपए
रद्दी कांच	23-6-73 से 13-8-73 तक	1,554	2.00 रुपए
(कचरा मिश्रित)	1-1-74 से 31-3-74 तक	674.5	7.00 रुपए
	योग	11,950.7	

1	2	3	4
1974-75			
रद्दी कांच	1-4-74 से 31-5-74 तक	2,059.8	22.30 रुपए
	1-6-74 से 31-3-75 तक	6,007.2	40.50 रुपए
रद्दी कांच (कचरा मिश्रित)	1-4-74 से 31-12-74 तक	3,301.5	8.10 रुपए
	योग	11,368.5	
1975-76			
रद्दी कांच	1-4-75 से 15-5-75 तक	534.5	40.50 रुपए
	3-7-75 से 31-3-76 तक	4590.5	34.50 रुपए
रद्दी कांच (कचरा मिश्रित)	31-3-76	91.7	13.15 रुपए
	योग	5,216.7	
1976-77			
रद्दी कांच	1-4-76 से 4-6-76 तक	1,034.4	34.50 रुपए
	22-5-76 से 26-6-76 तक	3,302.9	22.10 रुपए
	1-1-77 से 11-1-77 तक	3,508.1	22.16 रुपए
रद्दी कांच (कचरा मिश्रित तथा तेल की	1-4-76 से 24-4-76 तक	1,447.1	13.15 रुपए
गिरीज और रद्दी ूत से शोषित)	16-6-76 से 12-7-76 तक	3,527.2	13.56 रुपए
	योग	12,819.7	
1977-78			
रद्दी कांच (मिश्रित किस्म)	1-4-77 से 17-3-78 तक	18,433.5	22.16 रुपए

लद्दाख में तांत्रिक विद्या के अध्ययन के लिए संस्थान की स्थापना करना

4414. **श्रीमती पार्वती देवी**: क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राचीन काल से ही लद्दाख तांत्रिक विद्या के लिये विख्यात है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तांत्रिक विद्या के अध्ययन के लिये लद्दाख में कोई संस्थान स्थापित करने का है जिसने अभी भी इसे बचा रखा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालयों में बौद्ध धर्म की शिक्षा

4415. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बौद्ध धर्म की शिक्षा किन विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में दी जाती है, और

(ख) बौद्ध धर्म, इसकी समृद्ध संस्कृति और परम्परा की शिक्षा में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय, मराठावाड़ा विश्वविद्यालय और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त, बौद्ध दर्शन स्कूल, लेह और उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी द्वारा भी बौद्ध अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ।

(ख) विश्वविद्यालयों में बौद्ध अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस क्षेत्र में चुने हुए विश्वविद्यालयों में रीडरशिप और फेलोशिप प्रारम्भ करने का निश्चय किया है । तदनुसार, 11 विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था । इनमें से पूना, आन्ध्र और सागर विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों को अब आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ।

लद्दाख संस्कृति का परिरक्षण और संवर्धन

4416. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने लद्दाख वासियों को संस्कृति, उनके संगीत, नृत्य विशेष रूप से विशिष्ट नृत्यों क्लैरिनेट (तुरही) मंजीर और अन्य उपकरणों के परिरक्षण तथा संवर्धन के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ख) इस दिशा में नेशनल बुक ट्रस्ट आकादमियों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा अब तक कितना योगदान दिया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र). (क) और (ख), लद्दाखियों की संस्कृति के परिरक्षण और प्रोन्नति के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाए किए हैं:--

(i) मठ प्रणाली के अनुसार आधुनिक तथा प्राचीन तिब्बत संबंधी अध्ययनों में शिक्षा प्रदान करने के लिए, लेह में सन् 1959 में बौद्ध दर्शन स्कूल की स्थापना की गई थी।

(ii) भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा "एथनोग्राफिक एण्ड कल्चर चेंज स्टडी आफ लद्दाखीज" नामक एक अनुसंधान रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। उन्होंने "हैमिस फैस्टिवल्स" (लद्दाख) के बारे में एक रंगीन फिल्म भी तैयार की है।

(iii) संगीत तथा नाटक प्रभाग में केवल लद्दाख क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए "गुम्फा" नामक एक प्रदर्शन दल है। अगस्त 1973 के बाद से दल ने 107 प्रदर्शन (शो) लद्दाख के क्षेत्रों में और 269 कार्यक्रम राज्य के अन्य भागों में प्रस्तुत किए हैं।

(iv) संगीत तथा नाटक प्रभाग द्वारा स्थानीय विशैषज्ञों के परामर्श से लद्दाखी लोगों की प्रामाणिक लद्दाखी पोशाक, गहने, संगीत के साज, शीर्ष परिधान आदि प्राप्त किए गए हैं।

(v) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने "इण्डिया दि लैण्ड एण्ड दी पीपल" नामक अपनी पुस्तकमाला के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया है जिसमें अन्य

बातों के साथ-साथ लद्दाख की भूमि और लोगों तथा उसकी सांस्कृतिक दाय के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई है। न्यास का प्रस्ताव भारत के लोकगीत नामक अपनी पुस्तकमाला के अंतर्गत शीघ्र ही जम्मू और कश्मीर के लोक गीतों की एक पुस्तक प्रकाशित करने का है जिसमें लद्दाखी लोक गीतों से सम्बन्धित एक स्तम्भ शामिल होगा।

(vi) सर्वेक्षण और प्रलेखन की अपनी योजना के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी का प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से लद्दाख के संगीत और नाटक के विभिन्न स्वरूपों का सर्वेक्षण और प्रलेखन कार्य प्रारम्भ करने का है।

Policy regarding retreading of Tyres

4417. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether any new policy is proposed to be formulated in regard to retreading of tyres of vehicles in Ordnance Depots and if so, the reasons for changing the old policy;

(b) whether it is a fact that the period of earlier contract has been extended in case of some factories without inviting tenders and if so, the names of parties whose contract period has been extended indicating the duration of extension and the dates on which it has been extended together with the reasons therefor; and

(c) whether the Ministry has issued any letter to these firms regarding extension of period and if so, whether some firms have refused to comply with the terms and conditions laid down in the letter and if so, the names of the firms, which have refused and which have accepted these terms ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (c) Requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

निरक्षर प्रौढ़

4418. **श्री डी० डी० देसाई:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौढ़ निरक्षरता को समाप्त करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की कोई नई योजना तैयार की गई है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उक्त योजना की लागत क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए अंशकालिक अध्यापक नियुक्त करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया है, जिसे 2 अक्तूबर, 1978 से शुरू करने का प्रस्ताव है और इसके शुरू होने के लगभग 5 वर्षों के अन्दर इसमें 15-35 आयु-वर्ग की लगभग 10 करोड़ की सम्पूर्ण निरक्षर जनसंख्या को शामिल करने का लक्ष्य है। शिक्षण का कार्य स्कूल के अध्यापकों, छात्रों, शिक्षित ग्रामीण युवकों, भूतपूर्व सैनिकों, सेवा निवृत्त कार्मिकों, क्षेत्र स्तरीय सरकारी और अन्य कार्यकर्ताओं तथा स्वैच्छिक सामाजाकि कार्यकर्ताओं को अंशकालिक आधार पर सौंपा जाएगा।

दिल्ली में पट्टेदारी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में बदलना

4419. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पट्टेदारी भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में बदलकर उसे भूमि के वर्तमान पट्टेदारियों के नाम करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) उक्त अन्तरण के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा प्रति वर्ष भूमि का कितना किराया छोड़े जाने का अनुमान है और सरकार राजस्व की उक्त हानि को कैसे पूरा कर सकती है; और

(ग) उक्त अन्तरण के अंतर्गत दिल्ली में कितनी पट्टेदारी सम्पत्ति आयेंगी और उक्त अन्तरण कब तक किया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) मामले पर विचार करने के लिए एक समिति स्थापित की गई है।

(ख) तथा (ग) जब तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती और सरकार द्वारा उस पर कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक ये प्रश्न नहीं उठते।

Irrigation Projects in Madhya Pradesh

†4420. **Shri Chhabiram Argal** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the position of Rajghat, Bansagar and other important projects in Madhya Pradesh; and

(b) the time likely to be taken in the completion of these projects ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala) : (a) and (b) Betwa River Board and the Bansagar Control Board have been constituted under the Chairmanship of Union Minister of Agriculture and Irrigation for the expeditious construction of Rajghat and Bansagar projects respectively. Preliminary works on these projects are being taken up.

The latest estimated cost and the expenditure likely to be incurred upto the end of 1977-78 on other major important on-going shcemes of Madhya Pradesh and their likely date of completion are given in the statement attached.

Depending on the availabiliy of funds, these projects would be completed during the next Five Year Plan as indicated. The Rajghat and Bansagar projects are likely to be completed in 6–8 years time.

Statement

Regarding Irrigation Project in Madhya Pradesh

(Rs. crores)

Sl. No.	Name of Scheme	Latest estimated cost	Likely expenditure by 1977-78	Likely date of completion
1.	Chambal Stage I and II	68.38	62.91	1978–79
2.	Mahanadi Reservoir Phase I	40.02	30.71	1979–80
3.	Tawa	91.42	70.31	1980–81
4.	Barna	14.60	13.33	1978–79
5.	Hasdeo Right Bank Canal	13.39	12.48	1978–79

Sick Sugar Mills in Bihar and U.P.

4421. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the names of the Sugar Mills in Bihar and Uttar Pradesh with their locations, which were declared or recognised as sick mills till October, 1977; the mills which have started working this year and under whose Management and the names of the Mills out of

the remaining closed mills which are proposed to be started next year and the reasons for remaining closed mills which are not likely to be started; and

(b) the names of the Sugar Mills which were declared sick this year i.e. after 1st November, 1977 and the details of the scheme to restart them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b) Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha on receipt.

Warehouses under F.C.I. in M.P.

4422. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the present number of warehouses under the Food Corporation in Madhya Pradesh, the capacity of each of them and the warehousing capacity required in the State;

(b) whether certain warehouses under the Corporation have been taken on rent, and if so, the number and the capacity thereof, and the terms and conditions on which these warehouses have been taken on rent; and

(c) whether Government have laid down some policy for taking such warehouses on rent and if so, the details thereof and the number of warehouses required in the country and also the present number of Government warehouses ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) and (b) The number of warehouses under the F.C.I. in Madhya Pradesh and the capacity agencywise is as under :—

Name of Agency	No. of Warehouses	Capacity in M.T.
1. Owned (FCI)	36	3,94,613
2. Private Parties (General Hiring)	117	1,28,042
3. Private Parties (Guarantee Basis)	20	2,68,520
4. State Govt. and Defence	37	1,45,980
5. State Warehousing Corporation	92	61,080
6. Central Warehousing Corporation	8	54,832
Total	310	10,53,067

The storage requirements are reviewed from time to time taking into consideration various factors like procurement, distribution, movement and other related needs. The storage capacity in any State would thus vary from time to time. The godowns hired from private parties and the State Govt. are on rental basis fixed by mutual agreement.

(c) Government have not laid down any policy. It is an operational matter of the F.C.I. depending upon the requirements from time to time. The Total number of owned godowns of FCI in the country is 374.

Cancellation of Tenders for Retreading of Vehicles

4423. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Ministry had recently issued a letter cancelling tenders for 19 77-78 for retreading work of the vehicles of Ministry of Defence and if so, whether all the te nders have been cancelled; and

(b) if not, the number of firms doing this work at present and the purpose of issuing the letter ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) No, Sir.

(b) At present, only two firms are having Rate Contracts in the Western and Southern Zones for the period from 1-12-1977 to 30-11-1978. Rate Contracts in the Northern and Eastern Zones with 16 firms which were valid till 30-11-1977 were extended upto 28-2-1978. Fresh tenders for conclusion of R/C for the period from 1-12-1977 to 30-11-1978 were invited. However, on account of revision in specifications in the meantime by Ministry of Defence, conclusion of fresh R/Cs may take some time more.

Shifting of Central Forest Service College in Assam

4424. **Shri Subhash Ahuja** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to shift the Central Forest Service College from Burnihat in Assam State to some other place; and

(b) if so, whether Government will consider to set up this college in Betul district of Madhya Pradesh which is the most suitable place for the purpose from all points of view?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Surjit Singh Barnala): (a) Yes, Sir. The proposal for shifting of the State Forest Service College from Burnihat is under consideration.

(b) No such proposal is contemplated.

Setting up of Autonomous Slum Board

4425. **Shri Mahi Lal** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the steps taken to set up an Autonomous Slum Board;

(b) if no steps have so far been taken in this direction, the reasons for delay; and

(c) When this Board is likely to be set up ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) to (c) The earlier proposal to set up an autonomous Delhi Slum Board was dropped. Government have now decided to transfer the Slum Clearance work to the Municipal Corporation of Delhi.

केन्द्रीय मंत्रियों के बंगलों पर हुआ व्यय

4426. **श्री महीलाल**: क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमंडल स्तर के प्रत्येक मंत्री तथा राज्य मंत्रियों के रिहायशी आवास पर नवीकरण, साज सजावट (फर्निशिंग) और स्थावर वस्तुओं पर किए गए खर्च का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या यह व्यय निर्धारित सीमा के अन्दर था और यदि नहीं तो क्या अतिरिक्त खर्च संबंधित मंत्रियों ने वहन किया था ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 1-9-77 से 28-2-78 तक किए गए व्यय का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1931/78]**

(ख) मकानों की मरम्मत, अनुरक्षण आदि पर व्यय करने की कोई सीमा निश्चित नहीं है। तथापि यदि मंत्रियों के पास 38,500 रुपये की निर्धारित सीमा से अधिक का फर्नीचर हो तो उसका किराया वे स्वयं अदा करते हैं। 1977-78 में अब तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में दुर्विनियोग के मामले

4427. **श्री महीलाल: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में गत पांच वर्षों के दौरान गबन और दुर्विनियोग के कितने मामले हुए; और

(ख) इसका ब्योरा क्या है और प्रत्येक मामले में पृथक्-पृथक् रूप से कौन-कौन व्यक्ति तथा कितनी-कितनी राशि अंतर्ग्रस्त थी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तीन मामलों की सूचना दी है ।

(ख) ब्योरे निम्नलिखित हैं :—

(i) श्री बिशम्बर दयाल, उच्च श्रेणी लिपिक जब वर्ष 1976 के दौरान नजफगढ़ (जे०जे० कालोनी) में किराया समाहर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, विभाग के नाम पर किराये के रूप में इकट्ठी की गई 2435 रुपये की राशि की उन्होंने हेराफेरी की थी। मैंट्रोपौलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली ने उन्हें नौ महीने की कड़ी सजा दी थी तथा 500 रुपये का जुर्माना किया था। इस निर्णय को देखते हुए उन्हें 14 दिसम्बर, 1976 को पदच्युत कर दिया था ।

(ii) श्री एस०एन० स्वामी, खजांची ने वजीरपुर के तीन आबंटियों द्वारा जल प्रभारों के लिए जमा किए गए 330 रुपये की हेराफेरी की थी । उन पर 3 दिसम्बर, 1973 को आरोप लगाए गए थे। बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया जो 15 फरवरी, 1977 को मंजूर कर लिया गया था ।

(iii) श्री के० डी० राणा, उच्च श्रेणी लिपिक ने 300 रु० की हेरा-फेरी की थी । उन्हें 11 जनवरी, 1978 को निलम्बित कर दिया गया है। पुलिस प्राधिकरण द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है ।

इण्डियन स्कूल आफ माइन्स धनबाद के 'मस्टर रोल' श्रमिकों की छंटनी

4428. **श्री ए० के० राय: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के 'मस्टर रोल' श्रमिकों की बड़े पैमाने पर छंटनी हुई है और यदि हां, तो ऐसे कितने श्रमिकों की छंटनी हुई है और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस छंटनी के विरोध में धरना दिया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि हरिजन श्रमिकों को भी उत्पीड़ित किया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि इसी अवधि में कानून के खिलाफ नये श्रमिकों की भर्ती की गई है; और

(ङ) क्या सरकार इन अनियमितताओं की जांच करेगी और इन सभी अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ङ) भारतीय खान स्कूल, धनबाद से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Implementation of Section 3(3) of Rules under Official Language Act 1963

4429. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Section 3(3) of the Rules made under the Official Language Act, 1963 is being implemented fully in his Ministry;

(b) if so, total number of general orders, circulars, notices tender permits issued during the last month of 1977 and the number among them of those issued in English and Hindi simultaneously; and

(c) in case the above section is not being implemented fully, the reasons therefor and steps being taken to ensure the implementation thereof ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Yes, Sir.

(b) 165

All of them were issued both in English and Hindi.

(c) Does not arise.

Publications brought out by the Ministry of Works and Housing

4430. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of the publications, newspapers and magazines brought out by his Ministry/Department during 1977;

(b) the number of publications, newspapers and magazines out of them brought out in Hindi and the reasons for which the rest of them were not brought out in Hindi;

(c) whether all the publications, newspapers and magazines being brought out in English at present are proposed to be brought out in Hindi; and

(d) if so, the steps taken so far in this regard ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Ministry of Works and Housing brought out the following publications during the year 1977 :—

(i) Habitat India (Newsletter) (A quarterly publication).

(ii) The Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974—A positive step towards environmental Protection. (A pamphlet).

(iii) U.N. Regional Housing Centre for ESCAP (A brochure).

(b) While the Newsletter 'Habitat India' contained articles in English and Hindi, this was strictly not a bilingual publication. The publication, however, has been discontinued. The other two publications were issued both in Hindi and English.

(c) and (d) Do not arise.

Development fund to affiliated colleges in Bihar

†4431. **Shri Yuvraj** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether any amount from the Development Fund has been sanctioned to the affiliated colleges in Bihar State under the Fifth Five Year Plan;

(b) if so, the names of those colleges indicating the amount sanctioned to each of these colleges; and

(c) the names of the colleges to whom no amount has been sanctioned and the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) to (c) According to the information furnished by the University Grants Commission,

during the Fifth Five Year Plan 76 colleges affiliated to different universities in Bihar were sanctioned development assistance by the Commission. Besides, proposals of 29 colleges are either under consideration or have been rejected. The details regarding the grants sanctioned and the position in respect of the proposals which have not been accepted are given in the attached statement. [Placed in Library. See No. L.T.—1932/78]. The remaining colleges did not apply for development assistance to the Commission.

Blocks included under small farmers development agency, D.P.A.P. etc.

4432. **Shri Yuvraj**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the number of Blocks covered under the centrally sponsored schemes like Small Farmers Development Agencies, Drought-affected Areas Programmes, Consolidated Tribal Development Programmes and Command Area Development Programmes; and the amount spent so far on these schemes since their implementation; and

(b) the amount allocated to the Blocks, alongwith their total number in the form of subsidy for non-Government small irrigation schemes and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Bhanu Pratap Singh) : (a) Necessary details are given below :—

(Rs. in lakhs)

Programme	No. of Blocks covered	Total Expenditure Since inception
1. Small Farmers Development Agency (SFDA).	1820	13174.47 (upto Nov., 1977)
2. Drought Prone Areas Programme (DPAP).	535	24685.00 (upto Jan. 1978)
3. Intensive Tribal Development Programme (ITDP).	584 (fully) 270 (partially)	11828.66 (upto 1976-77 actual + 1977-78 anticipated).
4. Tribal Area Development Projects (T.A.D.)	46	1293.85 (upto Dec., 1977).
5. Command Area Development Programme (C.A.D.)	933	6656.00 (upto 21st March, 1978)

(b) The grant-in-aid from the Government of India for the above special programmes is released to the projects and, therefore, figures relating to block-wise allocation are not available separately. However, the expenditure incurred on small irrigation schemes is indicated below :—

Programme	Expenditure (Rs. in lakhs)	Remarks
1. Small Farmers Development Agency (S.F.D.A.)	3607.79	Pertains to 143 Projects out of 169 Projects.
2. Drought Prone Areas Programme (D.P.A.P.)	12236.00	The total expenditure on irrigation schemes. Separate figures of subsidy for small irrigation schemes not available.
3. Intensive Tribal Development Programme (I.T.D.P.)	4015.00	Figure relates to allocation for minor irrigation.
4. Tribal Area Development Projects (T.A.D.)	N.A.	
5. Command Area Development Programme (C.A.D.)	587.00	

दिल्ली विकास प्राधिकरण के जनकपुरी स्थित फ्लैट

4433. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री 14 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 48 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के परामर्श से विचार किया गया। इन फ्लैटों का आबंटन 1971 से 1974 के मध्य किया गया था। फ्लैटों के आबंटन के समय आबंटियों द्वारा बताई गई त्रुटियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दूर किया था। अधिकांश त्रुटियां जो अब बताई जा रही हैं, वे भली भांति अनुरक्षण कार्य न करने के कारण हैं। अनुरक्षण का कार्य व्यक्तिगत आबंटी अथवा सांझी कल्याण समितियों का है। ऐसी स्थिति में, आबंटियों की यह मांग कि उन्हें 175 रुपये की एक मासिक किस्त की छूट दी जाए, स्वीकार्य नहीं है।

दिल्ली नगर निगम ने इस कालोनी का सेवा कार्य 1976 से आरम्भ किया था। तब से इसने जल सप्लाई को 20 लाख गैलन से 40 लाख गैलन बढ़ा दिया है। दिल्ली नगर निगम ने सीवर लाईन के तीन त्रुटिपूर्ण स्थानों में लाइन बदलने का कार्य भी किया है।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के बारे में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति

4434. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी की सहायता के मामले का निर्णय करने के लिए उप राज्यपाल द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का पुनर्गठन करने के आदेशों का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) पुनर्गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक कब हुई थी, इसके द्वारा की गई सिफारिशों को किस तिथि को भेजा गया था तथा इन सिफारिशों को किसे भेजा गया था तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) सोसाइटी की प्रबन्ध समिति ने उपरोक्त सिफारिशों पर कब विचार किया था, उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम क्या हैं और उसमें क्या निर्णय लिए गए थे ;

(घ) प्रबंध समिति ने अपने निर्णय रजिस्ट्रार को कब भेजे थे, रजिस्ट्रार ने चुनाव अधिकारी को किस तिथि को नियुक्त किया था तथा प्रेस को नोटिस किस तिथि को भेजा गया था; और

(ङ) आपात् स्थिति के दौरान अवैध रूप से निर्वाचित प्रबंध समिति के साथ सांठगांठ करके काम करने वाले रजिस्ट्रार के कार्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यावाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 31 अगस्त, 1977 के आदेश की एक प्रतिलिपि संलग्न है । [ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल०टी० 1933/78]

(ख) बैठक 31 अगस्त, 1977 को हुई थी। सिफारिशें सोसाइटी के मंत्री को भिजवा दी गई थीं। समिति को प्राप्त हुई 283 आपत्तियों के बारे में जो उसे निर्धारित तिथि तक प्राप्त हुई थी समिति के जांच परिणाम इस प्रकार हैं:--

(i)	स्कूल कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों का 20 प्रतिशत से अधिक कोटा	77
(ii)	रसीद बुक सं० बी-3200 और सी-3500 से संबंधित मामले जो अपराध शाखा के विचाराधीन है	60
(iii)	वे मामले जिन्हें विचारार्थ सोसाइटी को लौटाए गए	91
(iv)	वे मामले जो मध्यस्थ के सुपुर्द किए गए हैं	25
(v)	वे व्यक्ति जिन्हें पहले ही सदस्यों के रूप में स्वीकार किया जा चुका है	3
(vi)	सदस्यता जिसे मध्यस्थता की कार्यवाही पर अवार्ड द्वारा स्वीकार किया गया	1
(vii)	जिनकी सदस्यता के दावे रद्द किए गए	26

(ग) तथा (घ) सोसाइटी की प्रबंध समिति ने 31 अगस्त, 1977 को रिपोर्ट पर विचार किया। निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:--

1. श्री दलीप सिंह बोस (अध्यक्ष)
2. श्री एस०एस० पवार (मंत्री)
3. श्री एम०एल० शर्मा
4. श्री आर०डी० शर्मा
5. श्री बलदेव राज
6. श्री पी०सी० अग्रवाल
7. श्री ब्रह्म सिंह

प्रबन्ध समिति ने रजिस्ट्रार को 1 सितम्बर, 1977 को अपने निर्णय से अवगत करा दिया था। चुनाव अधिकारी 1 सितम्बर 1977 को नियुक्त किया गया था और उसने 2 सितम्बर, 1977 को प्रेस को नोटिस भेज दिया था।

(ङ) ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि रजिस्ट्रार के कार्यालय के किसी कर्मचारी की प्रबंध समिति के साथ सांठगांठ है।

कपूरथला प्लाट

4435. **श्री पी० के० कोडियन:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कपूरथला प्लाट का शेष भाग केरल राज्य सरकार का था लेकिन उसका कब्जा अभी तक राज्य सरकार को नहीं सौंपा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां।

(ख) एक भू-भाग पर आउट हाउस/सर्वेन्ट क्वार्टर सुरक्षा पुलिस के दखल में है। इन संरचनाओं को खाली कराने और उनके नीचे की भूमि को मुक्त करवाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

मौजूदा दखलकारों के लिए वैकल्पिक आवास के बनाये जाने के पश्चात शेष भूमि दी जाएगी। वैकल्पिक आवास के निर्माण के लिए भूमि का आबंटन कर दिया गया है।

बाढ़-निरोधक अभियान (आपरेशन फ्लड) की प्रगति का मूल्यांकन

4436. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1970 में आरम्भ किये गये बाढ़ निरोध अभियान (आपरेशन फ्लड) की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है अथवा नियुक्त करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं, उसके निदेश-पद क्या हैं और क्या उसका कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ग) बाढ़-निरोधक अभियान की मुख्य बातें क्या हैं, इसकी उपलब्धियां क्या हैं और पिछली अपूर्ण योजनायें (स्पिल ओवर) क्या हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने बाढ़-निरोधक अभियान के उद्देश्यों, इसके कार्यकरण और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड भारतीय डेरी निगम द्वारा इसके प्रबंध के बारे में इससे संबंधित एवं इसमें रुचि रखने वाली राज्य सरकारों से मंत्रणा की है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) वर्ष, 1970 में आरम्भ की गई आपरेशन फ्लड/परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति की नियुक्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) आपरेशन फ्लड/परियोना के मुख्य उद्देश्य हैं : चार महानगर शहरों में दूध की सप्लाई बढ़ाना, शहरों में रखे जाने वाले पशुओं तथा भैंसों का पुनर्वास, मौलिक परिवहन तथा भण्डारण की व्यापक व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध अधिप्राप्ति प्रणाली का विकास करना तथा दूध उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से डेरी उद्योग का समग्र रूप से सुधार करना। भिन्न-भिन्न योजनाएं तथा उनकी प्रमुख उपलब्धियां अनुबन्ध-1 में दी गई हैं।

(घ) मामले की जांच की जा रही है।

विवरण

आपरेशन फ्लड की प्रमुख उपलब्धियां

वर्तमान डेरियों का विस्तार तथा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित 4 मदर डेरियों की स्थापना का कार्य भी पूरा हो चुका है। बम्बई में 4 लाख लिटर प्रतिदिन की क्षमता वाली एक अतिरिक्त डेरी स्थापित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

17 सम्भरक/सन्तुलन डेरियों के संबंध में कार्य पूरा हो चुका है तथा 5 सम्भरक/सन्तुलन डेरियों में कार्य अभी प्रस्ताव/योजना स्तर पर है।

संचयन तथा लम्बे फासले पर दूध परिवहन की सुविधाएं

लम्बे फासले पर दूध के परिवहन हेतु बड़ी लाइन पर चलने वाले 30 दुग्ध टैंकर खरीदे गए हैं। छोटी लाइन पर चलने वाले 10 दुग्ध टैंकरों को बनवाने के लिए आर्डर दे दिया गया है।

दिल्ली, मद्रास, और कलकत्ता में सप्रेटा दुग्धचूर्ण के भण्डारण हेतु गोदामों का कार्य पूरा हो गया है। मद्रास तथा दिल्ली स्थित शीतागार सुविधाओं का निर्माण पूरा हो गया है। कलकत्ता स्थित शीतागार निर्माणधीन हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी भारतीय डेरी निगम के गोदाम तथा शीतागार निर्माण के लिए आरे मिल्क कालोनी में भूमि देने का निर्णय किया है। औपचारिक रूप से भूमि प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

शहरों में रखे जाने वाले पशुओं का पुनर्वास

शहरों में रखे जाने वाले पशुओं के पुनर्वास को अनेक कारणों की वजह से निगम द्वारा कम प्राथमिकता दी जा रही है। यह महसूस किया जाता है कि विस्तृत दूध सप्लाई से उत्पन्न आर्थिक दबाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के मालिक स्वयं ही अपने पशुओं का पुनर्वास करेंगे। तदनुसार इस मद के लिए शुरू में निर्धारित की गई कुछ धनराशि अन्य अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में लगा दी गई है।

तथापि, पश्चिम बंगाल में ग्रामीण दुग्ध स्रवण क्षेत्रों में 1000 पशुओं के पुनर्वास हेतु एक मार्गदर्शी परियोजना कलकत्ता के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के पुनर्वास के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के प्राधिकारियों द्वारा आरम्भ कर दी गई हैं। .

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषक संगठन ग्रामीण दुग्ध अधिप्राप्ति तथा आदान कार्यक्रम

राज्यों में इन मदों की प्रगति अलग-अलग है। पंजाब, बिहार और गुजरात में 100 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता वाले तीन पशु आहार संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 4 अतिरिक्त आहार संयंत्र निर्माणाधीन हैं। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात में एक-एक संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

बुल-मदर फार्म

14 बुल मदर फार्म स्थापित किए जा चुके हैं। इन फार्मों ने अब तक 357 शुद्ध नस्ल के विदेशी सांड सप्लाई किए हैं। बुल मदर फार्मों में पशुओं की कम संख्या उनकी आर्थिक योग्यता में मुख्य बाधक हैं। प्रत्येक फार्म में प्रजनक पशुओं की संख्या 100 तक कर देने का प्रस्ताव है।

स्टड फार्म: गुंटूर, पटना, मेरठ और वाराणसी के सिवाय दुग्ध स्रवण क्षेत्रों में स्टड फार्म और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। निगम ने आवश्यक उपस्कर सप्लाई करके प्रत्येक राज्य के एक स्टड फार्म में वीर्य प्रशीतन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी हैं। आशा है कि हिमित वीर्य की उपलब्धि से बड़े क्षेत्रों में गर्भाधान कार्यक्रम के विस्तार में सुविधा होगी।

परियोजना आयोजना कार्यान्वयन तथा मानव-शक्ति का विकास

प्रशीतन केन्द्रों, सम्भरक सन्तुलन डेरियों, मदर डेरियों तथा पशु आहार संयंत्रों की आयोजना, अभिकल्पना तथा मानकीकरण करने का कार्य पूरा हो गया है। निगम ने आपरेशन फ्लड हेतु एक सतत सूचना प्रणाली तथा एक प्रणाली विकास कार्यक्रम भी शुरू किया है। भाग लेने वाले राज्यों के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड में सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। आपरेशन फ्लड कार्यक्रमों

के लिए वर्ष के दौरान 362 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था तथा 31-3-1977 तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या 995 हो गई थी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, निम्नलिखित विषय शामिल हैं:--

(1) लेइन्सेमिनेटरों, स्टाकमैनों, लेबोरेट्री तकनीशियनों तथा अधिकारियों को कृत्रिम गर्भाधान में प्रशिक्षण देना।

(2) अधिप्राप्ति तथा तकनीकी आदानों के स्कन्ध कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

(3) पशु आहार संयंत्र आपरेटरों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम।

(4) संयंत्र आपरेटरों के लिए डेरी संयंत्र आपरेशन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(5) कृषकोन्मुखी कार्यक्रम।

(6) डेरी इंजीनियरों विपणन अधिकारियों, डेरी विस्तार श्रमिकों तथा पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिषण कार्यक्रम।

Rental of furniture charged from Members of Parliament

4437. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the basis of charging furniture rent at present from Members of Parliament and whether details thereof are conveyed to them;

(b) how distinction is made in old and new furniture and how the year of purchase of a particular item is determined; and

(c) the manner in which the depreciation value of old items of furnitures is arrived at and whether the rent thereof also comes down correspondingly and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Rent for furniture supplied to the Members of Parliament is calculated as follows, subject to a rebate of 25% :—

(i) *Durable* :

9% per annum of the cost the of furniture upto value of Rs. 6,000/–.
13.75% per annum of the cost of furniture beyond the value of Rs. 6,000/–.

(ii) *Non-Durable* :

16.5% per annum of the cost of furniture upto the value of Rs. 1,500/–.
24.5% per annum of the cost of furniture beyond the value of Rs. 1,500/–.

The details of furniture items supplied to them are also given.

(b) Furniture was purchased in three lots for furnishing the residences of the Members of Parliament during 1952—58, 1968-69 and 1976-77. Rent is charged on the basis of average cost of furniture in each lot.

(c) Depreciation is not taken into account for furniture as it is kept under constant repairs and in good usable condition. If depreciation is also taken into account, the rate of rent will increase correspondingly.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE. MOTION FOR ADJOURNMFNT

हरिद्वार में भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स के कर्मचारियों पर गोली का चलाया जाना

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं नियम 60 के परन्तुक (2) के अधीन कह रहा हूं। मेरा स्थगन प्रस्ताव उद्योग मंत्री नहीं बल्कि गृह मंत्री के विरुद्ध है। क्योंकि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय

के अधीन हैं। इस बल ने लखनऊ में अनेक श्रमिकों को घायल कर दिया है। एक श्रमिक मारा गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैंने भी इसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड भी एक सरकारी संस्थान है। यह बड़ा गंभीर मामला है। मैंने इस पर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना भी दी है। इस बल को पुनः वहां नियुक्त किया गया है जिससे शांति भंग होने का डर है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अपना विनिर्णय दे चुका हूं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1978-79 के लिए उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की ब्योरेवार मांगें

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : महोदय, श्री जार्ज फर्नानडिस की ओर से मैं वर्ष 1978-79 के लिए उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की ब्योरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल०टी० 1900/78]

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कलकत्ता का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल०टी० 1901/78]

Annual Report of Khuda Baksh Oriental Public Library, Patna for 1976-77 and a Statement

The Minister of State in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Shri Dhanna Singh Gulshan) : I beg to lay on the Table :

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Khuda Baksh Oriental Public Library, Patna for the year 1976-77 along with the Audited Accounts, under Sub-Section (4) of Section 21 of the Khuda Baksh Oriental Library Act, 1969.

(2) A statement (Hindi and English versions) explaining that Government are in agreement with the above Report and therefore no separate Review is being laid.

[Placed in Library. *See* L.T. No. 1902/78].

राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (पांचवां निर्गम) संशोधन नियम, 1978 और राष्ट्रीय विकास बाण्ड (संशोधन) नियम, 1978

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्ला) : मैं सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (पांचवां निर्गम) संशोधन नियम, 1978, जो दिनांक 11 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 338 में प्रकाशित हुए थे।

(2) राष्ट्रीय विकास बाण्ड (संशोधन) नियम, 1978 जो दिनांक 11 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 339 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल०टी० 1903/78]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 21 मार्च, 1978 को पास किये गये विनियोग विधेयक, 1978 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 21 मार्च, 1978 को पास किये गये विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1978 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 21 मार्च, 1978 को पास किये गये मिजोरम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 21 मार्च, 1978 को पास किये गये मिजोरम विनियोग विधेयक, 1978 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(पांच) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 21 मार्च 1978 को पास किये गये उच्च मूल्य बैंक नोट (विमुद्रीकरण) विधेयक, 1978 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(छ) कि राज्य सभा 23 मार्च, 1978 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 22 मार्च, 1978 को पास किये गये हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1978 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ग्रोवर आयोग के कार्य करने में रुकावटें

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : महोदय, मैं गृहमंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

ग्रोवर आयोग के सुचारू रूप से कार्य करने में रुकावटें डाले जाने तथा कर्नाटक के मुख्य मंत्री के समर्थकों द्वारा आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री ग्रोवर को बुरे परिणामों की कथित धमकी से, जिससे आयोग अपने विधिपूर्ण कृत्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है, उत्पन्न गंभीर स्थिति के समाचार।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : कुछ मुट्ठी भर प्रदर्शनकारियों द्वारा ग्रोवर जांच आयोग की 8 मार्च, 1978 को बंगलोर में हुई कार्यवाहियों में दोपहर के समय, लगभग 10 मिनट तक बाधा डाली गयी थी। ये प्रदर्शनकारी "ग्रोवर वापस जाओ" के नारे लगाते हुए न्यायालय के कमरे को मिलाने वाले बरामदे तक चले आए और उन्होंने न्यायालय के कमरे में प्रवेश करने का प्रयत्न किया। आयोग के सचिव तथा अन्य कर्मचारियों ने तुरन्त ही दरवाजा बन्द कर दिया ताकि प्रदर्शनकारी न्यायालय के कमरे में प्रवेश न कर सकें किन्तु उनके ऐसा करने से पहले ही एक प्रदर्शनकारी ने अपनी जेब से एक काला कपड़ा निकाला और उसे आयोग के सामने हिलाया।

चूंकि आयोग की बैठकें जनता के लिए खुली थीं, इसलिए स्थानीय पुलिस मूलतः प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को वहां जाने से नहीं रोक सकी, जिन्होंने बरामदे के रास्ते न्यायालय के कमरे में पहुंच कर प्रदर्शन किया, किन्तु ज्योंही प्रदर्शनकारियों के इरादे का पता चला, त्योंही स्थानीय पुलिस ने उन्हें पीछे धकेल दिया और 18 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाला विधान परिषद का एक सदस्य भी सम्मिलित था और उन्हें एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बाद में, मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों के साथ फ्लैशगन लिए एक फोटोग्राफर भी देखा गया, जिसने फोटो लिया जो बंगलौर के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुआ।

आयोग को 9 मार्च, 1978 को बिना हस्ताक्षर वाला एक पोस्ट-कार्ड मिला, जो कि कांग्रेस (आई) के यूथ विंग के नाम से लिखा गया था, जिसमें श्री ए०एन० ग्रोवर को यह धमकी दी गई थी कि वह 48 घंटे के अन्दर-अन्दर आयोग को बन्द कर दे, नहीं तो उन्हें बंगलौर या दिल्ली, कहीं भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। आयोग के न्यायालय के कमरे में बम रखने की भी धमकी दी गई थी। आयोग के सचिव ने पुलिस कमिश्नर, बंगलौर को आवश्यक कार्रवाई के लिए यह मामला सौंप दिया। राज्य पुलिस की सलाह पर यह व्यवस्था कर दी गई थी कि आयोग के परिसर में पास द्वारा प्रवेश किया जाए। श्री ग्रोवर तथा आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा तथा बंगलौर में आयोग के कार्य को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए राज्य पुलिस द्वारा सुरक्षा के और प्रबन्ध कर दिए गए थे। कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने प्रैस में एक बयान दिया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों की निन्दा की गई थी।

18 मार्च, 1978 को प्रातः आयोग के परिसर के सामने एक और प्रदर्शन किया गया जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कुछ पर्चे फेंके। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को अहाते में घुसने से रोक दिया गया और लगभग 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

राज्य सरकार ने बताया है कि प्रदर्शन शान्तिपूर्ण थे और किसी भी भय का कोई कारण नहीं था। आयोग अपना कार्य जारी रखे हुए है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : गृह मंत्री के वक्तव्य में उल्लिखित घटनाएं भूतपूर्व फासिस्ट मिनी डिक्टेटर द्वारा रचे गये शक्ति षडयंत्र का एक अंग है जिनका उद्देश्य देश में अराजकता, हिंसा तथा अव्यवस्था पैदा करना है। समाचारपत्रों से पता चला है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का खंडन किया गया है। परन्तु उनके इस वक्तव्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री इस सभा को तथा इस सभा के माध्यम से सारे देश को यह आश्वासन देंगे कि पराजित फासिस्ट मिनी डिक्टेटर तथा उनके पिट्ठुओं और किराये के गुंडों द्वारा अव्यवस्था पैदा करने के प्रयास ....

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। पिछले समय आपने मुझे उस समय रोक दिया था जब मैंने केवल यह कहा था कि कुछ लोग चन्द्रग्रहण से पीड़ित हैं। आपने मुझे मना कर दिया था। श्री कामत ने अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में ये सभी शब्द प्रयोग किए हैं। ये अपमानजनक हैं। इन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं महसूस करता हूं कि श्री कामते की कुछ टिप्पणियां असंगत हैं। उन्हें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्री बी०पी० कदम : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 353 के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता जो उपस्थित न हो और जो अपने बचाव में कुछ कहने की स्थिति में न हो। जो कुछ श्री कामत ने कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले की जांच करूंगा। मैं कार्यवाही वृत्तान्त का अध्ययन करूंगा।

Choudhary Balbir Singh : On a point of order. Whatever has been said by Mr. Sathe against Shri Kamath in the House is the language of street goondas and civilised people do not use such language. He should withdraw his words and tender apology for it. otherwise I am moving a privilege motion that he has insulted a senior Member of the House.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम 380 की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

> "यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह, स्वविवेक से, आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें।"

श्री कामत ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध जो कुछ कहा वह असंसदीय नहीं है। उन्होंने मिनी डिकटेटर शब्द प्रयुक्त किये हैं। मिनी डिक्टेटर असंसदीय नहीं है। दूसरे शब्द श्रीमती गांधी के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किये गये हैं बल्कि उनके प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध किये गये हैं जो वहां गड़बड़ी पैदा करने के लिए वहां गये थे। यदि मैं यह कहूं कि श्रीमती गांधी मिनी डिक्टेटर हैं तो असंसदीय नहीं है।

श्री वसन्द साठे : क्यों नहीं है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : श्री साठे ने जो कुछ कहा है वह केवल असंसदीय ही नहीं है अपितु किसी सदस्य के लिए वैसे शब्दों का प्रयोग करना सम्मानजनक बात नहीं है। आप कार्यवाही सारांश को देखिये तथा जो आपत्तिजनक शब्द उन्होंने कहें हैं, उन्हें निकाल दीजिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं भी उसी नियम के अन्तर्गत खड़ा हुआ हूं जिस नियम को उदघृत किया जा रहा है । श्री कामत ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत 34 व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अशब्द कहे जोकि एक संसदीय दल के अध्यक्ष हैं । मैं भी आप से यही कहना चाहता हूं कि आप उन शब्दों के प्रयोग के बारे मे अपना विनिर्णय दीजिये । श्री साठे ने भी उन्ही शब्दों का प्रयोग किया है जिनका प्रयोग श्री कामत ने किया था । अतः यदि आप को श्री कामत के शब्दों पर आपत्ति नहीं है तो फिर भला आप श्री साठे द्वारा प्रयुक्त किये गये उन्ही शब्दों पर कैसे अपत्ति कर सकते हैं । .....(व्यवधान) मेरी दूसरी अपत्ति यह है कि श्री कामत ने जिस मामले का उल्लेख किया है, उसका चर्चा वाले विषय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : श्री साठे ने जो कुछ भी कहा है वह किसी प्रकार से इस सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। श्री कामत ने जब आयोग के समक्ष गुंड़ा गर्दी करने वाले लोगों को 'गुंड़ा' कहा तो ऐसा कहना असंसदीय नहीं कहा जा सकता । हम में भेद करने की विवेकशक्ति होनी चाहिए । यदि कोई व्यक्ति किसी को 'लुटेरे' कह कर उसका उल्लेख करता है, हमें भी उसी रूप में उसका उल्लेख करना होगा । अतः श्री स्टीफन ने जो कुछ कहा है उसे श्री कामत द्वारा कहे गये शब्दों के समरूप नहीं कहा जा सकता । वैसे श्री कामत ने जो कुछ कहा है , अगर वह न भी कहते तो काम चल सकता था । परन्तु मेरे मित्र श्री साठे ने जो कुछ कहा है वह निश्चय ही उचित नहीं है । उसे किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रधान मंत्री ने जो विवेकपूर्ण परिवीक्षा की है, उसे दृष्टिगत रखते हुए मैं उस स्तर तक गिरी हुई भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, जिस स्तर की भाषा का प्रयोग श्री साठे द्वारा किया गया । परन्तु जब मैंने यह कहा कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री छोटी तानाशाह थी, तो इसे गाली नहीं कहा जा सकता.....(व्यवधान) क्या गृह मंत्री सदन को यह आश्वासन देंगे कि आयोग के बाहर जो नारे लगाये गये "ग्रोवर आयोग वापिस जाओ" क्या ऐसे नारे लगाने वाले लोगों के विरूद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी । आयोग का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया था तथा उसे उपयुक्त सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व भी सरकार का ही है ।

श्री चरण सिंह : जिस प्रकार के समाचार हमें अब प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि ग्रोवर आयोग अपना कार्य शांतिपूर्वक ढंग से करता रहेगा ।

Shri Gauri Shankar Rai : Mr. Shanker, Sir, if you are not going to expunge the unparliamentary words used by Shri Sathe, then at least hon. Member should express regrets for the same

अध्यक्ष महोदय : आपको गलतफहमी है । कोई भी ऐसा शब्द कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया है ।

श्री वसन्त साठे : आपको याद होगा कि मैंने केवल यही कहा था.....

अध्यक्ष महोदय : आपने आवेश में आकर अपशब्दों का प्रयोग किया है । आप अब उन्हें भूल रहे हैं ।

श्री एस० ननजेश गौड़ा (हसन) : माननीय मंत्री महोदय ने राज्य द्वारा दिये गये आश्वासन की बात कही है । पहली बात तो यह है कि यह आश्वासन उन्हीं लोगों द्वारा दिया गया है जो कि प्रदर्शन करवाते हैं ।

दूसरे समाचार पत्रों में जो आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार श्री अर्स को अपने दामाद की गैर-कानूनी ढंग से सहायता करने का आरोप स्पष्ट हो गया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह दो अलग मामले हैं । एक मामला ग्रोवर आयोग के समक्ष विचाराधीन है तो दूसरा वहां हुई गड़बड़ के बारे में है । अत: जो मामले अभी तक न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन हैं । उनका उल्लेख इस प्रकार सदन में नहीं किया जा सकता ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जो कुछ आयोग के विचाराधीन हैं, उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिये । इस बात के लिए मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्टीफन ने जो धारण व्यक्त की है, वह ठीक नहीं है क्योंकि गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि गड़बड़ करने वाले लोगों को गिरफ्तार करके न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा फिर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

श्री सी० एम० स्टीफन :.......यह मामला निश्चय ही न्यायालय के समक्ष है**—

अध्यक्ष महोदय : आप मामले के व्यौरे में मत जाईये ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनखपुरा) : प्रधान मंत्री द्वारा अनुरोध करने पर भी और अध्यक्ष महोदय द्वारा विनिर्णय दिए जाने के बावजूद भी माननीय सदस्य अवश्य कर रहे हैं । नियम 353 के अन्तर्गत जो व्यक्ति सभा में उपस्थित न हो, उसके विरूद्ध कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री एस० ननजेश गौड़ा (हसन) : मैंने कुछ भी असत्य नहीं कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : चाहे आपकी बात सही भी हो, फिर भी आप अपमानजनक वक्तव्य नहीं दे सकते ।

श्री एस० ननजेश गौड़ा : ऐसे प्रदर्शनों को कड़ाई से निपटा जाना चाहिए । मैं गृह मंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि आर्थिक अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी । ग्रोवर आयोग सुचारू रुप से काम करें ।

श्री चरण सिंह : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : : उच्च अधिकारियों के विरूद्ध भी ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

Shri Gauri Shankar Rai (Ghazipur) : Just now some hon. members raised a point of order that nothing can be said against any person, who is not present in the House. But it is not possible to call all the corrupt persons against when commissions have been appointed.**

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) 22 मार्च 1978 के भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों की कथित हड़ताल

Dr. Laxmi Narain Pandeya (Mandsaur) : On March, 22 about three thousand officers of the I.O.C. suddenly went on causal leave in support of their demands as a result of which work in the refineries at Barauni, Haldia and Gauhati came to a standstill and the corporation has to suffer loss worth cross of rupees. The officers have also said that if their demands are not accepted they will again go on mass causal leave. If this threat materialises the

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।
Expunged as ordered by the Chair

country will have to suffer a heavy loss again. Therefore the Minister should take this matter seriously and come out with a statement setting forth the steps taken by the Government to prevent the strike and to fulfil the demands of those officers.

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : I want to draw the attention of the House to the sad plight of the 484 national medical officers of National Health Services who have neither been given any promotion nor confirmed for the past 10 to 13 years. According to rule, their cases should have been sent to the Departmental Promotion Committee after 5 years of service. With your permission, Sir I would like to place on the Table a list containing the names of those doctors.* It is high time these doctors are confirmed and their cases sent to the D.P.C. without further delay.

*अध्यक्ष महोदय ने अनुमति नहीं दी और पत्र सभा पटल पर रखा हुआ नहीं समझा गया।

*The speaker not having accorded the necessary permission the paper was not treated as placed on the Table.

(तीन) अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किस्त को नकद न दिये जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष का कथित समाचार

Smt. Ahilya P. Rangnekar (Bombay North Middle) : Another instalment of D.A which is due to central Government employees has not been given to them by the Government. According to the recommendations of the pay Commission it should have been given to them.

It is learnt Government are considering giving this D.A. in the form of bonds which can be encashed after ten years. This is not proper. The non-payment of D.A. instalment created dissatisfaction among the employees. It is high time that Government should take a decision to pay the D.A. to the employees. If this is not done, dissatisfaction will increase and administration will be adversly affected.

(चार) क्वारट्टी मुख्यालय में 3 मार्च, 1978 में लक्षद्वीप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जवाहरलाल नेहरू कालेज के छात्रों के बीच कथित झगड़े के समाचार

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : जवाहरलाल नेहरू कालेज, कवारत्ती, लक्षद्वीप के विद्यार्थी अधिकारियों की अनुमति से दो और तीन मार्च को कालेज परिसर में कालेज दिवस मना रहे थे। उसी दिन कालेज परिसर में छात्रों के मंच से 114 फीट की दूरी पर सरकारी अधिकारियों ने द्वीप के सरकारी अधिकारियों के 'केरल समाजम्' के सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मंच बनाया। छात्रों को यह पसन्द नहीं था क्योंकि उन्हें डर था कि सरकारी अधिकारियों के आयोजन से उनका कालेज दिवस आयोजन फीका पड़ जाएगा। अतः इस पर छात्रों और उनके माता-पिताओं ने चर्चा की और उन्होंने अधिकारियों के पास अपने आयोजन समारोह का स्थान बदलने के लिए कहने का एक शिष्ट मण्डल भेजने का निर्णय किया। परन्तु उनके अनुरोध को ठुकरा दिया गया।

परिणामस्वरुप अधिकारियों के समारोह में किसी शरारती व्यक्ति ने मंच पर चप्पल फेंकी जिससे अधिकारी नाराज हो उठे। अचानक बिजली चली गई और चारों ओर भगदड़ मच गई। इस कारण सात लड़कियों समेत 17 छात्र गम्भीर रुप से घायल हुए। कुछ लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और यह सब पुलिस और कुछ अन्य अधिकारियों की सांठ-गांठ से हुआ। इस घटना से द्वीपवासियों में बड़ा दुःख और क्षोभ व्याप्त है। राष्ट्रीय हित में यह स्थिति नहीं चलने देनी चाहिए।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार इस घटना की तुरन्त एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराए और अपराधियों को पकड़े। सरकार द्वीप वासियों और केरल वासियों के बीच सद्-भावना और अच्छे संबंध पैदा करने के लिए एक संद्भावना मण्डल भेजे। सभी दलों के सदस्यों

का एक संसदीय मण्डल तथ्यों का पता लगाने द्वीप में भेजा जाए। सरकार इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोके और द्वीपवासियों में विश्वास की भावना पैदा करे।

अनुदानों की मांगें 1978-79
DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79

रक्षा मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय द्वारा रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1978–79 की निम्नलिखित अनुदानों की मांगे प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि राजस्व	पूंजी
19.	रक्षा सेवाएं--सेना . .	14,78,76,000	11,71,73,000
20.	रक्षा सेवाए--नौसेना . . .	316,32,08,000	..
21.	रक्षा सेवाएं—वायु सेना . . .	34,25,62,000	..
22.	रक्षा सेवाएं--पेंशनें . . .	97,68,98,000	..
23.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय . .	25,10,46,000	..
24.			48,89,86,000

रक्षा मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :—

मांग सं०	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	1	श्री पी० राजगोपाल नायडू	सेना को आधुनिक बनाने की आवश्यकता ताकि वह प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों का भी मुकाबला कर सके।	राशि में से सौ रूपये घटा दिये जायें
19	2	,,	अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप विमान स्वयं बनाने में असफलता।	तदेव
19	3	,,	नए उत्पादों के विकास के लिए भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में अनुसंधान हेतु अधिक राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता ताकि ये उत्पाद विश्व मण्डी में उपलब्ध सर्वोत्कृष्ट उत्पादों का मुकाबला कर सकें।	तदेव

1	2	3	4	5
19	4	श्री० पी० राजगोपाल नायडू	प्राग टूल्स लिमिटेड में सुधार की आवश्यकता।	राशि में से सौ रूपये घटा दिए जाए
20	5	,,	अनुसंधान तथा विकास संगठन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता।	तदेव
21	6	,,	नौसेना को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता।	तदेव
20	7	श्री बलदेव सिंह जसरोटिया	सेना में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता।	तदेव
20	8	,,	सैनिकों की पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता।	तदेव
.. 21	9	,,	भूतपूर्व नौसेनिकों को पुनः नियुक्त करने की आवश्यकता।	तदेव
21	10	,,	नौसेना में राशन बढ़ाने की आवश्यकता।	तदेव

डा० कर्णसिंह (उधमपुर) : सबसे पहले मैं सशस्त्र सेनाओं को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही महान भूमिका निभाने के लिये बधाई देता हूं।

सारे देश को इन सेनाओं पर जिन्हें विश्व भर में सर्वोत्तम लडाकू समझा जाता है, गर्व है।

हमारी भौगोलिक तथा राजनैतिक परिस्थिति से ऐसी है जिसमें एक मजबूत सुरक्षा सेना का होना जरुरी है। भारत जैसा देश किसी भी आक्रमण का सामना करने में समर्थ होना चाहिये और इसीलिये यह जरुरी है कि हमारा रक्षा नीति का निकट सम्पर्क विदेश नीति से हो।

इस समय विदेश मंत्रालय के नीति नियोजन विभाग में रक्षा मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि नहीं है। रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि का इस विभाग में होना जरुरी है ताकि नीति निर्धारण के मामले में पूरा तालमेल हो सके।

रक्षा के लिये लगभग 3000 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया है। हमारे जैसे विकासशील देश के लिये यह प्रावधान बहुत है लेकिन इस बारे में लोग तथा यह सभा कोई भी आपित्त नहीं करेगी यदि यह आश्वासन दिया जाये कि रक्षा ढांचे की कमियों को पूरा किया जायेगा तथा स्वीकृत राशि का पूर्णतः उपयोग किया जायेगा।

हमारी रक्षा नीति की योजना 20 वर्षों के लिये बनाना जरुरी है। इसके लिये एक पूर्व आयोजन होना चाहिये। इसमें कोई बाधाएं नहीं होनी चाहियें। 20 वर्ष के लिये एक स्पष्ट तथा एकीकृत योजना होनी चाहिये।

जहां तक सेना का सम्बन्ध है, गतिशील तथा मार करने की शक्ति वाले यंत्रीकृत शस्त्रों पर अधिक बल दिया जाना चाहिये। यह मार करने की शक्ति अधिकांश आमर्ड डिविजनों तथा अन्य पंजीकृत

शाखाओं में होती है और इसी ओर हमें अधिक ध्यान देना है । अगले 20 वर्षों में हमें यंत्रीकृत तथा उच्च गतिशील एककों की ओर ध्यान देना चाहिये ।

वायुसेना की उपलब्धियों के बारे में हमें गर्व है । लेकिन अपना काम पूरा करने के लिये हमें इसे शस्त्र देने हैं। कुछ वर्षों से सदूर प्रहार करने वाले वायुयानों पर चर्चा हुई है । सामरिक समस्याओं तथा योजनाओं की समीक्षा करने पर यदि यह समझा जाये कि डी० पी० एस० ए० जरूरी है तो इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जाये ।

नौसेना की पनडुबी की संख्या अपर्याप्त है और इसे बढ़ाया जाना चाहिये । हेलिकाप्टर सहित तेज रफतार से चलने वाले फ्रिग्रेट शस्त्रों की तुरन्त आवश्यकता है क्योंकि उनके द्वारा ही हमारी नौसेना को वह गतिशीलता मिल सकती है जो एक नौसेना द्वारा अपने कर्तब्यों को पूरा करने के लिये जरूरी है।

हमें अपनी सशस्त्र सेना को आधुनिक बनाना चाहिये क्योंकि इससे आत्मनिर्भरता का उद्देश्य भी पूरा होता है क्योंकि विश्व भर में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे दर्जे के भारत जैसा देश जरूरी शस्त्रों के लिये विदेशों पर निर्भर नहीं कर सकता । हमें वे शस्त्र स्वयं तैयार करने हैं। अतः आधुनिकीकरण तथा आत्मनिर्भरता हमारी रक्षा नीति का मुख्य अंग होने चाहिये ।

पिछले दस वर्षों के दौरान सराहनीय रक्षा उत्पादन हुआ है । लेकिन इससे भी कुछ अधिक किया जा सकता था। रक्षा मंत्रालय को रक्षा उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये और हर शस्त्र को देश में ही निर्मित करने का प्रयास करे। विदेशों से अब तक भी कुछ शस्त्र मंगाये जाते हैं जिनका उत्पादन लाभ के साथ यही किया जा सकता है । फिर हमारे रक्षा उत्पादन संगठन में सुधार किए जाने की आवश्यकता है । और इसका सम्पूर्ण ढांचा ही बदला जाना चाहिये ।

जहां तक अनुसंधान और विकास का सम्बन्ध है रक्षा अनुसन्धान विभाग को बन्द दुकान के रूप ये ही नहीं रखना चाहिये बल्कि इसे अन्य संस्थानों का अनुसरण करना चाहिये और उनको प्रभावित भी करना चाहिये तथा रक्षा परियोजनाओं में कार्य करने हेतु समस्त भारत भर में से वैज्ञानिक बुलाने चाहिये। ये रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी नहीं होने चाहिए क्योंकि रक्षा राष्ट्रीय वचनबद्धता है और इसीलिये एक निदेशालय होना चाहिये जहां समय पड़ने पर भारत और विदेशी के भूधन्य विद्वानों को बुलाया जा सके और हम अपनी अनुसन्धान और विकास शक्ति को और अधिक सशक्त कर सके ।

भण्डार और उपकरण के सम्बन्ध भण्डारण और सूची नियंत्रण की सम्पूर्ण संकलपना अत्याधिक जटिल हो गई है । यद्यपि इस दिशा में कुछ कदम उठाये गये है लेकिन इस एक क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय आधुनिक तरीके अपना सकता है । राज्याध्यक्ष समिति इस मामले को देख रही है और आशा है कुछ ठोस परिणाम निकलेंगे ।

जहां तक आसूचना या गुप्तचर सेवाओं के प्रश्न का सम्बन्ध है इस समय यहां बहुत अधिक एजेंसियां काम कर रही हैं। नागरिक एजेंसियां है। रक्षा मंत्रालय की एजेंसियां है। अर्ध सैनिक एवं राज्य सरकारों की एजेंसियां हैं। इन सब में समन्वय नहीं है । और सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिये रक्षा आसूचना में तालमेल नहीं है । इस मामले की जांच की जानी चाहिये ।

जहां तक प्रशिक्षण का सम्बन्ध है मुझे इसमें कुछ संदेह है कि क्या हमारा प्रशिक्षण कार्य रक्षा के क्षेत्र में तकनीकी विकास के साथ इसका कोई सम्बन्ध है । इसकी पूर्णता के बारे में जांच करने और यह सुनिश्चित्त करने के लिये कि हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम नई आवश्यकताओं की पूर्ति करतें ह या नहीं इन सब बातों को देखने के लिये एक निकाय होना चाहिये ।

10 LSS 78—12

मद्यनिषेध के प्रश्न पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठंडे क्षेत्रों और बहुत ऊंचे क्षेत्रों में रम का कोटा समाप्त करना नितान्त अनुचित होगा। रक्षा सेनाएं पूर्णतः अनुशासित होती हैं। लेकिन इसका विरोध हो सकता है । रक्षा मंत्री को उस मामले पर ध्यान देना चाहिये ।

जहां तक सैनिकों के परिवारों के लिये रिहायशी आवासों का सम्बन्ध है हम इस पर पर्याप्त धन खर्च नहीं कर रहे हैं । हमें उस पर और अधिक धन व्यय करना चाहिये और यह कमी शीघ्र ही पूरी कर लेनी चाहिये ।

छावनी के क्षेत्रों की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है । अतः इनके रख-रखाव के लिये पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

लगभग एक लाख सैनिक प्रतिवर्ष सेवा निवृत्त किए जाते हैं । उन्हें 35 वर्ष की आयु में ही बेरोजगार कर दिया जाता है । इन लोगों के पुनर्वास के मामले पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। इन लोगों का पूरा ध्यान रखना और इनकी देखभाल करना राष्ट्र का नैतिक दायित्व है ।

इनकी पेंशनों के मामले में बहुत असमानता है । 1973 से पहले सेवा निवृत्त हुए व्यक्तियों को पुनरीक्षित दरों पर पेंशन नहीं मिल रही है जबकि इन लोगों ने चीन के हमले और कश्मीर के हमले में युद्ध किया था। रक्षामंत्री को सशस्त्र सेनाओं के लिए पेंशन पुनर्वास आयोग स्थापित करना चाहिये जिसमें सेना के अधिकारी और असैनिक अधिकारी शामिल होगें । हमें इस आयोग के प्रतिवेदन को दृष्टि में रखकर इन समस्याओं पर सशस्त्र सेनाओं के कल्याण हेतु नए सिरे से विचार करना चाहिये ।

जब कभी रक्षा उद्देश्यों हेतु भूमि अधिगृहीत की गई है उसके लिये मुआवजा बहुत देर से दिया गया है । मुआवजा जल्दी ही दिया जाना चाहिये।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : पहले मैं रक्षा मंत्री को बधाई देता हूं।

डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई ।
Dr. Susheela Nayar in the Chair

डा० कर्ण सिंह ने जनता सरकार को 20 वर्ष के लिए रक्षा योजना बनाने का सुझाव दिया है लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अस्त्र शस्त्र बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं अर्थात नए-नएं अस्त्रों के आविष्कार से पुराने अस्त्र अपनी उपयोगिता खो बैठते हैं। इसलिये 20 वर्षों के लिये योजना कैसे बनाई जा सकती है जबकि शस्त्र पांच वर्षों के भीतर अप्रचलित हो जाते हैं ।

नए प्रक्षेपणस्त्रों, लेसरो "काइनेटिक एनर्जी बुलेट्स" जोकि वास्तव में आणविक बेलेट्स है, तथा अन्य शस्त्रास्त्रों के विकास से युद्ध की नई धारणा में सेमिनेटिक्स और साइबरेटिक्स का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है । अतः युद्ध के संबन्ध में नई धारणा बनाने की आवश्यकता है ।

गुप्तचर जानकारी पर अधिक बल दिया जाना चाहये क्योंकि कोई भी सेना आंख बन्द करके लड़ाई नही कर सकती हमारे गुप्तचर विभाग का ढांचा व्यापक और समेकित होना चाहिये।

युद्ध की नई धारणा के विकास से जहां कि मशीनी उपकरणों और इलैक्ट्रोनिक्स का प्रयोग होता है और प्रक्षेपणास्त्रो की सहायता ली जाती हैं यह आवश्यक है कि हम अपने अफसरों को अधिक समेकित प्रशिक्षण दें। यदि वह युद्ध के अद्यतन तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ नही होंगे तो हमारे लिये संकट पैदा हो सकता है।

आधुनिक विनाश शस्त्रों के कारण हमारी रक्षा परिसीमा और भी व्यापक होगी इसलिये मिसाइल और नित्य नए-नए आने वाले अस्त्र-शस्त्रों के बारे में अफसरों को प्रशिक्षण देने के लिये विशेष कालेजों की स्थापना की जानी चाहिये यह इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि आधुनिक युद्ध कर्म समेकित

युद्ध कर्म है। यह न तो केवल हवाई लड़ाई होती है और न ही सेना की लड़ाई होती है और न ही अकेले नौ सेना की लड़ाई होती है। तीनों सेनाओं द्वारा मिलकर युद्ध किया जाता है अतः संयुक्त स्टाफ की आवश्यकता है ताकि एक दूसरे को एक दूसरे की समस्याओं की जानकारी रहे और साथ ही संयुक्त स्टाफ के द्वारा रक्षा के आधुनिक तरीकों का भी विकास किया जा सके। हाल में होने वाली घटनाओंको दृष्टिगत रखते हुए प्रतिगुप्तचरी पर अधिक बल दिया जाना चाहिये।

आज हमें अधिक लड़ाकू बमवाहक विमानों की आवश्यकता है साथ ही 'इन्टर सेप्टर' और 'रिकोनोसैंस' विमानों के स्थान पर नए विमान लाए जाने चाहिए। सीमित संसाधनों के कारण हम इन सब चीजों के लिये पृथक-पृथक विमानों की व्यवस्था नहीं कर सकते। अतः रिकोनोसेंस विमानों को लड़ाकू बमवाहक विमानों के साथ क्यों नहीं मिला दिया जाता? विमान के लिए जरूरी चीजों में गति, प्रवंचना, लड़ाई की क्षमता तथा वापिस आने की क्षमता ईंधन की क्षमता तथा सुविधाजनक रख-रखाव इत्यादि आते हैं।

गहरी मार करने वाले विमानों की खरीद के समय हमें यह सावधानी बरतनी चाहिये कि इन विमानों को भारत में भारतीय सहयोग से बनाया जाये ताकि फालतू पुर्जों के लिये विदेशों पर निर्भर न रहें। उन्हें इस बात पर भी मजबूर किया जाये कि अपने देश में भी इन विमानों के 75% पुर्जे हमारे से खरीदें।

हमारी नौ सेना की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। हमारा दायित्व बहुत अधिक है। हमारे पास पर्याप्त संख्या में फ्रिगेट नहीं है। हमें छोटे जहाज बनाने जरूरी हैं जो विमानवाहक विमानों में प्रयोग किये जा सकें।

श्री पी० वी० जी० राजू (बोबिलो): विदेशी मामलों का उल्लेख किये बिना रक्षा पर चर्चा पूरी नहीं हो सकती। जब जनता सरकार सत्ता में आई तो विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से युद्ध न करने का समझौता करने की पेशकश की थी। मैं चाहता हूं कि इस समझौते को पुनः दोहराया जाये ताकि हमें पता चल जाये कि पाकिस्तान के सम्बन्ध में हमारी क्या स्थिति है। पाकिस्तान से युद्ध न करने के बारे में समझौता बहुत आवश्यक है क्योंकि पड़ौसी देशों की स्थिति को देखते हुए हम अपने रक्षा व्यय का निर्धारण करते हैं।

यदि पाकिस्तान से युद्ध न करने का समझौता होगा तो हमारा रक्षा व्यय युक्तिसंगत हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि रक्षा व्यय में कटौती की जाये पर रक्षा अनुसंधान पर अधिक बल दिया जाना चाहिये। शांतिपूर्ण आणविक विस्फोट के मामले पर अमरीका के साथ व्यावहारिक ढंग से बातचीत की जाये। हम न केवल आणविक शस्त्र क्षमता बल्कि आणविक जीव विज्ञानीय रसायन क्षमता के बारे में भी अमरीका से प्रश्न कर सकते हैं। आणविक विस्फोट के बारे में उनसे पूछना हमारा अधिकार है और हम कह सकते हैं कि जब तक वह अपनी रसायन क्षमता पर नियंत्रण नहीं करते तब तक उन्हें हमारी क्षमता पर चर्चा नहीं करनी चाहिये।

प्रतिरक्षा पर होने वाले कुल व्यय का केवल 7% नौसेना पर खर्च करना तो बहुत कम है। हमें अधिक खर्च करना चाहिये क्योंकि हमें लम्बे तट की रक्षा करनी है। अधिक राशि व्यय करने का अर्थ शास्त्रों और नौकाओं आदि पर खर्च करना नहीं है बल्कि नौसेनिक जहाज निर्माण के यार्ड आदि पर खर्च करके आन्तरिक ढांचा तैयार करना है। मेरा सुझाव है कि कोचीन शिपयार्ड को नौसेना अड्डे में बदला जाये।

Shri Yagya Datt Sharma (Gurdaspur): I think less amount has been provided for defence purposes. Our previous Government had not paid much attention towards the problems of our Defence. We should spend more to modernise our armed forces. We can not ignore the defence of our country. Our relations with Pakistan and China have,

no doubt taken a turn for the better but these countries still continue to hold large tracts of our land. The penetration of big powers in the Indian ocean continues.

We should pay more attention towards our brothers living in Nagaland and Mizoram. Besides three armed forces, an additional arrangement in the form of a high level organisation was necessary for better coordination. Competent retired officers of the defence services and experts in various fields can be included in that organisation.

Decision in regard to appointments of new Service Chiefs should be taken well within time so that there are no elements of uncertainty or instability.

Duplication of work between the Ministry of Defence and Headquarters of three Service Chiefs should be avoided. Necessary integration should be done for that purpose which will not only increase our efficiency and working capacity and reduce the expenditure but will also abolish the monopoly of civilian officers giving adequate liberty of work to the technocrats.

A high level Advisory Committee should also be set up to study the nature and size of the defence problems before the country to keep a watch on likely dangers and to advise the Defence Ministry and our Service Chiefs in exact terms for their proper guidance. It should be a permanent body comprising of the high level officers of the Intelligence Department, Ministries of External Affairs and Defence and other experts.

One fundamental point is that in regard to our three forces, first of all the budget allocations are made then approval of Parliament is sought over them and thereafter justification for every major item of expenditure is given. This is a complicated procedure and needed to be simplified.

Coordination between the requirements of Army, Navy and Air Force should also be done for their better functioning and economy in expenditure.

Modernisation of our defence forces should be done speedily to increase their striking capacity.

Medium and heavy helicopters should be procured in a larger number.

Speedy attempts should be made to attain self-sufficiency in defence productions.

Proper arrangements may be made to provide employment to the defence personnel who retire in their young age.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैंने रक्षा मंत्री के हाल ही के वक्तव्य के बारे में अखबारों में पढ़ा है कि कुल रक्षा व्यय के प्रतिशत में धीरे-धीरे कमी की जा रही है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इस वर्ष का रक्षा पिछले वर्ष के रक्षा बजट से लगभग 200 करोड़ रुपये अधिक है। पड़ौसियों के साथ हमारे सम्बन्ध सुधरे हैं। अतः रक्षा बजट बढ़ाने की क्या जरूरत है ?

केवल रक्षा सेनाओं को बढ़ाकर ही देश मजबूत नहीं किया जा सकता। लोगों के समर्थन से देश की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सकती है। लोगों और नवयुवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाये ताकि जरूरत के समय सभी देश की रक्षा कर सकें।

भारतीय नौसेना में साधारण नाविक और अधिकारियों में भेद-भाव किया जाता है। नाविकों की कार्य की परिस्थितियां अत्यन्त असंतोषजनक हैं। विरोध करने पर उन्हें धमकियां दी जाती हैं और तंग किया जाता है। अनेकों को बलपूर्वक अपराध कबूलवाया जाता है और तब कोई राशि तथा प्रमाणपत्र दिये बिना उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है।

इसी प्रकार थल सेना में साधारण सिपाही के साथ बुरा बर्ताव होता है। चिकित्सा सुविधाएं, क्वार्टर आदि देने में उनसे भेद-भाव होता है।

जवानों के लिये पदोन्नति के नये मार्ग खोले जायें और भेद-भाव समाप्त किया जाये।

प्रति वर्ष सेना से काफी बड़ी संख्या में व्यक्तियों को सेवानिवृत्त किया जाता है । सेवा निवृत्ति के बाद उनमें से अधिकांश युवा आयु में ही बेरोजगार हो जाते हैं और उन्हें बहुत थोड़ी पेंशन मिलती है। उसे बढ़ाया जाये और अन्य कार्यों में लगे भूतपूर्व सैनिकों को भी पेंशन मिलनी चाहिये ।

आत्मनिर्भरता का शोर तो बहुत होता है लेकिन अभी तक भी हम आधुनिक हथियार विदेशों से खरीदते हैं ।

रक्षा उद्योगों में श्रमिकों और कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है लेकिन दूसरी और सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में रक्षा सम्बन्धी सामान खरीद रही है ।

इंजीनियरी कारखाने और आयुद्ध कारखाने अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं। अनेक श्रमिकों को फालतू घोषित किया गया है । आयुद्ध कारखाने गैर-सरकारी पूर्ति और आयात पर अधिकाधिक निर्भर करने लगे हैं।

कुछ डिपों/प्रतिष्ठानों में सिविल पदों पर सेना के अधिकारियों के नियुक्ति करने की प्रतिक्रिया चालू की गई हैं। इसके फलस्वरूप बहुत से कर्मचारी फालतू घोषित कर दिये जायेंगे।

रक्षा उद्योगों में औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं । बहुत से प्रतिष्ठानों में कर्मचारी संगठनों को काम नहीं करने दिया जा रहा है । कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की अपेक्षा की जा रही है । कुछ यूनियनों का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है । आन्तरिक आपातकाल में रक्षा उद्योगों में सैकड़ों कार्मिक संघों के कार्यकर्त्ताओं को उत्पीड़ित किया गया था। इनमें से कुछ कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया है मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सभी कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने के लिए शीघ्र ही कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री रुडोल्फ रोडिग्स (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय): सर्वप्रथम मैं रक्षा मन्त्री से यह सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध करूंगा कि रक्षा मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदनों में और अधिक विस्तृत विवरण दिया जाये। वास्तव में मेरा यह सुझाव है कि सदस्यों को एक श्वेत पत्र दिया जाना चाहिये ताकि वे बेहतर तैयारी करके चर्चा में भाग ले सकें।

विश्व की अधिकाँश सशक्त सशस्त्र सेनाओं का मनोबल ऊंचा है। आपको पता चलेगा कि उन सशस्त्र सेनाओं में पदोन्नति के अवसर बहुत अच्छे है । यदि एक कनिष्ठ अधिकारी को यह पता हो कि एक दिन वह जनरल बन सकता है तो उसका मनोबल तथा लड़ने की योग्यता बढ़ जाती है । यदि आप हमारी सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को देखें तो आपको पता चलेगा कि 13 वर्ष की सेवा के बाद एक कनिष्ठ अधिकारी अधिक से अधिक मेजर बन पायेगा, जब कि अन्य अखिल भारतीय सेवाओं या सम्बद्ध सेवाओं में इस अवधि में लोगों को कई एक पदोन्नतियाँ मिल जाती हैं । हमारी सशस्त्र सेनाओं में असंतोष का कारण यह एक कारण है । हमें इस अवधि को कम करने के मार्गोपाय ढूंढने चाहियें। ऐसा किया जा सकता है यदि हमारी इच्छा हो तो, हम इस मामले के बारे में एक समिति नियुक्त कर सकते हैं।

हमारी सेना में न केवल गतिशीलता ही नहीं होनी चाहिये अपितु उसमें प्रहार शक्ति भी होनी चाहिये । किन्तु जहाँ तक गतिशीलता का प्रश्न है अभी तक इसमें अपेक्षित गतिशिलता नहीं आ पाई क्योंकि सैनिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक है । फिर भी हमारी प्रहार शक्ति तथा सैनिकों में अनुपात 1971 में 62.38 से बढ़ कर 1978 में 67.33 हो गया है।

जहाँ तक विभिन्न प्रकार के हथियारों का सम्बन्ध है, हमने सशस्त्र सेना कैरियर का नमूना बनाने पर भारी धन व्यय किया है। आज इसकी सशस्त्र सेना को कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि निकट भविष्य में नये प्रकार के युद्धास्त्र तैयार किये जाने हैं।

हमारा पैरासूट ब्रिगेड भी काफी बड़ा है। मुद्दा यह है कि क्या हमें इस प्रकार के पैरासूट सैनिकों की अभी भी आवश्यकता है जबकि हामारे पास हेलिकोप्टरों की सेवा आसानी से उपलब्ध है। अतः इस पर विचार किया जाना चाहिये।

कम से कम तीन पहलूओं में हम व्यय में कमी कर सकते हैं। एक तो यह है कि हमारे यहाँ समूचे देश में मिलिटरी प्रतिष्ठान फैले हुए हैं। सम्भवतः कुछेक को मिलाकर और कुछ अन्य को समाप्त करके काफी हद तक व्यय में कटौती की जा सकती है। दूसरे, हमारे अधिकारियों और सैनिकों का स्थानान्तर पर भारी खर्च होता है। यहाँ पर व्यय में कभी करने की गुंजाइश है। तीसरे, कर्मचारियों के बारे में मन्त्री ने एक बार कहा था कि सेना की संख्या में बेरोजगारी की समस्या के कारण कमी नहीं की जानी चाहिये। यदि बेरोजगारी मुख्य प्रश्न है, तो हम अपने सैनिकों का अन्य तरीकों से उपयोग कर सकते हैं।

जैसा कि अन्य सदस्यों ने बताया है कि नौसेना के लिये अतिरिक्त धनराशि आवंटन किये जाने की आवश्यकता है। सारे विश्व में सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के लिऐ आवंटन लगभग एक समान है किन्तु यहाँ पर हम अपनी नौसेना पर केवल 7 प्रतिशत ही व्यय कर रहे हैं। अब समय आ गया है जब कि हम अपनी नौसेना पर अधिक धन व्यय करना चाहिये।

न केवल डी० पी० एस० ए० के हवाई जहाज पर व्यय और उसके प्रतिस्थापन पर ही विचार किये जाने की आवश्यकता है अपितु सभी प्रकार के हवाई जहाजों, विशेषकर वायु सेना के एम० ई० टी० ए० सी० डिवीजन के जहाजों पर व्यय की जाँच करना भी आवश्यक है।

जहाँ तक कल पुर्जों का सम्बन्ध है इनका उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में बढ़ाया जाना चाहिये मैंने पहले भी चेतावनी दी थी और मैं पुनः इस बारे में चेतावनी दे रहा हूं। इस तथ्य के बावजूद कि आज गैर-सरकारी क्षेत्र में रक्षा उत्पादन बहुत ही कम हो रहा है। रक्षा उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा भाग लेने की बढ़ती हुई संभावना के साथ हमें शीघ्र ही एक सैनिक औद्योगिक कम्पलेक्स देखने को मिलेगा। इस प्रस्ताव में निहित खतरों का समय पर पता चलेगा। रक्षा मन्त्री को सभा को आश्वासन देना चाहिये कि हमारे देश में ऐसा कोई खतरा नहीं है।

श्री बी० पी० कदम (कनारा) : प्रत्येक व्यक्ति को हमारी रक्षा सेवाओं पर गर्व है क्योंकि यह समूचे विश्व में एक बेहतरीन लड़ाकू सेना है जिसमें कि कोई विवाद नहीं है। अतः हमारी रक्षा सेनाओं की आत्म-निर्भरता कृत संकल्प तथा अनुशासनबद्ध और अत्यन्त आधुनिक हथियारों से लैस होना होगा।

दुर्भाग्यवश हमारे पड़ौसी देशों, पाकिस्तान और बंगलादेश में सैनिक शासन है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। अत हमें पूर्णतः तैयार तथा अधिक सतर्क रहना होगा। हमें बंगलादेश के प्रति भी सावधान रहना होगा जहाँ पर सैनिक शासन चला रहा है। फिर दक्षिण वियतनाम में बेइज्जत होने के बाद अमरीका भी हिन्द महासाग में सक्रिय हो सकता है क्योंकि वह वहाँ पर सन्तुलन तथा अपनी शक्ति बनाय रखना चाहता है। अतः हिन्द महासागर में भी हमें अधिक सावधान रहना होगा और किसी भी हालत में हमें दियगोगिसिया अड्डे के मामले पर समझौता नहीं करना चाहिये।

अन्तत: मैं एक दो शब्द भूतपूर्व सैनिकों के बारे में भी कहना चाहता हूं। उनके साथ सेवा निवृत्ति के बाद सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिये तथा उनका मनोबल बनाये रखने के लिए उन्हें अधिक अच्छी सुविधायें उपलब्ध करवाई जानी चाहिएं।

श्री नरेन्द्र सिंह (दामोह) : रक्षा बजट में व्यय की वृद्धि करना खुशी की बात है। इससे विश्व के किसी भी भाग से कोई भी हवाई जहाज खरीदना आसान हो जायेगा, क्योंकि सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की विदेशी मुद्रा 2.27 करोड़ रुपये से बढ़कर 29.47 करोड़ रुपये हो गई है।

यद्यपि हमारे पास हंटर, मिग लड़ाकू विमान आदि है, फिर भी हमें फ्रांस के मिराज जैसे और अधिक गहरी मार करने वाले विमानों की आवश्यकता है। तथापि मिग जैसे हवाई जहाजों को खरीदने तथा उन्हें देश में बनाने के लिये प्रयास किये जाने चाहियें।

हैवी व्हीकल्स फैक्टरी द्वारा निर्मित विजयंत टैंक के आ जाने के कारण सेना की लड़ने की क्षमता बेहतर हो गई है। हमने अब एल-70 गन का भी उपयोग शुरू कर दिया है और ऐसे अन्य उपायों से हमने नीचे से वायु रक्षा क्षमता में भी सुधार कर लिया है। हमारी रक्षा सेनाओं के तीनों अंग आधुनिक हथियारों से पर्याप्त रूप से तथा भली प्रकार से सुसज्जित है। रक्षा मन्त्री को इस बात के लिये बधाई मिलनी चाहिये कि उन्होंने सेना के तीनों अंगों के लिये आधुनिक हथियारों की व्यवस्था करने में रुचि ली।

Shri Mukhtiar Singh Malik (Sonepat) : It is said that we are spending too much on defence and such large allocations for defence expenditure are not in national interest. I will say that to say so is anti-national because all defence expenditure is certainly productive in the sense that without adequate security, economic production and progress cannot be carried on in the country. At the same time, there is no room for complacency with matter of defence, otherwise we will have to pay a heavy price as we have done in the past. We have always to be ready in preparedness to defend our land borders and sea coasts.

Our navy is still defficient in many respects and it is most essential that it should be modernised with latest equipments. The strength of our naval forces should be increased to the maximum. The Defence Minister should pay special attention to strengthening our navy.

There is no reason why the border security force should be placed under the control of Home Ministry. It is a military force working on our borders. Therefore, the Defence Minister should use his good offices to bring it under the Defence Ministry.

No attention has so far been paid to the housing difficulties faced by military officers when they proceed in forward areas. They face lot of difficulties for housing their families. The Defence Minister should pay more attention to this problem.

Our Defince forces are also the sons of the soil and so, the prohibition policy should not be forced upon them unless and until the entire country goes dry. The defence forces posted in forward areas should be allowed exemption and prohibition policy should not be imposed on them.

The military personnel are facing difficulty and problem of re-employment after their retirement. Government should, therefore, urge upon the big business, public undertakings and other industries to recruit the retired military personnel for security and other jobs under their control.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : हम यह नहीं कह सकते कि आज हम रक्षा मामलों में आत्म-निर्भर हैं। हम करोड़ों रुपयों की सामग्री आयात कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा की भी समस्या है। हम देश में ही

अपनी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं । विशेषज्ञों का विचार है कि मिसाइल विरोधी मिसाइल बनाने से देश की अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सकती है और खर्च भी कम आयेगा । अतः यह अध्ययन किया जाये कि लागत के अनुसार लाभ मिले।

हम इलैक्ट्रानिक्स में काफी आगे हैं लेकिन दुर्भाग्य से अपनी सीमित विचारधारा के कारण हम उस क्षेत्र में पूरा लाभ नहीं उठा पाते। हमें अपनी क्षमताओं का विकास करना चाहिये। इन क्षमताओं को संगठित करने और उनका लाभ उठाने का प्रश्न है । हम ऐसा कर सकते हैं यदि विकास करने की मानवीय क्षमताओं के प्रतिबन्ध हटा लिये जायें ।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम उपग्रह नहीं बना रहे। इससे हम इस दिशा में अपनी क्षमता की उपेक्षा कर रहे हैं । रसायनिक युद्ध की हमारी क्षमता निर्विवाद है । यदि इसी तरह हमारा दृष्टिकोण इसकी ओर सीमित रहा तो बहुत ही घातक होगा । हमें आज इस देश में ऐसे विकास कार्यों को प्रोत्साहन देना है जो देशीय संसाधनों से आगे बढ़ सके ।

इसी तरह की स्थिति डिजाइनों के बारे में भी है । हमारे इंजीनियर बहुत बढ़िया डिजाइन बना सकते हैं, परन्तु हमने अपने ऊपर स्वयं ही रोक लगा रखी है । हमें इन रोकों को हटाना होगा। तब ही हम कुछ अच्छा काम कर पायेंगे ।

Shri Nathu Singh (Dausa): The country which has strong defence line with organised forces, is strong. But our army is not equipped with latest and sophisticated weapons. We should not compare our forces with those of Pakistan and Bangla Desh. We should see how far we can stand with America, China and Russia.

श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए

Shri N.K. Shejvalkar in the Chair

We should not, therefore, be complacent about the present state of our defence forces, and every measures have to be taken to make our army stronger because peace cannot be maintained without a strong army. Our land army is out dated and out moded. So we have to take every measure to manufacture latest weapons in our country and equip our army with these weapons. We should make maximum allocation in our budget to strengthen our defenc forces. With this view, we should manufacture atom bomb without any delay, though we might announce that it would not be used for destructive purposes. We should seek collaboration with the private sector for manufacturing modern weapons in our country so that we may not be dependent on countries like America, and Russia in case there is aggression on our country. Therefore, we have to make our country self reliant in the matter of our defence requirements.

N.C.C. organisation should be strengthened and the cadets should be given proper training and better uniforms. More expenditure should be allocated for it.

The existence of regiments in the army on the basis of castes should be abolished.

The Cantonment Act of 1924 has become out dated and it requires to be amended adequately.

Shri Keshavrao Dhoudge (Nanded): We are proud of our defence forces. But sufficient protection is not being given to the families of army personnel who defended our country. Their families are not safe in some areas of the country. The military personnel should also be given same facilities and amenities which are being given to civil employees.

There is great need of modernisation of the army. Therefore to ensure adequate security of the country it is most essential to modernise our defence forces. Similarly the military personnel should be imparted training in the latest methods of warefare.

It is unfortunate that only the big persons became officers in the army. Communalism is increasing in the army, and nepotism, racialism and corruption is widely rampant there. Various gradations in the army should be abolished. The names of the Military Regiments named after castes should be abolished.

We should do away with all the gradations and inequalities prevailing in the Military.

It is found that people of certain states have a monopoly so far as recruitment of Military personnel are concerned. A provision should therefore be made to accord reservation for certain states. Military personnel are available in Maharashtra, but there are not proper arrangements for imparting them military training. No opportunity is given to the children of common man to serve in the Military. There is need to set up military schools and military colleges in Maharashtra, Bengal, Punjab, Orissa and Gujarat States. The Defence Minister should think about introducing radical changes in the system of recruitment of army personnel. Radical changes should also be made in the structure of Defence organisation.

Every citizen should be given military training. Our farmers in villages should also know how to handle guns.

We should make every attempt to make our country strong. So that we get back our land under the possession of China and Pakistan. We should create awareness in the country. Proper military training should be given to our people.

The Minister of State in the Ministry of Defence (Prof. Sher Singh) : It has been said that Defence expenditure should now be reduced since our relations with neighbouring countries have considerably improved. On the other hand, it has also been said that there cannot be any complacency in the matter of defence of the country. Both the views are correct and therefore, a balanced approach has to be adopted in the matter.

Keeping in view our economic condition and the growing race for arms and armaments in the world, we have struck a balance to equip our army with modern latest weapons on the one hand and to mobilise larger resources for economic development of the country. In fact, our defence expenditure has gone down from 32.9 per cent in 1968-69 to 21.05 per cent in 1978-79. In terms of percentage, our defence expenditure is about 3.7 per cent whereas several countries spend 35 to 37 per cent of their national income. Nevertheless for the defence of the country, our army has to be equipped with latest weapons. Similarly the fourth wing of our defence, namely the defence production has also got to be augmented.

Our country has made great strides in the matter of defence production during the last 15 years. There are 32 departmental factories which manufacture battle tanks, highly sophisticated guns, rockets, a variety of vehicles, explosives, ammunition, clothing, parachutes, leather items and other items of defence requirements.

Then there are a public undertakings engaged in defence production. They are manufacturing aircraft, radars, frigates, survey vessels, submarines and other items. Our 32 factories and a public undertaking are manufacturing worth Rs. 850 crores of defence equipment.

Many members have said that we should be self-reliant in the matter of defence production. We manufacture 91 per cent of our requirements ourselves. We depend on others only for 9 per cent and that too mostly for rawmaterials which are not available in our country.

It has been rightly said that we should avail of indigenous know-how to achieve more and more self reliance in defence production. We want to make use of such technical know-how whether it is available in the public sector or private sector.

Our attention has been drawn to the danger of involving private sector in the matter of defence production. It has already been made clear in Parliament that end products will be manufactured only in departmental factories or public sector undertakings engaged in defence production. Only parts can be manufactured in civil sector. But components of critical nature will have to be manufactured only in defence sector. Even in the matter

of those components which can be manufactured in civil sector we will not depend only on one party. We will encourage more people so that we do not have to depend on only one source. We have to utilize our indigenous know-how fully so that we can achieve greater and greater self reliance in defence production.

Our country has progressed a good deal in research and development. During the one year of Janata Government more stress has been laid on indigenisation and we have achieved great success in this sphere. It is hoped that in the next 4 to 5 years we will depend upon foreign sources only for a few essential things and by and large we will become self-reliant.

The Members have pleaded for amendment of Cantonment Act of 1924 as it is causing lot of difficulty. It will be our endeavour to bring forward a Bill to amend Cantonment Act in the next session so that we may remove all difficulties.

श्री रिनचिंग खाण्डू रिब्मे (अरुणाचल पश्चिम) : सशस्त्र सेनाओं और ग्राम नागरिकों के बीच सुखद सम्बन्ध बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमने अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए क्या आधारभूत नियम और विनियम बना रखे हैं । और, जब तक हम इन आधारभूत नियमों तथा विनियमों में परिवर्तन नहीं करते तब तक अन्तवर्ती सीमावर्ती क्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं और ग्राम लोगों के बीच संबंधों में अधिक सुधार नहीं हो सकता ।

1972 में अरुणाचल प्रदेश में विवाहित सैनिकों के आवास निर्माण हेतु 31 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था लेकिन 13 करोड़ रुपया व्यय करने के बाद वह योजना समाप्त कर दी गई अतः जो सुविधाएं हम सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे सैनिकों को देना चाहते थे, वे बिल्कुल नहीं दे पाये। सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे विवाहित सैनिकों के आवास निर्माण हेतु अधिक धन का आवंटन किया जाना चाहिए ।

1962 के बाद हमें अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक सेनाएं तैनात करनी पड़ीं । उस समय कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया गया और भूमि किराये पर भी ली गई । कुछ जमीन के हिस्से भी किराये पर लिए गए । रूपा में भी एक विशिष्ट प्लाट को किराये पर लेने की बात की गई । इसलिए दिसम्बर, 1976 में उस जगह को खाली कर दिया गया लेकिन अभी तक उस जमीन के देने लेने की कार्यवाही पूरी नहीं हुई है । रक्षा मंत्री को इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए ताकि सशस्त्र सेनाओं और लोगों के बीच अच्छे सम्बन्ध कायम किए जा सकें ।

लद्दाख में स्थानीय लोगों ने सहकारी समितियां बनाई हुई हैं और इन समितियों के माध्यम से वे सेना को वहां उत्पादित होने वाली वस्तुओं की सप्लाई करते हैं। हम भी ऐसा करना चाहते हैं । लेकिन निर्धारित नियमों, ठेकों, निविदाओं इत्यादि के कारण स्थानीय लोग सेना को अपने यहां उत्पादित होने वाला माल सप्लाई करने से वंचित रह जाते हैं । सेना को प्रतिवर्ष 20 से 30 करोड़ रुपये की सब्जी इत्यादि की जरूरत होती है लेकिन इन कठिनाईयों के कारण हम अपनी सब्जियां उन्हें नहीं बेच सकते । मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सेना की कुछ प्रतिशत आवश्यकताएं अरुणाचल के स्थानीय लोगों के उत्पाद से भी पूरी की जायें।

एक सरकारी कानून यह है कि सेना में कार्य कर रहे पति-पत्नी दोनों की एक ही स्थान पर नियुक्ति की जायेगी। यदि पति की नियुक्ति हैदराबाद या लखनऊ में है तो उसकी पत्नी की नियुक्ति अलग स्थान पर नहीं की जानी चाहिए । मंत्री महोदय को इस मामले पर विचार करना चाहिए ।

कई बार एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसर अर्द्ध सैनिक संगठनों में कम रैंक पर नौकरी लेते हैं । मेरा सुझाव है कि जब कभी ऊंचे रैंक का कोई पद रिक्त हो तो उसके लिए बाहर से सीधी भर्ती न की जाये अपितु कम रैंक पर काम कर रहे अफसर की ही पदोन्नति कर दी जाये।

सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों को शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय स्कूलों में छात्रावासों को सुविधाएं प्रदान की जायें ताकि अफसरों के तबादले से उनके बच्चों की शिक्षा पर कोई असर न पड़े।

***श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** (तंजाबूर): अत्यधिक संतोष की बात है कि हम कुल राष्ट्रीय उत्पाद का केवल 3 प्रतिशत रक्षा तैयारियों पर व्यय कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश एवं बड़ी शक्तियां अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक रक्षा पर खर्च कर रही हैं। हमारा रक्षा परिव्यय विश्व भर में सबसे कम होने से हमने यह सिद्ध कर दिया है कि हम शांति के प्रति वचनबद्ध हैं।

नौसेना शक्ति को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। वस्तुतः नौसैनिक शक्ति को आधुनिक बनाने की बहुत आवश्यकता है। हिन्द महासागर दो बड़ी शक्तियों का अखाड़ा बन गया है। हमारा देश इस अखाड़े की परिधि के बिल्कुल निकट है और यदि वहां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ गई तो हम ही पहले उसके शिकार बनेंगे। इससे हमें अपनी नौसेना को आधुनिक बनाना चाहिए।

जहां तक भारतीय वायुसेना का सम्बन्ध है, हमारे पास ऐसे पुराने विमान हैं, जिनका आधुनिक वमानों के सामने कोई महत्व नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने वायु सेना के विमानों के लिए उपयुक्त इंजनों के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। अब हमें इस सम्बन्ध में निर्णय कर लेना चाहिए और उस पर तेजी से अमल शुरू कर देना चाहिए।

खेद की बात है कि सरकार ने सशस्त्र सेना के विघटित (विकलांग) अधिकारियों के पुनर्वास के लिए कुछ भी नहीं किया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को इन नवयुवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिएं। उन्हें लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जानी चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन विकलांग लोगों को खेती करने के लिए सरकारी भूमि दी जानी चाहिए। मंत्रालय को इन लोगों के पुनर्वास के लिए एक बृहत कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

रक्षा अनुसंधान संगठन बहुत शांत हो गए हैं। यदि सशस्त्र सेनाओं को आयुध विज्ञान में आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के अनुरूप बनाए रखना है तो इन संगठनों को सशक्त करना होगा।

हमारी सशस्त्र सेनाओं के उपयोग में आने वाले छोटे शस्त्रास्त्रों के निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग और उसे प्रोत्साहन देना भावी पीढ़ी के लए खतरनाक है। गैरसरकारी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आने ही नहीं देना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। असैनिक या नागरिक आवश्यकताओं का उत्पादन करने वाले आयुद्ध कारखानों को केवल रक्षा सम्बन्धी उपकरणों का ही उत्पादन करना चाहिए।

रक्षा मंत्रालय को देश के सभी कालेजों में एन० सी० सी० को प्रोत्साहन देना चाहिए। सशस्त्र सेनाओं में योग्य व्यक्तियों की भर्ती करने का एन० सी० सी० एक बहुत बड़ा साधन है।

डा० आर० रोथुअम (मिजोरम): बंगला देश की मुक्ति के समय मिजोरम बंगला देश की सीमा से लगा सीमावर्ती राज्य होने के कारण यहां पूर्वी पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की बहुत अधिक घुसपैठ हो गई थी। इन लोगों ने स्थानीय लोगों की भूमि पर कब्जा कर लिया है। रक्षा मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये घुसपैठिए वापस भेजे जायें।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version of English translation of speech delivered in Tamil.

सशस्त्र सेनाओं में मिजोरम के बहुत लोग भर्ती हैं । अधिकांश लोगों विशेषतया कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है । रोजगार के मामले में इन लोगों को तरजीह दी जानी चाहिए ।

सुरक्षा सेनाओं ने मिजोरम के गांव की बीच में निजी भूमि पर कब्जा कर लिया है । वहां के लोग चाहते हैं कि उनके मकान, भूमि आदि सुरक्षा सेनाओं से उन्हें वापस दिलाई जायें। सुरक्षा सेनाओं द्वारा निजी भूमि पर किये गये कब्जे से वहां बहुत कटुता और भारत विरोधी अनुभूति पैदा हो गई है । यहां तक कि साधारण जनता भी भारत विरोधी मत वाली हो गई है । ये सभी सुरक्षा सैनिक गांवों में से हटा दिये जाने चाहियें ताकि सैनिक जवानों और नागरिकों के बीच अच्छे सम्बन्ध पैदा हो सकें ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : चाहे देश के पड़ोसी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध हों अथवा न हों। फिर भी देश को अपनी रक्षा व्यवस्था मजबूत रखनी चाहिए । क्योंकि हमें 1962, 1965 तथा 1971 का विशेष अनुभव है ।

बजट में रक्षा के लिए काफी बड़ा प्रावधान किया गया है और इस प्रावधान में से 65 से 70 प्रतिशत तक धनराशि भत्ते, वेतन, पेंशन आदि पर व्यय हो जायेगी। केवल 30 या 35 प्रतिशत धन राशि ही रक्षा उत्पादन सेना आदि पर व्यय होती है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस धन का व्यय किस प्रकार किया जा रहा है । रक्षा मंत्री को एक रक्षा आयोग की स्थापना करनी चाहिए जो कि इस बात को देखे कि यह 30-35 प्रतिशत पैसा किस प्रकार खर्च किया जाता है । इससे यह सुनिश्चित होगा कि अपनी रक्षा व्यवस्था को सुधारने में हम इस पैसे का पूर्ण सदुपयोग कर रहे हैं।

रक्षा तथा विदेश मंत्रालयों के बीच तालमेल होना बहुत आवश्यक है । रक्षा मंत्रालय में एक समन्वय कक्ष होना चाहिए जो विदेश मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ संपर्क बनाए रखे तथा कहाँ क्या विकास हो रहा है इस बात की जानकारी रखे।

यह कहना सही नहीं है कि इतनी बड़ी सेना रखना देश के लिए आवश्यक नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि आधुनिकीकरण हुआ है और नई मशीनें आ रही हैं किन्तु मशीनों के लिए चलाने वालों की भी आवश्यकता होती है । देश के आकार तथा आवश्यकताओं के अनुसार ही हमारी सेना पर्याप्त होनी चाहिए।

सेना और आयुधों का अनुपात बढ़ाया जाना चाहिए । इसमें 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसे और भी बढ़ाया जाए ताकि हमारी सेना की गतिशीलता तथा प्रहार शक्ति अधिक प्रभावकारी हो।

समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के अतिरिक्त हमारी सेना के पास दूरचालित मिसाइल नौकाएं आदि भी बड़ी संख्या में होनी चाहिएं । विमान वाहक पोतों तथा अन्य परम्परागत पोतों की बजाय 'डेक बजर' प्रकार के द्रुतगामी पोत होने चाहिएं ।

यह प्रसन्नता की बात है कि रक्षा मंत्री द्वारा बंगलौर में 21 फरवरी को दिए गए वक्तव्य के अनुसार दूर तक घुसने वाले विमान खरीदे जा रहे हैं। आधुनिक युद्ध प्रणाली में उस प्रकार का विमान निचाई पर उड़ने वाली मिसाइलों के मुकाबले के लिए जरूरी हैं ।

रक्षा को हमें अपनी विकास योजना का अंग बनाना चाहिए । सड़कें बनाने के लिए हमने सीमा सड़क संगठन बनाया है । उसे रक्षा अधिकारियों की सलाह से तथा उनके मानक के अनुसार सड़कें बनानी चाहिएं ताकि इन सड़कों का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर रक्षा सेनाओं के लिए भी किया जा सके।

लुम्बा में तथा श्रीहरि कोटा में राकेट छोड़ने के केन्द्र हैं। यहाँ से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए उपग्रह छोड़े जाते हैं। इन उपग्रहों का प्रयोग रक्षा प्रयोजनों के लिए भी किया जाना चाहिए ।

हमारी एक प्रादेशिक सेना है जिसे हमारी द्वितीय रक्षा पंक्ति समझा जाता है। यह दुख की बात है कि रक्षा मंत्रालय से इसे सौतेला व्यवहार मिल रहा है। प्रादेशिक सेना की संख्या नियमित सशस्त्र सेना से अधिक होनी चाहिए। हमारे जैसे बड़े देश में यह बीस लाख होनी चाहिए। मंत्री जी इस पर विचार करें।

कुछ ऐसे भी क्षेत्रीय सेना के कर्मचारी हैं जो दस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं। दूसरा उन्हें कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें कुछ प्राथमिकता तो दी जानी चाहिए। ताकि अपने पुनर्वास के लिए वे कुछ कर सकें। अन्य अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति लोगों की तरह इन लोगों को कुछ संवैधानिक गारंटियां दी जानी चाहिएं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना के जवानों की आवास समस्या को 50 प्रतिशत तक हल कर लिया गया है। इस पर भी यह बहुत बड़ी समस्या है इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

सेना में युवकों को आकर्षित करने के लिए सेवा शर्तों को कुछ आकर्षक बनाया जाना चाहिए। इस बात की ओर मंत्री महोदय को विशेष ध्यान देना चाहिए। जनरल रायना ने सेवा दिवस के दिन एक इंटरव्यू के दौरान कहा था पिछले तीन चार वर्षों से एक भी जनरल का पुत्र सेना में नहीं भर्ती हुआ है। यदि सेना की शर्तें इतनी आकर्षक और अच्छी हैं तो जनरल लोगों ने अपने बेटों को तो सेना में क्यों नहीं भेजा है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

Shri Baldev Singh Jasrotia (Jammu) : If today there is democracy in our country the credit goes to the Defence forces who have been doing their best to preserve it and they should be congratulated for it.

I want to draw the attention of the Defence Minister to the cases of robberies, dacoities, cattle lifting and firings in Jammu and Kashmir. These cases, which are engineered by Pakistan, have become a daily occurrence. This-is a serious matter to which Government must pay due attention.

Much has been said about having the latest defence equipment. But what is most important for the defence forces is valour and courage. If we pay adequate attention to the needs of our defence personnel they will feel happy and consequently their morale will be boosted and they will be able to serve the country better.

On the Republic Day of 1951 it had been promised that promotion from the ranks to the officers cadre will be from 5 to 80 per cent. This target has not been fulfilled so far and, as a result there is a feeling of disappointment among the ranks. It is high time this promise is fulfilled.

So far as the question of ration is concerned it is not known why the armed force do not get meat even once a week when the Navy personnel get it twice a week and the Air Force personnel get once a week. This discrimination must be ended because it creates bad blood.

The people of hill areas from Assam to Uttar Pradesh, including Himachal and Jammu are good soldiers but they have all along been ignored let the Defence Minister pay attention to these backward areas so that they can also come up.

Under the present laws of the State Government if a man is recruited in the defence forces his land is taken away from lion. This brings about demoralisation in these people. This should be rectified.

The condition of Ex-servicemen is far from satisfactory and they are compelled to sell their service medals and uniforms. The quota reserved for them is not being fulfilled.

Government should take some positive steps to improve the lot of these people who have served the country.

The forces of Jammu and Kashmir have been merged with the Indian forces and Indian laws and regulations are applicable to them. But the cases of the pension, promotion and allowances remain as yet undecided. This has created discontent among those people.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

I hope that the Defence Minister will see it that these cases are decided expeditiously.

Shri Nirmal Chandra Jain (Seoni) : The question of security is the most vital question before the country. We can live with peace only when we are mighty enough to repel aggression, if any. It is, therefore, necessary that at no time there is any slackness in our defence preparedness.

The Gun Carriage Factory, the Ordnance Factory and the Central Ordnance Depot at Jabalpur, which were established there keeping in view its strategic importance is a central place of the country, are in a neglected state today. They have made almost no progress after 1942-43. The Minister of Defence is, therefore, requested not only to pay particular attention on the development of those three installations but also to set up a factory of modern weaponery at Jabalpur.

It is also necessary that we should attain self-sufficiency in our defence requirements. A defence research laboratory may be set up at Jabalpur as also at other places in the country to develop new weaponery suitable for the rapidly changing modern warfare. This will also help in keeping our new technology a secret.

A separate security organisation should be set up so that our sea coast can be guarded more effectively.

Shri R.L. Kureel (Mohanlalganj) : The Budget of the Defence Ministry is commendable because it has rightly given top priority to the maintenance of security of our borders.

The existing regiments in the army formed on the basis of caste should be bounded up or a separate regiment of Harijans or Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be formed or a quota should be fixed on the basis of population with representation to every section of the society.

The amenities allowed to those army personnel who fought on the borders are adequate. They are considered as second grade citizens by other people. They must be given due respect and recognition.

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes have no representation in Military Academy or in the Military schools which impart Military training. Therefore, they should be given adequate representation in each military school and Military Academy.

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : All sections of the House have praised officers and Jawans of defence forces. Really these people deserve all praise.

Our policy is to have friendly relations with all countries and particularly with our neighbours. Even some have to keep ourselves ready to meet any eventuality. It has been our constant endevour to have good neighbourly relations with Pakistan and Bangladesh and to normalise relations with China.

It has been said that defence should be able to call upon scientists from all over India to work on defence projects. We have a council for research and development.

In this council there are representatives from nuclear energy, space research and C.S.I.R. There can be no council of a higher status than this.

Then it has also been suggested that there should be a council consisting of retired officers over our defence services. We have a Committee of three service chiefs. Also for purposes of coordination among three forces, we have another avenue. There is what is called 'Defence Minister's Morning Meeting'. This meeting take place normally once a week. It is attended by the Defence Minister, the Minister of State, Defence Secretary, Cabinet Secretary and three service chiefs. In view of all these arrangements there is no need for any other committee.

We are paying constant attention to modernisation of Armed Forces keeping in view new advances in science and technology. We are also giving training to defence personnel in the use of new weapons.

Reference has been made to aircraft. Some of our aircraft have become old. We will now purchase aircraft of new models. A team of experts which visited three countries for discussions and evaluation of different aircraft might have submitted its report today. The Cabinet Committee will soon discuss this matter and take a decision. The Government has also taken a decision in principle to go in for submarines. Talks are in progress with seven or eight countries. Whatever new equipment we purchase will also be manufactured in our country. We will also manufacture different components and parts. Then only we will become more and more self-reliant.

We have been making effort to make the maximum use of the manufacturing capacity available in Government sector, public sector and private sector. There should be no fears about involving the private sector in production of defence equipment. The Government is more powerful than any group of industrialists. It will be harmful to create the same capacity which is already existing in our country. That will amount to misutilisation of our resources.

As regards service conditions of defence personnel, we have to view the whole thing in the context of our resources and the condition of other sections of our people. We could not consider the question in isolation.

It is not that people are not attracted to joining the defence services. There are always many more candidates for selection as officers than the number of posts. There is good deal of rush of candidates for recruitment as jawans. People in our country looked upon defence service as a matter of prestige.

It will not be correct to say that good meals are not served in Army hospitals. There are proper arrangements for meals and medicines in hospitals.

The navy is becoming more and more important. That is why our expenditure on Navy is going up. This year it has gone up from 7 per cent to 10 per cent of our defence budget. It will be more than 11 per cent next year. We are manufacturing our own frigates and making our equipment modern. Cochin Port is not a Naval Port. It is a civil port. So far as Vishakhapatnam is concerned it is being developed.

Every year about 50 to 60 thousand people retire from defence forces. The problem of providing them employment is a colossal one especially in view of the prevailing unemployment in the country. We have made some reservations for exservicemen in Government services both at the Centre and in the States as also in public undertakings. We have started a scheme of giving technical or vocational training to defence personnel six months before their retirement so that they are equipped for doing certain jobs. There are also self-employment schemes for these people.

Labour relations in departmental undertakings are by and large satisfactory. But multiplicity of unions creates difficulties. If the number of unions is reduced things will improve.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

All the Cut Motions were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा रक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई ।

The following Demands in respect of Ministry of Defence were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि			
19.	रक्षा मंत्रालय	14,78,76,000	11,71,73,000	73,93,78,000	58,58,67,000
20.	रक्षा सेवाएं—सेना	316,32,08,000		15,81,60,39,000	
21.	रक्षा सेवाएं—नौसेना	34,25,62,000		171,28,08,000	..
22.	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	97,68,98,000		488,44,92,000	
23.	रक्षा सेवाएं—पेंशन	25,10,46,000	..	125,52,29,000	
24.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	..	48,89,86,000	..	244,49,28,000

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 28 मार्च, 1978/7 चैत्र 1900 (शक) के ग्यारह बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, March 28, 1978/ Chaitra 7, 1900 (Saka).

MGIPRRND—10 LSS/78—III—D 7-9-78—210.